राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 4 तेरहवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का छत्तीसवां दिवस संख्या 19

सोमवार,
29 मार्च, 2010

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: डा. जसवन्त यादव।

तारांकित प्रश्नोत्तर
स्थगित प्रश्न : दिनांक 15 मार्च, 2010 का स्थगित प्रश्न

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में बकाया किराया राशि

200. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के कितने भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी राजकीय आवास में निवास कर रहे हैं? मय निवास स्थान के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में ऐसे कितने अधिकारी हैं, जो निजी मकान होते हुए भी राजकीय आवास में निवास कर रहे हैं? मय नाम विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य में ऐसे कितने उक्त अधिकारी हैं, जिनके विरूद्ध किराया राशि बकाया चल रही है? उक्त किराया राशि कब से एवं कितनी-कितनी बकाया है? मय नाम विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त अधिकारियों की बकाया राशि वसूल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): (1) राज्य के भारतीय प्रशासनिक सेवा के राजकीय आवास में निवास कर रहे अधिकारियों का विवरण परिशिष्ठ क पर संलग्न है।

(2) राज्य के आई.ए.एस. अधिकारी जो निजी मकान होते हुए भी नियमानुसार अनुमति उपरान्त राजकीय आवास में रह रहे हैं, का विवरण परिशिष्ठ ख पर संलग्न है।

(3) राज्य के आई.ए.एस. अधिकारी जिनके विरूद्ध किराया राशि बकाया चल रही है, का विवरण परिशिष्ठ ग पर संलग्न है।

(4) जी हां। आवंटन नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्षजी, एमएलए यदि हार जाता है तो उसको कुछ दिनों में ही सरकार नोटिस पर नोटिस देना शुरू कर देती है कि मकान खाली करो। इसी तरह कोई बेचारा अगर पियोजन जैसा अधिकारी है और उसके कोई सरकारी मकान है तो उसको कभी भी किसी कीमत पर सरकारी मकान नहीं मिलेगा, उसको तुरंत कहा जाता है कि आप जाइये और अपने मकान में रहियसे। इसी तरह हमारे कितने ही ऐसे अधिकारी हैं जो मुझे जवाब भी मिला है माननीय मंत्री महोदय का, यह अगर सही तरीके से मंत्रीजी खुद भी इस जवाब को पढ़ें, खण्ड दो को, तो शायद खुद भी इसमें संतुष्ट नहीं होंगे पर क्योंकि अधिकारियों द्वारा दिया हुआ जवाब है, इसमें मैंने लिखा है कि राज्य में ऐसे कितने उक्त अधिकारी हैं जो निजी मकान होते हुए भी राजकीय आवास में निवास कर रहे हैं। काफी अधिकारियों को तो मैं ही जानता हूं जिनके दो-दो, तीन-तीन, चार-चार फार्म हाउस बने हुए हैं और इसमें लिखा है कि जिन्होंने सरकार से अनुमति मांगी है मतलब कोई बेचारे शरीफ अधिकारी हैं उन्होंने बता दिया, सरकार को इन्फोर्मेशन दी कि मेरे मकान है मुझको अनुमति दी जाय पर यह अनुमति प्रशासनिक अधिकारियों को दे दी जाती है, यही अगर अनुमति कोई अगर छोटे क्लर्क या चपरासी या कोई और मांगता तो शायद उसको जिंदगी में नहीं मिल पाती। अब इस तरह से जवाब देने वाले, बनाने वाले भी प्रशासनिक अधिकारी ही हैं, जवाब को ही गोलमोल कर गये। उसी में एक यह अब मेरा सप्लीमेंट्री है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जो दो स्थानों पर सरकारी मकान नियमानुसार रख सकते हैं, यदि दो स्थान पर मकान रखते हैं तो नियम विरूद्ध है निश्चित रूप से, ऐसे किसी भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने दो जगह मकान रखा है पिछले पाँच सालों में कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की है, यदि हां तो कितने प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ की और यदि नहीं की तो क्यों नहीं की, क्योंकि नियम विरूद्ध है। दूसरा है, भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों के स्थानांतरण के पहले जिस स्थान पर पदस्थापन था उस मकान को कितनी समयावधि में खाली किया जा सकता है, किया जाना चाहिए था और जो खाली नहीं किया, क्या किसी भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों को दो जगह मकान रखने के प्रकरण में पिछले पाँच सालों में किराया माफ किया है और यदि किया है तो किन-किन भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों का, ऐसे अधिकारियों का नाम बतायें और किस नियम के तहत किराया माफ किया है। ऐसे कितने प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनके स्वयं के मकान होते हुए भी सरकारी मकान में रह रहे हैं बिना सरकार को सूचना दिये हुए, ऐसे अधिकारियों की जांच

करने की क्या सरकार मंशा रखती है और ऐसे कितने अधिकारी हैं जिन्होंने सरकार से अनुमति लेने के लिए आवेदन कर रखा है लेकिन उनको अभी तक अनुमति नहीं मिली है। दो प्वाइंट बाद में पूछ लूं, एक बार इनका जवाब मिल जाय तो। हैं? सारे ही एक साथ बता दूं?

श्री अध्यक्ष: आप जवाब दें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह पूछा, पहला सप्लीमेंट्री, आपने कुल मिलाकर के चार सप्लीमेंट्री पूछे हैं, चारों का उत्तर एक-एक करके आपको देने का प्रयत्न कर रहा हूं। पहला आपने पूछा कि वह आईएएस अधिकारी जो दो स्थानों पर मकान रख सकते हैं उनके खिलाफ पिछले पाँच वर्षों में क्या कार्यवाही की गई। कुल मिलाकर के 13 अधिकारी हैं जिन लोगों ने अपना मकान होते हुए भी सरकारी मकान में रहने का प्रयत्न कर रखा है। पहला, जो पिछले पाँच साल का आपने पूछा है मैं शुरू से ही आपको बता देता हूं। रविशंकर श्रीवास्तव, आईएएस आफिसर, यह 2003 की मई में, मई से लेकर के 2006 की जून तक इन्होंने उस मकान पर कब्जा करा रखा है। दूसरा श्री अशोक जैन, इन्होंने सन 1999 से लेकर के, आपके अक्टूबर में 1999 से कब्जा किया, वह कब्जा छोड़ा इन्होंने 7/01 को, मतलब 2001 को। तीसरा, बी.बी. मोहंती, यह 2002 फरवरी से कब्जा किया इन्होंने और कब्जा छोड़ा 11/02 को। ठीक इसी तरीके से चौथे नम्बर पर है सुबोध अग्रवाल जिन्होंने एक जनवरी 2001 में कब्जा किया और उसके बाद कब्जा छोड़ा दिसम्बर 2002 को। पांचवां है संजय दीक्षित जिन्होंने पांचवें महीने में 2003 में कब्जा लिया और उसको छोड़ा 11, मतलब नवम्बर 2003 को। ठीक इसी तरीके से अखिल अरोड़ा, यह 16.1.2009 से कब्जा किया इन्होंने जिसको 28.2.2010 को कब्जा छोड़ा। अजिताभ शर्मा, 9.7.2008 को किया कब्जा, 28.2.2010 को छोड़ा। इसी तरीके से कुंजीलाल मीणा 30.6.2008 से कब्जा किया और 19.1.2010 को छोड़ा। सुधीर भार्गवन, 5.1.2009 को कब्जा किया और 15.10.2009 को छोड़ा। इसी तरीके से हरसहाय मीणा, 2002 से लेकर के, नहीं, सारी, 28.8.2008 में कब्जा किया। सीताराम भाले, 27 मई 2006 से इन्होंने कब्जा किया और यह तो हुआ जयपुर का किस्सा।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मेरा यह है कि वे मकान दो जगह रख नहीं सकते, सरकारी कर्मचारी तो...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपने यह पूछा है कि पाँच साल में, मेरी बात सुनिये आप।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्षजी। एक मिनट मंत्री महोदय, एक मिनट के लिए मेरी बात सुनें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं एक-एक का जवाब दे रहा हूं, आप मेरी बात सुनिये पूरी।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): यह इसी में है, इनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक..

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): तो मैं यही तो बताने जा रहा हूं आगे। अजी तो मैं यही तो बताने जा रहा हूं, आप पूरी बात तो सुनिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): बताइये।

श्री अध्यक्ष: सुनिये, कृपया।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह तो हुई जयपुर की बात।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): यह लिस्ट तो आ गई न, सर, मेरे पास।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): जयपुर के अलावा भी दो जगह ऐसी है, एक तो श्री गिरीराज सिंह हैं और एक है श्रीमती नीलिमा जौहरी, इन पर भी जो है कुल बकाया रकम, जो आपने कहा न कि क्या कार्यवाही करी, इन पर पूरी बकाया रकम निकाल रखी है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सर, मैंने यह कहा कि इनके अनुशासनात्मक कार्यवाही क्या की, किराया तो निकाल दिया क्योंकि किराया दो जगह रह रहे हैं पर प्रशासनिक अधिकारी है, आपके अधीन आते हैं, सरकार का कर्मचारी, अगर खेत ही बाड़ को खाने लग जाये या बाड़ खेत को खाने लग जाय तो उनके खिलाफ कार्यवाही कोई तो करेगा न।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपने अनुशासनात्मक...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): एक प्रशासनिक अधिकारी आपकी अवहेलना कर रहा है...

Lpm/akt/1110/1b/29032010

सरकार के नियम की धज्जियां उड़ा रहा है और फिर सरकार उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं करे मैं उस बात पर क्या....

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): उसके खिलाफ क्या कार्यवाही होती है उसी को मैं पढ़कर के बता रहा हूं। आप सुनिये, यदि स्थानान्तरण के किसी भी अधिकारी मान लीजिए ट्रांसफर हो जाता है तो एक महीने का उनको टाइम दिया जाता है। एक महीने के बाद में दूसरे महीने में उनसे दुगुनी राशि उसकी वसूली की जाती है किराये की और तीसरे महीने से लेकर के छठे महीने तक तीन गुना उनसे राशि ली जाती है और छह महीने के बाद में मार्केट रेट से उनका रेंट लिया जाता है। कुल मिलाकर के उनसे यह वसूली होती है। बता दिया मैंने आपको साफ-साफ।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): नहीं, अभी तक उनसे वसूल तो कर नहीं पाये हैं पर अनुशासनात्मक तो कार्यवाही....

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नहीं, वसूली किया है, वसूल किया है वह भी आपको बता देता हूं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): नहीं, बकाया तो आपने इस सूची में ही दे रखा है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सूची तो जो मांगी है जिसका विवरण आपने मांगा है मैं उतना ही दूंगा आपको बाकी तो मेरे पास सप्लीमेंट्री है, मैं बता देता हूं आपको कि किस व्यक्ति से किस अधिकारी से कितना वसूल किया जा चुका है और कितने उसमें बकाया है? यह भी मैं बता देता हूं आपको।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): नहीं, मैं अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए पूछ रहा हूं। क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं है..

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): वह सरकार के नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय एक बार मेरी बात सुन लीजिए...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): जो नियमों में प्रावधान है वह मैंने बता दिया, मेरी बात सुनिये आप।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सरकार के आदेशों की जो अधिकारी अवहेलना करता है क्या उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की कोई गुंजाइश है या नहीं है, की जा सकती है या नहीं की जा सकती है? मेरा पोइन्ट यह है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं बता रहा हूं आपको, कायदा यह होता है कि जब कोई अधिकारी आवास के लिए आवेदन करता है तो सबसे पहले यह उनसे बाकायदा एक परिपत्र पर यह लिखवा लिया जाता है कि मेरे कोई निजी आवास यहां पर नहीं है। उसकी जांच के लिए बाकायदा डी.ओ.पी. को भेजा जाता है, डी.ओ.पी. प्रमाणित करती है इस बात के लिए कि इनका कोई निजी आवास नहीं है और अगर निजी आवास है तो सरकार से अनुमति लेकर के तीन गुणा रेंट पर जो है वह उसको अनुमति सरकार देने का अधिकार रखती है। उसमें नियमों में जो है वह शिथिलता देने का अधिकार सरकार को है। अब यह सवाल आपने कहा कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है तो नियम की कॉपी मैंने आपको दे दी आप बता दे कि कौनसे नियम में उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है?

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार जिन भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों पर किराया बकाया है उन अधिकारियों के किराये को माफ करने कोई की मंशा रखती है? यदि हां, तो किस नियम के तहत और यदि नहीं, तो ऐसे भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों से कितनी समयावधि में आप किराया वसूल कर लेंगे और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पारदर्शिता लाने के लिए मकान आवंटन की प्रतीक्षा सूची एवं आवंटन सूची को ऑन-लाइन करने की मंशा है या नहीं है और अभी भी कितने ऐसे अधिकारी हैं जिनके पास सरकार से छुपा रखा है, जो हमारी नॉलेज में भी हैं कि फार्म हाउसेज, चार-चार, पाँच-पाँच मकान हैं वह सरकारी मकान में रह रहे हैं, वह सरकार को अपनी सूचना देना नहीं

चाहते तो ऐसे सरकारी अधिकारियों की या प्रशासनिक अधिकारियों की संपत्तियां इस तरह से मकानों की जांच करने के लिए कोई कमेटी बनाने का मन रखते हो या नहीं रखती हो?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): जो सूचना मेरे पास उपलब्ध हैं उसके अनुसार 13 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास निजी आवास भी हैं और वह सरकारी मकान में भी रह रहे हैं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ऐसे अधिकारी अभी भी हैं जैसे बूंदी का एस.पी. का है वह जयपुर में भी उसने मकान सरकार का घेर रखा है, बूंदी में भी सरकार का मकान ले रखा है तो ऐसे कितने ही अधिकारी हैं? मंत्री महोदय, इस बात को आप सक्षम हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी एक अगर क्लर्क या चपरासी अपना कोई सरकारी मकान रखता है और उसके पास निजी मकान बना लेता है तो उसे तुरंत खाली करा लिया जाता है, उसको एक मिनट भी नहीं रहने दिया जाता है या उसके पास कोई घर का मकान है वह सरकारी मकान माँगता है तो नहीं मिलता है पर प्रशासन अधिकारी आप एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी जांच कराइए कि ऐसे कितने ही प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनके दुनिया भर के तो जयपुर में फार्म हाउसेज, पाँच-पाँच, चार-चार मकान हैं तो ऐसे अधिकारियों की जांच कराइए यह मांग कर रहा हूं मैं।

श्री अध्यक्ष: श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): पहले इनकी बात का जवाब दे दूं...

श्री अध्यक्ष: एक साथ दे देना, मंत्री जी, एक साथ ही दे देना।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने 13 बताये हैं कि इन्होंने स्वीकृति लेकर के दोहरा मकान स्वयं का भी है और किराये का भी ले रखा है, क्या इन 13 के अलावा जितने भी लोग यहां सरकारी भवन में रह रहे हैं, उनमें से किसी का भी जयपुर में कोई मकान नहीं है यह कह सकते हैं आप? यह प्रश्न सीमित नहीं है, अगर यह 13 लोगों ने तो परमिशन ली, आपके अधिकृत रूप से आपकी सूची पर आय गये बाकी लोगों ने परमिशन भी नहीं ली, न आपने परमिशन दी। मैंने प्रश्न इसलिए पूछा कि आज जो सरकारी मकानों में रह रहे हैं आपका सारा लवाजमा, उसमें से यह 13 ही लोग हैं क्या जिनके पास जयपुर में मकान हैं बाकी सब लोगों के जयपुर में मकान नहीं है यह आप कह सकते हो क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: इनका और दे दें फिर साथ ही दे देना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय ने शब्द इस्तेमाल किया कब्जा और माननीय मंत्री महोदय मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पब्लिक प्रिमीसेज इविकेशन ऑफ अन-ऑथोराइज ओक्युपेशन एक्ट,1971 का बना हुआ है जब कब्जा उन्होंने किया तो क्या आपने उसके सेक्शन 4 और 5 में कार्यवाही की नम्बर एक? नम्बर दो क्या यह सही है कि संभागीय मुख्यालय में 36 ऐसे प्रशासनिक पदों पर बैठे अधिकारी हैं जो अन-ऑथोराइज रूप से सरकारी भवनों में रह रहे हैं और मुख्यमंत्री जी उनमें एक आपका

ओ.एस.डी. विजय सिंह भी हैं, विजयपाल सिंह भी हैं, डी-620 में रह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का ओ.एस.डी. विजयपाल सिंह भी उनमें शामिल हो तो मैं समझता हूं कि अब जब यह सवाल आ गया है तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी, आपने एक अतारांकित सवाल में जो सरकार ने उत्तर दिया मैं उसी के आधार पर कोट कर रहा हूं। इसमें उन सब अधिकारियों के नाम हैं चार-चार वर्षों से सरकारी आवास पर अध्यक्ष महोदय अधिकारी रहे, प्रशासनिक पदों पर बैठे ऐसे अधिकारी रहे जो सचिवालय में प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव के पद पर रहे और सरकार कोई कार्यवाही नहीं करे और यह कह रहे हैं कि हमने कार्यवाही की है तो यह जो कानून बनाया है पब्लिक प्रिमीसेज इविकेशन ऑफ अन-ऑथोराइज ओक्युपेशन एक्ट,1971...

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिये न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं इस कानून के तहत पूछ रहा हूं इसके तहत कितनों के खिलाफ कार्यवाही की और क्या जो मैंने बताई 36 अधिकारी जो संभागीय मुख्यालय पर बैठे हैं जिसमें ओ.एस.डी. साहब भी बैठे हैं उनके खिलाफ आप कार्यवाही करने की मंशा रखते हैं?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको बताया कि जो मेरे पास सूचना है उसमें सिर्फ 13 अधिकारी ऐसे हैं जिनका यहां पर निजी मकान है और उन्होंने सरकार की अनुमति से सरकारी मकान पर भी जो है निवास बना रखा है। यह जो प्रश्न है यह सिर्फ आई.ए.एस. अधिकारियों के ऊपर ही है, यह कोई सारे जितने भी आर.ए.एस. अधिकारी हो, चाहे एल.डी.सी. से लेकर के वहां तक हो उनका प्रश्न नहीं है इसलिए जो आपने कटारिया साहब ने जो पूछा वह सिर्फ आई.ए.एस. अधिकारियों तक है मेरे ख्याल से....

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आई.ए.एस. तक ही सीमित कर दो, अपने इससे आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं इन 13 के अलावा क्या आप यह कहने की स्थिति में है कि उनका जयपुर में मकान नहीं है?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): निश्चित तौर पर मेरे पास जो सूचना है वह सिर्फ इन 13 अधिकारियों की है। 13 अधिकारियों की जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूं लेकिन ऑन-लाइन करने की योजना जरूर है यह मालूम करने की कोशिश हर वक्त की जा रही है डी.ओ.पी. के द्वारा भी और कार्मिक विभाग के द्वारा और संपदा विभाग के द्वारा भी की जा रही है कि कहीं-कहीं इस प्रकार की कोई शिकायत मिलती है कि इसने निजी मकान बना रखा है या सरकारी मकान अलोट होने के बाद उसने खुद ने जब निजी मकान बना लिया हो और सरकार को सूचित नहीं किया हो तो ऐसे कैसेज जो हैं बाकायदा देखे जा रहे हैं उसको ऑन-लाइन करने का प्रयत्न किया जा रहा है। यह सिर्फ 13 आदमी हैं जिनको जो है सरकार ने अनुमति दे रखी है और इनसे बाकायदा पूरा नियमानुसार पूरा किराया वसूल किया जा रहा है। जहां तक सवाल इस बात का है कि इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए तो

अनुशासनात्मक कार्यवाही का मैं यह समझ कर चलता हूं कि नियमों में कोई प्रावधान नहीं है, किराया वसूल करने का प्रावधान है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सर, मेरा एक प्रश्न यह है कि क्या किसी अधिकारी...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय मैं पूछना चाहता हूं कि यह नियम पब्लिक प्रिमीसेज इविकेशन ऑफ अन-ऑथोराइज ओक्युपेशन एक्ट,1971...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): एक मिनट मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो नियम और कायदे बने हुए हैं उससे ही चलना चाहिए और विशेष रूप से जो जन-प्रतिनिधि हैं उनको भी और जो सरकारी अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं चाहे वह आई.ए.एस. हो, आई.पी.एस. हो या स्टेट सर्विस के लोग हैं सबको ही चलना चाहिए। पर जनरली देखा गया है कि उसमें कहीं-न-कहीं कई बार तो मजबूरी में, कई बार मानवीय दृष्टिकोण से छूट दी जाती है। उसका प्रोविजन भी कानून के अंदर है। जो माननीय मंत्री जी अभी कह रहे थे उसमें जिन्होंने परमिशन ली है, जो लोग बैठे हुए हैं कई बार सरकारी मकान में बैठे हुए हैं, बाद में मकान बना हो या कोई मजबूरी हो तो वह परमिशन लेकर के रह सकते हैं और तीन गुणा ज्यादा वह किराया देते हैं वह अपनी जगह पर है। माननीय उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही कि इसके अलावा कितने लोग हैं उसकी हम जानकारी करवाएंगे, जांच करवाएंगे। चूंकि जब आदमी अनुमति लेता है वह एक बात है या मकान बन जाता है नया तो सूचना देनी पड़ती है....

Bhs/akt/29.3.10/11.20/1c

कायदे से, कानून से, अगर मकान बन गया फिर भी उसने सूचना नहीं दी है तो वो दूसरी बात है, उसकी जांच करवाएंगे, यह मैं विश्वास दिलाता हूं सदन को और यह भी कहना चाहूंगा कि इस बार तो हम चाहेंगे कि अभी जो ढर्रा बना हुआ है चाहे सरकार हमारी रही हो चाहे आपकी रही हो, हम चाहेंगे कि आज के बाद में ढर्रा सुधरे और भविष्य में इस तरह से अगर कोई बिना इत्तला बैठा रहेगा, सूचना देना भी जरूरी है अगर सूचना नहीं देता है तो वो भी अपराध करता है। मैं समझता हूं कि इसमें आई.ए.एस. को छोड़ कर तो 17 सी.सी.ए. के अन्दर कार्यवाही करने का प्रावधान है, आई.ए.एस. के लिए उसी के इक्वीलेंट प्रावधान है, उसके अनुसार हम कार्यवाही करेंगे, यह मैं विश्वास दिलाता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री राव राजेन्द्र सिंह।

क्रय-विक्रय सहकारी समितियों द्वारा नकली खाद विक्रय से कृषकों को हुई हानि का मुआवजा

323.श्री राव राजेन्द्र सिंह:- क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में वर्ष 2009-10 में क्रय-विक्रय सहकारी समितियों द्वारा विक्रय की गई खाद में मिलावट के प्रकरण सामने आए हैं? यदि हां, तो कहां-कहां? सरकार द्वारा इन पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के अधिकारियों द्वारा भी निजी फर्मों से नकली खाद खरीद कर किसानों को बेचकर लाभ प्राप्त करने का प्रकरण सामने आया है? यदि हां, तो कहां-कहां तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा ऐसे प्रकरण सामने आने पर किसानों को मुआवजा दिया गया है? यदि हां, तो किस किस को? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री परसादी लाल): अध्यक्ष महोदय, (1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है की क्रय-विक्रय सहकारी समिति ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से आम काश्तकार को खाद का क्रय करवाती है तो क्या आप यह भी बात फरमा रहे हैं कि किसी ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से भी कोई नकली खाद का वितरण नहीं हुआ प्रदेश में या क्योंकि क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के नाम का मैंने उपयोग किया उस वजह से आप फरमा रहे हैं कि क्रय-विक्रय सहकारी समिति, दूसरी बात मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि ठीक इसी सवाल का एक 131 मैंने लगाया था जहां मैंने उस क्रय-विक्रय सहकारी समिति के अधीनस्थ ग्राम सेवा सहकारी समिति का नाम अंकित करा दिया था। उस 131 के माध्यम से आपने मुझे जो जवाब दिया कि नवानिया ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा कृषकों को डीएपी, यूरिया आदि खाद भीण्डर क्रय-विक्रय सहकारी समिति से प्राप्त कर बेची जाती है। माह जून, 2009 में समिति के सदस्यों द्वारा एसएसपी खाद उपलब्ध नहीं होने के कारण सेवा सहकारी समिति, नवानिया ने प्राइवेट फर्म आरईएल आईएनडी केम फर्टीलाइजर ब्रांच उदयपुर से एसएसपी खाद के सौ कट्टे दिनांक 12.6.09 को क्रय किये। आगे आप यह फरमा रहे हैं कि जिनकी बिक्री हो चुकी है और समिति द्वारा बेचे गये खाद की न तो कोई शिकायत हुई और न ही कृषि विभाग द्वारा ऐसा कोई सेम्पल हुआ। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या 13.10.09 को उदयपुर कलेक्टर को वहां के काश्तकारों ने इस खाद के संबंध में कोई शिकायत की या नहीं की? और अगर शिकायत की तो कृषि विभाग के स्थानीय कर्मचारी संयुक्त निदेशक, महेश वर्मा व उप निदेशक सत्यदेव सिंह क्या जांच करने आये और आये तो तदुपरांत जांच का क्या नतीजा निकला? क्योंकि यह

बात तो आप डिनाय कर चुके हैं कि कोई शिकायत ही नहीं हुई। शिकायत हुई, शिकायत के आधार पर जांच हुई, जांच के बाद में क्या हुआ इसका किसी को कुछ नहीं मालूम। जब एक महीने तक कार्यवाही नहीं हुई तो इन्हीं काश्तकारों ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को वो ही एप्लीकेशन जिसकी रजिस्ट्री की कॉपी मेरे पास है, उन्होंने लिखा है कि इनमें कृषि विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से इस जांच को दबा दिया गया है। दूसरी बात जिस फर्टीलाइजर कंपनी का आप जिक्र कर रहे हैं यह सौ कट्टे इस फर्टीलाइजर कंपनी से लिये, यह असत्य है। जिस फर्टीलाइजर कंपनी से ये कट्टे लिये गये उसका नाम है गिरनार रामा फास्फेट लिमिटेड, निर्माता 4807/11, उमरावगांव, कानपुर, उदयपुर, बेच नंबर 607 एमएफसी, दिनांक 5.5.09 का बैच नंबर है। ये इस लिफाफे में उस कट्टे का बैच नंबर और सैम्पल है जिस खाद का विक्रय इस ग्राम सेवा सहकारी समिति ने किया उसका। यह सैम्पल और ये, दोनों मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से टेबल करना चाहता हू। जिन काश्तकारों ने यह क्रय किया क्योंकि यह बात मैं सदन में कह रहा हूं इसलिए मुझे इम्युनिटी है कोई यह कह सकता है कि मैं गलत कह रहा हूं, जिन काश्तकारों ने किया उनके एफीडेविट मेरे पास में है, एफीडेविट के साथ में रसीद नंबर है, रसीद नंबर के साथ में उन्होंने वो कट्टे अभी भी रख रखे हैं जिनकी सील नहीं तोड़ी है। अब आप मुझे ये बतायें कि इन काश्तकारों को सुपर फास्फेट की जगह सोप स्टोन पाउडर का उन्होंने विक्रय किया और मैं यह आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि जब यह प्रश्न लगा और आपने जवाब दिया तो वहां की सड़क पर ये खाद उन्होंने बिखेर दिया जो आज भी वहां मौजूद है, कोई जाकर देख सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है। सहकारी समिति के माध्यम से काश्तकार उसी सहकारी समिति से लोन लेकर वो खाद खरीद रहा है। खाद खरीदने के बाद में जब गुणवत्ता उसमें नहीं आयी और खाद सुपर फास्फेट की जगह सोप स्टोन निकला तो आखिर यह जांच आज तक क्यों नहीं हुई? न तो काश्तकार को पैसा मिला न उसके साथ कुछ हुआ और जांच को जहां की तहां रोक दी। यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं आदरणीय।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा यह सही है कि क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से ग्राम सेवा सहकारी समितियां खाद खरीदती हैं और ग्राम सेवा सहकारी समितियां सीधी जैसे कृभको, इफको है जो एक कंपनी है उनसे भी वो सीधी उसकी मैंबर है, बिना मार्केटिंग के मध्यस्थता के वो सीधी खाद खरीदती है। जहां तक एसएसपी की आप बात बता रहे हैं, मैंने पूरे विभाग से जानकारी करवायी है, हर हमारे खंडीय स्तर के जो ज्वाइंट रजिस्ट्रार हैं उनसे मैंने पूरी जानकारी का विवरण मंगवाया है। हमारे विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में कोई शिकायत आज तक नहीं मिली है। यह सही है कि पूरी जो एसएसपी खाद है उसकी कोई सरकारी एजेंसी नहीं है, न कोई फैक्ट्री है, सारा ही प्राइवेट फैक्ट्री से खरीदा जाता है और उसकी परमीशन गुणवत्ता की, राजफैड के माध्यम से भी खरीदा जाता है, रजिस्ट्रार से भी परमीशन ली जाती है। अब गुजरात से खरीदा कि बाहर से खरीदा, वो खरीदने के लिए हमारे

मार्केटिंग और जीएसएस उसके लिए स्वतंत्र है। कोई भी सरकारी कारखाना एसएसपी का नहीं है इसलिए हमारे विभाग को कोई शिकायत नहीं मिली है जहां तक कृषि विभाग को शिकायत मिली होगी वो कृषि विभाग ने जांच करवायी होगी अगर आप मेरे को शिकायत देंगे, आपने जैसा कहा है तो मैं इसकी जांच मेरे अधिकारियों से, रजिस्ट्रार से कह कर पूरी जांच करा दूंगा और मार्केटिंग के जिन अधिकारियों की आपने जानकारी दी है वैसे हमारे को आज तक कोई शिकायत नहीं मिली पर आपने कहा है तो मैं रजिस्ट्रार को कह कर हमारे विभाग के अधिकारियों को कह कर इसकी तुरंत अविलंब जांच करा कर जिस अधिकारियों ने अगर हमारे कॉऑपरेटिव के अधिकारी उसमें शामिल हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं अध्यक्ष महोदय, एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें मंत्री महोदय, आपका या आपके डिपार्टमेंट के उच्चस्तर पर कोई हस्तक्षेप नहीं है क्योंकि यह खाद खरीदा गया और बेचा गया। एक तो जिसने भी आपको जानकारी दी क्योंकि 131 का उत्तर आपके यहां से आया। जिस खाद की कंपनी की जानकारी दी गई सबसे पहले तो इस खाद की कंपनी से आप पूछ लो, उनकी इन्वेंटरी में यह खाद उन्होंने दिया या नहीं?

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, 131 में सहकारी विभाग से जवाब आया है या कृषि विभाग से आया है?

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): जी-जी, मैं निवेदन कर देता हूं यह नवानिया ग्राम क्रय-विक्रय सहकारी समिति का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। क्रय-विक्रय सहकारी समिति द्वारा नकली खाद बेचने का तो सहकारी विभाग से ही आया है। यह जिस कंपनी का नाम मैं ले रहा हूं अगर आप इसकी इन्वेन्टरी दिखायेंगे तो यह कंपनी भी मना कर देगी कि हमने भी खाद उस ग्राम सेवा सहकारी समिति को नहीं दिया। वास्तविकता तो यह है आदरणीय कि रामा फास्फेट जैसे कंपनी ने शायद खाद नहीं दिया होगा, खाद किसी अजमान नाम से फैक्ट्री है वहां जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बासड़ा के पीछे स्थित है जबकि वास्तविक निर्माता कानपुर और उदयपुर में है। एक कोई राजमल करके व्यक्ति है जो खाद का एक गोदाम क्रय-विक्रय सहकारी समिति, भीण्डर के पीछे ऑयल मिल में चलाता है और खाद को बासेड़ा मेड़ा रोड पर उसने नष्ट करने के लिए डाला है। बैच नंबर आरपीएस/607 एवं एमएफजी दिनाक 5.5.09 आज भी अगर आप चाहें तो ग्राम सेवा सहकारी समिति नहीं कर पाएगी। आप अपने अधिकारियों को भेज कर वो जब्त करवायें खाद वो अगर खुला हुआ खाद है उसमें आप यह पायेंगे और कृषि विभाग को यह बात मालूम है कि यह नकली खाद बिका है और तब बिका है जब अकाल की चपेट में काश्तकार ऋण लेकर खाद ले रहा था। 2009 में छठे महीने में, दसवें महीने में बिका है। आप एक बात फरमायें अध्यक्ष महोदय, जहां दूध के सैम्पल लिये जा रहे हैं 'शुद्ध के लिए युद्ध' जहां काश्तकार अकाल की चपेट में कर्ज करके खाद ले रहा है, यह खाद भी नकली है।

कैलाश/अरुण 29.03.2010 11.30 (1) 1d

कर्ज उसने कर लिया, उसकी गेहूं और उसकी फसल तक नहीं हुई, आखिर इस के दोष के लिये कोई न कोई तो दोषी है, बडे से बड़ा अधिकारी है क्योंकि यह कंपनियों के नाम पर नकली खाद ग्राम सेवा सहकारी समिति के यहां से बिक जाये ...

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी ने जांच का आश्वासन दिया है आपको।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): जांच आप करवा लें मुझे एक बात बता दें जिन काश्तकारों ने कर्जा लेकर यह खाद खरीदा जीएसएस से ही तो कर्जा लिया है उन्होंने और जीएसएस की गुणवत्ता पर कोई शंका नहीं थी, उसी से तो खाद उन्होंने क्रय किया। कितने काश्तकार हैं, मेरे पास तो तीन मिले हैं और तीनों का एफीडेविट है उस इंवेंटरी में 2005 से पांचवें महीने से लगाकर दसवें महीने तक कितने कट्टे सुपर फासफेड के बिके, किस किस काश्तकार को बिके, एक तो उनका कर्जा माफ होना चाहिये। एक तो उनके कृषि के उत्पादन में कमी आई क्योंकि जब नकली खाद था तो किसी तरीके से उनका उपयोग नहीं हुआ उसकी वजह से उनके उत्पादन में कमी आई उसका मुआवजा दिलाना चाहिये और ऐसे लोग जिनकों कलेक्टर ने जांच करने के लिये कहा और जांच का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला उन दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी ने आश्वासन दिया है इस संबध में जांच करवायेंगे। श्री हरिसिंह रावत, श्री हरिसिंह रावत।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में नकली खाद की बात का बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है सप्लीमेंट्री तो पूछने देते।

श्री अध्यक्ष: जांच कराने का आश्वासन दे चुकी है सरकार।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इन्होंने उत्तर दिया है जी नहीं और यह सिद्ध हो गया माननीय सदस्य ने सिद्ध कर दिया कि नकली खाद राजस्थान में बिक रहा है, मुख्य मंत्री जी किसान के साथ अन्याय हो रहा है, नकली खाद बिक रहा है यहां।

श्री अध्यक्ष: जांच का आश्वासन दे दिया है। श्री हरिसिंह रावत। कृपया समाप्त करें, श्री हरिसिंह रावत।

पालनहार योजनान्तर्गत लाभार्थियों की पात्रता

324. श्री हरिसिंह रावत (भीम): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में कितने व्यक्ति विकलांग, वृद्धावस्था, विधवा पेंशन योग्य हैं एवं इनको पेंशन स्वीकृत करने के क्या मानदंड है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पालनहार योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता का क्या मापदंड है एवं एक परिवार के कितने बच्चे/बच्चियों को इस दायरे में रखा गया है ?

(3) क्या अगर किसी परिवार में पति की मृत्यु हो जाती है एवं पत्नी पुनर्विवाह या नाते चली जाती है तो ऐसी स्थिति में उन लावारिस बच्चों को इस योजना का लाभ का हक मिलेगा ?

(4) बच्चों की मां की मृत्यु हो जाने पर पिता विधुर हो जाता है तो क्या उन बच्चों को पालनहार योजना का लाभ मिलेगा ? यदि हां, तो कितना कितना व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जी।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, यह तो बडे शर्म की बात है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, सदन में इस प्रकार प्रश्न पुकार लें और मंत्री जी जवाब देने के लिये सदन में उपस्थित नहीं हो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है । नहीं इनके पास नहीं है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं खड़ा हूं ना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अब आप अचानक खडे हो गये हो। किस बात के लिये खडे हुए हैं आप।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपने कहा खडे हो जाओ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं कह रहा हूं बैठ जाओ। मैं कह रहा हूं बैठ जाओ मैं दूसरा प्रश्न उठा रहा हूं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): कभी खडे होओ, कभी बैठ जाओ यह क्या बात हुई। बैठो, बैठो आप।

श्री अध्यक्ष: यह अधिकार आप दोनों का नहीं है आसन का अधिकार है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बैठिए ना आराम से आप, यह मतलब क्या है, यह क्या नई परम्परा डाल रहे हो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): या तो यह अनुपस्थित होते। ...(व्यवधान)... मंत्री जी बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य कृपया विराजिए ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, नई परम्परा मत डालिये।

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराजिए, मैं दे रहा हूं तो। यह मुख्य मंत्री जी से संबंधित था इसलिए मंत्री जी को प्रभार दे रखा है प्रश्नों का जवाब देने का और माननीय शांति धारीवाल जी जवाब दे रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मुख्य मंत्री जी से काहे का संबंधित है, मुख्य मंत्री का डिपर्टमेंट नहीं है यह।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, यह तो सामाजिक न्याय है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह तय कर दें कि सामाजिक न्याय विभाग मुख्य मंत्री के पास है। यह समाज कल्याण से संबंधित है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह समाज कल्याण का प्रश्न है मुख्य मंत्री जी से संबंधित क्या है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह कैबिनेट की ज्वाइंट रेस्पोंसेबिलिटी है। मुझे मुख्य मंत्री जी ने जवाब देने का अधिकार दिया है मेहरबानी कर के आप मेरा जवाब सुनिए।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट विराजिए । 13वीं राजस्थान विधान सभा के चतुर्थ बजट सत्र के संबंध में मुझे यह कहना है कि निर्देश प्राप्त हुआ है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने सत्र के दौरान उनके अधीनस्थ निम्नांकित विभागों से संबंधित समस्त संसदीय कार्य, प्रश्नों के उत्तर सम्पादित करने हेतु श्री शांति कुमार धारीवाल माननीय मंत्री, गृह विभाग को अधिकृत किया है। कौन कौन से विभाग, वित्त एवं करारोपण, आयोजना, नीति निर्धारण, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय, मंत्री मंडल सचिवालय, राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो, सामान्य प्रशासन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, खादी एवं ग्रामोद्योग, नागरिक उड्डयन ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): लेकिन सामाजिक न्याय और अधिकारिता के मंत्री हैं।

श्री अध्यक्ष: वह राज्य मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार नहीं है उनको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): स्वतंत्र प्रभार दे रखा है मंत्री महोदय को।

श्री अध्यक्ष: स्वतंत्र प्रभार नहीं है यह मैंने आपको पढ कर आदेश सुना दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ठीक है देओ।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अब तो सब ठीक है। (1) विधान सभा क्षेत्र भीम के अंतर्गत 67 विकलांग, 548 वृद्धावस्था एवं 456 विधवा पेंशन दी जा रही है। विकलांगों को राजस्थान अपाहिज, अपंग एवं अंधे व्यक्तियों के पेंशन नियम, 1965 एवं समय समय पर जारी संशोधित आदेशों में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पेंशन स्वीकृत की जा रही है। राजस्थान अपाहिज, अपंग एवं अंधे व्यक्तियों के पेंशन नियम, 1965 की प्रति परिशिष्ट - 1 पर अवलोकनीय है। वृद्धों एवं विधवाओं को राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन नियम , 1974 एवं समय समय पर जारी संशोधित आदेशों में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पेंशन स्वीकृत की जा रही है। राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन नियम, 1974 की प्रति परिशिष्ट-2 पर अवलोकनीय है।

(2) पालनहार योजना संचालन हेतु संशोधित नियम, 2007 एवं समय समय पर जारी संशोधित आदेशों में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पालनहार योजना के अंतर्गत सहायता दी जाती है। नियम की प्रति परिशिष्ट-3 पर अवलोकनीय है। पालनहार योजना के अंतर्गत प्रत्येक अनाथ बालक/बालिका, विधिवत पुनर्विवाह करने वाली विधवा माता की प्रत्येक संतान को तथा निराश्रित पेंशन की पात्रता रखने वाली विधवा माता को उसकी द्वितीय संतान के 15 वर्ष आयु पूर्ण करने तक एक संतान के लिये सहायता देय है।

(3) विधिवत पुनर्विवाह करने वाली विधवा माता की प्रत्येक संतान का पालनहार योजना का लाभ देय है। पालनहार योजना के नियमों में नाता जाने वाली माता की संतान को योजना का लाभ देय नहीं है।

(4) जी नहीं। पालनहार योजना के नियमों में विधुर माता के बच्चों को योजना का लाभ देय नहीं है।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): विधुर पिता है यह, विधुर माता नहीं है। आपने जो पढा है वह विधुर पिता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा सप्लीमेंट्री सवाल है, यह बहुत अच्छी योजना है इसके लिये मैं खुद एप्रिसिएट करता हूं लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह जो विकलांग और अपाहिज पेंशन का जो होता है इसके अंतर्गत मेरा निवेदन है कि हर पंचायत समिति स्तर पर इसका कैम्प लगाया जाये कारण कि गांव में इतने गरीब लोग हैं कि वह जिला हैड क्वार्टर पर जाकर अपने विकलांगता या अपाहिज का सर्टिफ़िकेट नहीं बना सकते। इसलिए मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि क्या सरकार हर पंचायत हैड क्वार्टर पर या तहसील हैड क्वार्टर पर ऐसे कैम्प रखने की योजना रखती है जिससे जो गरीब जो जिला हैड क्वार्टर तक जो 100-200 किलो मीटर की परिधि पर रहता है वह वहां पहुंच नहीं पाता है तो वह कैम्प रख कर क्योंकि इसमें मेडिकल बोर्ड बैठता है और मेडिकल बोर्ड के सर्टिफ़िकेट के अनुसार ही उनकी पात्रता बनती है , उसके अनुसार उनको लाभ दिया जाता है।

दूसरा प्रश्न यह है कि पालनहार योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता के क्या मापदंड है। परिवार के कितने बच्चे/बच्चियों को इस दायरे में रखा गया है। आपने लिखा है कि इसमें दो बच्चे लेकिन क्या सरकार दो से अधिक बच्चे जिसके माता पिता मर गये हो या ऐसे कोई बच्चे हैं उनको दो से अधिक बच्चों को लाभ देने का विचार रखती है। तीसरा, विधिवत पुनर्विवाह करने वाली विधवा माता की प्रत्येक संतान को पालनहार योजना का लाभ देय है। पालनहार योजना अंतर्गत नियमों में नाता जाने वाली माता की संतान को योजना का लाभ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा निवेदन है कि राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में ऐसी कई जातियां हैं और गांव में रहने वाली कई जातियां इस टाइप की है कि उनकी माता जो नाते चली जाती है जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, शहरों में तो रजिस्ट्रेशन हो जाता है जिसकी वजह से उनको पुनर्विवाह का सर्टिफ़िकेट मिलने के बाद उन बच्चों को लाभ मिल जाता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, गांव में ऐसी कई जातियां हैं जो इन चीजों में समझती ही नहीं है और वह माता नाते चली जाती है उकसा बाप तो पहले ही मर जाता है और नाते के बाद उसकी मां भी चली जाती है तो वह बच्चे बच्ची बिलकुल अनाथ हो जाते हैं। मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार आप सर्टिफिकेट देते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ऐसी योजना का सरकार पंचायत हैड क्वार्टर पर व्यवस्था करने का विचार रखती है ताकि उन बच्चों को इसका लाभ मिल सके। दूसरा पालनहार योजना के अंतर्गत विधुर पिता, अध्यक्ष महोदय, कई विधुर पिता ऐसे होते हैं कि वह बच्चे बच्चियों के जीवन, उनके भविष्य के लिये वह शादी नहीं करते हैं।

ans/usc 11.40 1e 29032010

शादी नहीं करने की वजह से वह पिता उन बच्चों को पालने में हमेशा तैयार रहता है लेकिन कई जगह ऐसी निर्धनता या असक्षमता होने की वजह से वह उनका पूरा भरण पोषण नहीं कर सकता, तो मेरा निवेदन है कि क्या सरकार ऐसे विधुर पिताओं को भी इस योजना के अन्तर्गत जोड़ने का विचार रखती है? (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): पुनर्विवाह वो ही है और नाता भी वो ही है, अलग अलग कहां है, एक ही है, रजिस्ट्रेशन पुनर्विवाह का भी नहीं होता गांवों में और नाते का भी नहीं होता। बात यह है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): इसमें संशोधन करवा लो। (व्यधान) क्योंकि कई बार हिन्दु भाषी और अंग्रेजी भाषी होते है उनको समझ में नहीं आता यह हमारे स्थानीय भाषा में नाता कहलाता है, नाता और पुनर्विवाह में कोई अन्तर नहीं है भारतीय समाज में और इसी के लिए जिनको ओबीसी में आरक्षण दिया गया है उसमें एक बिन्दु यह भी था जिनके नाता होता है उनको यह विशेष तौर से अवसर दिया गया था।(व्यवधान)

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब तो आने दीजिए।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय अध्यक्ष जी, नाता और पुनर्विवाह ग्रामीण क्षेत्र में वैसे ग्रामीण क्षेत्र में कहने में एक ही आता हो मगर नाता और पुनर्विवाह में फर्क है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है आपका ? पूरक प्रश्न क्या है ?

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): आपने जो कहा वही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो माननीय सदस्य ने यह बात उठाई कि पंचायत समिति के स्तर पर इस प्रकार के कैम्प लगाये जाने चाहिए जो इलीजेबल है, पात्रता रखने वाले लोग वंचित न रहे इसीलिए इस प्रकार के कैम्प लगाये जाने चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं कि प्रशासन शहरों की ओर अभी कैम्प लगे हैं और अब आगे आने वाले समय में प्रशासन गांव की ओर कैम्प लगेंगे, उनमें भी इस तरह के प्रस्ताव तैयार होंगे। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): गांव में कैम्प...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): शहरों में तो यह बिल्कुल....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: एक तरह से निष्क्रिय लगे कोई काम नहीं हुआ, वैसे लगाना चाह रहे हो तो कोई लाभ ही नहीं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह रावत (भीम): गांव की बात कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): शहरों के संग तो फ्लाप शो था यह गांव में भी इसी प्रकार करोंगे क्या...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): यह गांव में कैम्प लगेगे (व्यवधान) डाक्टर की टीम नहीं होती इसलिए विकलांग सर्टिफिकेट बन नहीं पाता है। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): कैम्प के अलावा भी यह सतत प्रक्रिया है जो भी लाभ उठाना चाहता है इस पालनहार योजना का चाहे विधवा का, चाहे विकलांग का, चाहे वृद्धावस्था का चाहे किसी का भी वह अगर गांव में रहता है तो बीडीओ के पास एप्लाई कर सकता है, बीडीओ फिर उसको तहसीलदार के पास भेजता है और एक महीने का टाइम देता है कि एक महीने के अंदर अंदर उसका वेरिफिकेशन करके आखिर निर्णय के लिए वह बीडीओ के पास पहुंचा दें अगर वह शहर में रहता है तो कंसर्निंग एसडीओ है उसके पास एप्लाई होती है वह एक महीने के लिए फिर तहसीलदार के पास भेजता है, तहसीलदार वेरीफिकेशन करके बाकायदा उसके पास निर्णय के लिये वहां भेजता है तो यह कन्टीन्यू प्रोसीजर है, ऐसा नहीं है कि यह कोई कैम्प में ही इस प्रकार के सर्टिफिकेट बनते हो या इस प्रकार का पेंशन का प्रमाण पत्र बनता हो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे यह निवेदन करूं कि दो बच्चों की आपने बात कही, एक तो नाते की बात कही, तो नाता लिगलाइज नहीं है, यह ठीक है परम्परा के अनुसार नाता...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): क्यों नहीं है (व्यवधान)

श्री सुखराम (बसेड़ी): समाज मान्यता दे रहा है तो उसे कोई नहीं माना गया (व्यवधान) नाता प्रथा कानून में है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, जो नाते चली जाती है उनके भी बच्चे होते हैं उन बच्चों को आप इस दायरे में लेने का विचार रखते हैं या नहीं रखते ?(व्यवधान) गांव गांव में यह समस्या है।

श्री सुखराम (बसेड़ी): समाज ने जब मान्यता दे दी (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): अगर पहले भूल रह गई है तो इस भूल को सुधारो, हमारी सामाजिक परम्परा है, उसमें कहां दिक्कत आ गई है, कि यह एक परम्परा गांवों में है तो उसको हमने सिर्फ कागजों में नहीं लिया, इसलिए यह नाता मान्य नहीं है(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): नाता और पुनर्विवाह, पुनर्विवाह में ही औरत दूसरे घर जाती है और नाते में भी दूसरे घर जाती है। (व्यवधान)

श्री सुखराम (बसेड़ी): हिन्दु लॉ में है, नाता प्रथा की...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिए, कृपया बिराजे। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, नाता कई बार जाती है औरते, नाता जो कि परम्परा एक बार की नहीं है, दो-तीन बार तक जाती है उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा उसकी कोई सीमा नहीं है नाते जाने की। एक मर जाए दूसरे के चली जाती है। (व्यवधान) दूसरा मर जाए तीसरे के चली जाती है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मगर वह बच्चे तो लावारिस हो जाएंगे ना।

श्री करणसिंह (छबड़ा): मैं गांव का आदमी हूं मुझसे पूछो ना। नाते जाने की परिभाषा मुझसे पूछो ना।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन):पहले गौणे पर (व्यवधान) बच्चे हुए वह तो लावारिस हुये ना। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): एक मरने के बाद दुसरा, दुसरा मरने के बाद तीसरा, उसका राजिस्ट्रेशन कैसे होगा। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, कितनी भी बार नाते जाये लेकिन बच्चे है उस बच्चे की तरफ ध्यान दिलाने की बात है। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): अध्यक्ष महोदय, इस तरह हंसी उडाई जाए, इतना संवेदनशील यह सवाल है और इस तरह सारा सदन हंस रहा है महिला की इस प्रोबलम पर, यह बहुत ही अशोभनीय बात है।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नाते का मतलब खाली महिला से ही है क्या, पुरूष के साथ भी हो सकता है।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): महिला के साथ ज्यादती ज्यादा होती है। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): नाते पुरूष नहीं जाते (व्यवधान) महिला नाते जाती है,नाता ग्रामीण क्षेत्र में मान्य है, हिन्दु लॉ में भी इसको मान्यता दी हुई है। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): इसमें एक बात और कहना चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बिराजे। सुनिये, सुनिये, माननीय मुख्यमंत्री जी।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): पालनहार योजना मैं शायद समझता हूं कि पिछली गवर्नमेंट के वक्त बनी है और उसका मकसद यह होगा कि बच्चे हैं उनका भविष्य सुरक्षित बने, उनका ध्यान विशेष रूप से रखा जाए, तो योजना बनाने का उद्देश्य बच्चों के भविष्य को लेकर है। अगर यह आप नाते की, विवाह की बात कर रहे हैं, माननीय कोलायत से आने वाले सदस्य ने जो बात कही वह परम्परा चली आ रही है इसमें कोई दो राय नहीं है, वैसे तो जब यह योजना बनी तब भी इस बिन्दु को देखकर साथ में प्रोवीजन कर लेना चाहिए था, प्रोवीजन नहीं किया गया था, हम इसको परीक्षण करवा लेंगे क्या कानूनी रूप से किस प्रकार से सम्भव हो सकता है ,कोशिश करेंगे बच्चे का भविष्य कैसे सुरक्षित रहे।

श्री अध्यक्ष: डा0 जसवंत यादव।

विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में विधायक कोष से अभिशंषित कार्य

325 डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

1. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में गत दो वर्षों में विधायक कोष से किस किस कार्य हेतु कितनी कितनी राशि की अभिशंष की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

2. उक्त राशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कब जारी की गई ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

3. क्या उक्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक उक्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिये जाएंगे ?

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 1. विधान सभा क्षेत्र बहरोड में गत दो वर्षों में विधायक कोष से स्वीकृत कार्य एवं अभिशंषित राशि का विवरण वर्षवार परिशिष्ठ-1 पर उपलब्ध है।

2. उक्त राशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की दिनांक परिशिष्ठ-1 के कालम संख्या 3 व 4 पर उपलब्ध है तथा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों के आदेशों की प्रति परिशिष्ठ-2 पर उपलब्ध है।

3. उक्त सभी 98 निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्ष जी, मुझे एमएलए बने एक साल से ज्यादा हो गया और शायद आसन की तरफ से जब कभी मिटिंग हुई है हमारे पास परिपत्र आया था, यह निर्देश थे कि एमएलए लैड के पैसे जारी किये जाये तो तीस दिन के अंदर उनका काम चालू कर दिया जाए। मैंने ऐसे तो यहां से 40 लाख पहले भिजवा दिये थे, 40 लाख बाद में गये हैं। एक महीने में एमएलए बनते ही सारे के सारे 80 लाख के प्रस्ताव मैंने भिजवा दिये थे। अब यह जवाब आया है मंत्री जी के पास,शायद इससे ज्यादा इस बात को आपको भी ध्यान देने की जरूरत है, सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है और माननीय मुख्यमंत्री जी आपको भी ध्यान देने की जरूरत है इस प्रश्न पर। महिपाल जी, एक मिनिट मेरी बात सुन लेने दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, यह जो जवाब आया है, मैं न सरकार के खिलाफ बोलने की मंशा रखता हूं, इसमें पूरे में एक भी पृष्ठ पर यह नहीं आया कि कहीं डाक्टर जसवंत सिंह भी वहां विधायक है या कोई एक पैसे का भी काम जारी किया है, केवल इस बात को छिपाने के लिए कि हमारे यहां डीआरडीए के अंदर और पंचायत समितिमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और इसीलिए उनके महंत चांदना जी के कामों का लेखाजोखा तो दे दिया जबकि मैंने विगत दो वर्ष की बात कही थी। मंत्री जी एक बार आप खुद देख लीजिए अपने पूरे जवाब को, एक भी डाक्टर जसवंत विधायक बहरोड के नाम से न काम शुरूआत की बात हुई न उसके अंदर जारी करने की बात हुई। प्रशासनिक वित्तीय, तो शायद जब सरकार को यह जवाब मिल रहे हैं तो इससे बड़ा और प्रमाणित कुछ हो नहीं सकता कि कितना बड़ा डीआरडीए में भ्रष्टाचार है1 मैं आपके माध्यम से, मंत्री महोदय आपसे यह जानना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारी जिन्होंने आपको गलत सूचना दी, जिन्होंने आपको गलत उत्तर दिया, मैं सरकार के खिलाफ, यह मंशा नहीं है। मैं पीडित हूं, अपनी पीड़ा बता रहा हूं कि इससे ज्यादा प्रमाणित क्या हो सकता है आपके पास यह जवाब है, एक भी जगह जब से

मैं एमएलए बना हूं तब से अब तक का कहीं उल्लेख नहीं है, तो मेरा निवेदन है कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ चाहे वह पंचायत समिति के हो....

दुर्गा/चौहान 29032010 1150 1f

चाहे डी.आर.डी.ए. के हों या यहां आपको उत्तर देने वाले हों, इस तरह सरकार को, मंत्रियों को गुमराह करते हैं, ऐसे अधिकारियों खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे क्या। बस मुझे तो यही बता दें और मैंने कुछ रुपया दिया है कि नहीं दिया है, कोई एकाध भेजे भी हैं कि नहीं भेजे। क्योंकि मैं 80 लाख के प्रथम भी दे चुका था। परन्तु फिर भी आप..।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, माननीय विधायक, बहरोड़ ने पिछले 2 सालों की बात कही थी तो 2007-08, 2008-09 की सम्पूर्ण जानकारी मैंने टेबल की है। 98 काम स्वीकृत हुए थे और यह सही है कि...(व्यवधान) आप सुनिये तो सही। आपने स्पेस्फिक...।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): 09-10 का कुछ कुछ समय, विगत दो, मैंने कोई फाइनेंशियल यीअर नहीं कहा, मैंने विगत दो..।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): दो साल कहे ना।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): हां, विगत दो फाइनेंशियल यीअर, जबकि हम 2008 में एक साल तो हो ही गया। एक फाइनेंशियल यीअर में तो हम भी बन चुके हैं।

श्री अध्यक्ष: आप सुनिये, जवाब सुनिये।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह साल तो चल रहा है, पूरा पिछले दो सालों के आपने मांगें तो हमने आपके पास 2007-08 और 2008-09 के काम जो हुए हैं, 98 कार्य स्वीकृत हुए थे, 95 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। (व्यवधान) तीन काम अन्कम्पलीट हैं। और यह जो सारे कार्य हैं, जो सूचना आपको दी है, यह सही है कि यह उस समय के जो विधायक हैं, आपके क्षेत्र से, उनका नाम महन्त चांदनाथ..।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): नई विधान सभा किस में आती है, यह नई विधान सभा अभी तो पिछला फाइनेंशियल यीअर..।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब सुनिये।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): महन्त चांदनाथजी के उत्तर में थे और आपके टाइम के जो काम हैं, उसकी भी सूची मेरे पास है। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): नहीं, कहीं भी नाम।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नहीं, अगर आप करण्ट यीअर के मांग लेते तो मैं आपको पूरे दे देता।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मैंने विगत दो वर्ष...।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): विगत दो वर्ष में माननीय सदस्य, वह पुराने

विधायक, पुराने विधायक पैसा पूरा खर्च कर गये।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, माननीय चीफ व्हिप महोदय, आप विराज जाइये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): हमारे जो, हमको एड मिली थी, 40 लाख रुपये तो पहले स्वीकृत हो गये, 40 अब हुए हैं।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपके 2007-08 के और 2008-09 के जो काम पूरे हैं, वह सूची तो आपके पास पूरी है। अब इसके बाद जो इन्होंने सूची दी है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मैंने वित्तीय वर्ष मांगा ही नहीं था। मैंने इसलिये मांगा था कि वहां काम जारी नहीं हो रहे हैं। वह सरपंचों से पैसे मांगते हैं। मैंने किया है, किस तरह से मंत्री महोदय का ध्यान चला जाए, मैंने इसलिये फइनेंशियल यीअर नहीं कहा था।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप सुनिये। माननीय अध्यक्षजी, मैं माननीय सदस्य को और पूरे सदन को इस बात के लिये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर कोई अधिकारी, जान-बूझ कर सारे गलत जवाब देता है तो निश्चित रूप से हम उस पर कार्यवाही करते हैं, अगर आप हमारी जानकारी में लाते हैं। मैं आपकी जानकारी में यह भी लाउंगा कि एक माननीय सदस्य ने एक जो हमने सूचना उनको अतारांकित प्रश्न की दी, वे सदस्य मेरी जानकारी में लाये। वह विपक्ष के ही सदस्य थे कि इन्होंने जो सूचना आपको दी है, वह गलत हैं, इसमें जो यह फिगर्स, हमने सीधे भेजकर सी.ई.ओ. से जांच करवाई। जांच करने के बाद उन की शिकायत सही मिली। सही मिलने के ऊपर हमने अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिये विभाग को लिखा है। सरकार कितनी सेंस्टिव हैं उत्तर देने के लिये, कोई चीज आप गलत बताएंगे और गलत दी है तो निश्चित रूप से उस पर भी कार्यवाही हो जाएगी।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्षजी, एक निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें, कृपया विराजें। माननीय सदस्यों के द्वारा अभिशंसा किए हुए विधायक कोष के पैसे की स्वीकृतियां नहीं निकलने के सम्बन्ध में कल मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी मुझे वहां शिकायत की थी और दो महीने से उनकी भी स्वीकृतियां नहीं निकली हैं। मैं आपसे निवेदन करुंगा कि भविष्य में आपके यहां, सचिवालय स्तर पर मोनिटरिंग के लिये किसी अधिकारी को नोडल अफसर बनाकर हर 15 दिन में जिलों से इसकी रिपोर्ट ले लें, जिससे इस तरह की बात पैदा नहीं हो, यह व्यवस्था आप कर लें।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो।

श्री अध्यक्ष: अब क्या बाकी रह गया, निर्देश उनको दे चुके, सारी बात हो गई।

श्री प्रभुलाल सैनी।

देवड़ावास (टोंक) नर्सरी का आधुनिकीकरण

326 श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजहंस सोसायटी जयपुर द्वारा टोंक जिले की देवाड़ावास नर्सरी को हाईटेक एवं राज्य स्तरीय नर्सरी घोषित किया गया है? यदि हां तो वर्तमान में किस-किस के मातृत्व पौधे विकसित किये जा रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त नर्सरी को आधुनिक राज्य स्तरीय नर्सरी बनाने हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत राशि स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो क्या स्वीकृत कार्य पूर्ण कर दिये गये? व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त नर्सरी की देखरेख हेतु कृषि अधिकारी (विषय विशेषज्ञ) लगाने तथा पौध उत्पादन कार्यक्रमों को जयपुर से देवड़ावास स्थानान्तरित करने का भी निर्णय हुआ था? यदि हां तो क्रियान्विति कब तक पूरी कर ली जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): (1) राजस्थान हॉर्टीकल्चर एवं नर्सरी सोसायटी की तृतीय प्रबन्ध कार्यकारणी बैठक में देवड़ावास नर्सरी को राज्य स्तरीय नर्सरी एवं प्रदर्शन केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया था। प्रबन्ध कार्यकारणी के निर्णय की प्रति परिशिष्ट-एक पर संलग्न है। वर्तमान में देवड़ावास नर्सरी पर निम्नानुसार फलदार पौधों के मातृ वृक्ष विकसित किये जा रहे हैं:-

क्र.सं.	फसल का नाम	किस्में
1.	आम	रतना, केसर, अल्फंजो, लँगड़ा, दशहरी
2.	अमरूद	ललित
3.	नीबूं	कागजी नींबू
4.	बेल पत्र	नरेन्द्र बेल-9

(2) देवड़ावास नर्सरी के विकास हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत 158.00 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। स्वीकृत की गयी राशि में से नर्सरी की चार दीवारी, बूंद-बूंद सिंचाई संयंत्र, पौध उत्पादन सुविधाएं, मातृ पौधों की स्थापना के कार्य करवाये गये हैं जिन पर कुल राशि रुपये 40.25 लाख रुपये व्यय हुए हैं, तथा भूमि समतलीकरण, चारदीवारी का शेष कार्य, सिंचाई स्त्रोत, विद्युत कनेक्शन सामग्री, पौध उत्पादन की सुविधाएं, जल संग्रहण ढांचे के 50.34 लाख के कार्य प्रगति पर हैं। कम्पोनेन्टवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) राजहंस की तृतीय प्रबन्ध कार्यकारणी द्वारा दुर्गापुरा के कृषि अधिकारी (विषय विशेषज्ञ) को देवड़ावास नर्सरी को विकसित करने की जिम्मेदारी देने एवं राजहंस नर्सरी, दुर्गापुरा पर किये जा रहे पौध उत्पादन कार्यक्रमों को देवड़ावास नर्सरी पर स्थानान्तरित करने

का निर्णय लिया गया था। अभी तक कृषि अधिकारी (विषय विशेषज्ञ) के पद का स्थानान्तरण नहीं किया गया है।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): आवाज नहीं आ रही है, साहब।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): आवाज आ जाएगी। परन्तु कार्य की व्यवस्था हेतु एक सहायक कृषि अधिकारी एवं एक कृषि पर्यवेक्षक को लगाया गया। सहायक कृषि अधिकारी की पदोन्नति नहीं होने के फलस्वरूप वर्तमान में दिनांक 02.03.2010 से यह पद रिक्त है। पौध उत्पादन कार्य मातृ वृक्षों के पूर्णत: विकसित होने के उपरान्त शुरू किया जायेगा।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं कृषि मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि राजहंस सोसायटी के द्वारा देवड़ावास में जो राज्य स्तरीय नर्सरी की स्थापना की गई है उसमें किस-किस योजना में कब-कब कितनी राशि स्वीकृत हुई, नम्बर-एक। नम्बर-दो, मैं यह जानना चाहता हूं, मंत्री महोदय, आपसे कि इस नर्सरी में कितने मदर प्लाण्ट लगाने का आपका लक्ष्य था और 2009-10 में किस-किस किस्म के मदर प्लाण्ट आपके लगाये गये और इस योजना में मुझे यह भी बताएं, अंजीर, ज़ैतून और इसके अलावा कटहल के मदर प्लाण्ट लगाने का भी इसमें प्रावधान था। किस-किस नर्सरी के ज़ैतून के पौधे आप द्वारा लगाये जाने का कब तक विचार है और एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इसमें सरकार का निर्णय हुआ था कि इस राज्य स्तरीय नर्सरी के विकास के लिये एक कृषि अधिकारी नियुक्त, जो विषय-विशेषज्ञ होगा, उसकी नियुक्ति वहां कर दी जाएगी, वह नर्सरी मातृ एक कृषि पर्यवेक्षक के आधार पर चल रही है। आप कब तक अधिकारी लगाने का विचार रखते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस नर्सरी में जो पूर्व में पौधे लगाये थे उससे पहले इसकी मिट्टी, पानी, वातावरण आदि की कोई जांच नहीं की गई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि यह जो सूची दी गई है, उसमें आम, लँगड़ा आम 120 लगाये थे उसमें 20 अब जीवित हैं, दशहरी 107 में से 20 जीवित हैं। अब नर्सरी में...।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): अल्फांजो आम यहां पर कैसे लगेगा। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): सुनो तो सही आप।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): यहां सक्सेज नहीं है।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): क्या?

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): सक्सेज नहीं है अल्फांजो।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): हां, नहीं है। दो उदाहरण आपके सामने पेश किये।

अगर उस नर्सरी में सरकारी व्यवस्था, ड्रिप इर्रिगेशन, सारी दवाइयां, सारी सुविधा होने के बाद अगर यह हालत हो तो काश्तकार कैसे पौधों को जीवन रखेंगे? अब बिना सोचे-समझे इन पेड़ों को लगाया था। अब विभाग यह चाहता है कि इसकी पूरी जांच की जाए। कौनसा पेड़ वहां पर पनप सकता है, उस हिसाब से आगे उसमें कार्यवाही करेंगे। फिलहाल इसमें नए सिरे से कोई पेड़ नहीं लगाएंगे। ...(व्यवधान)...

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। प्रश्नकाल समाप्त। प्रश्नकाल समाप्त।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): चर्चा क्या समाप्त माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब तो आने दीजिए। मुझे जवाब आने दीजिए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री कालीचरण सराफ, सदस्य की ओर से जयपुर नगर निगम के अग्निशमन विभाग में अग्निशमन वाहन एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

(2) श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के राजनगर कस्बे में ईंट भट्ठा श्रमिकों को भूखण्डों का आवंटन करने के संबंध में।

(3) श्री ज्ञान चन्द पारख, सदस्य की ओर से केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित जलमणि योजना के अन्तर्गत सरकारी स्कूलों में उपलब्ध कराया जा रहा पेयजल शुद्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री अभिषेक मटोरिया एवं 10 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में एक गैर सरकारी संगठन द्वारा शिक्षित बेरोजगारों से जीवन मधुर पालिसी के तहत बी.पी.एल. परिवारों का चिकित्सा बीमा कराने के कार्य में की गई धोखाधड़ी से उत्पन्न स्थिति के सबंध में।

(5) डा. दिगम्बर सिंह एवं एक अन्य सदस्य की ओर से पूर्ववर्ती सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 में भरतपुर शहर में महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय एवं मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा के उपरान्त भी इसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री नरपत सिंह राजवी, सदस्य की ओर से जिला चित्तौड़गढ़ के घोसुण्डा बाँध को सिंचाई विभाग के अधीन कर चित्तौड़गढ़ को पेयजल उपलब्ध करवाने के संबंध में।

(7) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से इंदिरा गांधी नहर परियोजना साहवा (चूरू) के कमाण्ड क्षेत्र को विकसित करने एवं चौधरी कुम्भाराम आर्य जलोत्थान योजना के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए बजट में प्रावधान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(8) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से मानसिक विमंदित पुनर्वास केन्द्र, जयपुर में रह रहे बच्चों की दयनीय स्थिति तथा उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाए अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री गुलाब चन्द कटारिया को अपने प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री ग्यारासाराम कोली, सदस्य की ओर से बयाना कस्बा की बयाना इण्डेन गैस सर्विस द्वारा गैस आपूर्ति में अनियमितता एवं खुले रूप से कालाबाजारी करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री रामलाल मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जालौर की पेयजल समस्या का समाधान करने हेतु नर्मदा नहर परियोजना का कार्य शीघ्र पूर्ण करवाने के संबंध में।

(3) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से जिला जालौर के थाना आहोर में मुकेश पुत्र हस्तीमल के खिलाफ दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में।

(4) श्रीमती अनीता सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नगर के कस्बा नगर के वार्ड नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 में पेयजल, बिजली व नालियों एवं रास्ते की समस्या का समाधान करने के संबंध में।

(5) श्री संतोष कुमार सहारण, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर जिले में बूंद-बूद सिंचाई प्रणाली अपनाने वाले किसानों को विद्युत कनेक्शन लेने में हो रही कठिनाई के संबंध में।

(6) श्री ओम बिरला, सदस्य की ओर से कोटा शहर में सुचारु नगरीय परिवहन सुविधा विकसित करने के संबंध में।

(7) श्री बंशीधर खण्डेला, सदस्य की ओर से जिला सीकर के विद्यालयों में अध्यापकों के पद रिक्त होने तथा विद्यार्थी मित्र एवं अध्यापकों के पदस्थापन में नियमों की पालना नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्री नवल किशोर मीणा, सदस्य की ओर से जल संसाधन विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति के अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नत अधिकारियों का पदस्थापन किये जाने के संबंध में।

(9) डा. फूलचन्द भिण्डा, सदस्य की ओर से राजस्थान सरकार द्वारा संचालित सरकारी कॉलेजों में से एक भी स्नातकोत्तर कॉलेज में कृषि संकाय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(10) श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के रूपनगढ़ कस्बे में सरकारी कॉलेज खोलने के संबंध में।

(11) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य की ओर से राजकीय महाविद्यालय देवली (टोंक) को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में।

(12) मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से बाड़मेर में लगातार अकाल एवं सूखे की स्थिति से पशुओं के लिए चारा एवं पेयजल की समस्या उत्पन्न होने के संबंध में।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। किन्तु, आज विषय-वस्तु को देखते हुए चूंकि, विरोध पक्ष के उप नेता भी बोलेंगे, विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक पर माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी बोलना है इसलिए आप सब लोगों की इजाजत हो, आप लोगों की इजाजत, कुछ माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं इसलिए आप लोगों की इजाजत हो तो समयाभाव को देखते हुए 295 को पढ़ा हुआ मान लिया जाए?

(पढ़े हुए माने गये प्रस्तावों के लिए परिशिष्ट देखें)

अनेक माननीय सदस्य: ठीक है।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

जयपुर स्थित मानसिक विमंदित पुनर्वास केन्द्र के बच्चों की दयनीय स्थिति

श्री अध्यक्ष: श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि इस विषय को मैंने पिछले 15 दिन से प्रयास किया था कि पर्ची के माध्यम से या किसी भी माध्यम से यह विषय प्रशासन और राजकीय काम को देखने वाले लोगों के ध्यान में आये कि हम लोग जिस प्रकार से यह मंद बुद्धि के जो बच्चे हैं, जिनको हम यहां पुनर्वास केन्द्र में रखते हैं, उनकी स्थिति क्या है या क्या नहीं है, इसके बारे में मैं आपके माध्यम से सरकार का भी और सदन के सभी माननीय सदस्यों का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हम जिस मन से इन बच्चों की देख-भाल के लिए राजकीय फण्ड को खर्च कर रहे हैं लेकिन उसके परिणाम नहीं आ रहे हैं। मैं यह जो आपकी प्रगति प्रतिवेदन है, वर्ष 2009 और 2010 का, इसका जो पैरा, इसको मैं पढ़कर बता रहा हूं। मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास केन्द्र, जयपुर ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कृपया व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग करिये। माननीय सदस्य, कृपया अपने-अपने स्थान पर विराजें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): विभाग द्वारा मानसिक विमंदित महिलाओं और बालकों के शिक्षण/प्रशिक्षण और पुनर्वास हेतु जयपुर में वर्ष 1983-84 से इस केन्द्र की

स्थापना की गयी। इस केन्द्र में 50 महिलाओं और 25 बालकों के शिक्षण/प्रशिक्षण, भोजन, वस्त्र व्यवस्था, आवास, चिकित्सा सुविधा की नि:शुल्क व्यवस्था हेतु वर्ष 2008-2009 में अपन ने 1 करोड़ 46 लाख रुपया इन बच्चों के लिए रखा और इसमें 116 जो है वह बालिकाएं हैं, 106 बालक हैं। इसी तरह 2009-2010 में, हमने 9 वर्ष में 1 करोड़ 21 लाख रुपया इन बच्चों के लिए रखा और जो प्रति महीना माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग एक बच्चे पर पाँच हजार रुपया महीने का खर्च आता है। साल में साठ हजार से लेकर एक लाख रुपया इन बच्चों पर खर्च करते हैं। यह वे बच्चे हैं जिनके मां-बाप ने परेशान होकर इनको इस हालात में देखा कि इनका पालन-पोषण करना सम्भव नहीं है, अनाथ की तरह से सड़क पर जिनको छोड़ जाते हैं। हमारी सरकार ने इस बात की व्यवस्था की कि ऐसे बच्चों की भी देख-भाल करना सरकार की जिम्मेदारी है और उन बच्चों को लाकर यहां जो हमारा यह जो केन्द्र है, उस केन्द्र में इन बच्चों को हम रखते हैं।

मैंने पिछली बार एक प्रश्न भी लगाया था इसके बारे में। इस प्रश्न के जवाब में भी मुझे जो उत्तर मिला माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस मानवीय प्रश्न को आज सदन के सामने और आप और हम सबके सामने रख रहा हूं कि हम इतना पैसा खर्च करना चाहते हैं उन बच्चों की देख-भाल के लिए, जो लगभग मैं कह रहा हूं कि प्रति बच्चा साठ हजार से लेकर एक लाख रुपया प्रति बच्चा हम खर्च करते हैं। उसके बाद भी उन बच्चों की स्थिति जाकर अगर देखी जाए तो हमारा शरीर कांप जाएगा उन बच्चों की हालतों को देखकर कि विभाग किस प्रकार से काम करता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरे प्रश्न के जवाब में आया कि ऐसे जो बच्चे हैं वे 231 बच्चे आज की तारीख में इस पुनर्वास केन्द्र पर पालन-पोषण के लिए रखे हुए हैं इसमें से आप क्लासीफिकेशन करें तो प्रफाउण्ड मानसिक विकलांग जो हैं अर्थात्, 100 परसेंट जो बच्चे विकलांग हैं उन बच्चे और बच्चियों की संख्या 72 है। जो सीवियर मानसिक है अर्थात्, 80 परसेंट से लेकर 100 परसेंट विकलांगता की परिस्थिति में है, ऐसे बच्चों की संख्या 82 है और जो मॉडरेट मानसिक है, 40 से लेकर 80 परसेंट जिनकी मंद बुद्धि है, ऐसे बच्चों को तो फिर भी अगर ठीक प्रकार से गाइड किया जाए तो वे अपने दैनंदिन काम को ठीक प्रकार से कर सकते हैं, वे हैं और माइल्ड मानसिक विकलांग के जो बच्चे हैं, वे 26 हैं, ऐसे कुल मिलाकर 231 बच्चे हैं। इन 231 बच्चों की हालत को देखकर, हमने देखा होगा कि सुप्रीट कोर्ट ने भी, हम सबको इसके बारे में डाइरेक्शन दिये। मैं आपको पढ़ रहा हूं। इन बच्चों की दयनीय स्थिति को देखते हुए वर्ष 2003 में डबल बेंच सिविल रिट पिटिशन नम्बर 3672/2003 सत्य नारायण सिंह बनाम आशा सिंह और अन्य केस में हाई कोर्ट, राजस्थान की जयपुर बेंच ने एडवोकेट रघु चौहान, एडवोकेट, माधुरी सिंह और एडवोकेट प्रेम किशन शर्मा की एक कमेटी बनायी और इस कमेटी के आधार पर हमारे हाई कोर्ट ने जो डाइरेक्शन दिया, इनकी दशा को देख कर और उस दशा को देखने के बाद भी आज दिन तक पालना नहीं हो रही।

मरे सवाल के जवाब में कहीं कोई उन्होंने लिखा नहीं कि हमने इसकी पालना कर दी। मैं कुछ आपको हाई कोर्ट के डाइरेक्शन क्या थे और अब हमने उनकी क्या, यह डाइरेक्शन आज से नहीं हैं। 2003 से डाइरेक्शन है। पहला आदेश जो हाई कोर्ट ने किया वह 21.8.2003 को किया। उसमें कहा कि एक आहार विशेषज्ञ हर बच्चे के लिए व्यक्तिगत पौष्टिक भोजन सुरक्षित ...(व्यवधान)... मैं सोचता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, आप इन मानसिक विकलांग बच्चों के बारे में, मैं सोचता हूं कि न तो सदन कोई मानवीय मन रखता है और मेरा केवल बोलने के लिए बोलना ऐसा नहीं है, मैंने, सरकार का इतना पैसा खर्च होने के बाद भी उन बच्चों को जानवरों से भी बदतर हालत में रहना पड़े तो आपको और मेरे को, दोनों को ही इतनी शर्म आएगी कि हम मन से चाहते हैं और फण्ड भी देते हैं लेकिन हमारा मानवीय दृष्टिकोण नहीं होने के कारण से इन बच्चों की जो दुर्गति बनी है, यहां तक कि हाई कोर्ट ने फैसला कर रखा है कब से, डाइरेक्शन दिया 21.8.20203 को, क्या दिया था? एक आहार विशेषज्ञ हर बच्चे के लिए व्यक्तिगत पौष्टिक भोजन सुरक्षित रखेगा, उसके लिए आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुई इसकी। सरकार विशेष प्रकार के शिक्षक इन बच्चों के लिए क्योंकि यह मंद बुद्धि के बच्चे हैं, इनको टेकल करना हर किसी के बस का रोग नहीं है, इनके लिए स्पेशल जो अनुभव रखते हैं या ट्रेनिंग किये हुए लोग हैं वे रहेंगे, नौकरी पर लगाये नहीं। इन बच्चों को पुनर्वास के लिए, इसकी आज दिन तक, सरकार ने ठेका पर इस पर शिक्षक लगा रखे हैं। कोई इस प्रकार के ट्रेंड शिक्षक नहीं लगाये जो इन बच्चों की देख-भाल करके इनके जीवन को ठीक प्रकार से रख सके। इनके लिए साथ ही कम से कम इनको खेल की कोई सामग्री मिले। खेल की कोई सामग्री नहीं है। बाड़े में जैसा बंद करते हैं, बंद करने के बाद बाहर से ताला लगा देते हैं, वे बच्चे अन्दर ही आपस में लड़ते-फिरते रहते हैं। इसके बाद आपने देखा होगा कि 28.1.2004 को फिर हाई कोर्ट ने डाइरेक्शन दिया कि यह जो सुपरिटेंडेंट है श्रीमती अलका सिरोही को यहां से तुरन्त हटाया जाए। इसकी पालना में आपने उस समय आदेश की पालना की और इसको हटाया और आज की तारीख में यही वापस इसी स्थान पर सुपरिटेंडेंट है। विभाग जा कर इसका पता कर ले। हाई कोर्ट के डाइरेक्शन के बाद भी क्योंकि इसने जिस प्रकार की दुर्गति इन बच्चों की बना रखी है।

शिव/चौहान/29.3.2010/12.10/1h

इसके कारण हाई कोर्ट को डायरेक्शन देना पडा कि इसको यहां से हटा दिया जाये। आपने हटाया लेकिन आज की तारीख में फिर लग गयी। इसके बाद हाई कोर्ट ने 2.6.04 को फिर आदेश दिया बालक-बालिका, महिला पुनर्वास केन्द्र में पुरूष एल.डी.सी., यू.डी.सी. व केयर टेकर को हटा दिया जाये। आपने इसमें हटाया नहीं। कुछ हटाये और कुछ हटाने के बाद भी आपने देखा वर्तमान में पुरूष एल.डी.सी., यू.डी.सी. और केयर टेकर महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं और आपने देखा होगा 23 मई, 2007 को यहां बलात्कार की घटना उजागर हुई, उसको सुनकर-पढ़कर आपका और हम सबका दिमाग खराब हो गया कि हाई

कोर्ट के डायरेक्शन के बाद भी इन महिलाओं के साथ हम पुरूष केयर टेकर और बाकी लोग रखते हैं जिसके कारण इनके साथ यह होता है। इसकी पालना नहीं हुई। इसी डायरेक्शन से विशेष शिक्षकों को नियमित वेतन दिया जायेगा तथा नौकरी की सुरक्षा दी जायेगी, स्थायित्व दिया जायेगा जिससे उन बच्चों के साथ लम्बा रिश्ता बन सके, जो बच्चों का पुनर्वास करने के योग्य हो सके। आज दिन तक ठेके पर टीचर रख रहे हैं। वहां इस प्रकार के कोई शिक्षक नहीं हैं। हाई कोर्ट के आदेश की भी पालना नहीं हुई। इसके बाद फिर हाई कोर्ट ने आदेश दिया 27.9.2004 को, हर साल, हर बच्चे को 10 कपड़े की जोड़ी दी जायेगी। अभी भी आप इधर देखों दो जोड़ी मिल रही है, तीन जोड़ी मिल रही है, चार जोड़ी मिल रही है। कपड़े पहनने के लिये हम नहीं दे पा रहे हैं। गंभीर मंद बुद्धि बच्चों के लिये जो वास्तव में 80 प्रतिशत से भी ज्यादा जिनकी विकलांगता है, जिनको मां-बाप अपने घर में कोख से पैदा होने के बावजूद भी मजबूरी में उन बच्चों को रख नहीं सकते, पालन नहीं कर सकते, इसलिये सड़क पर अनाथ की तरह से छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे बच्चों को राज्य सरकार उठाकर इस पुनर्वास केन्द्र पर रखकर अपना धर्म निभाने का प्रयास करती है। लेकिन ऐसे मंद बुद्धि बच्चों के लिये आपको हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि 1-5 के अनुपात में टीचर रखेंगे। अगर पाँच बच्चे होंगे तो एक इस प्रकार का केयर टेकर रहेगा जो इन बच्चों को ठीक प्रकार से देख सके, लेकिन आज भी पूरे 231 बच्चों पर केवल पाँच केयर टेकर हैं। वन इंटू फाइव का रेशो तय किया था हाई कोर्ट ने, आपने उसकी पालना नहीं की। एक सामान्य मंद बुद्धि बच्चे के लिये जो 40 प्रतिशत की विकलांगता रखता है, उसको 1-10 का अनुपात दिया है, लेकिन इसमें जो अधिकांश बच्चे हैं, 72 प्रतिशत तो 100 प्रतिशत विकलांगता की श्रेणी में आते हैं, 82 बच्चे ऐसे हैं जो 80 से लेकर 100 प्रतिशत की विकलांगता की स्थिति में हैं। उसके अनुसार केयर टेकर नहीं है। न स्कूल भवन के बारे में आपने कुछ किया। सप्ताह में दो बार बच्चों को इधर-उधर ले जाने को कहा, उसकी पालना नहीं हुई। वर्तमान में जो स्थिति है, वह इतनी दर्दनाक है और आपको इसमें जितने बच्चों के आपने एड्रेस लिखे हैं, एक भी बच्चा मुश्किल से इन 231 में से 8 बच्चे ऐसे हैं जिनके मां-बाप का पता है, बाकी सब अज्ञात बच्चे हैं। यह जो अज्ञात बच्चे हैं जिनको जिस परिस्थिति में हम लाये और जिनके ऊपर हम 2 करोड़ 31 लाख रुपये सालाना खर्च कर रहे हैं, जो लगभग 60 हजार से लेकर एक लाख प्रति बालक खर्च आता है। उसके बावजूद भी हमने किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं सोचता हूं कि जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी है, मैं चाहता हूं माननीय सदस्यों, आपसे मेरा आग्रह है कि आप भले यह समिति बनायें, न बनायें, आप स्वयं चलकर एक बार इस नारकीय जीवन को अपनी आँख से देख लो ताकि आपके अन्तर्मन में यह लगेगा कि हम चाहते हैं कि इन बच्चों की देखभाल हो। मैं सरकार से और आपसे चाहूंगा कि आप भले ही ओफिशियल नहीं बनायें, लेकिन किसी को भी एक बार इस पुनर्वास केन्द्र को देखने भेज

दीजिये कि वास्तव में यह बच्चे किस नारकीय जीवन में जी रहे हैं। जिन बच्चों को देखकर आपको रोना आता होगा, इतनी सब सुविधा जुटाने के बाद, हाई कोर्ट के छह-छह आदेश इनको मिलने के बाद भी आज दिन तक कभी किसी ने पालना नहीं की। हमको कहते हैं, हमने इसकी पालना की। आज भी वहां जाकर देख लो, वहां कोई ट्रेण्ड टीचर नहीं है। आज भी जाकर देखो उन बच्चों का भोजन कैसा बनता है? आज भी बच्चों को पहनने के कपड़े ठीक प्रकार से नहीं देते हैं। इतना फण्ड देने के बाद भी, हमारा पैसा देने के बाद भी बजट में ढाई करोड़ रुपये रखने के बाद भी इन बच्चों का नारकीय जीवन है। यह तो केवल जयपुर का एक उदाहरण बता रहा हूं। राजस्थान में जो बाकी केन्द्र चलते हैं, उनको भी कभी कोई मानवीय आधार पर आपका अधिकारी जाकर देखता है?

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वह उन बच्चों की देखभाल के लिये जो व्यवस्था सरकार ने तय की है और कोर्ट ने जिस प्रकार से आदेश दिये हैं, उनके अनुसार पालना होनी चाहिये। मैं अध्यक्षजी, आपसे विनम्र निवेदन करता हूं आप अथोरिटी से नहीं बनायें, कोई दिक्कत नहीं, पर आप हममें से किसी भी पाँच को कहो एक बार जाकर वस्तुस्थिति की रिपोर्ट लाकर रखें कि वास्तव में यह बच्चे किस नारकीय जीवन में जी रहे हैं। न खाने को पूरा मिलता है, न पहनने को पूरा मिलता है और मंद बुद्धि बच्चों के कारण से जिस प्रकार से बच्चे वहां रहते हैं, उस हालत को देखकर अगर जानवर को भी बांधते होंगे तो कम से कम वहां सफाई करके बांधते होंगे। इन बच्चों की क्या दशा है, इस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: बिराजिये। आज दिनांक 29 मार्च, 2010 को शून्य काल में बोलने हेतु 12 पर्चियां प्राप्त हुई हैं जिनमें श्लाका द्वारा चार पर्चियां निकाली गयीं, जोकि निम्नांकित हैं – श्रीमती किरण माहेश्वरी, राजस्थान में पेयजल हेतु खरीदे जा रहे पाइपों में हो रहे घोटालों के संबंध में। श्री पेमाराम, ग्रामीण क्षेत्रों में अग्निकांड से पीड़ित जनता को तत्काल उचित सहायता देने के संबंध में। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, जोधपुर के ऐतिहासिक मंदिर व जोधपुर सिटी वॉल के संबंध में। श्री अभिषेक मटोरिया, एक एन जी ओ द्वारा बी.पी.एल. व बेरोजगारों के साथ की गयी धोखाधड़ी के संबंध में। श्रीमती किरण माहेश्वरी।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

पेयजल पाइप खरीद में घोटाला

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्षजी, आज आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहती हूं कि पेयजल की समस्या इस राजस्थान के अंदर बहुत ही भंयकर रूप से चल रही है। एक तरफ जो योजनाएं सरकार की थीं पेयजल के संदर्भ में, वह योजनाएं टाइम बाउण्ड पीरियड में होनी चाहिये थीं। वर्क आर्डर की एक निश्चित तिथि होती है कि इतने समय में यह योजना पूरी हो जायेगी। इससे लम्बा समय निकल जाने के बाद भी वह योजना पूरी नहीं हो पाती हैं। वर्क आर्डर दिये जाते हैं एक साल

के लिये किसी योजना के, तो एक साल के बजाय दो साल तक वह योजना कम्पलीट नहीं हो पाती। और उसके पीछे कारण पूछा जाता है तो वह कारण यही होता है कि वहां पर जो अधिकारी थे, उन्होंने जो पर्चेज किया, वह पर्चेज उन्होंने बराबर तरीके से नहीं किया। पहले पाइप खरीद लिये, टंकी नहीं बन पाई, पैसा खत्म हो गया। अब रिवाइज प्लान होगा, रिवाइज होने के बाद में फिर रिवाइज प्लान की स्वीकृति आयेगी। वह स्वीकृति आने के बाद टंकियां बनेंगी। तब फिर वह योजना पूरे तरीके से लागू होगी। इसलिये मैं आज आपको बाघेरी नाका, जो हमारे वहां राजसमंद विधान सभा क्षेत्र और नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र, यह दोनों विधान सभा क्षेत्र इससे लाभान्वित होते हैं। इस योजना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। माननीय अध्यक्ष जी, यह योजना पहले 128 करोड़ की योजना बनी थी और उसके बाद यह रिवाइज होते होते 204 करोड़ की योजना बनी। 128 करोड़ की यह योजना जब बनी तो उस योजना में सबसे ज्यादा कहना चाहिये कि 120 करोड़ के तो इन्होंने पाइप खरीद लिये। जिस योजना के अंदर पाइप लगने थे, टंकी भी बनानी थी, कनेक्शन भी देने थे, यह सारा काम इस योजना में करना था। लेकिन सिर्फ पाइप खरीदे 120 करोड़ के। फस्ट फेज में योजना के अंदर पाइप खरीद लिये गये इसलिये कि सबसे ज्यादा कमीशन किस चीज में इंजीनियर्स को मिल सकता है, उसका असेसमेंट होता है। जैसे ही योजना स्वीकृत होती है और अगर पाइप खरीदने में कमीशन ज्यादा मिल रहा है तो सबसे पहला काम यही करो और इसलिये इस बाघेरी नाका योजना, जो योजना कम से कम 204 गांवों को पानी मिलना था, वह योजना जो एक-डेढ़ साल के अंदर कम्पलीट होनी थी, आज तीन साल पूरे होने आये, अभी तक वह योजना पूरी नहीं हो सकी। इंजीनियर्स की यह स्थिति है कि जो स्टोरेज कैपेसिटी है उनकी, वह स्टोरेज कैपेसिटी से कई गुणा ज्यादा पाइप को स्टोर करके रखे हुए हैं। लेकिन जब हम लोग कहते हैं तो कहते हैं पैसा नहीं है, हमारे पास पाइप नहीं है। हमारे पास में टूटे हुए पाइप लाइन को रिपेयर करनी है। अगर कोई लाइन टूट गयी है, पानी बह रहा है, एक तरफ पानी की इतनी किल्लत है और पानी बह रहा है तो अगर उनसे कहा जाये ...(व्यवधान)...

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): मंत्रिमण्डल का पुनर्गठन हो रहा है क्या? ट्रेजरी बैंचेज खाली पड़ी हैं।

श्री अध्यक्ष: तीन बिराज रहे हैं, तीन। दो कैबिनेट मिनिस्टर हैं और एक राज्य मंत्री गोलमा देवी भी बिराजी हुई हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): बिल्कुल और जो कैबिनेट मिनिस्टर यहां बिराजमान हैं, वह कृपया जो मैं पूछ रही हूं, उसका जवाब भी दे, ऐसा मैं उनसे उम्मीद करती हूं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सहायता मंत्रीजी भी हैं।

श्री अध्यक्ष: हां, सहायता मंत्रीजी भी हैं। आप अपने आपको असहाय मत मानो।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्षजी, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसको लाइटली नहीं लिया जाये। जो यहां पर कैबिनेट मिनिस्टर साहब बैठे हैं, वह बात न करके इस पर ध्यान दें और मुझे उनसे उम्मीद है कि इस पर जवाब भी मुझे मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: इनकी बातों पर ध्यान रखो।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): हां, बिल्कुल रखें, अच्छा है। सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। हां, बात पर ही ध्यान रख रहे हैं। वह एक कान से सुनकर दूसरे कान से उसको निकालें नहीं। इस बात के लिये मेरा आपसे यह निवेदन है माननीय अध्यक्षजी, कि आप सरकार से इस बात का जवाब जरूर दिलवायें कि जो वहां पर पेयजल की पाइप लाइन टूटी हुई है, उसको रिपेयर करने के लिये संवेदनहीन है और उन अधिकारियों को कहेंगे तो कहेंगे हम जा रहे हैं, भेज रहे हैं ओर उसको रिपेयर चार बार करेंगे पर पाइप को चेंज नहीं करेंगे। यह कहकर चेंज नहीं करेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पाइप नहीं हैं। दूसरी तरफ स्टाक को अगर देखें तो आज ही अख़बार के अंदर छपा है कि कितना है। जहां 20 लाख रुपये का स्टाक होना चाहिये, वहां पर अजमेर के अंदर करीब 6 करोड़ का स्टाक है इनके पास पाइप लाइन का। इसी तरीके से उत्पादन एवं वितरण उदयपुर को देखें जहां 25 लाख की स्टॉक सीमा है उसके अंगेस्ट 4 करोड़ 10 लाख रुपये का पाइप लाइन का स्टॉक इनके पास पडा है। दौसा में 15 लाख के स्टॉक सीमा के अंगेस्ट में साढ़े 3 करोड़ रुपये का स्टॉक इनके पास पाइप लाइन का है। पूरा विवरण देदूं हमारे वहां का सलूम्बर का।

pcs-usc-29.03.2010-12.20-1j

जहां दस लाख के अंगेस्ट में तीन करोड़ रुपये के पाइप लाइन का स्टाक है। अ यह पाइप लाइन का स्टाक किसके लिए है? उस पाइप लाइन को खरीदने के लिए कमीशन मिलता है इसलिए आराम से पाइप खरीदो, कमीशन कमओ और उसके बाद अधिकारी का ट्रांसफर हो जाए, वह दूसरी जगह चला जाता है लेकिन खुद के कार्यकाल में कमीशन कमा सकते हैं चरचेज में, वह कमीशन का काम करते हैं। इसलिए आज मैं आपसे निवेदन यह करना चाहती हैं ये लोग जो एक्सेसे स्टाक रख रहे हैं और जिस एक्सेस स्टाक की वजह से आज पूरा पैसा, जो योजना का पैसा है, वह योजना पूरी नहीं हो पाती है, सिर्फ पाइप के अन्दर ही पैसा खत्म हो जाता है। मंत्री महोदय, यहां बैठे हुए हैं, कृपा करके उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे? जो स्टाक एक्सेस पडा है, वह लग नहीं रहा है, क्योंकि अगर हम कुआ गहरा करवाने के लिए कहेंगे तो कोई इन्ट्रस्ट नहीं लेगा क्योंकि उसमें कमाई नहीं मिलती है। उनको यदि रिपेयर करने के लिए कहेंगे तो कोई इन्ट्रस्ट नहीं लेगा। हैण्ड पम्प की एसेसरीज अगर खराब हो जाएगी तो नया हैण्ड पम्प खुदवाने के लिए तैयार हो जाएंगे लेकिन एसेसरीज रिपेयर करने के लिए कोई पैसा नहीं देता है।

श्री अध्यक्ष: कृपया अब बिराजें।

पेयजल किल्लत के बावजूद औद्योगिक उपयोग हेतु पानी का अधिक दोहन

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी दो मिनट और लूंगी। इसके साथ ही यह भी ध्यान दिलाना चाहती हैं कि जहां पानी का दोहन हो रहा है, वह कितने अवैध रूप से हो रहा है। आज राजसमन्द के अन्दर जे के टायर की बहुत बड़ी फैक्ट्री चल रही है। जे के टायर का एम ओ यू इर्रिगेशन डिपार्टमेंट से होता है रजसमन्द झील से पानी दोहन करने का। वह एम ओ यू कितने वर्ष पहले का हुआ है, उस समय राजसमन्द झील भरी रहती थी। आज बिलकुल खाली हो गयी है। आज पीने का पानी नहीं है। इतना अकाल का समय आ रहा है लेकिन पाँच लाख लीटर पानी आज भी वहां से निकाला जा रहा है और कहते हैं कि एम ओ यू है। एक तरफ तो दूसरे लोगों को बोलते हैं कि पैसा लाओ और पानी खरीदो। दूसरी तरफ इण्डस्ट्रीज के ऊपर किसी तरीके का इस एम ओ यू के अन्दर रिन्युअल नहीं किया और उससे आप पैसा ले रहे हैं। तीन-तीन, चार-चार दिन तक राजसमन्द शहर को पीने का पानी नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ। यह पानी वहीं पर कुए लगाकर वहीं पर हैण्ड पम्प ट्यूब वैल लगाकर झील के अन्दर, उसी से पानी ये लोग खींच रहे हैं लेकिन कोई अंकुश उनके ऊपर इनकी तरफ से नहीं है।

इसी तरह से दरीबा माइन्स को देखें। रेलमगरा क्षेत्र के अन्दर हमारे सारे गांव रेलमगरा, राजपुरा, सिंदेसरकलां, कोटड़ी, काबरा, खड बामनिया, खुण्डिया ये सारी वह पंचायतें हैं जो दरीबा माइन्स के इर्द गिर्द हैं लेकिन दरीबा माइन्स में पानी के लिए वहां पर माइन्स की खुदाई होती है, पानी आता है और उन आसपास के गांवों के पानी का स्तर एकदम नीचे चला गया। सरकार इसकी कोई चिन्ता नहीं कर रही है। कृपा करके इसकी चिन्ता करें। इन गांवों के लिए पीने के पानी की बहुत बड़ी किल्लत आ गयी हैं। वहां पर जल स्तर इतना नीचे चला गया है और जो पानी है वह भी इतना गन्दा और खराब क्वालिटी का हो गया है कि वह पीने योग्य नहीं रहा लेकिन उन माइन्स को सरकार चलाने के लिए चुप होकर बैठी है। इस तरह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): वह सारा हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहती हूँ कि सरकार इस पर जबाव दे। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: श्री पेमा रामजी। शुरू करें।

ग्रामीण क्षेत्रों में अग्निकाण्ड से पीडित जनता को तत्काल उचित सहायता

श्री पेमाराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण इलाकों में जो अग्निकाण्ड होते हैं, उनकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अग्निकाण्ड के कारण कुछ भी हो सकते हैं। कई दफा अन्धड चलता है, कच्चा मकान है, जिसके पक्का नहीं है, चूल्हे में से आग उड़कर अग्निकाण्ड हो जाता है। कहीं बिजली का हाई टेंशन लाइन जो ऊपर से जाती है उनके तारों की स्पार्किंग से अग्निकाण्ड हो जाता है और हमारे सीकर जिले में जो बिजली की 11 और 33 की लाइनें हैं, वह इतनी लूज हैं कि अमूमन उस इलाके में अग्निकाण्ड उनके

कारण से होता ही रहता है। इसके अलावा किसान जब अपने खेत में फसल काटने के बार थ्रेसर से फसल निकालने का काम करता है उस दौरान भी अग्निकाण्ड हो जाता है और उससे किसान का खेत, मजदूरी करने का सामान, सब कुछ जल जाता है और कभी कभी तो ऐसी घटनाएं होती हैं, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात बता रहा हूं कि एक दफा अग्निकाण्ड हो गया। रात का समय था। बादलवास गांव के किसान के वहां पर बीस भेड़ बकरी और पाँच भैंसें जल गयी। धुनकाबास में गरीब राजपूत परिवार था उसके परिवार में सारा का सारा पशुधन और एक पक्का मकान था और वह कच्चे मकानों से घिरा हुआ था, वह पक्का मकान गिर गया।

अध्यक्ष महोदय, यही नहीं अभी हमारे सीकर जिले में दाता रामगढ़ तहसील के अडोदा ग्राम पंचायत के गांव सांवलौदा में अग्निकाण्ड हुआ और गणपतराम लेखा के छोटा बच्चा अभिषेक 25 मार्च, 2010 की घटना है ताजा, वह बेटा बाहर नहीं निकल पाया और जिन्दा तड़प तड़प कर वहीं पर गुजर गया। यही नहीं अध्यक्ष महोदय, लामिया रघुनाथ यादव का घर जल गया था। डेढ़ साल से एप्लीकेशन हमारे सीकर जिले में पड़ी है। अभी थ्रेसर आया, फसल निकलवा रहा था, थ्रेसर से अग्निकाण्ड हो गया और किसान पूरे छः महीने की मेहनत के बाद रो धोकर बैठ गया। एप्लीकेशन आने के बाद 12 महीने तक उस कोई कार्यवाही नहीं हा पाती है। ऐसी सूरत में वहां कोई जन प्रतिनिधि और कोई अधिकारी नहीं जा पाता। पटवारी का छोड़कर कोई नहीं जाता। यदि कोई जन प्रतिनधि वहां पहुंच जाता है तो विधायक भी उस अग्निकाण्ड में आंसू बहाने के अलावा कुछ दे नहीं सकता चाहे कितना ही बड़ा घटनाक्रम क्यों न हो जाए।

अभी हम जब लॉबी में बैठे थे तो करौली से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि चार दिन पहले 19 घर जलकर वहां पर खाक हो गये। कोई संभालने वाला नहीं है। अभी खालूवाला से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारे इलाके में चार पाँच जगह अग्निकाण्ड हो गया, डेढ़ वर्ष हो गये, अभी तक उनको किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिल पायी है इसलिए एक राय देना चाहता हूं, सरकार को सुझाव देना चाहता हूं क्योंकि अग्निकाण्ड का जो मापदण्ड है, जो नियम बने हुए हैं उनको कुछ मिलता भी है तो दो ढ़ाई हजार रुपये, इससे ऊपर नहीं मिलता और मापदण्ड भी बने हुए हैं आजादी के जमाने के इसलिए मैं मांग करता हूं कि सरकर इस कानून में संशोधन, परिवर्तन करके अग्निकाण्ड चाहे किन्हीं कारणों से हुआ हो, तत्काल राहत देने के लिए मेरी मांग है कि किसानों के खलिहानों तथा थ्रेसर लग रही है, आग को भी इस अग्निकाण्ड में सम्मिलित किया जाए। अभी तक ये मानते नहीं हैं।

मेरी दूजी मांग है कि बिजली, चाहे बिजली आकाशीय हो, चाहे पावर बिजली हो या बिजली के तारों से लगने वाली आग को सम्म्लित करें जिससे जनता को राहते मिले और तीसरी मेरी मांग है कि अग्निकाण्ड का मुआवजा जिसके मापदण्ड बहुत पुराने हैं, दो ढाई हजार रुपये से ऊपर नहीं मिल पाता है और कभी कभी तो पशुधन या इन्सान जल जाए,

इन्सान जलने पर भी दस हजार से ऊपर नहीं मिल पाता। दूसरी तरह शहरों में अग्निकाण्ड दुकानों में बिजली का शार्ट जलने से लग जाता है तो उसे इंश्योरेंस मुआवजा मिलता है इसलिए मैं मांग करता हूं कि अग्निकाण्ड के मुआवजे के मापदण्ड जो पुराने हैं सरकार उन्हें बदले और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, मुआवजा राशि में बढ़ोतरी की जाए। मेरी मांग है कि अग्निकाण्ड पीड़ितों को डेढ़ वर्ष पहले हमारे सीकर जिले में बारह महीने से पहले अभी भी वहां एप्लीकेशन पड़ी हुई हैं। उनकी स्वीकृति की जा कर राहत दिलाने का काम करें इसलिए मेरा निवेदन है कि अग्निकाण्ड में वाकई में सरकार, जिसका आग में सब कुछ स्वाहा हो गया हो, उसे तत्काल राहत नहीं मिले तो डेढ़ साल बाद दो हजार रुपया मिले उसका कोई औचित्य नहीं है। मेरी मांग है कि अग्निकाण्ड पीड़ितों को सात दिन के भीतर सरकार मुआवजा राशि उपलब्ध कराने की कानून में सुनिश्चित करे। इसी के साथ यदि अग्निकाण्ड पीड़ितों का मकान जल गया तो उसे इन्दिरा आवास की तरह पक्का मकान बनाने की व्यवस्था करेंऔर यही नहीं एक और मेरी मांग है कि अग्निकाण्ड हो जाता है, सीकर में मोरड़ूंगा मेरे विधान सभा क्षेत्र से लगभग 70 किलोमीटर दूर है, वहां अग्निकाण्ड हो गया तो, अग्नि शमन कार्यालय पंचायत समिति मुख्यालय पर अग्नि शमन की व्यवस्था करें और एक और मैं सुझाव देना चाहता हूं कि यह घटना राजस्थान में कहीं भी हो सकती है, जन प्रतिनधि वहां जाता है तो आंसू बहाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता, विधायक कोष में पैसा चाहे जितना भी है, ऐसी कोई घटना हो....

Mar/usc/1230/1k/29032010

वह भी झोली फैला कर के जनता के पास ही जाता है बाकी यह कुछ घोषणा नहीं कर सकता कि मैं विधायक कोष से अमुक को कुछ दे रहा हूं। इसलिए मेरी मांग है कि विधायक कोष से भी अग्निकांड पीड़ितों को भी आर्थिक सहायता, पुख्ता मकान बनाने या कच्चा मकान भी जल गया तो उसे पुख्ता मकान बनवाने की या जो भी आर्थिक सहायता है वो भी उस मापदण्ड में सम्मिलित किया जाए।

इसलिए मेरा निवेदन है कि अग्निकांड पीड़ितों के बारे में जो कानून है वो पुराना है(मापदण्ड पुराने हैं, उसमें संशोधन करें। सरकार इस पर विचार करे और ऐसी घटनाओं को रोकने में तुरन्त राहत देने के लिए करे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

जोधपुर शहर के ऐतिहासिक मंदिरों व परकोटे की दयनीय स्थिति

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज जोधपुर शहर के मंदिरों की तरफ एवं परकोटे की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगी कि जोधपुर शहर के अन्दर जितने भी मंदिर हैं, जैसे घनश्यामजी का मंदिर है,

सीतारामजी का मंदिर है, रणछोड़जी का मंदिर है, कुंज बिहारीजी का मंदिर है, मदनलालजी का मंदिर है, ऐसे कई मंदिर हैं मगर वहां भी ...(व्यवधान)... मेरे को बोलने तो दो, साहब।

तो ऐसे जो मंदिर हैं उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। उनमें कितना पैसा खर्च होता है, क्या होता है आज तक नहीं है और, माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा कांग्रेस ने राज किया है मगर इन मंदिरों की वो दुर्दशा है कि मैं आपको क्या बताऊं। वहां पर भगवान विराजमान हैं, कितने दर्शनार्थी जाते हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं दर्शन करने जाती हैं और क्या कहती हैं, जब कभी भी मैं मंदिर जाऊं तो कहती हैं, आप मंदिर के लिए तो कुछ करें। तो, भाई, मेरे फंड में तो दे दूं और तो मैं क्या कर सकती हूं?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहूंगी कि सरकार को यह चाहिए कि इनके लिए स्पेशल धनराशि खर्च करें कि पाँच करोड़, चार करोड़, जितने भी मंदिर हैं उनमें लगाऐं क्योंकि यह स्टेट के समय के मंदिर बने हुए हैं मगर उनकी देखभाल करने के लिए कुछ नहीं है।

अभी दो दिन पहले जब प्रश्न आया उस समय मंत्रीजी ने यह कहा, हर मंदिर में, कोई भी जोधपुर का ऐसा मंदिर नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि वहां पर दो हजार, चार हजार से कम दर्शनार्थी आते हैं मगर माननीय मंत्री महोदय ने तो कह दिया कि 400, 500 आते हैं तो, मंत्रीजी, आप वहां देखो तो सही। आपको रास्ता ही मालूम नहीं है कि मंदिर कहां है? घनश्यामजी का मंदिर कहां है, आपको रास्ता ही मालूम नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा सवाल है कि इसी तरीके से शहर परकोटे के नाम से पहचाना जाता है कि जोधपुर शहर में परकोटा है मगर परकोटे की यह स्थिति है कि सारे तो एन्क्रोचमेंट हो गये, सारे परकोटे तोड़ दिये गये और यहां तक कि परकोटे तोड़ यकर कई तो लोगों ने स्कूल बना ली, कोई अपने मकान बना लिये, कोई अपने दुकानें बनवा लीं, वहां पर भी अभी कोई देखने वाला नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहूंगी कि इसके बारे में मंत्रीजी विचार करें और देखें।

तीसरा मेरा सवाल यह है कि जोधपुर शहर के अन्दर कितने गेट हैं, जालोरी गेट है, सोजती गेट है, नागोरी गेट है, नागोरी गेट और जालोरी गेट, सिवांची गेट पर तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस चौकियां लगी हुई हैं गुट के अन्दर तो मेरे को बड़ा दुख हो रहा है। सिंवाची गेट पर जब पुलिस चौकी लगी, मैंने कहा कि कमला है यह तो, यह क्या बात हो गयी, और आप वहां के दरवाजे देखें तो आप ताज्जुब करेंगे कि 50 आदमियों से कम एक दरवाजे को कोई उठा नहीं सकते, इतने भारी दरवाजे हैं, वहां पर पुलिस चौकियां लगी हुई हैं। नागोरी गेट पर पुलिस चौकियां लगी हुई हैं और जालोरी और सिवांची गेट पर पुलिस चौकी और जब फोन करें कि सी.आई. साहब कहां है तो कहते हैं कि चौकी पर बैठे हैं। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने वहां पर थाना बनवा दिया, मैंने कहा कि चलो इसका चौकी का नाम तो यह नहीं रहे, कम से कम थाना तो होगा यहां पर। मैंने मेरे फंड से पैसे देकर के

इतना बढ़िया थाना वहां पर बनाया और वहां के व्यापारियों की तरफ से मेरे को बहुत अच्छी मदद मिली, जमीन उपलब्ध करवा दी तो वहां पर एक थाना बन गया।

यह सारे गेट हैं, तीजा मांजी का मंदिर है, और मंदिर भी ऐसे हैं, गेट भी ऐसे हैं, सिंवाची गेट, जालोर गेट, नागोरी गेट, मेड़ती गेट, सोजती गेट यह सारे गेट हैं और गेटों की भी यही स्थिति है। गेट भी कभी आज तक नहीं सुधारे गये हैं जबकि सरकार के पास इतना होते हुए भी अगर यह जो पुराने तत्व भी इसके बारे में सोतें तो भी काम हो जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगी कि यह इस तरीके से इसकी योजना बनाएं और योजना बना कर कम से कम यह जो पुराने तत्व हैं, इस बात पर विचार करें कि इन गेटों वगैरह को सुन्दर रखें, यह ऐतिहासिक चीज हैं, अगर अपन इन सारी ऐतिहासिक चीज को ही भूल जायेंगे तो फिर तो जोधपुर में कोई बचेगा ही नहीं। यहां परकोटे भी नहीं रहे, लोगों ने सारे एन्क्रोचमेंट कर लिये, अब जोधपुर क्या कहलाता था, मैंने पूर्व सरकार से निवेदन किया, मेरे को वसुन्धराजी ने पूछा कि आपके शहर में क्या करवाना है, मैंने कहा कि जितनी पुरानी पाइप लाइन हैं वो सब चैंज करवा दो, तो मैंने कहा, नहीं, आप ऐसे लिखना कि परकोटे के अन्दर, जोधपुर शहर कर दिया तो तीनों में पैसा फैल जायेगा। तो यह परकोटे का एक बहुत, बड़ा भरी महत्व है, इस महत्व को सारा खतम कर दिया है, मैं चाहूंगी कि जो बचाखुचा है उसको अवेयर के रखें और जो-जो एन्क्रोचमेंट हुए हैं कम से कम उनको तो हटाएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यही कहना चाहूंगी, आपने मेरी बात सुनी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): जोधपुर में मेहरानगढ़ दुखांतिका हुई।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): जवाब दे रहे हैं मंत्रीजी।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सूरसागर से आने वाली माननीय सदस्या ने जो मंदिरों के बारे में बात रखी और उन्होंने यह बात की कि पुराने मंदिरों को ठीक करने की व्यवस्था सरकार करे। तो माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्रीजी ने आत्मनिर्भर मंदिरों को ठीक करने के लिए 2 करोड़ 85 लाख रुपये का प्रावधान किया है, उसको हम ठीक करायेंगे।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई दो करोड़ से कुछ भी नहीं होने वाला है, आज6 तक तो कुछ किया नहीं। कुछ भी होने वाला नहीं है दो करोड़ से, इतने मंदिर हैं। मैंने यह सारे मंदिरों की आपको लिस्ट बतायी है, एक-एक मंदिर का नाम लिया है। वहां, माननीय अध्यक्ष महोदय, सूरसागर में जो भोमियाजी का स्थान था, डेढ़ करोड़ रुपये तो पिछली सरकार ने वहां लगाया तो भी काम पूरा नहीं हुआ है, दो करोड़ से क्या होने वाला है? दो करोड़ से तो कुछ भी होने वाला नहीं है, दही के अन्दर जावण भी नहीं लगेगा दो करोड़ से। ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: पूरे राजस्थान का है यह।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): अच्छा, पूरे राजस्थान में है क्या दो करोड़, मैंने अच्छी तरह से सुना ही नहीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप हमारी रक्षा करो कि दो करोड़ पूरे राजस्थान में, क्या होगा दो करोड़ से, आप बताओ। नहीं, आप तो यह तय करवाओ इनसे कि जोधपुर में कितना देंगे? दो करोड़ से क्या होगा, आप बताओ।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर के अन्दर पहले भी मेहरानगढ़ मंदिर के अन्दर दुखांतिका हुई है ...(व्यवधान)... माननीय सदस्या का यह बहुत अच्छा सुझाव है कि जोधुपर में जितने बड़े-बड़े मंदिर हैं उन मंदिरों की सुरक्षा के लिए, उनकी मरम्मत के लिए सारे बंदोबस्त किये जाने चाहिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से जवाब दिलवाओ, यह क्या बात हुई।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): और मंत्री महोदय को यह जवाब देना चाहिए कि जोधपुर के मंदिरों में क्या व्यवस्था की जा रही है, कितना बजट खर्च हो रहा है? इसके अन्दर जोधुपर के अन्दर विशेष कितना बजट है, इसके ऊपर इनको घोषणा करनी चाहिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इतने दरवाजों के लिए, इतने मंदिरों के लिए, इतने गेट के लिए और हर दरवाजे के पास गजाननंदजी का मंदिर है, हर दरवाजे के पास, बहुत बड़ी बात है, आप मंत्रीजी से जवाब दिलवाओ आज, आज तक आपने कभी जवाब नहीं दिलवाया, आज जवाब दिलिवाओ मेरे को।

श्री अध्यक्ष: चलो, आज मंत्रीजी से आपको जवाब दिलवाता हूं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): केवल दो करोड़ का पूरे राजस्थान में, क्या होगा दो करोड़ में?

श्री अध्यक्ष: आप विराजें तो सही।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): जोधपुर के लिए जवाब दो, जोधपुर में कितना पैसा खर्च करेंगे?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): आप तो जोधपुर का बताओ, मैंने पूरे राजस्थान का तो पूछा ही नहीं। ...(व्यवधान)...

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): जोधपुर के मंदिरों में कितना पैसा लगाओगे, वो बताओ आप।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): आप देखो, मुख्यमंत्रीजी के मकान के पास नाथजी का मंदिर ऐतिहासिक मंदिर है, आज जर्जर व्यव्था है, क्या कहते हैं वो ट्रस्ट बनी हुई है, ट्रस्ट को मना है क्या काम करने का आपका, आप ट्रस्ट को मदद नहीं करोगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जवाब दिलवाओ मेरे को। ...(व्यवधान)...

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मंत्री महोदय, जोधुपर में मेहरानगढ़ मंदिर में दुखांतिका हुई है, जोधपुर में मंदिर के लिए हम बजट की बात कर रहे हैं, जोधपुर में मंदिरों की व्यवस्था, उसमें मरम्मत इसके लिए कितना बजट है, वो बताइये आप तो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): वो बताओ आप तो, राजस्थान का नहीं पूछा। ...(व्यवधान)...

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): जोधपुर का सवाल है, आप कह रहे हैं राजस्थान का दो करोड़ और कुछ, आप जोधपुर में कितना पैसा दे रहे हैं, आप वो बता दीजिए। ...(व्यवधान)... मंत्री महोदय, जोधपुर में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं और मंदिरों के लिए क्या व्यवस्था हो रही है, वो बताएं।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): मंत्री महोदय, पुष्कर के लिए भी अलग से बजट अलॉट होना चाहिए।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय सदस्या ने यह जोधपुर में मेहरानगढ़ दुखांतिका से पीड़ित होकर के यह सवाल उठाया है कि जोधपुर के मंदिरों में क्या व्यवस्थाएं हैं?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मैं तो जोधुपर की बात कर रही हूं ...(व्यवधान)... उनकी मरम्मत होनी चाहिए, उनमें व्यवस्थाएं होनी चाहिए। मैंने जोधपुर के लिए कहा है और आप राजस्थान के लिए बता रहे हैं, जोधपुर की घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष: आप तो विधायक जोधपुर की हैं, यह मंत्री राजस्थान के हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मैं तो जोधपुर की कह रही हूं, राजस्थान की कह ही नहीं रही।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): जोधपुर के लिए कह रहे हैं न, जोधपुर में कितना दे रहे हो, वो बताइये। ...(व्यवधान)... जोधपुर में कितना दे रहे हो, वो बताएं।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): बाबूसिंह जी ...(व्यवधान)... आप जोधपुर की चिंता कर रहे हो ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: राजस्थान में है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): जोधपुर के लिए ही कह रहे हैं, साहब, हम तो कह रहे हैं कि मेहरानगढ़ दुखांतिका हुई है, उस किले के लिए कितनी व्यवस्था कर रहे हैं, क्या व्यवस्था कर रहे हैं ...(व्यवधान)... मंदिर के लिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): आप तो यह बता दो ...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, एक संतोषी माता का मंदिर भूल गये आप, जोधपुर में है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): हां, भूल गयी, साहब, सही बात है, बिलकुल सही कही आपने।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): पूरे जोधपुर क मंदिर के लिए कह रहे हैं।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, पोकरण विधान सभा में बाबा रामदेवजी का जो स्थल है वहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, वहां का तालाब का

पिछली सरकार ने कराया था, वहां पर जो तालाब के अन्दर सीढ़ियां लगाने का काम था वो काम अधूरा रह गया। वहां पर इतने लोग आते हैं जिनकी श्रद्धा को देखते हुए मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि विशेष तौर से बाबा रामदेवजी का जो स्थल है वो सब धर्मों के लिए मान्य है, सब धर्मों के लोग आते हैं वहां पर तो उनका भी पुनर्गठन क्या जाए, तालाब का भी वापस निर्माण कराया जास। ...(व्यवधान)...

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): पाबूजी राठौड़ का भी मंदिर है। पाबूजी राठौड़ का मंदिर है, उसके लिए भी ...(व्यवधान)...

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): उस मंदिर का भी वहां पर अच्छे कार्य कराएं जाएं ताकि वहां के लोगों को तकलीफ नहीं हो। ...(व्यवधान)...

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ओसियां का सती आई माता का मंदिर है उसके लिए भी, बाबा रामदेवजी का मंदिर है उसके लिए भी, जोधपुर और उसके आस-पास के बड़े-बड़े मंदिर हैं।

Ars/usc/1240/1l/29032010/1

जोधपुर के और उसके आस पास के बड़े बड़े मन्दिर हैं, बड़ी यात्राएं होती हैं, बड़े मेले लगते हैं, वहां पर आप क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं ? इसके लिए जवाब दें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब तो दिलवाओ।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): मन्त्री जी से आश्वासन दिलवाओ, हमें भी दो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): हमारे को तो जोधपुर की बात बता दो।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): हमें भी जवाब दिलवाओ, यह पुष्कर क्षेत्र में जगतपिता ब्रह्मा जी का पूरे विश्व में एक मन्दिर है, रंगजी का मन्दिर है, तीन सौ अतिरिक्त मन्दिर हैं, उसके लिए माननीय मंत्री जी से मेरा भी निवेदन है, देवस्थान मंत्री जी विराजे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि पुष्कर तीर्थ विकास मण्डल को पुनर्जीवित किया जाए ताकि पुष्कर क्षेत्र के मन्दिरों का अच्छा विकास हो सके। धन्यवाद।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय मंत्री जी 200 ...(व्यवधान)... से क्या होगा?

श्री अध्यक्ष: मन्त्री जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मंत्री महोदय, आसन का निर्देश हो, यह आसन सर्वोपरि है, अगर आसन ने मंत्री जी का नाम पुकार लिया तो आपको उत्तर देना पड़ेगा। हम आसन के अनुशासन से बंधे हुए हैं। आपके निर्देशों की अवहेलना करें ...

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी अवहेलना नहीं कर रहे, वह कह रहे हैं कि और भी कोई बोलने वाला हो तो एक साथ दे दें।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय सचेतक साहब, आप ठीक हैं बहुत पुराने सदस्य हैं लेकिन आपसे ज्यादा आसन की इज्जत करने का, आसन की परवाह करने का मेरे में जज्बा है, आपमें नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): चूरू में कोई मन्दिर हो तो आप भी फरमा दो।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): मन्दिर जाएं जब ना, वो तो जाते ही नहीं हैं मन्दिर, वो तो खाली मन्दिरों के नाम पर झगड़ा कराते हैं, मन्दिर जाते नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, यह मेरे पर आरोप लगा रहे हैं I am on a point of explanation.

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): I am on a point of explanation. मेरे पर आरोप लगाया गया है कि मैं कोई मन्दिर में नहीं जाता। अध्यक्ष महोदय, यह हमारे उप नेता जानते हैं जितना मैं धर्म के प्रति अनुयायी हूं, जितना मैं पूजा पाठ करने वाला हूं, अध्यक्ष महोदय, यह आरोप लगा कर मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं। मेरी छवि धर्म के प्रति आदर की छवि है, अध्यक्ष महोदय, यह मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं।

श्री गंगाजल मील (सूरतगढ़): पूजा पाठ तो करते हो लेकिन मन्दिर नहीं जाते, आप घर के अन्दर ही कर लेते हो ...(व्यवधान)...

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने भी सदस्यों ने जो बातें की हैं उसके बारे में गम्भीरता से विचार किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री अभिषेक मटोरिया।

एक एन जी ओ द्वारा बी पी एल परिवारों व बेरोजगारों के साथ धोखाधड़ी

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची व्यवस्था के माध्यम से सरकार का ध्यान हाल ही में घटित एक बड़े गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। इससे सभी सदस्य आने वाले समय में या तो अभी प्रभावित हैं या आने वाले समय में प्रभावित हो जायेंगे। चूंकि यह मामला पूरे राजस्थान का है,इसलिए आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

संस्कार सेवा संस्था आगरा की एक गैर सरकारी संगठन संस्था है जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर जैसा कि उन्होंने बताया 525/फाइल नम्बर ए जी 49512 है। इस संस्था ने हाल ही में राजस्थान में रिलेशन्स नाम से एक आफिस डी सी एम अजमेर रोड़, चर्च वाली गली, जयपुर में 30.6.09 को खोला था। जिसका मुख्य काम सम्पूर्ण राजस्थान में बी पी एल परिवार के समस्त सदस्यों को मुफ्त में चिकित्सा और मुफ्त में शिक्षा दिलवाने का था। अध्यक्ष महोदय, इस एन जी ओ ने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ मिलकर जीवन मधुर पॉलिसी जीवन मंगल योजना के तहत पहल तो जिला स्तर पर उसके बाद पंचायत स्तर पर और बहुत सारी जगह तहसील स्तर पर भी शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों के माध्यम

से जो काम करने का बीड़ा इन्होंने उठाया। इस पॉलिसी के तहत एक बारगी में 250 रुपये हर महीने, 150 रुपये दस साल तक देने का नियम इस एन जी ओ ने बनाया।

अध्यक्ष महोदय,इस एन जी ओ ने जिस शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों के माध्यम से यह का निर्णय लिया, उसको इस एन जी ओ ने अख़बार के माध्यम से विज्ञापन निकलवाए,बड़े बड़े विज्ञापन राष्ट्रव्यापी अखबारों में निकले, उसके बाद यह सारे बेरोजगार नवयुवक भागे, इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के साथ साथ समस्त वह प्रमाण पत्र लगा दिये जो कि नौकरी लेने के लिए पर्याप्त होते हैं।

इसके साथ साथ 250 से 300 रुपये तक रजिस्ट्रेशन फीस के नाम से भी दिये। अध्यक्ष महोदय, इनको मैनेजर, कोआर्डिनेटर और सुपरवाइजर, तीन पद पर इस एन जी ओ ने नियुक्त भी किया।एक बड़ी गम्भीर बात इस इंटरव्यू में देखने को मिली। एल आई सी के प्रबन्धक और बहुत सारे अधिकारी और कर्मचारी भी इस एन जी ओ के नेशनल डाइरेक्टर, जनरल सेक्रेटरी और प्रेसीडेंट स्तर के जो भी अधिकारी थे, वह भी इस मीटिंग में मौजूद थे। समय समय पर हमारे भारतीय जीवन बीमा निगम के जितने अधिकारी गण थे वह समय समय पर मीटिंगों में मौजूद थे। उनकी मौजूदगी से निश्चित रूप से जितने भी नवयुवक नौकरी प्राप्त करके बी पी एल को लाभ पहुंचाने के लिए वहां पर एकत्रित हुए उनके मन में एक विश्वास जगा कि जब एल आई सी जैसी संस्था इस एन जी ओ से जुड़ी हुई है तो निश्चित रूप से यह संस्था सही है और कोई गलत काम इनके या बी पी एल परिवार के साथ नहीं करेगी। उनका हौसला बढ़ा, उन्होंने नौकरी स्वीकार की, इंटरव्यू में बढ़ चढ़कर भाग लिया और 250 रुपये जमा करा कर रजिस्ट्रेशन फीस के भी भरे।अध्यक्ष महोदय, अब क्या हुआ, कुछ महीने बाद 10.1.2010 को इस कम्पनी की नीयत बदल गयी। नीयत बदलने के साथ साथ इस कम्पनी ने नाम भी बदल लिया और रिलेशन से नया नाम रखा सिगमा एसोसिएशन और नया आफिस भी खोल लिया, वैशाली नगर 112, गंगासागर बी, सलोनी पब्लिक स्कूल के पास। एक तो नया आफिस और नया नाम खोलने से हलचल मच गयी। उसके बावजूद अध्यक्ष महोदय, इस संस्था ने क्या किया, नवम्बर और दिसम्बर के महीने में लोगों को गुमराह करने क लिए और अपने प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए कुछ पॉलिसी बॉण्ड भी जारी कर दिये। पॉलिसी बॉण्ड के साथ साथ इस संस्था ने हैल्थ कार्ड भी बना दिये, लोगों का विश्वास कायम रहा, लोगों को तनख्वाह तो दी नहीं परन्तु लोगों से पैसा एकत्रित करने का काम जोर शोर से कर दिया और पूरे राजस्थान में इकसठ हजार सदस्य बना दिये। जिन से छह करोड़ पैंसठ लाख रुपये ल लिये, किनके माध्यम से, इन बेरोजगार नवयुवक शिक्षित बेरोजगारों के माध्यम से। अध्यक्ष महोदय, यह काम करते करते यह संस्था धीरे धीरे वहां से सरकने लगी और कुछ समय बाद इस एन जी ओ ने अपना आफिस बंद कर दिया। आफिस बंद करने क बाद जितने भी इनके अधिकारी गण थे, उनके नम्बर भी बंद हो गये, इनके कमरों पर ताला लग गया और जितने भी पूरे राजस्थान में यह बेरोजगार नवयुवक थे, जब इन्होंने फोन किया तो फोन बंद मिला। उसके बाद यह सब किराया लगाकर जयपुर आए।

जयपुर में जब इन्होंने इस एन जी ओ को खोजा तो वह एन जी ओ बंद मिली, फोन करने पर किसी से सम्पर्क नहीं हो पाया और पता चला कि होली के अवसर पर यह एन जी ओ यहां से बंद करके अपना सारा काम और पैसे समेट कर गायब हो गयी और सारे अधिकारी लापता हो गये। उसके बाद एक्सिस बैंक के जो चैक इस संस्था ने दिए थे, यह लोग वहां बैंक में गये, सारे के सारे चैक बाउन्स हो गये। उसके बाद अन्तिम कड़ी में सहारा लेने के लिए जिन पर हम सबका विश्वास है और हमारी बहुत बड़ी संस्था है एल आई सी के पास जब यह लोग गये, आप हमारी मीटिंग में आए, आपकी वजह से हमारा विश्वास जुड़ा, भारत की एक बहुत बड़ी बीमा कम्पनी है, वह पैसे कहां हैं तो पता चला अध्यक्ष महोदय, बड़ी चौंकाने वाली बात एल आई सी ने स्पष्ट कह दिया यह छह करोड़ पैंसठ लाख रुपये हमारे पास जमा ही नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, उनको बड़ा झटका लगा, बड़ा गहरा सदमा लगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मात्र एक मिनट के अन्दर अपनी बात समाप्त करूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा इस गैर सरकारी संगठन ने जिसने बी पी एल और बेरोजगार यह दोनों वर्ग जो आज के समय में आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, इन दोनों से बड़ी धोखा धड़ी की। पूरे राजस्थान में आने वाले समय में इस मामले पर हाहाकार मचेगा, हर विधायक के क्षेत्र में ऐसे नवयुवक पाये जायेंगे जिन्होंने यह काम किया, लोग उनके कपड़े फाड़ रहे हैं, कौन फाड़ रहा है बी पी एल परिवार के सदस्य और बी पी एल परिवार की स्थिति मैं आपको नहीं बताना चाहूंगा, आप भली भांति परिचित हैं।

इसलिए अन्त में मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस ने अपनी कार्यवाही में एक महिला को जरुर गिरफ्तार किया है परन्तु इस संस्था से यह छह करोड़ पैंसठ लाख वापस लिये जाएं। ऐसी संस्था, एन जी ओ जो फ्राड करती है, उन पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए, सरकार से और मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधसूचना, श्री राजेन्द्र पारीक।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

आबकारी विभाग

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आबकारी विभाग की अधिसूचना संख्या : एफ.4(23)एफडी/एक्साईज/08-पीटी-1 दिनांक 2 मार्च, 2010 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री गुलाब चन्द कटारिया!

समिति का प्रतिवेदन

जन लेखा समिति (क्र.सं0 27 से 38)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये उल्लेख के अनुसार जनलेखा समिति, 2009-2010 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

1. जन लेखा समिति, 2003-2004 (ग्यारहवीं विधान सभा) के 219वें प्रतिवेदन समाविष्ट सिफारिशों (जिसका संबंध भारत के नियंत्रक महा लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) वर्ष 1998-99, 1999- 2000 एवं 2000-2001 में समाविष्ट जल संसाधन विभाग से संबंधित अंकेक्षण अनुच्छेदों से है), पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2009-2010 का सत्ताईसवां प्रतिवेदन ;

2. जन लेखा समिति, 2006-2007 (बारहवीं विधान सभा) के 187वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों (जिसका संबंध भारत के नियंत्रक महा लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) वर्ष 2003-2004 एवं 2004-2005 में समाविष्ट राज्य आबकारी विभाग से संबंधित अंकेक्षण अनुच्छेदों से है), पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2009-2010 का अट्ठाईसवां प्रतिवेदन ;

3. जन लेखा समिति, 2006-2007 (बारहवीं विधान सभा) के 168वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों (जिसका संबंध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (राजस्व प्राप्तियाँ) के प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 में समाविष्ट राज्य आबकारी विभाग से संबंधित अनुच्छेदों से था), की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर जन लेखा समिति, 2009-2010 का क्रियान्विति विषयक उनतीसवां प्रतिवेदन ;

4. जनलेखा समिति, 2003-2004 (ग्यारहवीं विधान सभा) के 216वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों (जिसका संबंध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) वर्ष 1998-1999 में समाविष्ट भू-राजस्व विभाग से संबंधित अंकेक्षण अनुच्छेदों से है), पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2009-2010 का तीसवां प्रतिवेदन ;

5. वर्ष 2004-2005 भारत के नियंत्रक-महा लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) में समाविष्ट वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित अंकेक्षण अनुच्छेदों पर जन लेखा समिति, 2009-2010 का इक्तीसवां प्रतिवेदन ;

6. जन लेखा समिति, 2006-2007 (बारहवीं विधान सभा) के 191वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों (जिसका संबंध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) वर्ष 2002-2003 में समाविष्ट अंकेक्षण अनुच्छेदों से था), पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक) जनलेखा समिति, 2009-2010 का बत्तीसवां प्रतिवेदन ;

7. जन लेखा समिति, 2007-2008 के 242वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर जन लेखा समिति, 2009-2010 का क्रियान्विति विषयक तैंतीसवां प्रतिवेदन ;

8. जन लेखा समिति, 2007-2008 के 238वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2009-2010 का चौंतीसवां प्रतिवेदन ;

9. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट कारागार विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 का पैरा संख्या-3.2 वर्ष 2006-2007 का पैरा संख्या- 1.7.1 तथा वर्ष 2007-2008 का पैरा संख्या-1.6.1 से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2009-2010 का पैंतीसवां प्रतिवेदन ;

10. भारत के नियंत्रक-महा लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006 का पैरा संख्या-4.1.6, 4.2.2 वर्ष 2006-2007 का पैरा संख्या- 1.7.1, 4.3.5, 4.5.12 तथा वर्ष 2007-2008 का पैरा संख्या-1.6.1 से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2009-2010 का छत्तीसवां प्रतिवेदन ;

11.भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2004-2005 के अनुच्छेद संख्या - 4.2.1, वर्ष 2006-2007 के अनुच्छेद संख्या- 4.3.1, 4.4.3, 4.5.6, 4.5.12 तथा वर्ष 2007-2008 के अनुच्छेद संख्या-4.4.8 में समाविष्ट माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2009-2010 का सैंतीसवां प्रतिवेदन ;

12. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट प्राथमिक शिक्षा विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007 का पैरा-4.4.1, 4.5.5, 4.5.6 तथा वर्ष 2007-2008 का अनुच्छेद संख्या-4.1.1 व 4.4.8 से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2009-2010 का अड़तीसवां प्रतिवेदन ;

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक। राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2010 श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार
राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2010

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान वित्त विधेयक, 2010 श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, ऑन ए पाइंट आफ आर्डर। वित्त विधेयक आप पेश करें, वित्त विधेयक विचारार्थ लेने के लिए कह रहे हैं ना।

श्री अध्यक्ष: हां, हां तो रखने तो दीजिए फिर ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): विनियोग नहीं, वित्त बोला है अध्यक्ष महोदय आपने।श्री अध्यक्ष: हां, हां वित्त बोला है न।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वित्त बोला है तो वित्त विधेयक पर ...

श्री अध्यक्ष: दोनों एक साथ रख रहे हैं। विनियोग विधेयक .....श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, साथ रख रहे हैं पर इसमें मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: इसको रखने के बाद आप, रखने से पहले ही?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): रखने से पहले है।

श्री अध्यक्ष: रखने तो दीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां रख लें।

राजस्थान वित्त विधेयक, 2010

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाए।

vns/usc/12.50/29.3.2010/1m

व्यवस्था का प्रश्न

अनुसूची का परिवर्तन भी वित्त विधेयक के तहत आना चाहिए

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में वित्त विधेयक आर्टिकल 199 के अन्तर्गत पेश होता है। इसमें लिखा हुआ है "the imposition, abortion, remission, alteration or regulation of any tax." राजस्थान सरकार जब बजट पेश करती है और बजट पेश करने के बाद में जो टैक्स लगाती हैं, जो टैक्स हटाती है और जो परिवर्तन करते हैं एक्ट में उन सबको हम फाइनैंस बिल में प्रस्तुत करते हैं।

इस फाइनैंस बिल में बिजली पर टैक्स लगाया वह हमने इसमें प्रस्तुत किया। इस फाइनैंस बिल में हमने व्यवहारी जो तीन महीने छह महीने, छह महीने से नौ महीने देने का काम किया वह हमने इसमें प्रस्तुत किया लेकिन कुछ टैक्स ऐसे हैं जिनको लगाया लेकिन जो प्रस्तुत नहीं किया।

मुझे जानकारी है वैट एक्ट में यह प्रावधान कि 4 से बढ़ाकर 5 परसेण्ट आप करो तो आपको अधिकार प्राप्त है कि आप इसका नोटिफिकेशन कर दें लेकिन अगर आप एक्ट में परिवर्तन करते हैं, यदि आप शिड्यूल में परिवर्तन करते हैं तो आपको उसको निश्चित रूप से वित्त विधेयक के अन्तर्गत लाना पड़ेगा। आपने 4 से बढ़ाकर 5 परसेण्ट किया, मैं इसमें आब्जेक्शन नहीं कर रहा हूं। आपको कानून के अन्तर्गत अधिकार प्राप्त है आप यह कर लेंगे।

लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि आपको शायद यह बात पूरी ध्यान में नहीं है जो भी यह अपने लोग है जिन्होंने यह सारा कानून बनाकर पेश किया है। इसमें बहुत साफ-साफ लिखा हुआ है कि इन वस्तुओं को आपने शिड्यूल 4 से हटाकर दूसरे शिड्यूल में डाल दिया है। Schedule is the part of the Act. शिड्यूल संविधान का भी एक हिस्सा है और शिड्यूल उस एक्ट का भी हिस्सा है। अगर आप शिड्यूल में चेन्ज करते हो तो एक्ट में ही चेंज माना जाता है इसलिये शिड्यूल के चेंज को आपको उसमें लाना पड़ेगा। उदाहरण के लिये आपने लिखा है 292 में-

कतिपय वस्तुओं यथा कोलतार, बिटुमैन, लाईमस्टोन, जैनरेटर एवं इन्वर्टर्स, ऑटोमोबाइल बॉडी, पी बी एक्स, इलैक्ट्रोड्स, ब्राण्डेड रेडीमेड गारमेण्ट्स, मल्टीफंक्शनल डिवाईसेज, यू-फोम, कुछ कैमिकल्स एवं हाई वोल्टेज केबल्स को वैट अधिनियम की अनुसूची -4 से हटाया जाना प्रस्तावित है। आपने उसको वैट की अनुसूची से हटा दिया। अनुसूची से हटाने के कारण से उसको आपको फाइनैंस बिल के अन्तर्गत लाना चाहिये थर। आप इसको फाइनैंस बिल के अन्तर्गत लेकर नहीं आये हैं।

इसलिये अध्यक्ष महोदय, यह जो फाइनैंस बिल है वह अन-कांस्टीट्यूशनल है, असंवैधानिक है और असंवैधानिक जो बिल है वह हमारे यहां विचारार्थ प्रस्तुत नहीं किया जा सकता इसलिये माननीय मुख्यमंत्री जी, इस बिल के अन्तर्गत सदन की कार्यवाही स्थगित करके इसको आप देखें। देखकर इसमें अगर आवश्यक हो तो उसको इस विधेयक में जरूर शामिल करें। इसके तीन हिस्से मैंने आपको करके बताया है।

आपने व्यवहारियों का परिवर्तन किया तीन महीने से छह महीना, वह एक्ट में परिवर्तन था। एक्ट में परिवर्तन था तो पूरे के पूरे को आप फाइनैंस बिल में लेकर आए। आपको धन्यवाद। इसी प्रकार से आपने 5 से हटाकर 5 परसेण्ट किया, कॉटन सीड पर आपने टैक्स लगाया, मैंने उसका प्रश्न नहीं उठाया कि आपको इस एक्ट में लाना चाहिये था। लेकिन यह You have changed the schedule. आपने फोर शिड्यूल से हटाकर दूसरे शिड्यूल में डाल दिया तो शिड्यूल में जाना is equal to change. किसी एक धारा को चेंज करना हो और शिड्यूल को चेंज करना हो वह समान है अतः आप शिड्यूल में चेंज करके फाइनैंस बिल में लेकर नहीं आये हो इसलिये मेरा अध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह है कि आप सरकार को निर्देश दें कि जो शिड्यूल उन्होंने चेंज किया, आप देख लें साफ-साफ लिखा है "the imposition, abortion, remission, alteration or regulation of any tax." आप टैक्स इम्पोज करते हो, एबोलिशन, एबोलिश करते हो, इन सबको आपको इस एक्ट में लाना चाहिये था लेकिन सब इसलिये नहीं लाते कि कुछ में आपने एक्ट में अधिकार ले रखे हैं। 4 से 5 परसेण्ट करने का जैसा आपको एक्ट में अधिकार प्राप्त है लेकिन आप शिड्यूल चेंज कर रहे हो, शिड्यूल चेंज करने का मतलब है कि आप एक्ट में चेंज कर रहे हो और एक्ट में चेंज कर रहे हो इसलिये आपको एक्ट में डालना जरूरी था। यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

यह व्यवस्था का प्रश्न मैंने रास्ते चलते कोई मुख्यमंत्री जी को रोकने के लिये नहीं उठाया है। यह विधान सभा है और यह टैक्स लगे हैं। टैक्स लगने के मामले को, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था को तो कोई कोर्ट में चेलेंज नहीं कर सकता लेकिन जो कानून बनकर जाता है। उदाहरण के लिये हमने रिजर्वेशन का कानून बनाया, कानून को हाई कोर्ट ने रोक दिया । तो अपन जो टैक्स का कानून पास करेंगे फाइनैंस बिल फाइनैंस बिल, यह हाई कोर्ट में निश्चित रूप से चेलेंज होगा। क्योंकि यह साफ-साफ जब कांस्टीट्यूशन की परिभाषा है उसके अगेनस्ट में अगर अपन बिल लेकर आते हैं तो इसमें केवल सरकार की ही हेठी नहीं होगी, सारे सदन का भी अपमान होगा इसलिये मैं आपसे चाहूंगा कि इस विषय पर आप चिन्तन करें। सरकार जवाब दे दे। अगर आप सही हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एक्ट को पढ़कर और काफी चिन्तन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा और मैंने इसको तीन भागों में विभाजित किया है ध्यान में लाने के लिये कि यह बहुत गलत है इसलिये शिड्यूल में जो चेंज किया है वह आप फाइनैंस बिल में लेकर आएं। आप इसको हस्तलिखित बंटवा दें, मौखिक सरकार चाहे तो पेश कर दे, हमारी इसकी आपत्ति नहीं है लेकिन इसमें कोई कानूनी त्रुटि न हो, इस त्रुटि को दूर करके हम बिल को पास करें, यह मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे उप नेता प्रतिपक्ष ने पिछली बार भी यही कुछ सवाल उठाये थे और शिड्यूल 4 से 5 वैट किया और जो हमने हटाये थे आटोमेटिकली वह 14 में चले गये। आपका ऐतराज था कि आपने इसको रखा क्यों नहीं। मैंने पता किया और मैं समझता हूं कि जो कानून और जो नियम बने हुए हैं उसके अनुसार कोई गलत काम नहीं किया। बिलकुल सही तरीके से सही उनका जो पैरा मैंने पढ़ा था बजट के अन्दर उससे मायने वही निकलते हैं। स्वत: ही उसमें वह चेंज हो जाता है। फिर भी आपकी जो आशंका है जब मैं उत्तर दूंगा तब मैं उसका जवाब दे दूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, वह तो ठीक है। आप इतना सा पता कर लें, मैंने इसलिये आब्जेक्शन नहीं किया है कि आपने गलत किया। 4 से 5 करने वाला मैंने कहा कि 4 से 5 करने का आपको अधिकार है और उसके लिये फाइनैंस बिल में लाने की भी जरूरत नहीं है। कॉटन सीड पर आपने टैक्स लगाया, वह अधिकार है। उसको फाइनैंस बिल में लाने का, क्योंकि चेंज नहीं है। लेकिन आपने शिड्यूल में चेंज किया है, शिड्यूल एक्ट का पार्ट होता है। आपने केवल तीन महीने से बढ़ाकर छह महीने व्यवहारियों का टाइम दिया, आपने सारा काम किया और वह आप एक्ट में लेकर आये हैं इसलिये आप जब You are going to change the schedule. और शिड्यूल उसी प्रकार से एक्ट का पार्ट है जिस प्रकार एक सैक्शन एक्ट का पार्ट है। किसी भी सैक्शन में आप चेंज करते हो तो वह एक्ट में चेंज माना जाता है। इसी प्रकार शिड्यूल में अगर आप चेंज करते हो तो वह एक्ट में चेंज माना जाता है।

मैं पुन: आग्रह कर रहा हूं कि सारे राजस्थान में इसके खिलाफ आन्दोलन हो रहा है रेडिमेड़ वस्त्रों वाले और मामलों को लेकर, तो जो भी व्यापारी हैं वह इसकी वैधानिकता को चुनौती देंगे। इसलिये विधान सभा का पारित किया हुआ विधेयक और वैधानिक रूप से रुकता है तो वह हमारे लिये शोभादायक बात है इसलिये मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप टाइम, उस समय देख लें मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन यह गलती है और मैं समझता हूं कि इस गलती को हमको दूर करना चाहिये।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास दिलाता हूं सदन को कि इस रूप में पास होगा अल्टीमेटली फाइनैंस बिल और एप्रोप्रियेशन बिल जो आप लोग सुझाव देंगे, आप निश्चिंत रहें यह नौबत नहीं आने दी जायेगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): शिड्यूल में चेंज है साफ-साफ।

श्री अध्यक्ष: दोनों विधेयकों पर एक साथ विचार प्रारम्भ होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, इसमें क्या व्यवस्था दी। व्यवस्था क्या रही इसमें ?

श्री अध्यक्ष: मैंने दोनों पक्षों की बात सुनी है और मैं पूरे केस को स्टेडी करके आपको व्यवस्था दूंगा। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, वार्षिक बजट 2010-2011...

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ऑन ए पाइंट ऑफ इनफोर्मेशन। मेरा पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन का निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: पाइंट ऑफ इनफोर्मेशन ?

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): हां जी। बहुत जरूरी है साहब1

श्री अध्यक्ष: फरमाइये।

सूचना

गंगानगर में पथरी के इलाज के नाम पर गुर्दा निकाले जाने से एक महिला की मौत

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक पाइंट ऑफ इनफोर्मेशन निवेदन करना चाहूंगा। नीरू पत्नि सुधीर इंदा, निवासी अबोहर, पंजाब, दिनांक 27.3.3020 को गुर्दे की पथरी का दर्द होने पर नीरू के पिता मदन गहलोत्रा एवं भाई कुलभूषण गहलोत्रा ने आदर्श नर्सिंग होम में भर्ती कराया। आदर्श नर्सिंग होम में डाक्टर प्रवीण गुप्ता ने दूरबीन से पथरी का इलाज करने की बात कही लेकिन आपरेशन के दौरान डाक्टर ने नीरू का गुर्दा निकाल दिया जिससे नीरू की मौत दिनांक 27.3.2010 को सांय 4 बजे हो गयी। आपरेशन के वक्त डाक्टर नरेश पेड़ीवाल, परव्रीत खुराना भी मौजूद थे। मृतक का विवाह दो वर्ष पूर्व हुआ था। मृतक की उम्र 27 वर्ष है। डाक्टर प्रवीण गुप्ता को संरक्षण की दृष्टि से पुलिस विभाग ने हिरासत में लिया है।

श्याम/चौहान 29.03.2010 13.00 1n

लाश का पोस्टमार्टम कर दिया गया है। मृतका के भाई कूलभूषण ने एफ.आई.आर. दर्ज करा दी है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने इनफार्मेशन दे दी, पाइंट ऑफ इनफार्मेशन पर मंत्री का वक्तव्य नहीं होता है ...(व्यवधान)...

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि इसके पीछे बहुत बड़ा रैकेट है जो पूरे इंडिया में फैला हुआ है और इंडिया में इस रैकेट का भंडाफोड पहले हो चुका है।

श्री अध्यक्ष: आपने ध्यानाकर्षित कर दिया है ...(व्यवधान)...

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): कई मुकदमें इसमें चल रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बिराजिये, बिराजिये माननीय सदस्य।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): यह उस रैकेट का एक भाग है। 27 साल की लड़की जिसका दो साल पहले ब्याह हुआ हो और उसकी ऑपरेशन के नाम से किडनी निकाल ली जाये, गुर्दा निकाल लिया जाये।

श्री अध्यक्ष: आपने सूचना दे दी है। श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): इससे ज्यादा शर्मनाक बात हमारे पूरे हाउस के लिए, पूरे राजस्थान की जनता के लिए यह बहुत बड़ा मामला है। मेरी एक प्रार्थना और है कि इसी तरह से राहुल सोनी ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कृपया बिराजिये आप ...(व्यवधान)...

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): इसी तरह हॉस्पिटल वालों ने डैड बॉडी...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने सदन में सूचना दे दी है, केवल इतना ही होता है पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): जवाब तो दिलायें ना।

श्री अध्यक्ष: जवाब नहीं होता है पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन में ...(व्यवधान)... आप बिराजें। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): एडिशनल एस.पी. इसकी इनक्वायरी कर रहा है उस पर उसके घर वालों को विश्वास नहीं है। मैं मुख्यमंत्री महोदय से और होम मिनिस्टर से हाथ जोड़कर के प्रार्थना करूंगा कि यह बहुत गंभीर मामला है। हजारों आदमी धरने पर बैठे हैं, शहर बंद होने की स्थिति में है। कल को ऐसी दुर्घटना और हो सकती है जो अपने को संभालनी मुश्किल हो जाये। मेरी प्रार्थना है कि आप एडिशनल एस.पी. को बदलकर एस.पी. को इनक्वायरी दें। जांच इस तरीके से हो कि जिसको हम भगवान कहते हैं डाक्टर को वह इस तरह का गलत कार्य करे जिसके लिये पूरे हाउस को शर्मिंदा होना पड़े। जिसको भगवान का रूप हम कहते हैं वह इस तरह का कार्य करे तो किस पर विश्वास रहेगा। मेरी

आपसे प्रार्थना है, मेरी मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना है कि कृपया आप इस पर दो शब्द जरूर कहेंगे तो गंगानगर के हजारों लोग जो धरने पर बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिराजें। अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): 000

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): 000

(समय बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): 000

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बिराजें। अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): 000

श्री सभापति: आप बिराजें, अंकित नहीं हो रहा है, व्यवस्था दे दी, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): 000

श्री सभापति: आप बिराजें माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): 000

श्री सभापति: आप बिराजें, आप बिराजें, आसन पांवों पर है। आप बिराजें माननीय सदस्य।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): 000

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): [000]

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2010 पर अग्रेतर विचार

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, बजट वर्ष 2010-11 अब अपने अंतिम चरण में है और राजस्थान विनियोग विधेयक, 2010 और राजस्थान वित्त विधेयक, 2010 के पारण के साथ ही बजट पारित हो जायेगा। सभापति महोदय, यह बात सही है कि सरकार जो विनियोग विधेयक लेकर के आयी है वह संविधान के अनुच्छेद 204(1) के तहत अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा कर रही है और उसके साथ ही कंसोलिडेट फंड में से 56302 करोड़ 89 लाख 4 हजार रूपये व्यय करने का अधिकार भी ले लेगी और किस हैड में कितना पैसा कहां-कहां खर्च होगा उसका लेखा जोखा भी प्रस्तुत कर देगी।

[000] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

मुख्यमंत्री जी, आप आपके इस विनियोग विधेयक के पृष्ट 1 को देखें, हैड संख्या है 2049, कंसोलिडेट फंड में से आप इस वर्ष ब्याज की अदायगी कितनी करेंगे, आंकड़ा आपका है 7427 करोड़ रूपये और उसके साथ ही इसी हैड के अंदर राज्य सरकार का आंतरिक ऋण भुगतान है 2853 करोड़ रूपये और केन्द्र सरकार से जो हमने एडवांस लिया है उसके भुगतान के पेटे हम देंगे 459 करोड़ यानि कुल 10755 करोड़ रूपये इस विनियोग विधेयक के अनुसार आप सिर्फ ब्याज में और ऋण अदायगी में खर्च करेंगे, जो आपकी पूरी राशि का 19.10 प्रतिशत है। अगर इसी के अनुरूप इसी विधेयक के पृष्ठ 6 के अंदर हैड संख्या 2071 पेंशन और सेवा निवृत्ति के नाम पर जो व्यय का दिया गया है, उसको हम जोड देते हैं तो वह बढ़कर के हो जाता है 4996 करोड़ रूपये यानि अधिकांश हिस्सा सरकार के कंसोलिडेट फंड के ब्याज की अदायगी, किश्तें, पेंशन और वेतन में चला जाता है।

सभापति महोदय, इसी विधेयक के अंदर पुलिस के संबंधित मांग संख्या 16 के पेज नम्बर 7 में आपने पूरे वर्ष में कंसोलिडेट फंड में से रेवेन्यु एक्सपेंडिचर है 2041 करोड़ रूपये और कैपिटल एक्सपेंडिचर है 684 करोड़ रूपये। कानून व्यवस्था के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है वह राजस्थान का आम व्यक्ति बयां कर रहा है। जर्जर कानून व्यवस्था और तेज रफ्तार से भागता हुआ अपराधी, पुलिस के आधुनिकीकरण की हम बात करें, हम कमिश्नरी सिस्टम को इंट्रोडयुस करने की बात करें, पर यह सारी बातें इसी के अंदर कंसोलिडेट फंड में से जो राशि आप निकाल रहे हैं उसको अगर हम देखते हैं तो यह 684 करोड़ रूपये जो पुलिस के रेवेन्यु एक्सपेंडिचर का 20 प्रतिशत है, मैं समझता हूं कि राजस्थान के अंदर किस तरह का शासन सरकार कर रही है यह अपने आप सामने आ रहा है।

सभापति महोदय, उसी विनियोग विधेयक के पृष्ठ 12 पर मांग संख्या 24, शिक्षा, कला और संस्कृति जिसका राजस्व व्यय है 9765 करोड़, पूंजीगत व्यय है सिर्फ 29 करोड़ यानि राइट टू एजुकेशन की हम बात करें हम लोग, शिक्षित राजस्थान की कल्पना की बात करें, हम शिक्षा विभाग में वेतन, तनख्वाह के लिए तो पैसा दे रहे हैं पर आधारभूत संरचनाओं को बनाने के लिए हम साल में क्या कर रहे हैं, 29 करोड़ रूपये।

सभापति महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आप ने जो वोट एंड डिमांड है उसके अंदर राजस्व खाते में 37014 करोड़ रूपये और पूंजीगत खाते में 8491 करोड़ यानि आपका विकास के प्रति कोई रूझान नहीं है और इन सब हालात को देखते हुए आपके गृह मंत्री जी की वह बात बिलकुल सही लगती है कि निश्चित रूप से यह बजट मुख्यमंत्री जी ने तनाव में सदन में प्रस्तुत किया है।

सभापति महोदय, मैं तो यहां कहूंगा, मेरी मान्यता है कि मानसिक तनाव में मुख्यमंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, बल्कि इसके साथ-साथ लापरवाह नौकरशाह और गैर जिम्मेदाराना उनका जो कृत्य है, यह बजट जिसकी बानगी अभी उप नेता महोदय ने संवैधानिक प्रावधान के साथ जो हमारा वित्त विधेयक आया है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा

कर दिया है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन नौकरशाहों को यह मालूम नहीं कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 14 और 15 में क्या लिखा है? क्या स्पेशल इंपोर्टेड डिक्लियर गुडस पर वैट लगाने का अधिकार आपके पास है। आपने वैट की दर को 4 से 5 प्रतिशत किया, सदन के अंदर मामला उठा। आपने सदन की अवमानना करते हुए उसको वापिस रोल बैक किया। परंतु मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आजकल एनसीडीएक्स और वायदा बाजार में कम्प्युटर पर बैठकर चंद मिनटों में करोड़ों रूपयों का व्यापार हो जाता है उससे कितने लोग लूट-पिटे होंगे। आपने किसी को दोषारोपित नहीं किया। आपने यह नहीं कहा कि इसके प्रति दोष किसका है। इतने अनभिज्ञ हमारे नौकरशाहों के द्वारा जो यह बजट बनाया गया राजस्थान के इतिहास में पहला बजट है जिसको इस लापरवाही से बनाया गया है।

सभापति महोदय, बहुत लंबी-चौड़ी बात हुई वार्षिक योजना को लेकर, कई तरह के कसीदे पढ़े गये क्योंकि 23822 करोड़ रूपये की वार्षिक योजना बनायी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वार्षिक योजना बनायी परन्तु आपके पास संसाधन कहों से आयेंगे, रिर्सोसेज कहां से आयेंगे। इस पर भी निगाह डालनी चाहिए।

सभापति महोदय, बजट एट ग्लांस के पेज नम्बर 8 की ओर मुख्यमंत्री जी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा जिसमें आपने लिखा है कि राज्य विधान सभा में प्रस्तुत किये आय-व्ययक अनुमान की वार्षिक योजना 2010-11 में 23822 करोड़ की है। उसमें सकल बजटीय समर्थन, ग्रोस बजटीय सपोर्ट वह आपने इसमें लिखा है 12308 करोड़ रूपये।

jyg/usc/29.03.10/13.10/1o

इसके बाद इण्टरनल एण्ड एडीशनल बजट रिसोर्सेज, आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन, इसमें लिखा है 11514 करोड़ रुपए। कहीं नहीं बताया है कि पैसा कहां से आएगा। बजट स्टडी के अंदर पेज 52 पर माननीय मुख्य मंत्रीजी आपने प्लान आउट ले का जिक्र किया है उसमें एक ऋण का कॉलम भी है और आपने इस ऋण तो बता दिया जो आप नेट बॉरोइंग कर रहे हैं परन्तु इसके साथ ही आपकी वह पुस्तक क्या कह रही है, ऊर्जा विभाग लेगा 970 करोड़ रुपए का, राजस्थान राज्य खान एवं खनन विभाग लेगा 12 करोड़ रुपए का ऋण, आर एस आर टी सी लेगा 138 करोड़ रुपए का ऋण, आर एस आर डी सी लेगा 22 करोड़ रुपए का ऋण, राजस्थान आवासन मण्डल लेगा 300 करोड़ रुपए का ऋण, यह आपकी पुस्तक में लिखा है। जे डी ए लेगा 340 करोड़ रुपए का, लोकल बॉडीज राजस्थान के ऋण लेंगे 748 करोड़ रुपए, कृषि विपणन बोर्ड लेगा 126 करोड़, बीज भण्डार निगम लेगा 10 करोड़ रुपए, यानि इन सबको हम जोड़ दें तो यह टोटल है 11521.95 करोड़ रुपए। अब इसके अंदर माननीय मुख्य मंत्रीजी आपने नेट बोरोइन्ग, बजट एट ग्लांस के पेज 8 पर जो शुद्ध उधार, जो बी ई लेकर आएं हैं 2010-11 के लिए 8509 करोड़ रुपए। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो यह राशि बनती है 20031 करोड़ 20 लाख रुपए, यानि आपकी योजना है

23822 करोड़ रुपए की और 20031 करोड़ रुपए का आप लोन ले रहे हैं। किस तरह की हालत में राजस्थान है। यह बानगी किसी से छुपती नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, वैट को रोल बैक करके आपने वह बजट एस्टीमेट तैयार किए, उस समय आपकी अवधारणा थी कि आप वैट के स्लेब को 4 से 5 प्रतिशत करेंगे और उस समय आपने जो एस्टीमेट बनाया, क्योंकि आपने कहा था कि हम 11730 करोड़ रुपए सेल्स टैक्स से वसूल करेंगे यानि पिछली बार से 1530 करोड़ रुपए ज्यादा। माननीय सभापति महोदय, यह मंदी का दौर है पर चूंकि इन्होंने स्लेब को बदला 4 से 5 किया इसलिए इनको उम्मीद थी कि 1100 करोड़ रुपए आएंगे। अब आपने इसको रोल बैक कर लिया। माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या सारे बजट एस्टीमेट जो आपने बनाए, वह क्या इससे खोटे नहीं होंगे? एक सवाल यह आया था राजस्थान की विधान सभा में, पी ए डी मिनिस्टर ने जवाब दिया और यह कहा था कि 3044 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना 2009-2010 की, उसमें हमने कटौती की है। मेरी समझ में नहीं आया कि माननीय मुख्य मंत्रीजी बजट 2010-11 के पैरा 6 में आप क्या कह रहे हैं? हमारे लिए संतोष का विषय है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के वित्तीय भार वहन करने के बावजूद वर्ष 2009-10 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 18561 करोड़ रुपए का योजना व्यय संभावित है जबकि योजना आयोग ने 17322 करोड़ रुपए की योजना अनुमोदित की है यानि आपने आपकी जो पिछली योजना है उसकी अगर 2010-11 की योजना से तुलना करें तो उसका आधार 17332 करोड़ रुपए की आपकी योजना मान लें, इसमें आपने खुद ने कहा है, आपके कागज कहते हैं, आपने सदन में कहा कि 3044 करोड़ की योजना तो आपने काट दी तो योजना रह जाएगी 14378 करोड़ की, यानि 2008-09 की योजना थी 15248 करोड़ रुपए की, यह राजस्थान में पहली बार होगा जब योजना पिछले वर्ष की योजना से छोटी रह जाए और कोई नई बात नहीं है, आपके राजस्थान के विकास के प्रति रुझान कैसा है क्योंकि यह हम सब जानते हैं कि प्लान एक्सपेंडीचर होगा, राजस्थान की आधारभूत संरचनाओं का विकास होगा और पूरा आपका कार्यकाल जो माननीय मुख्य मंत्रीजी के रूप में आप पहले विराजे, 1999-2001, पाँच वर्ष में आपका प्लान एक्सपेंडीचर था 22078 करोड़ रुपए और जिस सरकार के आर्थिक प्रबन्धन को आप लचर बताते हैं, कई तरह के पत्थर फेंकने का काम करते हैं माननीय मुख्य मंत्रीजी, उस पिछली सरकार का 2004-05 से 2008-09 का प्लान एक्सपेंडीचर था 52192 करोड़ रुपए और यह है राजस्थान के विकास की ओर ले जाना वाला रास्ता यह था या आपका था, यह आप ही देख लें1 पर आप बड़ी योजनाएं बनाने की वाहवाही करते हैं, इसका आधार है, इसका आधार किसको बनाया? 11वीं पंचवर्षीय योजना वसुन्धराराजेजी के कार्यकाल में बनी और राजस्थान को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने के उद्देश्य से 71732 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना थी, उसी के आधार पर, हमारी पंचवर्षीय योजना के आधार पर वार्षिक योजना बनती है। मैं आपका ध्यान 2009-10 के बजट पैरा 283 में जो कहा गया है उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। 31 मार्च, 2009

को हमारे राज्य पर 8300 करोड़ रुपए का ऋण भार हो चुका है जिसके कारण प्रति वर्ष 6200 करोड़ रुपए ब्याज पेटे और 250 करोड़ रुपए मूल किश्त के रूप में चुकाने पड़ेंगे। कर्ज की जब कभी भी बात चलती है तो आपका श्वेत पत्र लोगों को याद आता है। आपने तो बड़े-बड़े विज्ञापन दिए थे कि राजस्थान को कर्जे में डूबो दिया। वह सारी चीजें भी सामने आती है, मैं आपको निवेदन करूं, आपने वर्ष 2009-10 में बजट प्रस्तुत किया, आपने नेट बोरोइन्ग, बी ई में रखा 8459 करोड़ रुपए और आर ई में पधारे आप वापस 7 महीने का कार्यकाल पूरा करने आपने बढ़ा कर उसको कर दिया 9910 करोड़ यानि 7 महीने में 1451 करोड़ रुपए अधिक और अब आप क्या प्रस्ताव लेकर आए हैं, नेट बोरोइन्ग का 8509 करोड़ का, 31 मार्च, 2009 में 84300 करोड़ रुपए की राशि, आप ठीक भी हैं, आपने चिंता भी की लेकिन आपका यह बजट 2010-11, इस बजट के अंतिम समय तक राजस्थान को 1 लाख 2719 करोड़ रुपए के कर्जे में डूबो देंगे।

आप याद करें, एक्चुअल आंकड़े आपके पास आ गए, 2007-08 के एक्चुअल आंकड़ों को अगर हम देंखें तो माननीय सभापति महोदय, कर्जा लिया था सिर्फ 2487 करोड़ रुपए और 2008-09 में 5282 करोड़ रुपए और इसके साथ ही आपका आर्थिक प्रबन्धन, आप तो मितव्ययता के बड़े हामी हैं, खर्चीली शादियों में जाने में आपने शर्म महसूस होती है, निश्चित रूप से आप चलते-फिरते गांधीजी के अवतार भी हैं, हमारे आदिवासी बंधुओं ने तो यह कहा कि त्रेता के अंदर कृष्णजी देवतुल्य पैदा हुए और कलियुग में अशोकजी पैदा हुए देवतुल्य। मैं उनकी भावनाओं की कद्र करता हूं पर आप इस तरह की मितव्ययता कर रहे हैं, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडीचर 7 महीने के अंदर 2624 करोड़ रुपए बढ़कर इस बार भी आप जो बी ई लेकर आए हैं 43561 करोड़ रुपए, जो पिछले वर्ष से 2361 करोड़ रुपए ज्यादा है। एक तरफ आपका रेवेन्यू एक्सपेंडीचर बढ़ा है दूसरी तरह आप मितव्ययता की दुहाई देते हैं। पर मितव्ययता की दुहाई देने के साथ-साथ आपके राज में फिजूल खर्ची अनाप शनाप हुई है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह रेवेन्यू एक्सपेंडीचर के आंकडे कह रहे हैं। दूसरी तरफ राजस्थान को विकास के रास्ते को अवरुद्ध करने के लिए आपने कैपिटल एक्सपेंडीचर कम किया, आपने अन्याय किया राजस्थान के साथ। वर्ष 2009-10 में 10060 करोड़ रुपए का बी ई था, आर ई में आया 8972 करोड़ रुपए। यानि विकास दर को आप रोकने का काम कर रहे हैं। इसी तरह राजस्व घाटा वर्ष 2007-09 में रेवेन्यू सरप्लस, 2008-09 में रेवेन्यू सरप्लस था 1183 करोड़ रुपए और आपका रेवेन्यू प्रोफिट 3992 करोड़ रुपए का। आपका राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की लचर व्यवस्था आपकी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी खुशकिस्मत हैं, आपने जब यह बजट प्रस्तुत किया, 13 वें वित्त आयोग की सिफारिशें हिन्दुस्तान में लागू हो गई और केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा 30.5 प्रतिशत से बढ़कर 32 प्रतिशत हो गया। हमारा हिस्सा टेंथ फाइनेंस कमीशन में 5.6 प्रतिशत था जो थर्टीन्थ फाइनेंस में बढ़कर हो गया 5.85, सर्विस टैक्स में हमारी हिस्सेदारी 5.9

प्रतिशत हो गई।

माननीय सभापति महोदय, वित्त आयोग आया, यह वित्त आयोग जैसा डिवोल्यूशन करता है सेंट्रल टेक्सेज का, राज्य की विशेष परिस्थिति को देखकर राज्य को अनुदान और पैसा देता है। स्वस्थ परम्परा तो यह रहती है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ज्ञापन दिया और उस ज्ञापन के साथ प्रतिपक्ष के लोगों के साथ विचार करते हैं, हम सब लोग मिलकर सामूहिक तौर पर 13वें वित्त आयोग के सामने राजस्थान के हक और हकूक को रखते, आपने 26832 करोड़ रुपए का ज्ञापन दिया।

मोहन/अरूण/1320/1p

स्पेशल स्टेटस मिले राजस्थान को, बड़ी जोर से पैरवी की। करों के बंटवारे का आधार क्षेत्रफल और प्रति व्यक्ति आय हो जाए, 1971 की जनसंख्या की जगह 2001 की जनसंख्या का आधार बने, केन्द्रीय करों में हमारा हिस्सा 30.5 परसेंट से बढ़कर 40 परसेंट हो, आपने एनसीसीएफ के अन्दर, राष्ट्रीय आपदा सहायता कोष में 75/25 का जो अनुदान है, उसको 90/10 करने की बात कही और फाइनेंस कर भार में आपने ब्याज करम करने की बात कही परन्तु आप इनमें से एक बात भी 13वें वित्त आयोग से मना नहीं पाये और 13वें वित्त आयोग ने जो टिप्पणी की राजस्थान की पिछली हुकूमत की, वह पढ़कर मुख्य मंत्री जी मैं सुनाना चाहता हूं, रिकार्ड पर रहेगा, विगम वर्षों में राज्य सरकार के वित्तीय सुधार तथा वित्त घाटे को कम करने के कदम सराहनीय हैं तथा उम्मीद है कि राजय सरकार इस प्रकार का कुशल वित्तीय प्रबंधन जारी रखेगी। राज्य के वित्तीय घाटे में कमी करने का प्रयास जारी रखेगी यानी यह सर्टिफिकेट आपका नहीं है, यह सर्टिफिकेट पूर्ववर्ती सरकार का है और निश्चित तौर पर आप सौभाग्यशाली हैं कि हमार केन्द्रीय करों में हिस्सा बढ़ गया, 2994 करोड़ का बढ़ा, हमारी ग्रांट-इन-एड की 50 करोड़ रुपये बढ़ गई और सभापति महोदय, अभी एक पुस्तिका दी थी हमने, भरत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

मैं समाप्त कर रहा हूं।

3-4 लोग बोलने वाले हैं, साहब। एक पुस्तिका है, सभापति महोदय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, इसके, मुख्यमंत्री जी, मैं परिशिष्ट 7 पर और अनुच्छेद 1(5) की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वर्ष 2008-09 के दौरान बिक्री कर व माल वाहन कर भू-राजस्व, विद्युत शुल्क, मुद्रांक पंजीयन शुल्क, राज्य आबकारी तथा अन्य कर इतर प्राप्तियों में अभिलेखों की मापक जांच से 23583 प्रकरणों में 808 करोड़ का राजस्व का अवनिर्धारण का आरोपण और हानि का पता चला है। 14681 प्रकरणों में अन्तरनिहीत 123 करोड़ रुपये अभिनिर्धारण में कमियों को स्वीकार भी कर लिया यानी एक वर्ष में सभापति महोदय, राजस्थान के 808 करोड़ रुपये राजस्थान के खजाने पर चूना लगा कर लापरवाही अधिकारी असेसमेंट करें और असेसमेंट नहीं करें। मैं समझता हूं एजी का पैरा

बन गया और खुद आपके विभाग के अधिकारियों ने कह दिया कि 123 करोड़ रुपये के बारे में निश्चित तौर पर हमसे गलती हुई है। मैं समझता हूं एक अधिकारी के विरूद्ध आपने अभी तक कार्यवाही नहीं की। अगर आपमें हिम्मत हो तो सीएजी के इन पैराज के आधार पर आप इन अधिकारियों को कटघरे में खड़ा करना चालू कर दोगे तो बहुत कुछ बातें ठीक हो जाएंगी। अब आपने इसी सीएजी के पैरा में लिखा है। पैरा नम्बर 1.4 31 मार्च, 2009 को राजस्व शीर्षों के संबंध में राजस्व की बकाया राशि 4751 करोड़ रुपये जिसमें से 1022 करोड़ रुपये, 5 वर्ष पुराना है, मतलब आज राजस्थान के अवाम का पैसा 4751 करोड़ रुपये बकाया पडा है लोगों के अन्दर और क्या पडा इसकी जिक्र भी इसमें किया है। पेज 6 के कालम संख्या एक बिक्री कर और व्यापार कर इत्यादि, 3683 करोड़ रुपये बिक्री कर के सैल्स टैक्स के व्यापारियों में बकाया हैं और इसमें इसी में लिखते हैं, खुद ही कह रहे हैं, 304 करोड़ रुपये उन व्यापारियों के हैं जिनका पता हमको मालूम नहीं है कहां चले गये, धरती निगल गई, आकश ले गया, खुद सीएजी कह रही है, सरकार यह कहज रही है कि 304 करोड़ रुपये उन व्यापारियों के विरूद्ध हैं जिनका पता है और बाकी आप 2847 करोड़ रुपये की बकाया वसूली के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं किसकी हिमायती करना चाहते हैं आप? और इस तरह से जिसकी चर्चा आज तक राजस्थान में है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

पाँच मिनट। आपके राज्य के आबकारी शुल्क में 222 करोड़ रुपये बकाया हैं और यह सीएजी की रिपार्ट कह रही है, 89.80 लाख रुपये में मतलब 90 करोड़ रुपये लैंड रेवेन्यु एक्ट के तहत कार्यवाही होकर डिग्री हासिल हो गई पर आपको तो एमनेस्टी योजन लानी है न। चूंकि डिग्री हासिल हो गई जिनको ज्यादा नीलाम करके पैसा ले सकते हो उसको एमनेस्टी योजना में लाभ देने का काम आप कर रहे हैं, खैर, अच्छा कर रहे हैं। इसी तरह खनन विभाग के अन्दर 103.17 लाख रुपये बकाया हैं। इसमें भी 28 करोड़ रुपये लैंड रेवेन्यु एक्ट के तहत कार्यवाही की गई, उसमें भी मैं समझता हूं, आपको कार्यवाही करनी चाहिए और इस पूरी बकाया राशि की सीकर से आने वाले माननीय सदस्य,, 83 करोड़ रुपये राजस्थान के किसान की लैंड रेवेन्यु एक्ट में बकाया है, उसमें 58 करोड़ रुपये के लिए आपने राजस्थान के हजारों किसानों को नोटिस देकर उनकी जमीन कुर्क करने का काम आप कर रहे हैं। सिंचाई विभाग ने किसानों के जो आबियाना के पैसे हैं, उस पैसे में 89 करोड़ रुपये बाकी हैं और इन 89 करोड़ में, सभापति महोदय, सरकार सब के सब किसानों को नोटिस देकर उन पैसों से वसूल करना चाहतर है। सभापति महोदय, वह सब सरकार क्यों कर रही है? किसकी हिमायती है। मैं वित्त विधेयक की तरफ मुख्य मंत्री जी, आपका तवोज्जह चाहूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब सम-अप करो आप।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, आज तो सारे घरवाले आये हैं उनके तो थोड़ा समय दें .....(व्यवधान).....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, वेट की स्लेक आपने कम की। आप जब जब राज में आये, राजस्थान की जनता जानती है, मुख्यमंत्री जी, आपने राजस्थान के लोगों पर करों से लादने का आपने काम किया है। आपने वेट के स्लेब में 4 से 5 परसेंट का आपने रोल-बैक कर लिया परन्तु आज भी 723 आइटम ऐसे हैं जो प्रति व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए आइटम हैं। इसमें आज भी स्लेब में 5 परसेंट है। आप महंगाई कम करने की बात करो, महंगाई बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह जो आपका राजस्थान वित्त विधेयक है, यह एक तरह से राजस्थान की जनुता के लिए ब्लेक प्रेप है। पिछली बार आपने वेट का स्लेब 12 से 14 परसेंट किया वह काम भी आपने किया। हां, एक काम आपने जरूरत अच्छा किया कि वेट अधिनियम की धारा 3 में जो आप सदन में लेकर आये हैं, व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन के टर्न-ओवर की सीमा आपने 5 लाख से 10 लाख की है, उसके लिए मैं जरूर आपका स्वागत करता हूं पर सभपति महोदय, 270 व्यक्ति वस्तुओं जो आज भी 4 से 5 वेट में चले गये उससे महंगाई निश्चित तौर पर बढ़ेगी। और तो और मुख्य मंत्री जी, बिनोला और खल पर 5 परसेंट का वेट पूरे देश में कहीं नहीं, कम से कम उस मूक पशु पशु पर तो कृपा करो। उस मूक पशु के मुख से भी आपने आहार छीनने का काम किया और आपके इस कदम से 1300 रुपये प्रति क्विंटल बिनोला 65 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ गया। इसके साथ ही, ब्रांडेड रेडीमेड गारमेंट 4 से तो 5 और 5 के बाद सीधा 14 रेडीमेड ब्रांडेड गारमेंट की एमआरपी तय है, पूरे हिन्दुस्तान में एक जैसी है और इसमें, सभापति महोदय, होजरी पर शामिल है। होजरी जिसका एक एक वस्त्र आम व्यक्ति किसी न किसी को पहनता है। मैं समझता हूं ठेले में बिकने वाली होजरी को शामिल करके 10 परसेंट महंगाई बढ़ाई और 4 लाख लोगों को एक साथ बेरोजगार करने का काम किया। आपने जनरेटर पर 4 की जगह बढ़ाकर 14 परसेंट कर दिया। कृषि के काम में आता है, जनरेटर उद्योग के काम में आता है, केमिकल इण्डस्ट्रीज को आपने इनपुट्स की सूची में शामिल नहीं करके और इलेक्ट्रोड पर आपने 14 परसेंट बढ़ा दिया। सभापति महोदय, मैं पूर्ववर्ती सरकार पर शराब संस्कृति की बात को लेकर कई तरह की टीका-टिप्पणी मुख्य मंत्री जी, आप करते रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब सम-अप करो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं कर रहा हूं। आपने आबकारी का लक्ष्य कितना रखा है? राजस्थान 2008-09 में 2159 करोड़ का लक्ष्य था और आपने इस बार 2010-11 में 2450 करोड़ का। अब एक्साइड ड्यूटी चाहिए आपको ज्यादा, बिना शराब के बिके एक्साइज ड्यूटी कहां से मिलेगी? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी, यह आपकी कथनी और करनी में अंतर है, इसको मिटाने का काम करो,क्यों किसने कहा था, वादा करो आप, राजस्थान के अन्दर पेट्रोल डीजल पर वेट पड़ोसी राज्यों के बराबर करने का? बड़ा लम्बा चौड़ा वादा करके राजस्थान की जनता को गुमराह किया और आज आपने प्रदेश में 28 परसेंट डीजल पर और 18 परसेंट पेट्रोल पर वेट है। आप क्यों नहीं हरियाणा के बराबर

करते? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं और सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करने अपनी बात को समाप्त करूंगा।

श्री सभापति: सम-अप करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, सरकार चाहे खान माफिया को राहत देने की बात करे, सरकार चाहे शराब माफिया को राहत देने की एमनेस्टी योजना लेकर आये पर आज राजस्थान में एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी अख़बार में छपा है, इस राज के अन्दर लाशों का व्यापार प्रारंभ हो गया। मैं समझता हूं, यह भूतो न भविष्यति, आज तक हमने नहीं सुना राजस्थान की पवित्र धरती पर लाशें का व्यापार हो जाए। यह जो अखबारों में खबर छपी है। यह मैं आप कहो तो टेबल कर दूंगा, एसपी, गंगानगर, आईजी, बीकानेर को एक पत्र लिखते हैं। यह कहते हैं कि 7 तो सब-इंस्पेक्टरों और 3 इंस्पेक्टरों पर कार्यवाही करो और कायवाही इसलिए करो कि वहां 25 धाने हैं, 25 थानों में सिर्फ 3 थानों की रिपोर्ट आई है, 15 अन-आइडेंटिफाइड डेड बॉडी वहां टांटिया मेडिकल कालेज में भेज दी, सुरेन्द्र डेंटल मेडिकल कालेज में भेज दी और इस बात को एसपी वहां खुद स्वीकार करे और सरकार के गृह मंत्री चुपचाप इस पर कार्यवाही नहीं करें। मैं समझता हूं, संवेदनशीलता की हद है, निश्चित तौर पर इस तरह की बातें में आपको कार्यवाही करनी चाहिए।

सुरेन्द्र/अरुण/29.3.2010/13.30/1q

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आज जानकारी में आया है तो निश्चित तौर पर इसकी जांच करवा ली जायेगी, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): धन्यवाद अगर आप जांच करवा लेंगे तो वरना इसके अन्दर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान अनाटॉमी एक्ट और उसके तहत सारे प्रावधानों को दूर करने का काम किया है। इसी तरह मुख्य मंत्री जी, ये अनुदानित शिक्षक.....

श्री सभापति: माननीय सदस्य। सचेतक महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): तीन आदमी बोलने वाले हैं।

श्री सभापति: चार प्रतिपक्ष से, तीस सत्ता पक्ष से और एक अपने कम्युनिस्ट हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं एक पाइंट कह कर खत्म करता हूं। मुख्य मंत्री जी, आपने इस बजट के अन्दर अनुदानित शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों को और कर्मचारियों को ग्रामीण क्षेत्र में रिक्त पदों पर समायोजन की बात कही है। सरकार की मन्शा सामने आ गई, भामाशाहों ने भवन बनाये और यह एक नहीं 1125 ऐसी संस्थाएं और 71 कालेज हैं इसके अन्दर और इनमें 10 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, 19800 शिक्षक और कर्मचारी हैं। सरकार ने नीति बना दी, भामाशाहों ने अपने पूर्वजों के नाम से जो भवन बनाये उनका क्या होगा? जो आपके अनुसार विकल्प नहीं भरेंगे उनका क्या होगा? आप इस पर विचार करें, इसको आप वापस लें।

अंत में सभापति महोदय मैं राज्य के दबंग प्राकृतिक आपदा मंत्री बृजेन्द्र सिंह जी ओला की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता। इनका भास्कर के अन्दर राज्य के बजट में बारे में एक बयान छपा है, इनकी फोटो के साथ छपा है कि खल पर टैक्स बढ़ाना सीधा किसान पर भार है और पिछले बजट में स्कूल खोलने व नौकरी देने की घोषणा हुई जिस पर कुछ नहीं हुआ। यह टिप्पणी है मुख्य मंत्री जी, आपके कैबिनेट के अकाल राहत राज्य मंत्री जी की और हम सब जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 164 (4) में मंत्री परिषद राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है यानि पूरी मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है.....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समअप करो। माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जिस सरकार का मंत्री सरकार के बजट के बारे में ऐसी प्रतिक्रिया करे उसके बारे में मैं क्या प्रतिक्रिया करूं।

श्री सभापति: मुख्य सचेतक महोदय, अब आप समअप करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इसलिए मेरी मांग है कि आज जो हमारे उप नेता महोदय ने बात उठाई है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रतिष्ठा की बात नहीं, अगर खोटा विधेयक सदन के सामने है, अगर उसमें कानूनी खामियां, वैधानिक त्रुटियां हैं उसको मुख्य मंत्री जी आप संवेदनशील और मुस्कुरा कर खड़े होकर वापस लें, हाउस को एडजोर्न करें और दुबारा हम कल मिलकर के दुबारा इस पर विचार करें। आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती जकिया जी।

श्रीमती जकिया (टोंक): सभापति महोदय, राजस्थान विनियोग विधेयक पर आपसे बोलने की इजाजत चाहूंगी। अभी कुछ दिन पहले ही या कुछ हफ्ते पहले भारत सरकार के वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया जिसमें बताया कि सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि 9 प्रतिशत हुई है। इससे साफ संकेत मिलता है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर ढांचे में हम लोगों को भी प्रोविन्सेज को भी अच्छा करने में सहायता मिलेगी। चूंकि हिन्दुस्तान शहरों में नहीं गांवों में बसता है तो सबसे पहले हमारे बजट में जो योजनाएं हैं उन पर फोकस किया गया है गांवों की तरफ कि शिक्षा सुचारू रूप से हो, किसी भी गरीब को दवा टाइम पर मिले, उसके खेत बिजली की कमी की वजह से सूखे नहीं रहे, पानी उनको बराबर मिले इसके लिए हम लोगों ने सबसे ज्यादा प्रयत्न किये हैं जिसके एक-एक हिस्से को मैं लेकर के आपके सामने पेश करती हूं। 2010-11 को जो योजना का आकार है.....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, मंत्री जी वक्ता के और आपके बीच में से होकर के निकल कर गये हैं।

श्रीमती जकिया (टोंक): क्या हो रहा है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप बोल रही हैं और सभापति जी बैठे हैं और मंत्री जी आपके बीच में से होकर के गये हैं।

श्रीमती जकिया (टोंक): आई एम सॉरी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सॉरी वो बोलेंगे। गजब हो गया। आसन कम से कम उनको कहे कि इस प्रकार से नियमों की अवहेलना मंत्री लोग नहीं करें। सब लोग देखते हैं, आसने को कहना चाहिए उनको। सभी सदस्य ही नहीं करें यह बात।

श्रीमती जकिया (टोंक): मैं सोच रही थी कि आप मेरे को कह रहे हो, बीनाजी को कह रहे हो क्या?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपको नहीं कर सकता हूं, आपका और अपना बहुत पुराना सम्बन्ध है साहब।

श्रीमती जकिया (टोंक): सभापति महोदय, पिछले साल की योजना से इस साल की योजना का आकार 37 प्रतिशत बढ़ा है यह आप सब लोगों को मालूम है। हिन्दुस्तान गांवों में बसता है यह भी मालूम है। इसके लिए ही बिजली में 52 प्रतिशत बजट का प्रावधान रखा गया है यह बहुत बड़ा हिम्मत का काम है। शायद पिछले कई दशकों से आपने देखा होगा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मुख्य मंत्री जी राजस्थान को सेल्फ सफिशिएंट ऊर्जा के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं। राजस्थान का किसान डिकेड्स से खेती कर रहा है राजस्थान में और यह मेरी धारणा है कि Rajasthan is not meant for agriculture, it is for mining and tourism मगर क्योंकि डिकेड्स से यह परम्परा चली आ रही है तो एक मिनट में न आप बदल सकते हैं और न मैं बदल सकती हूं, उनके अनुसार ही गवर्नमेंट को भी ढलना पड़ता है। मुख्य मंत्री जी ने पूरा प्रबन्धन करने की कोशिश की है। पानी का हाहाकार जितना आप लोग कर रहे हैं उतना है नहीं। आगे आने वाले टाइम में, पहले भी जब बहुत ज्यादा अकाल पडा था, बहुत ज्यादा लोगों में चर्चा थी कि बहुत लोग मर जायेंगे लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने अकाल में वो जमाना भी देखा है कि जब अकाल खत्म हो गया तो लोगों के घरों में गेहूं की बोरियां थीं जिसको बेचकर के महिलाओं ने कुछ जेवर भी बना लिये। यह मैं सच्चाई बयान कर रही हूं। मैं सच्चाई बयान कर रही हूं यह 2001-02 में हुआ। इसलिए मैं उम्मीद करती हूं कि इस वक्त भी पानी की ऐसी कमी कहीं नहीं आयेगी जिससे चिंता करने की जरूरत है। मुख्य मंत्री जी और जलदाय मंत्री जी दोनों बहुत ज्यादा संवेदनशील है, अपने-अपने काम में पूरे टाइम लगे हुए हैं। न आपको शिकायत करने का मौका देंगे और न उस जनता को देंगे जो वोट देती है, सरकार बनाती है और कुछ आशाएं रखती हैं।

आंकड़ों के जाल में मुख्य सचेतक जी ने इतना उलझा दिया कि कहीं नेगेटिव के सिवा पोजिटिव किसी को दिखाई ही नहीं दिया। कभी बीपीएल की तरफ ध्यान नहीं गया। बीपीएल परिवारों को जो दिया गया है वो वरदान है। मुख्य सचेतक जी, कोई गरीबों की फिक्र नहीं करता, सब महल वालों की फिक्र करते हैं। आज गरीबों को भी केटेगराइज्ड किया गया है। अनाथों को भी देखा गया है, विधवाओं को भी देखा गया है। विधवा कौन होती है? औरत होती है। आज नाते पर कितना हंस रहे थे आप लोग, वह औरत नाता जाती है। औरत की

इज्जत करना सीखना बहुत जरूरी है। उस समाज की इज्जत नहीं हो सकती जिस समाज में औरत की इज्जत नहीं है। इसलिए विधवाओं को भी पेंशन दी गई है, बुजुर्गों को भी पेंशन दी गई है, अनाथों को भी दी गई है। उनके लिए सबसे बड़ा एक मुकाम जो मुश्किल का आता है कि जब वो बीमार पड़ते हैं। रोटी तो चटनी से भी खा ली जा सकती है मगर जब बीमारी में दवा नहीं मिले वह एहसास करके देखें। ऊपर वाला कभी ऐसा नहीं करें जो किसी पर वो होता है कि बीमार होता है मगर जब मां दवा नहीं ला सके उस वक्त उसका क्या होल होता है उसकी भी सोच इस बजट में है।

हैल्थ के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहती हूं कि एसएमएस को काफी तरजीह दी गई है मगर वहीं सारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आईसीयू का भी प्रबन्ध किया गया है। अब यह तो डिस्ट्रिक्ट की बात हुई पर हैल्थ मिनिस्टर और मुख्य मंत्री जी नहीं भूले कि ग्रामीणों का क्या होगा। ग्रामीण मिशन भी स्थापित हुआ है और वहां जो एनएनएम लगाई गई हैं उनकी तनख्वाह जहां चार हजार थीं वहां सात हजार की गई है।.....

vkj/akt/29.03.2010/13.40/2a

ताकि वे मुश्किलों में रहकर, उनकी सेवा कर सके, उनको उपलब्ध हो सके। यह मानवीय पहलू नहीं है? कभी अच्छाई की भी सोच लिया करो। इसके साथ ही पुरानी पद्धति जो सालों से चली आ रही थी, यूनानी डाइरेक्ट्रेट की भी स्थापना की गई है। एक आदमी के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है उनकी गरीबी, गरीबी की वजह से वे पढ़ नहीं सकते। आज दूसरी कौमें तो आरक्षण की बात करती हैं, मैं कहती हूं कि आरक्षण लेकर भी वे क्या करेंगे? जब पढ़ेंगे ही नहीं तो, उसी की तरफ ध्यान दिया है। पहले प्री-मेडिकल में 17,000 बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती थी, अब उसको बढ़ाकर 60,000 किया गया है और उनके लिए आई.टी.आई. भी तीन, जहां माइनोरिटी के क्षेत्र हैं, वहां खोलने की सुविधा है। बीना जी चली गई हैं, बीना जी के पास महिला बाल विकास विभाग हैं। 48,000 आंगनबाड़ी केन्द्र इस समय हैं, 10,000 और खोलने जा रहे हैं जिसके ऊपर एक महिला कार्यकर्त्ता, एक सहायिका और एक ट्रेनर, तीन लगते हैं। इनको रोजगार मिलेगा। फिर 25 बच्चे जिस जगह भी होंगे, वहां केन्द्र खोल दिया जायेगा। यह भी एक अच्छा पहलू है दोनों तरफ से। एक तो न्यूट्रिशन बच्चों को मिलेगा, और दूसरा, महिलाओं में जागृति आई। गैर अनुदानित जो महिला समूह है, उनको 50 प्रतिशत ब्याज में सब्सिडी देने का बहुत ही अच्छा फैसला गवर्नमेंट ने लिया है। सड़कों के जाल जहां नेशनल हाईवे पर दिखाई देंगे आपको वहां पर, 250-500 की आबादी पर भी सड़कें बनाई जा रही हैं। नरेगा, यह एक वरदान है पूरे इण्डिया में और सबसे बड़ा प्रदेश है राजस्थान के लिए, राजस्थान में बहुत गरीबी हैं। आज महिलाएं अपने खेतों पर काम पर नहीं कर सकती क्योंकि पानी नहीं बरसा है। मगर नरेगा में जाकर वह रोजगार उपलब्ध कर सकती हैं, जिससे पलायन रुक सकता है, उनके घर पर चूल्हे जल सकते हैं। यह सोच कांग्रेस सरकार की है, इम्प्लीमेंटेशन कांग्रेस सरकार का है, एचीवमेंट कांग्रेस सरकार

का है। सहकारिता में पहले 16 लाख किसानों को ऋण दिया गया था, उसको बढ़ाकर इस समय 26 लाख किया गया है।

शुद्ध के लिए युद्ध, ताकि आप लोग भी स्वच्छ और अच्छी चीजें इस्तेमाल कर सकें। उसके लिए भी एक कोशिश की गई है। मैं नहीं कहती कि मूल रूप में वह सफल हुई है मगर एक कोशिश नाकामयाब हो तो जरूरी नहीं है कि दूसरी कामयाब नहीं होगी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नाकामयाब हो क्या? आप कह रही हैं ना।

श्रीमती जकिया (टोंक): नहीं, ऐसा मैंने नहीं बोला। ऐसा मैंने नहीं कहा और आपको जयपुर को तो इतनी बड़ी सौगात मिलने जा रही है तिवाड़ी साहब, मेट्रो की, आप तो ध्यान दें इस तरफ। मेट्रो की सौगात मिल रही है।

राजस्थान को पिछड़ा हुआ प्रदेश, गरीब प्रदेश माना जाता था मगर पश्चिमी राजस्थान में तेल निकलने के बाद आने वाले समय में यह हिन्दुस्तान का सबसे समृद्ध प्रांतों में से एक होगा। यह भी एक राठौड़ साहब, आपकी तवोज्जह चाहूंगी, यह कदम-कदम की बात है। कांग्रेस के कदम आये हैं तो इतने शुभ कार्य हो रहे हैं। दो लाइनें हैं:

"हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर आता है जिस तरफ भी चल पड़े, रास्ता बन जायेगा"

इसलिए रिफाइनरी लगेगी, यह मैं आपको विश्वास के साथ कहती हूं कि रिफाइनरी लगेगी। (व्यवधान) ये ही तो अभी बहुत सारे आंकड़े बोल रहे हैं ना...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह मुझे समर्पित किया है?

श्रीमती जकिया (टोंक): नो, तुम्हें नहीं किया है, रिफाइनरी के लिए बोला है। देवनारायण ट्रस्ट, 25 करोड़ रुपये सी.एम. साहब ने उन गुर्जरों को जो कि पिछड़े हैं और हकदार हैं, उनके लिए अलाट किये हैं। उसका इस्तेमाल करने से पहले ही दूसरा बवंडर, मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहती हूं उप नेता महोदय, आप लोग जो कारनामे करते हो, उनको समेटकर क्यों नहीं जाते? 70 आदमी जब मार दिये तो फिर उनको नौकरी देओ, उनके विकलांग हुए... (व्यवधान)

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): 282 करोड़ रुपये दिये राज्य सरकार ने, कौनसे 25 करोड़ रुपये की बात कर रहे हो? (व्यवधान) आप किस चीज पर बोल रहे हैं? देवनारायण को बदनाम मत करो इस सदन में (व्यवधान) नहीं, देवनारायण के नाम पर झूठी राजनीति मत करो इस सदन में।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बिराजिये, बिराजिये।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): सदस्य की बात आई तो सदस्य बोलेगा।

आप कुछ भी कहें, खूब प्रशंसा करें सारे कांग्रेस की, लेकिन देवनारायण का नाम बदनाम मत करो यहां पर।

श्रीमती जकिया (टोंक): देवनारायण में 25 करोड़ रुपये सी.एम. साहब ने अलाट किये हैं। एम.एल.ए. साहब, आप गलत समझ गये। अगर आपकी भावनाओं को ठेस लगी है तो मैं

माफी चाहूंगी। मैंने यह कहा कि, मैंने कहा कि 25 करोड़ रुपये सी.एम. साहब ने अलाट किये हैं। आपने गलत समझ लिया है।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): 282 करोड़ रुपये तो हमारी सरकार ने दिये हुए पड़े हैं, इसमें से क्या दे दिया आपने?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बिराजिये, बिराजिये। माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्रीमती जकिया (टोंक): अब वार्ता शुरु हुई तो इसमें नौकरी देओ, फिर जो विकलांग हो गये, उनको देओ, फिर जेल से छुड़वाओ, मुकदमे वापस लो। ये आप खुद ही सलटकर जाते ना। (व्यवधान) पाँच प्रतिशत का सवाल है, मन से हम भी चाहते हैं, मन से हम भी चाहते हैं, मगर क्या कानून से ऊपर... (व्यवधान) मगर क्या हम अदालत से ऊपर हो सकते हैं, हाईकोर्ट से ऊपर हो सकती हैं, यह तो समझने की आपकी भी जरूरत है। क्योंकि लीडर मेरे यहां से भाजपा के टिकट पर लड़े हुए हैं। उनके है तो ये कर्नल साहब, मगर दो लाइनें उनकी नजर करना चाहती हूं...

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): माननीय सभापित महोदय, जो सदन में मौजूद नहीं है, उनका यहां पर नाम नहीं लिया जाये। माननीय सदस्या, कर्नल साहब का नाम ले रही हैं। (व्यवधान) न तो सदन के मेम्बर हैं और न उनका नाम लिया जाता है।

श्री सभापति: बिराजिये बिराजिये। माननीय सदस्य, बिराजिये बिराजिये।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): कर्नल साहब कहां हैं?

श्री सभापति: बीच में टोकाटोकी नहीं करें।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): नहीं, बिलकुल गलत है। जो सदस्य नहीं है, उसका नाम नहीं लिया जाये। (व्यवधान) मैं पहले भी टोक चुका, अब भी टोक रहा हूं। कोई पाँच प्रतिशत की बात नहीं होगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): 000[1]

श्री सभापति: बिराजिये बिराजिये।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्रीमती जकिया (टोंक): माननीय सदस्य, आप मेरी बात सुनो तो सही।

श्री सभापति: बिराजिये, बिराजिये आप, माननीय सदस्य बिराजिये।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): 000

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): 000

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बिराजिये बिराजिये। (व्यवधान)

---

[1] 000अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

अनेक माननीय सदस्य: 000

श्री सभापति: आप बिराजिये माननीय सदस्य। आप बिराजिये माननीय सदस्य।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): 000

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): 000

श्री सभापति: आप बिराजिये बिराजिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, ये किन नियमों में बोल रहे हैं? अगर ये आसन की अनुमति के बिना बोल रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बिराजिये। माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): 000

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): 000

श्री सभापति: आप भी बिराजिये, आप भी बिराजिये। (व्यवधान) आप भी बिराजिये, आप भी बिराजिये।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): 000

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। मैंने कहा ना, अंकित नहीं होगा।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): 000

श्री सभापति: बिराजिये, बिराजिये आप।

अनेक माननीय सदस्य: 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। I am on a point or order सभापति महोदय। (व्यवधान) मुझे आपकी अनुमति चाहिए, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): 000

श्री सभापति: बिराजिये बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं बैठ जाता हूं, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बिराजिये बिराजिये।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): 000

अनेक माननीय सदस्य: 000

Jkj/akt/29.3.2010/13.50/2b

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): [000]

[000] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सभापति: आप बिराजो, बिराजो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): 000

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): 000 (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। विराजिये, माननीय सदस्य, बिराजिये। आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): 000

श्री सभापति: आप बिराजिये, बिराजिये। आप बिराजो। (व्यवधान) राजवी साहब, बिराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है, यह सदन नियम और प्रक्रियाओं से चलता है सभापति महोदय और हमारे नियम और प्रक्रियाओं में स्पष्ट उल्लेख है कि जो माननीय सदस्य सदन का सदस्य नहीं हो उसको उद्धृत करके कोई ऐसी टीका-टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिससे उत्तेजना हो। माननीय सदस्या बोल रही थी और बोलते-बोलते...

श्रीमती जकिया (टोंक): मैं अगर...

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बिराजिये। बिराजिये।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): 000

श्री सभापति: आप बिराजो। बिराजो। बिराजो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): बोलते-बोलते कर्नल बैंसला का नाम का जिक्र इन्होंने किया। यह गुर्जर आंदोलन पर अपनी बात कहें माननीय, पर कर्नल बैंसला इस सदन में आकर स्पष्टीकरण दे नहीं सकते...(व्यवधान)

श्रीमती जकिया (टोंक): राठौड़ साहब, राठौड़ साहब।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): [000]

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इसलिए अगर उनका नाम है तो एक्सपंज कर दें आप।

श्री सभापति: मैं देख लूंगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उनका अगर कर्नल बैंसला का नाम हो तो एक्सपंज कर दें आप।

श्री सभापति: मैंने पहले ही कह दिया अंकित नहीं...(व्यवधान)

श्रीमती जकिया (टोंक): मेरी मंशा...

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): 000 (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बिराजो। बिराजो। आप बिराजो। बिराजो। (व्यवधान)

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): 000

---

[000] माननीय अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सभापतिः बिराजो, बिराजो। माननीय जकियाजी। (व्यवधान) आप माननीय सदस्य, बिराजो। (व्यवधान) माननीय सदस्या बोल रही हैं।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): 000

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, बिराजिये, बिराजिये।

श्रीमती जकिया (टोंक): सभापति महोदय, मेरी मंशा किसी को हर्ट करने की नहीं थी और कोई भी अगर हर्ट हुआ है तो मैं तहे दिल से माफी मांगती हूं और चाहे उस पर अगर आया है तो उसे निकाल दिया जाय, मेरी मंशा ऐसी है नहीं और उसमें आया भी नहीं होगा। मैंने तो सिर्फ...

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): 000

सभापतिः मंत्रीजी। (व्यवधान) मंत्रीजी।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): 000 (व्यवधान)

श्री सभापतिः मंत्रीजी, बिराजो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): [000]

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): 000

श्री सभापतिः बिराजो। माननीय सदस्य, बिराजो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

श्री सभापतिः आपके दल के सदस्य बोल रहे हैं, बिराजो। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000 (व्यवधान)

श्री सभापतिः आप अपनी चेयर पर जाइये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): 000 (व्यवधान)

श्री सभापतिः बिराजिये। (व्यवधान) बिराजिये।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): 000 (व्यवधान)

श्री सभापतिः मंत्रीजी, बिराजिये। बिराजिये। माननीय सदस्य, बिराजिये। (व्यवधान) बिराजो, माननीय सदस्य, बिराजो। (व्यवधान) बिराजो, माननीय सदस्य, बिराजो।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): 000

---

[000] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सभापति: मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज सदन चर्चा कर रहा है, मेहरबानी करके जब भी माननीय सदस्य बोले आप आपस के अंदर कोई टीका-टिप्पणी मेहरबानी करके न करें ताकि जो यह सारगर्भित और जो महत्वपूर्ण चर्चा हो रहीहै, जो महत्वपूर्ण सुझाव आ रहे हैं उनके ऊपर सरकार का पूरा ध्यान आकर्षित किया जाय, इसलिए मेहरबानी करके मैं आपसे पुन: निवेदन कर रहा हूं कि आप जब भी कोई माननीय सदस्य बोलें, टोका-टाकी मेहरबानी करके न करें।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): 000

श्री सभापति: आप बिराजो। बिराजो आप। आप बिराजिये। (व्यवधान) बिराजिये आप। बिराजिये। जकियाजी बोल रही हैं, बिराज जाइये। माननीय सदस्य । (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्रीमती जकिया (टोंक): मैं तो सदन के साथियों से दरख्वास्त करना चाह रही थी, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाय। तो इस पर ही आप लोग नाराज हो गये। एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में अभी मैं दो दिन से गांवों के बीच में थी उनको मैंने लोगों को समझाया कि हमारी सरकार ने बजट में क्या-क्या आपके लिए लाया है तो उनकी एक ही प्रतिक्रिया थी जो पता नहीं आप लोगों को पसंद आयेगी या नहीं आयेगी, गुलशन में नहीं, घर में बहार आई है। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री अमरा रामजी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज इस बजट का अंतिम क्षण है जहां वित्त विधेयक हो रहा है और मैं समझता हूं राजस्थान की सरकार ने यह बजट जो मुख्य मंत्रीजी ने वित्त मंत्री के रूप में रखा है मैं समझता हूं इस प्रदेश के बड़े-बड़े लोगों को केन्द्रबिंदु में रखकर किया है। इस राजस्थान के वह गरीब जो 56 लाख परिवार नरेगा में अपना जोब कार्ड बनाकर मजदूरी करते हैं या राजस्थान के अन्य कारखानों या आफिसों में दैनिक मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं उसको केन्द्रबिंदु में किसी भी रूप में नहीं रखा गया है क्योंकि आज हम देखं रहे हैं कि राजस्थान की सरकार हो चाहे केन्द्र की सरकार हो, जहां अपने कर्मचारियों के लिए पांचवां और छठा वेतन आयोग लगाती है, तय रूप से महंगाई की इस भारी मार में अगर केन्द्र सरकार अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ाती है तो हमारी सरकार एक दिन, चौबीस घंटे भी नहीं लगाती, हमारी राजस्थान सरकार के कर्मचारियों का भी डीए बढ़ता है और न केवल कर्मचारियों और अधिकारियों का वेतन आयोग और डीए बढ़ता है बल्कि सदन में बैठने वाले माननीय मंत्री हों, चाहे विधायक हों, उनकी तनख्वाह-भत्ते और सुविधाएं बढ़ा लेते हैं लेकिन राजस्थान का चालीस प्रतिशत (व्यवधान) नहीं, वापिस ले लेना। बढ़ाने का निर्णय, घोषणा आपने यहां की है, मैं तो याद दिला रहा हूं, पिछला जो बजट आपने रखा उसके अंदर यह घोषणा की। (व्यवधान) मैं तो नहीं बढ़वाना चाहता, मैं तो इनकी दैनिक मजदूरी बढ़वाना चाहता हूं जो राजस्थान ने (व्यवधान) नहीं,

उनको केन्द्रबिंदु, सभारपति महोदय, वह चालीस प्रतिशत जनता जिनका दैनिक मजदूरी से वास्ता है, तय रूप से उसका न्यूनतम वेतन बढ़ना चाहिए था जो 56 लाख परिवार जो नरेगा में जोब कार्ड के माध्यम से काम करती है, कारखानों में काम करती है, हमारे सरकारी विभागों में दैनिक वेतनभोगी के रूप में करते हैं । इस भयंकर महंगाई, मैं समझता हूं, जब न्यूनतम वेतन बढ़ाया गया, पन्द्रह वाली चीनी पैंतालीस में है, खाने का तेल, चाय, आम उपभोक्ताओं की वस्तुएं निश्चित रूप से बढ़ी हैं और न केवल महंगाई बढ़ी है बल्कि महंगाई सूचकांक भी 3742, अगर उस तरह से महंगाई सूचकांक को आधार बनाकर अगर न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई जाती है तो आज की तारीख में 203 रूपये राजस्थान में न्यूनतम मजदूरी होती है। हमारे पड़ौस के जितने भी सराउंडिंग राज्य हैं तमाम में हमारे राजस्थान से न्यूनतम मजदूरी अधिक है। लेकिन राजस्थान की सरकार उस राजस्थान के गरीब को केन्द्रबिंदु में रख कर बजट नहीं बनाती, केवल कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए निश्चित रूप से बजट बनाया है। इसलिए मेरी तो मांग है कि तय रूप से अगर राजस्थान के उस चालीस प्रतिशत गरीब को अगर सरकार ध्यान में रखती है तो न्यूनतम मजदूरी जो महंगाई के अनुसार आज की तारीख में 200 रूपये होनी चाहिए वह उनकी घोषणा करे तो मैं समझता हूं राजस्थान के उस पिछड़े हुए, विकास में पीछे रहे हुए आदमी को आगे लाने और उसका हक दिलाने का काम राजस्थान की सरकार कर पायेगी। दूसरा, सभापति महादेय, मैं कहना चाहूंगा कि जहां राजस्थान की जनता एक तरफ अकाल, दूसरी तरफ महंगाई की मार झेल रही है, राजस्थान की सरकार ने देर आये दुरूस्त आये, आठ महीने, सात महीने के बाद उस अकाल पीड़ित किसान को, लघु और सीमांत काश्तकार को तो आदान अनुदान के रूप में दो हजार रूपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से घोषणा की है, अभी चिह्नित भी कर रहे हैं, कुछ बजट दिया भी है लेकिन आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि क्या केवल अकाल की मार लघु और सीमांत काश्तकार पर ही हुई है, बाकी किसान पर नहीं हुई। मैं समझता हूं , उससे भी ज्यादा हुई है, चाहे उसकी पूरी जमीन के लिए आदान अनुदान नहीं दिया जाय, लेकिन कम से कम लघु काश्तकार के समान तो उस बाकी काश्तकार को भी आदान अनुदान निश्चित रूप से मिलना चाहिए। न केवल लघु और सीमांत को मिले, उतनी जमीन का आदान अनुदान तो निश्चित रूप से बाकी तमाम किसानों को मिलेगा तो मैं समझता हूं यह न्याय होगा। सीआरएफ के मापदण्ड में इसी राजस्थान में चाहे वह ओलावृष्टि का सवाल हो, चाहे शीत लहर हो, सीआरएफ से राज्य में इससे पहले भी लघु और सीमांत काश्तकार के साथ अन्य किसानों को भी उस मात्रा में आदान अनुदान देते रहे हैं इसलिए मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह आदान अनुदान है.....

Lpm/akt/1400/2c/29032010

निश्चित रूप से तमाम किसानों को लघु काश्तकारों को जो दो हैक्टेयर तक देने की आपने घोषणा की है वह तमाम किसानों के लिए लागू की जाए। मैं समझता हूं कि आज किसान सबसे ज्यादा परेशान है और जो बिनोला खल है मैं समझता हूं कि कभी भी राजस्थान में नहीं, देश में कहीं भी केवल एकमात्र एक खल है जो केवल पशु चारे के रूप में पशुओं के लिए काम आती हैं बाकी खले इण्डस्ट्रीज में काम आती है उन पर वैट लगे किसी को एतराज नहीं होगा। लेकिन वह किसान जो अकाल की मार झेल रहा है, जो महंगाई की मार झेल रहा है और उस किसान के उस खल पर 70 रुपए क्विंटल से बढ़ाकर मैं समझता हूं कि यह सबसे खतरनाक काम है निश्चित रूप से इसको वापस लेने का काम करेंगे। जहां तक मैं समझता हूं डीज़ल पर जो वैट हमारे पड़ोसी राज्यों से अधिक है 20 प्रतिशत ज्यादा है निश्चित रूप से इससे एक तो तस्करी हो रही है और अगर यह वैट पड़ोसी हरियाणा और पंजाब के बराबर हम करते हैं तो हमारे खजाने पर कोई असर नहीं होगा, उलटा राजस्थान की आम जनता को इससे फायदा होगा। दूसरा, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि राजस्थान के उस किसान की जो गाय और बछड़ा पालता था 1998 में तत्कालीन सरकार ने किसी भी कारण से तीन साल के बछड़े को बाहर जाने पर निषेध करने का जो कानून बनाया, पूर्ववर्ती सरकार भी आई, अब भी जो सरकार ने जिसने भारतीय जनता पार्टी ने कानून बनाया था उन्होंने भी इस बात की जो कोशिश की है कि वह बछड़ा जाए। क्योंकि वह कानून बनने के बाद राजस्थान की इकोनोमी और विशेष तौर से बछड़ा जिसके साथ अन्याय हुआ है। किसान गाय और बछड़े इसलिए पालता था कि उसका बछड़ा दो साल के बाद बिकता था, वह यहां से बाहर जहां भी चावल की खेती होती है पड़ोसी राज्यों में बिहार, यूपी, मध्यप्रदेश में वहां बड़े-बड़े मेले लगते थे, करोड़ रुपया उस किसान को मिलता था, बछड़े के रूप में मिलता था और गायों से दूध के रूप में मिलता था लेकिन मैं समझता हूं कि उसके बाद में कांग्रेस की सरकार आई फिर भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार आई और अभी हमारी सरकारी कह रही है कि हमने मंत्रिमण्डल की कमेटी बना रखी है। मैं समझता हूं कि राजस्थान के उस अकाल पीड़ित किसान को, गाय पालने वाले किसान को अगर आपको मदद करनी है थोड़ी बहुत भी सरकार में हिम्मत है तो निश्चित रूप से उस कानून को भी निरसित कानून लाकर समाप्त करे जिससे उस राजस्थान की गाय भी बच सके, बछड़ा भी बच सके और राजस्थान का किसान भी बच सके। चाहे वह गाय की रक्षा के नाम से लाया गया हो लेकिन बछड़े और गाय के साथ इससे बड़ा अन्याय 1998 में वह कानून बनने के बाद हुआ है। मैं समझता हूं कि ऐसी दुर्गति गाय और बछड़े की इससे पहले कभी नहीं हुई। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि सरकार जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार गारंटी योजना लागू की है निश्चित रूप से सरकार शहर में भी वह गांव के लोग बसते हैं और हमारे इस देश में त्रिपुरा में पिछले साल से 50 दिन की गारंटी की शहरी रोजगार गारंटी लागू की है। इसलिए सरकार राजस्थान में भी शहरों में जो गरीब रहते हैं निश्चित रूप से उनको रोजगार गारंटी दे चाहे 100 दिन नहीं हो लेकिन 50

दिन के रूप में करने का काम करे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ओर निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार कुछ लोगों को नजर में रखकर के जो काम करती है, सभापति महोदय, मैंने कहा जिस तरीके से बड़े लोगों का मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहूंगा। माइनिंग डिपार्टमेंट 2008 में एक माइनिंग होल्डर से 2008 में 22.12.2008 में उस नीलामी के माध्यम से भास्कर की 24 तारीख,2008 को नीलामी निकाली थी। जिसमें 7 लाख 61 हजार 882 रुपए किया है, 2.3.2009 को उसकी संपत्ति कुर्क करने के आदेश निकालती है लेकिन यही सरकार वह 7 लाख 61 हजार रुपए पूरा माफ करके ब्याज नहीं मूल में से भी जितना उन्होंने जमा करा दिया 7 लाख 61 हजार तो जो नीलामी पर था वह माफ कर दिया और 2 लाख 61 हजार 286 रुपए उसको सरकार में जमा राशि में से वापस लेने के लिए आदेश दे क्योंकि वह कांग्रेस का कार्यकर्ता है। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वह कांग्रेस पार्टी का विधान सभा में उम्मीदवार था इसलिए उसको 10 लाख का सीधा-सीधा फायदा पहुंचाने की है, जो सरकार के खजाने में है जबकि जमा कराने की 7 लाख 61 हजार रुपए की उसकी संपत्ति कुड़की हो गई लेकिन यही सरकार क्योंकि इनके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं इसलिए कुड़की की बात तो छोडिए और 2 लाख 61 हजार रुपए वह माँग रहा है इस छूट से जो उसने जो जमा करवाया वह हमको वापस दिया जाए। मैं समझता हूं कि यह सरकार का खजाना कांग्रेस पार्टी के लोगों को लुटाने के लिए नहीं है, यह राजस्थान की छह करोड़ जनता के लिए हैं। सभापति महोदय, मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि यह जो अनुदानित शैक्षणिक संस्थाएं हैं मैं समझता हूं कि सरकार में अगर हिम्मत है हमारे मुख्यमंत्री जी अगर उन कर्मचारियों के बारे में चिंतित हैं कि उनको समय पर तनख्वाह नहीं मिलती है तो जितनी भी अनुदानित शैक्षिक संस्थाएं हैं राजस्थान में जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है सरकार अगर हिम्मत दिखाती तो बात समझ में आती कि पूरे के पूरे उन अनुदानित शिक्षकों को अगर सरकार टेक ओवर करती, सरकार उनकी सरकारी घोषणा करती बल्कि आर्थिक स्वार्थ के लिए उन अनुदानित पदों को ही ग्रामीण क्षेत्र में एब्जोर्ब करने की है तो बाकी जो हैं गैर अनुदानित शिक्षक और अशिक्षक कर्मचारी हैं उनका क्या भविष्य होगा? उनके लिए करोड़ों की संपत्ति के लिए मैनेजमेंट के लिए छोड़ रहे हैं। वह कर्मचारी जो शिक्षक का उसमें काम में लगे थे इस उम्मीद के साथ लगे थे कि वह भी कभी अनुदानित में आकर पूरी तनख्वाह मिलेगी, मैं समझता हूं कि यह गैर कर्मचारी आएंगे और इससे राजस्थान के शिक्षा के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में एक लाख से ज्यादा जो शिक्षकों के पद खाली हैं, पूरी की पूरी हमारे बजट में हम कितना भी रखे, आज ग्रामीण क्षेत्र में अगर स्कूल है तो मास्टर नहीं है, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है और डॉक्टर है तो टाइम पर जाता नहीं है तो मैं समझता हूं कि कितना ही बजट हम यहां पर पेश करके भेज दे। हमें आंकलन इस बात का करना है कि उसका फायदा उस चालीस हजार गांवों में बैठे हुए लोगों को शिक्षा के रूप में, चिकित्सा के रूप में कितना मिल रहा है? क्या हालत है मास्टर की जो व्यवसाय करते हैं एक दिन स्कूल में नहीं जाता है, आपके शिक्षा अधिकारी को वह दो हजार, तीन हजार रुपए देता है।

डॉक्टर की क्या हालत है? पैरा मेडिकल स्टाफ की क्या है? सभापति महोदय, तीन तीन साल तक पैरा मेडिकल के स्टाफ के लोग फौरेन में जाकर वापस आ जाए और उनकी आधी तनख्वाह आपके डिपार्टमेंट के अधिकारी लेते रहे इससे ज्यादा अफसोसजनक क्या है? हम यहां बजट पेश कर देंगे लेकिन नीचे क स्तर पर जो शिक्षकों ने हालत बना रखी है मैं समझता हूं कि आज ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी पैरा मेडिकल स्टाफ आप किसी से भी चैक करा लीजिए, आप तय कर लीजिए 90 प्रतिशत चिकित्सा कर्मी वहां रात को नहीं रुकते और रात को छोड़िए वहां दिन में भी नहीं रुकते केवल तनख्वाह लेने के लिए जाते हैं। इसलिए मेरा तो आपके माध्यम से यही निवेदन है कि जो पैसा जा रहा है उसका सदुपयोग हो, जनता के लिए हो और विशेष तौर से उस गरीब के लिए हो जिनका जो हक बनता है। न्यूनतम मजदूरी बढ़ाना उस किसान की जो अकाल से पीड़ित है निश्चित रूप से उनको भी आदान अनुदान मिले और जो किसान के बछड़े और गाय के साथ विश्वासघात हो रहा है उस कानून को समाप्त करके राजस्थान के अकाल पीड़ित गो-पालक उस किसान को बचाने का काम करे। आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री नरपतसिंह जी राजवी।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, इस सरकार का और विशेष कर इन्हीं मुख्यमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का यह छह वर्ष का इतिहास रहा है कि जब-जब इन्होंने योजना पेश की, बढ़ाकर पेश की फिर कटौती की और वास्तव में आर.ई. आने पर और ज्यादा कटौती हुई। आम आदमी को समर्पित बजट, दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002-2007 में, 2003-2004 में भारतीय जनता पार्टी दिसम्बर में आई उससे पहले 1 हजार 104.36 करोड़ की कटौती की है 2002-2003 में क्योंकि 5 हजार 535 करोड़ और 4 हजार 431 करोड़ का अंतर, बाद में देखे तो 2010-2011 में 23 हजार 822 करोड़ रुपया प्रस्तावित किया है और.....

Bhs/akt/29.3.10/14.10/2d

अभी जनवरी, 2010 तक 12,733 करोड़ ये भी 1,180 करोड़ रुपये कम हैं तो ये कटौती करते जा रहे हैं और नाम लेते हैं कि हम गरीब को समर्पित करेंगे बजट। इस पैसे पर गरीब का अधिकार सबसे पहला है। पहले दो वर्ष का अगर देखें तो 2003-04 में 4,258 करोड़ जो कटौती के बाद में इस सरकार ने छोड़ा था उसको बढ़ा कर 6,044.38 करोड़ तक बढ़ाया है। स्पष्ट है कि 561 करोड़ रुपये से ज्यादा हमने इसको बढ़ाया है और जनता का काम किया। पूरे टेंथ प्लान में प्रस्तावित व्यय 31,331 करोड़ का, राशि व्यय हुई 33,735 करोड़। यह हमने बढ़ायी। इलेवंथ फाइव ईयर प्लान 1998 के दिसम्बर में यह सरकार आयी। 4,043 करोड़ रुपये की योजना थी जनवरी, 1999 में कटौती की 3,800 की। संशोधित वापस किया 4,078, वास्तविक व्यय हुआ 3,832 कटौती हुई 246 करोड़ की जबकि हमने बढ़ाया था 680.42 करोड़। 1999-00 में भी 137 करोड़ की कटौती की जबकि हम बढ़ाते गये। वर्तमान

में जी.डी.पी. को जिस प्रकार से इन्होंने इंफलेट किया है उसके बारे में तो अभी बताता हूं लेकिन वित्त पोषण इसका कहां से होगा, वित्त पोषण तालिका में अगर आप देखें संशोधित बजटरी संसाधन 8,751 2009-10 में रिवाइज्ड एस्टीमेट जबकि पहले था 8,335 के राज्य के बाहर के संसाधन 7,684 और संशोधित हुए रिवाइज्ड एस्टीमेट्स 7,342 राज्य के संसाधन 16,019 से बढ़ कर 16,093 तक हुए। सभापति महोदय, 2010-11 में भी इसी प्रकार की बात है। केन्द्रीय सहायता भी घटती जा रही है ये बढ़ाने का नाम ले रहे हैं और अभी वित्त विभाग के अधिकारी, वित्त मंत्री जी नहीं बैठे हैं जो मेनूप्लेशन जीएसडीपी के जिस प्रकार के फीगर्स को अराइवेट करने के लिए किया है मैं वित्त मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को चुनौती देता हूं कि जो फीगर्स इन्होंने जीएसडीपी के पुट अप किये हैं वो नोशनल हैं सिर्फ काल्पनिक हैं। एडवांस एस्टीमेट ऑफ जीएसडीपी इकॉनॉमिक सर्वे 2008-09 बोलता है एक लाख इकरानवे हजार नौ सौ नब्बे एट करेंट प्राइसेज इस आकड़े को मेनूप्लेट करके मंदी और रिसेशन जैसा समय होते हुए भी जीएसडीपी की ग्रोथ लगातार बढ़ती हुई बतायी और ये सब इसलिए किया है कि फ्रिंज बेनीफिट टैक्स के जो बेनीफिट्स अवेल करने थे 2005 के एक्ट के तहत उसे चार प्रतिशत से कम लाना था जिसकी तो छूट उनको मिल गयी। चार प्रतिशत तक की डेफीसिट के लिए वास्तविक डेफीसिट अगर आप देखें 4.39 प्रतिशत आता है जबकि इन्होंने मेनूप्लेट करके इंफलेटेड जीएसडीपी को बता कर कि 3.99 प्रतिशत जो चार प्रतिशत से सिर्फ 0.1 प्रतिशत कम है वो दिखाने का प्रयास किया है। सभापति महोदय, नेशनल जीएसडीपी ग्रोथ जो अभी 2008-09 का लास्ट इकॉनॉमिक सर्वे आया है उसमें 10.6 प्रतिशत बताया है। अभी जो सरकार ने आंकड़े दिये हैं उसमें स्टेट की ग्रोथ 14.77 प्रतिशत which is impossible. वर्तमान में यह स्थिति नहीं है। जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको अगर आप एग्जामिन करेंगे तो ऐसा संभव नहीं हो सकता इंक्रीज हुई है। 2006-07 में 20,228 का 15.73 प्रतिशत, 2007-08 में क्विक एस्टीमेट 21,070 करोड़ का 14.16 प्रतिशत, 2008-09 में ए.ई. हैं 191,989.90 ये 22 हजार करोड़ की ग्रोथ बताकर 12.99 प्रतिशत ग्रोथ बतायी है जो कि संभव नहीं है, चुनौती है खुली इस सदन में मैं कहता हूं। अभी इन्होंने जो फीगर्स दिये हैं वो 2 लाख 11 हजार 189 करोड़ के दिये हैं ताकि फ्रिंज बेनीफिट के तहत वो फिस्कल डेफीसिट जो कर सकते हैं वो 3.99 तक उनको दिखाना था। चाहे प्राइमरी सेक्टर हो कृषि व पशुपालन, चाहे उद्योग विनिर्माण सेक्टर हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो 2007-08 का जो फिस्कल डेफीसिट था उसकी वृद्धि दर थी 6.1 प्रतिशत और 2008-09 में 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ में 1.98 से अधिक संभव नहीं है फिस्कल डेफीसिट 4.25 प्रतिशत इससे बढ़ता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): किसको बता रहे हो? कोई नहीं लिख रहा है आपका, आप किसको बता रहे हो?

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): नहीं, इनको तो लिखेंगे तब भी घर जाकर याद करना पड़ेगा ऐसे याद रहेगा नहीं।

श्री सभापति: मंत्री जी बैठे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं सभापति महोदय, कुछ न कुछ गंभीरता तो हो, बजट का पारण हो रहा है। इतने गंभीर विषय पर इतने मौलिक विचार आ रहे हैं मतलब अगर हम यहां बोलने के लिए आये हैं, सिर्फ गाल बजाने के लिए तो कोई मतलब थोड़े ही है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): बिलकुल आपकी बात सब सुनी जा रही है आप कहां परेशान हो रहे हैं माननीय सदस्य, फरमायें। ये विराज रहे हैं एक-एक पाइंट लिख रहे हैं आप निश्चिंत रहें जब माननीय नेता अपना प्रत्युत्तर देंगे तब सब बात आ जाएगी। आप निश्चिंत रहें। हैं यहां पर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): लेकिन सचेतक महोदय, आपने कहा बिलकुल आपकी बात का मान करते हैं पर कुछ तो स्वस्थ परम्परा है सारी खंडित कर देंगे अपन।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): बिलकुल आपकी बात गम्भीरता से सुनी जा रही है।

श्री सभापति: हैं सहकारिता मंत्री जी।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, वैसे तो नोट न करें तो भी कोई बात नहीं है मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पिछले पैरेग्राफ में आपने क्या कहा वो ही आपको याद नहीं है। ये थोड़ी सी भारी चीज है हजम नहीं होती है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ...(व्यवधान)... जो बजट में घोषणा की वो एक भी पूरी नहीं की अभी तो इन्होंने।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): 2010-11 में आपने 8,461.10 करोड़ का बजट एस्टीमेट दिया है डेफीसिट का ये डेफीनेटली जीएसडीपी के एक्चुअल फीगर्स आने पर बढ़ेगी यह सिर्फ कवर अप करने का एक जनता को धोखा देने का एक प्रयास है। पूअर मानसून राहत 191 तहसील में घोषित की है तैंतीस हजार गांवों को अभावग्रस्त घोषित कर दिया, 3.75 करोड़ पशुधन प्रभावित हुआ है। राज्य सरकार ने तो ज्ञापन भी दिया था 12,691 करोड़ रुपये केन्द्र से सहायता प्राप्त करने का फिर अतिरिक्त प्रतिवेदन दिया 14,927 करोड़ का। क्या हो गया उसमें से एक रुपया भी मिला है क्या? यह मुख्यमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का पुअर फाइनेंशियल मेनेजमेंट है उसको छिपाने के लिए छठे पे कमीशन की सिफारिश लागू करने एवं अकाल पड़ने की बात बार-बार कह रहे हैं जबिक अशोक गहलोत साहब की सरकार के पूर्व के कार्यकाल में 1999 से 2004 में राज्य की गम्भीर वित्तीय हालत के लिए भी लगातार पांचवें वेतन आयोग एवं अकाल को दोषी ठहराते रहे। यह इनकी आदत में है। स्वभाव पड़ गया इनका। केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत 560 करोड़ रुपये रोके थे, कमी कर दी थी। यह कमी कर दी और आप ले नहीं पाये। यह कमजोरी किसकी है, अब कौनसी शाबासी दिखा रहे हो वो तो केन्द्र सरकार की मेहरबानी है कि उन्होंने 560 करोड़ रुपये दे दिये, आपने तो अपनी कुव्वत दिखा दी थी। ये मुख्यमंत्री जी की असफलता है। सीआरएफ और एनसीसीएफ, अब यहां से पेट दर्द होना शुरू होता है। 2009-10 577.19 करोड़ रुपये अवेलेवल थे, खर्च नहीं दिखाया है जितनी भी बुकलेट्स दी है उसमें

खर्च नहीं है। 531 अलोटेड आर्थिक समीक्षा में दिसम्बर, 2009 तक 316 करोड़ रुपये अलॉट किये हैं जिसमें खर्च 162.14 करोड़ रुपये ही हुए हैं। एनसीसीएफ 574.57 करोड़ रुपये अवेलेवल थे अलॉट किये सिर्फ 453.36 करोड़ रुपये...

कैलाश/अरुण 29.03.2010 14.20 (1) 2e

कुल मिलाकर 1151.76 करोड अवेलेबल थे इनके पास खर्च करने का अभी तक हिसाब दिया है वह 162 करोड का, थोडा बहुत और हो जायेगा, 1000 या 900 से अधिक जो राशि बचेगी तो पिछले वित्त आयोग के हिसाब से इन्होंने सोचा कि हम रेवेन्यु में जमा कर लेंगे वह यह जमा नहीं कर पाये और केन्द्र ने 13 फाइनेंस कमीशन में इसको चेंज कर दिया। 13 फाइनेंस कमीशन कहता है – It is our view that CRF may be merged into SDRF constituted under the Act as on 1.4.10 and that balances at the end of 2009-10 ... SDRF will be funded by the Centre and the States in 75:25 ratio." इससे स्पष्ट है कि 9वें से 11वें वित्त आयोग तक सीआरएफ अनस्पेंड जो राशि थी वह रेवेन्यु में जमा होती थी जैसे 31 मार्च 2000 को कांग्रेस सरकार थी 155 करोड रुपये सीआरएफ राजस्व खाते में जमा किये। उस समय भी अकाल की विभीषिका थी। पूरा प्रान्त पीडित था। 31 मार्च, 2005 को बीजेपी ने केवल 71 करोड रुपये अपने राजस्व खाते में जमा किये हैं। हमारी नीयत सही है लेकिन नीयत किसकी खराब है यह आप लोग स्वयं अंदाज लगा सकते हैं।

कर्ज का दायित्व, बहुत चिल्लाते थे कि कर्जा बहुत बढा दिया। हमने तो छोडा था उसको कहां ले जाकर पहुंचाया 99.40 या 96.40 तक पहुंच जायेगा। हमने सिर्फ 78114 करोड का छोडा था जो वृद्धि थी वह 42 प्रतिशत थी। उससे कहीं अधिक प्रतिशत वृद्धि अभी वर्तमान में हो रही है।

पावर, सभापति महोदय, 2007 से 12 तक 11वें प्लान में आउट ले था 71371.98 करोड एनर्जी प्रोविजन किया था 35.70 परसेंट। 25654.75 करोड। इंस्टाल्ड कैपेसिटी क्योंकि पावर के बारे में बढ चढ कर बोल रहे थे मुख्य मंत्री जी, installed capacity at the end of 2007 to 2012, 12337 मेगावाट। जबकि 6883 मेगावाट इस गैप को ब्रिज करने के लिये आवश्यक था। 2008-09 के अंत में छबडा प्रथम व द्वितीय यूनिट, कोटा की सातवीं यूनिट, सूरतगढ की छठीं यूनिट 995 मेगावाट जो बिजली का उत्पादन हुआ, वह काम तो शुरू भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया । सिंक्रोनाइज होने थे उनको भी अलग से एक कार्यक्रम कर के किया जैसे उन्होंने बहुत तीर मार लिया है। कालीसिंध प्रथम व द्वितीय यूनिट, छबड तृतीय व चतुर्थ यूनिट, रामगढ गैस, यह भी पाइप लाइन केसेज थे कोई नये नहीं है नये अब आप प्रपोज करो उसके बाद देखेंगे।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

घंटी बजाओ तो भी मुझे फर्क नहीं पडेगा देख लेना आप।

विंड एनर्जी, 2000 मेगावाट और बायोमास 160 मेगावाट। यह सारा 11 प्लान बीजेपी गवर्नमेंट थी उस समय था, नया कुछ नहीं है। 10 प्लान, 11 प्लान बीजेपी शासन काल में हमने कुल खर्च किया दो वर्षों में 28718.4 करोड प्लानिंग कमीशन से मंजूर हुआ 2009-10 में 17332 करोड स्टेट ने इसको बढा कर 18334 करोड किया, वापस कटौती, घटाकर जनवरी 2010 में 12133 करोड किया अभी तक एक्सपेंडिचर केवल 66 प्रतिशत हुआ है। एक महीने में कहां से यह पूरा कर लेंगे समझ में नहीं आ रहा और एडिशनल रिसोर्स मोबलाइजेशन जो हुआ नहीं वह एन्युअल प्लान पूरा नहीं होगा किसी भी स्थिति में 12133 करोड रुपये ही खर्च हुए हैं जो कि कुछ एन्युअल प्लान का 66 प्रतिशत है। ऐसा लगता है कि चार हजार करोड से अधिक की कटौती वर्तमान सरकार को करना पडेगा। नोन प्लान एक्सपेंडीचर बढा है 35433 की जगह 36642, 1209 करोड रुपये बढाया है जो कि हैल्दी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का द्योतक नहीं है। केन्द्र से राजस्थान को प्राप्त करों का हिस्सा और अनुदान राशि। सभापति महोदय, 2007-08 तक लगभग 43.70 परसेंट, 43.73 परसेंट 2008-09 2009-10 में बजट एस्टीमेंट में 42.44, 2009-10 में रिवाइज्ड एस्टीमेट 41 हो गया और वर्तमान में जो आपने दर्शाये हैं वह और भी ज्यादा कम होंगे। यह राज्य के लिये कोई लाभकारी स्थिति तो नहीं है। रेवेन्यु आपका घटता जा रहा है। 200 करोड रुपये आपके रजिस्ट्रेशन स्टांप में कम हुए हैं। पेट्रोलियम में आपने बजट एस्टीमेट दिये थे 431 करोड इन्फ्लेटेड फिगर्स । वास्तव में आपको प्राप्त हुए 110 करोड, 321 करोड की कमी इसमें हुई है। स्टेट एक्साइज में 2300 करोड का था रिवाइज एस्टीमेट आपने 1474 करोड कर दिया दिसम्बर 2009 तक, 100 करोड की कमी इसमें भी रहेगी। एक्साइज, कस्टम, केन्द्रीय करों में हिस्सा 760 करोड की कमी रहने का अनुमान है। ऐसी स्थिति में बैलेंस आफ करंट रेवेन्यु 3000 करोड रुपये की कमी रहने का अनुमान है। राज्य सरकार ने नीतिगत निर्णय लिया है वित्त पोषण के लिये और ऋण नहीं लेंगे। वास्तविक योजना 15 हजार करोड से अधिक नहीं हो सकती यह पास्ट परफोरमेंस और पास्ट हिस्ट्री क्लियरकट दर्शाती है।

सभापति महोदय, नये कर भी लगाये लेकिन यह इंटरनेशनली नोन फिनोमिना है है कि हाई टैक्स रिजीम में कर की चोरी होगी। ब्रांडेड गारमेंट्स पर 350 प्रतिशत टैक्स बढाया है उस पर वैट। अब यहां राजस्थान में कौन लेगा दिल्ली में जाकर ले लेगा ना वहां पर टैक्स ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति यहां क्यों पैदा की जाये जिससे यहां के व्यापारी को नुकसान हो, यहां की स्टेट की रेवेन्यु को नुकसान हो। यह कौनसा बिजनेस एक्युमैन है मेरी समझ में नहीं आया। लाइम स्टोन पर बढाया, अब हाडड्रेटेड लाइम उपयोग में आता है एन्वायरमेंट के लिये । यह कामन ट्रीटमेंट प्लांट जहां जहां भी लगा रखे हैं उनमें काम आता है लेकिन बढा दिया उससे एन्वायरमेंट पर भी विपरीत प्रभाव पडेगा व्यापारियों पर तो पडेगा ही। 4 परसेंट की स्लैब पर एम्पावर्ड कमेटी की मंशा दिखा कर 5 कर दी, पिछले बजट में साढे बारह से चौदह परसेंट की नई स्लैब की थी उसमें तो नहीं कहा था बजट भाषण में कि एम्पावर्ड कमेटी की ऐसी मंशा है। एडजोइनिंग स्टेट में आप चाहे गंगानगर हनुमानगढ ले लीजिए चाहे

अन्य जो बार्डरिंग स्टेट हैं, बार्डरिंग स्टेट से अगर उधर टैक्स कम है तो यहां का व्यापार उधर जायेगा। नीमच में आयल सीड्स पर एक पैसे का टैक्स नहीं है और नीचम मंडी में जितना कारोबार है उसका नुकसान किसको होता है, राजस्थान को होता है। पूरे मेवाड का अनाज उधर जायेगा। इधर पंजाब और हरियाणा की जितनी मंडियां है उनमें टैक्स कम है। इसलिए तेल तिलहन पर टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिये था, लगा दें नोशनल आपने लगाया है तो रेवेन्यु आपको वसूल नहीं होगी, यह कम होगी और व्यापार उधर जायेगा उसका आपको ध्यान रखना चाहिये था। खल बिनौला पर भी वैट बढाया है, मेरे ख्याल से यह पहली स्टेट है । हमारी सरकार ने उसको माफ किया था। तिलहन, सरसो और सोयाबीन, आयल सीड्स एण्ड आयल केक्स, जो आपको हरियाणा और पंजाब का उदाहरण दिया है व्यापार में अगर लाभकारी मंडियों को रखना है तो उस पर घटना पडेगा पिछला अनुभव यह है।

भ्रष्टाचार की बात कहना तो यहां मायने नहीं रखती लेकिन आयुर्वेद औषधियों में अगर उत्तराखंड की दो कम्पनियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें तो सदन को मैं आश्वस्त करता हूं कि सारी चोरी सामने आकर खडी हो जायेगी। 5 करोड की दवाइयां ऐसी ली है जो उसकी कैपेसिटी देने की नहीं है। लेकिन प्रश्न भी नहीं आ पाये और यह बात कोई कह भी नहीं पाया । वेंटीलेटर्स यूएस एफडीए एप्रुव होना चाहिये। नार्म्स को चेंज किया है और ऐसे वेंटीलेटर्स क्रय किये हैं जो जल्दी खराब होंगे और वह अप टू द स्टेंडर्ड नहीं है, बहुत बढिया बात है। मुख्य मंत्री जी को धोखा भी दिया 76 ट्रांसफर ऐसे किये हैं जो आदिवासी और सहरिया क्षेत्र में है। चिकित्सकों को हटाया, पीएचसी खाली हो गई। उस दिन चर्चा चल रही थी तो सब जगह खाली की बातें आ रही थी वह इसीलिए आ रही थी। जयपुर में 130 चिकित्सक आधिक्य है। यह दवाइयों के व्यापार में तो एक पूर्व एडिशनल चीफ सैक्रेटरी के पुत्र हैं और अतिरिक्त निदेशक कौन कौन है, पूरी जांच का विषय है करानी चाहिये। एक्साइज में बीयर की खपत तो कम हुई है, बहुत ढिंढोरा पीटा था, बहुत पोस्टर लगाये थे कि 8 बजे हमने शराब की दुकानें बंद करा दी।

ans/akt 14.30 2f 29032010

आठ बजे हमने शराब की दुकाने बंद कर दी,बहुत बढ़िया किया, बीयर पीना कम हो गया, शराब पीना ज्यादा हो गया। खपत बढ़ गई। अशोक गहलोत साहब को बताना चाहूंगा, पडौसी राज्यों में जहां यहां से तस्करी होकर शराब बाहर जाती थी चाहे वह गुजरात हो, चाहे मध्यप्रदेश हो, अब उधर से इधर आ रही है। वहां पर सप्लाई है उससे भी सस्ती यहां पर आ रही है,जहां पर टोटल प्रोहिबिशन है। जितने भी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी आपने लगाये हैं अच्छे प्रयास किये, हमने भी लगाये लेकिन देखने में यह आया कि शराब की तस्करी यहां से जयपुर तक पहुंच जाती है हरियाणा से या पंजाब से या मध्यप्रदेश से,तो बीच के डिस्ट्रिक्ट्स के अधिकारी क्या कर रहे थे यह सोचने का विषय है। जहरीली शराब के कारण

शाहपुरा में 28 मौत हुई, 11 ब्यावर में हुई, धौलपुर में 3 मौत हुई उसके आगे आप क्या चाहते हैं ?

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा जीएनएम का मानदेय बढ़ाया था अभी बजट भाषण में मुख्यमंत्री जी ने फरमाया, जो एनआरएचएम के तहत काम कर रहे हैं। उनसे कुछ पहले, साल-दो साल पहले आरएचएसडीपी के तहत इन्हीं जीएनएम को लिया था सेम क्वालिफिकेशन, चाहे वह संख्या कम है, उनको उनसे अलग रखना न्यायसंगत बात नहीं होगी, उसमें इन्क्ल्यूड करना चाहिए। अभी टोंक से आने वाली सदस्या फरमा रही थी और साथी कई मंत्री बोल रहे थे कि लाश पर राजनीति की है। घडसाना में आमरण अनशन के साथ में कौन बैठे थे ?

श्रीमती जकिया (टोंक): मैंने यह नहीं कहा।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): आप फरमा रही थे उस समय, आपके खान मंत्री जी,कैबीनेट मंत्री जी बोल रहे थे।

श्रीमती जकिया (टोंक): वह कुछ भी बोल रहे थे, मैंने नहीं कहा।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ठीक है, I withdraw your name.

वहां पर बी.डी. कल्ला साहब बिराजे थे, वह सदन में आज नहीं है, वह उस समय कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष थे। उन्होंने अगर राजनीति करने का प्रयास किया, आज घडसाना इनके गले में पडा है।यह राजनीति की बात इस पर नहीं करें। आपने समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ओम जोशी।

श्री ओम जोशी (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार का बजट 2010-11 के अनुसरण में वित्त विधेयक 2010 और विनियोग विधेयक 2010 आज पारित होने जा रहा है और उसके सन्दर्भ में प्रतिपक्ष पूरे जोश-खरोश के साथ आंकड़ो को लहराते हुए अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कोशिश की जा रही है जैसे की राज्य सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो यह दसतावेज पेश किया है वह मात्र एक दस्तावेज है, उसमें कुछ भी नहीं है, सब चीजे न्यूनता की ओर इंगित करती है और सब में कमी है। माननीय सभापति महोदय,राज्य का मुखिया जिसके पास वित्त विभाग हो और जिसके मन में गरीब,गांव, किसान और आम राजस्थानी के प्रति यह सोच हो कि किस तरीके से कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से राजस्थान को आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से जो आय के साधन हैं वह ऐसे स्थान से प्राप्त किये जाए जो कि कर देने योग्य है, किस तरीके से उन प्राप्त राशियों को जो वंचित लोग रहे हैं जिनको इस बात की आवश्यकता है उन तक पहुंचाया जाए।

मुझे यह बात कहते हुए गर्व और खुशी होती है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जीने इन सब बातों को मध्यनजर रखते हुए, इन सब योजनाओं को लागू करने में जो प्रतिबिम्ब पेश किया है निश्चित रूपेण वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अग्रसर रहे। आलोचना-समालोचना जिस तरीके से अभी प्रतिपक्ष की ओर से की जा रही थी,ऐसा बताने की कोशिश

की जा रही थी कि जो बजट में प्रावधान दिये गये हैं, उनकी ओर से ऐसा जाहिर करवाने की कोशिश की जा रही थी कि यह वित्त के संबंध में दक्ष विशेषज्ञ की हैसियत से बात कर रहे हो। पन्द्रह महीने का वर्तमान सरकार का कार्यकाल रहा, पिछला बजट भी प्रस्तुत हुआ उस बजट के लोक कल्याणकारी प्रावधानों को सुनने और समझने की उस समय विपक्ष की स्थिति नहीं रही, हल्ला गुल्ला करके उस बात को दबाने की कोशिश की गई लेकिन पिछले बजट में जनता के भले के लिए जो कार्य किये गये थे वह जनता के सामने गये। चुनावी वर्ष था, जनता ने सब योजनाओं को, जो योजनाएं सोच समझकर कल्याण के भाव से लागू की गई थी उनका प्रतिफल दिया । कांठ की हांडी एक बार चढ़ती है। यह कह सकते थे कि एक बार मत दे दिया लेकिन प्रतिपक्ष को यह ध्यान में होना चाहिए, याद रखना चाहिए कि लगातार उसके बाद तीन चुनाव आये और निरन्तर उनको मुंह की खानी पड़ी। लोकतंत्रिय व्यवस्था में, लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में जनता के भले के लिए जो प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते हैं उसका उत्तर , उसका जवाब जनता मत के माध्यम से, वोट के अधिकार के माध्यम से देती है, वह अपने सामने हैं और यह इनको स्वीकार करना चाहिए।

सभापति महोदय, युगों-युगों से चाहे वह कितने ही बड़े महापुरूष और भगवान हुए हैं छिद्र ढूंढने की कोशिश रही है। सर्व कलाधारी भगवान कृष्ण के प्रति भी कुछ भी कहने में तत्कालीन समय में और वर्तमान समय में लोग चूके नहीं है। मर्यादा पुरूषोतम भगवान राम के बारे में भी यही बात हुई और हमारे देश को आजादी दिलाने वाले पूज्य बापू, महात्मा गांधी जी जिनकी शरण में हम सभी लोग बैठे हैं, लोकतंत्र व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं उनके द्वारा किये गये कामों के प्रति भी यही सोच कुछ छिद्रों में व्यक्त करने की कोशिश रहेगी लेकिन जैसा कि पूज्य बापू ने कहा है उस सोच को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कर्तव्य के माध्यम से करनी के माध्यम से ढालते हुए यह जो कोशिश की है वह मैं दौहराना चाहता हूं। उन्होंने बजट में जो अंत में बात कही है एक सच्चा सिपाही आगे बढ़ते हुए यह विवाद नहीं करता कि अन्ततोगत्वा सफलता कैसे मिलेगी लेकिन उसे दृढ विश्वास होता है कि यदि वह अपनी छोटी सी भूमिका को भी विनम्रता से निभा ले, तो वह कैसे भी हो उस संघर्ष में विजयी होगा। इसी भावना के साथ हम सभी को काम करना चाहिए। हम भविष्य को नहीं जान सकते लेकिन कम से कम वर्तमान में तो अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभा सकते हैं, यह सोच हमारे माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों का होना चाहिए। इस बजट के प्रस्ताव में वित्त और विनियोग में जो विवरण दिया गया है स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है वैश्विक मंदी रही, जबरदस्त अकाल, सूखे की स्थिति रही फिर भी जो प्रावधान करों के रखे गये थे उसमें गत वर्ष 12प्रतिशत वाणिज्य कर विभाग की ओर से अधिक वसूली की गई, उसी को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में जो प्रावधान किये गये हैं वह इन वस्तुओं पर किये गये हैं जो कि कर योग्य होना उचित होता है। 5 प्रतिशत वैट करने के बाद में खूब हल्ला मचा खूब आलोचना करने की कोशिश की गई, कई कानूनों और नियमों का हवाला दिया गया। मैं माननीय प्रतिपक्ष के जो विद्वान, वित्तविशेषज्ञ की हैसियत से, दक्ष विशेषज्ञ की

हैसियत से अपनी बात को रख रहे थे जानना चाहता हूं राजस्थान नहीं बल्कि देश के समस्त प्रान्तों में जब यह व्यवस्था लागू की गई, जहां के बीजेपी के शासन है वहां भी जब 5 प्रतिशत यह व्यवस्था लागू की गई तो आप सब की आलोचनाओं का क्या औचित्य था। माननीय सभापति महोदय, जो इस बजट में और इस वित्त विधेयक में प्रावधान रखे गये हैं.....

दुर्गा/त्रिपाठी 29032010 1440 2g

उसमें इस बात की कोशिश की गई है कि कर देने वाला व्यक्ति सर्वोच्च होता है, इस राज्य के विकास में भागीदारी निभाता है। उसके लिये सरकारी प्रक्रिया सरल हो, उसमें जो कानून-कायदे बनते हैं, जो उनको एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, वह उन करदाताओं के लिये सही हों। इसके लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी ने विभिन्न प्रकार के संशोधन प्रस्तावित करके वेट के फार्म 10 व फार्म 11 को जमा करने की जा बात थी, उसमें सुधार किया, वेट के फार्म 47 की आवश्यकता को कम किया। 5 लाख से 10 लाख के टर्न ओवर के रजिस्ट्रेशन की बात आई और ऐसी कई बातें जो कि आडिट के सम्बन्ध में थीं और अपीलों के सम्बन्ध में थी उन सब में यह कोशिश की गई कि करदाता को राहत मिले। निश्चित रूपेण मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी का सोच जो आय के साधन हैं, उन आय के साधनों को व्यवस्थित रूप से, किसी प्रकार का दबाव नहीं रखते हुए, जो प्राप्त किया जा सकता है, करदाताओं से वह प्राप्त करने की कोशिश की गई है। इसमें जो व्यय करना है, उसमें अपव्यय नहीं हो इस बात को भी पूरा ध्यान में रखा गया है। बड़े ही जोर-शोर के साथ इस बात को उठाया जाता है, विकास को आगे बढ़ाने के लिये जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, वह है विद्युत की, ऊर्जा की। ऊर्जा के सम्बन्ध में जो इस बार योजनाओं में और बजट में जो प्रावधान 52 प्रतिशत का रखा गया है, यह राजस्थान के लिये आने वाले समय में विकास की गति आगे बढ़ाने के लिये मील का पत्थर साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ ही अभी बात हो रही थी कि जो पवन ऊर्जा का मामला है, चाहे बायो गैस, इन सब योजनाओं में जो काम हुआ, वह कम हुआ यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने जो गैर परम्परागत स्त्रोत हैं, उनको विकसित करने के लिये जो सौर ऊर्जा के माध्यम से जो स्त्रोत डवलप करके और सौर ऊर्जा प्राप्त करने का जो प्रयास किया गया है, वह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो राजस्थान का पिछड़ा क्षेत्र है, जहां पर क्षारीय भूमि है, वहां पर खेती नहीं हो सकती है। वह भूमि किसी काम की नहीं है। वहां पर एक सोच रखते हुए और उस क्षेत्र में जो सौर ऊर्जा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है और नेशनल सोलर मिशन के तहत इस योजना को आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है, वह राजस्थान के लिये अत्यंत ही उपयोगी होगा।

माननीय सभापति महोदय, न केवल ग्रामीण क्षेत्र, बल्कि शहरों में भी जिन लोगों ने अपने व्यवसाय में करोड़ों रुपये लगाये, जैसे कि सिनेमा व्यवसाय है, सिनेमाघर बन गये, जो

आधुनिक तकनीक आई, टेलीविजन का युग आया और जिस तरीके चैनल्स बढ़े, आम आदमी का थियेटर में जाना कम हो गया। आवश्यकता थी कि जो सिनेमाघर बने हुए हैं, जो सिनेमाघर का मालिक है, जिन्होंने कि इस राज्य में मनोरंजन श्रेष्ठतम दें, उसके लिये प्रयास किया है, उनको राहत मिले। तो जो इस बजट के माध्यम से 50 रुपये टिकट तक 'यू' श्रेणी की जो फिल्म्स के प्रदर्शन पर कर माफ किया है, यह मैं समझता हूं, एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिये है। मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो सामाजिक कल्याण की योजनाएं हैं, जो कृषि के क्षेत्र की योजनाएं हैं, उन सब में बजट प्रावधान देने की कोशिश की गई है। सामाजिक कल्याण में मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोश जो स्थापित हुआ है और जिसके अन्तर्गत जनवरी, 2009 से आज तक 26 लाख ऐसे लोगों को लाभ मिला है जो कि बी.पी.एल. के हैं, जो विधवा हैं, जो विकलांग हैं, जो निःशक्त हैं और जिनको जीवन दान मिला है। मैं विपक्ष के लोगों से, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप ग्रामीण क्षेत्र में पधारते हैं, ऐसे जो लाभान्वित होने वाले हमारे ग्रामीण भाई हैं, उनसे बात करके देखिये कि कितनी बड़ी, जब आप भारतीय और सनातन संस्कृति में विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से आशीर्वाद और आशीष में भी विश्वास करते होंगे, कितनी बड़ी आशीष वह ग्रामीण जन माननीय मुख्य मंत्रीजी को और राजस्थान सरकार को दे रहे हैं, जिससे कि उनको नये तरीके से अपना जीवन मिला, चाहे हार्ट का आपरेशन हो, ऐसे कई, सैंकड़ों उदाहरण मैं मेरे क्षेत्र के दे सकता हूं जिनके अन्तर्गत इस जीवन रक्षा कोश के माध्यम से न केवल एक प्रावधान है, जिस तरीके से माननीय मुख्य मंत्रीजी के कार्यालय में जो अधिकारी विराजे हैं, जिस संवेदनशीलता के साथ ऐसे मामलों को टेक-अप करते हैं और इलाज की व्यवस्था करते हैं, वह स्तुत्य है। मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय कि जो 10 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी खत्म की गई, बेरोजगारों के लिये जो इस तरह की कई बातें, छोटी-छोटी बातों पर गौर करते हुए ध्यान रखा गया है, वह अपने आप में महत्वपूर्ण है। माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे माननीय विपक्षी सदस्य जो राजनीति कर रहे हैं, हर बात में एक विचारधारा को अपनी दृष्टि से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, वह राजस्थान के हित में नहीं कहा जा सकता। अगर वह पिछला गौर करके अपने कार्यकाल को देखेंगे, 5 साल के हालात को देखेंगे तो वह अच्छी तरह से बखूबी समझ सकते हैं कि उनके कार्यकाल में किस तरह से कार्य हुआ और वर्तमान में 15 महीनों से अगर वह इसकी तुलना करेंगे तो परिणाम अपने आप सामने आ सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा उल्लेख नहीं करते हुए यही अनुरोध करना चाहता हूं, अंत में, कि माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा प्रस्तुत किये गये इस बजट, इस वित्त विधेयक और इस विनियोग विधेयक का एक-एक शब्द राजस्थान के कल्याण के लिये उपयोगी है और मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी को विभिन्न मांगों की बहस के समय बजट की बहस के समय जो सभी माननीय सदस्यों ने अच्छे

सुझाव दिये हैं, मुझे पूर्ण आशा है कि संवेदनशील, जवाबदेह माननीय मुख्य मंत्रीजी उन सुझावों की ओर गौर फरमाएंगे और उसका परिणाम कुछ समय बाद आपको सुनने को मिल सकता है कि जो आपका बजट का भाषण होगा उसमें राजस्थान की जनता में जहां कुछ भी वंचित रह गया है, वह प्राप्त होने की पूरी उम्मीद है, इसी भावना के साथ, आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं चूंकि प्रथम बार सदन में आया और ऐसे कठिन और जटिल विषय पर बोलना और ऐसे प्रतिपक्ष के सदस्य, माननीय सदस्य जो कि जबरदस्त अपने आंकड़ों को साथ में सहेजे हुए रखते हैं उनका प्रत्युत्तर देना बहुत ही कठिन कार्य है, फिर भी इन्हीं से कुछ प्रसाद लेते हुए, सीखते हुए, मेरी बात को मैंने रखने का प्रयास किया। आपने मुझे समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

श्री सभापति: श्री राव राजेन्द्र सिंहजी।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): बोलने में तो बोलने का इतिहास रहा है।

श्री ओम जोशी (फलौदी): क्या रहा है?

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): बोलने का तो बहुत ही बड़ा इतिहास रहा है फलौदी का।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सीधे उस विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आज हम बजट की प्रोसेस की उस स्टेज पर हैं जिसको हम एप्रोप्रिएशन और फाइनेंस बिल के नाम से जानते हैं। आदरणीय सभापति महोदय, इससे पहले कि इस विषय पर हम चर्चा करना चालू करें, पहले हमें संविधान के उस आर्टिकल को देखना पड़ेगा जिस आर्टिकल के माध्यम से हमें यह अधिकार मिलता है, सदन को यह अधिकार मिलता है कि इस पर हम चर्चा करके और वर्तमान एक्जीक्युटिव को अपने पावर्स डेलीगेट करें अपने राइट्स सरेण्डर करें। I would like to draw your attention, Hon'ble Chairman, to Article 293 of the Constitution of India. क्योंकि हम एक्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं और फाइनेंस बिल की बात कर रहे हैं। मैं बजट की उस स्टेज पर नहीं जा रहा जो पिछले 15 दिन से हम लोग चर्चा करके आ रहे हैं। आज वह स्टेज है कि जिस बारे में हमने चर्चा की जिन-जिन ग्राण्ट्स के बारे में हमने चर्चा की और जिन-जिन ग्राण्ट्स पर मुखबन्द करके हमने स्वीकार किया। यह सारा का सारा पब्लिक कंसोलिडेटेड फण्ड का पैसा हम एक्जीक्यूटिव को देने जा रहे हैं। हम एक्जीक्यूटिव को अधिकृत कर रहे हैं कि आप, जैसी-जैसी यहां चर्चा हुई, जहां जिस-जिस हेड में यह पैसा देना है, हम उसको देने जा रहे हैं। मैं आर्टिकल 293, "Borrowings by States – (1) Subject to the provisions of this Article, the executive power of the States extends to the borrowings within the territory of India upon the security of the Consolidated Fund of the State within such limits, if any, as may from time to time be fixed by the Legislature ..." मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, " ... as may from time to time be fixed by the Legislature of such State by law and to the giving of guarantee within such limits, if any, as may be so fixed."

VPS-AKT-29.03.2010-14.50-2h

इस आर्टिकल के साथ में मैं सी.ए.जी. की उस रिपोर्ट का पैरा पढ़ना चाहता हूं जो इस बात को दर्शाता है, आपको कर्ज लेने का अधिकार कांस्टीट्यूशन ने दिया है लेकिन कर्ज लेने के अधिकार के साथ-साथ उन्होंने यह कहा है कि कर्ज लेने के लिए आपको एग्जिक्यूटिव को स्टेट लेजिस्लेचर से एक्ट और नियम पास कराना पड़ेगा। मैं सी.ए.जी. के वो पैरा आपसे निवेदन करना चाहता हूं जिसके बारे में उन्होंने स्पष्ट एक यह बात अंकित की है कि "As per the provisions of Article 293, till date the Rajasthan State Legislature has not created an Act or passed a law which extends the rights to the Executive to borrow."

आदरणीय, 60 वर्ष हो गये। 91 हजार करोड़ का कर्ज राजस्थान की जनता पर है और राजस्थान की लेजिस्लेचर असेम्बली में आज तक यह गारंटीज और बोरो करने का नियम और कानून नहीं लेकर आये। आखिर हम हर साल जो कर्ज ले रहे हैं सिर्फ एक 1999 के अन्दर गवर्नमैंट का रिजोल्यूशन आया था, जिस रिजोल्यूशन ने यह अधिकृत किया था कि एक साल का जितना रेवेन्यू कलेक्शन होता है उसका दुगने तक आप कर्ज ले सकते हैं लेकिन मैं आपसे यह बात पूछना चाहता हूं कि उसकी गाइड-लाइन्स सिर्फ आज की तारीख के अन्दर रिकमण्डेटरी है अगर आप लॉ ले आते तो लॉ मेण्डेटरी होता और अगर उसका कोई उल्लंघन करता तो वह उसके लिए दोषी भी होता और यही बात मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जो रिजोल्यूशन लेकर आये, मैं उस पैरा को आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं। "Fiscal liabilities, public debts and guarantees. CAG Report March 2002" उसमें यह साफ लिखा है – "The Constitution of India provides that the State may borrow within the territory of India ...." जो मैंने 293 पढ़कर बताया, " ... No such law was passed from the State to lay down any such limit." यह 2001 में दुबारा सी.ए.जी. ने रिमाइंड किया है। "However, the State Government through a resolution had decided in May 1999 that its total debt excluding other liabilities and outstanding amount of guarantees as on the last day of any financial year will not be more than the double of the estimates receipts of its Consolidated Fund." अब मैं इसी साल के उस फंड को, आज की तारीख में आपका कंसोलिडेटेड फंड की जो गारंटीज और लायबिलिटीज हैं, 1.75 है, यानी 200 परसेंट से 25 परसेंट नीचे है। आज की तारीख में ठीक है लेकिन जिस साल यह आया है उस दिन आपका 3.29 टाइम्स था अगर यह रिजोल्यूशन नहीं होकर एक्ट होता तो उसी दिन सरकार कठघरे में खड़ी हो जाती क्योंकि कानून का उल्लंघन होता इसीलिए यह कानून नहीं बनाया जा रहा। रिजोल्यूशन के माध्यम से बारबार इस चीज को पेश की जा रही है। उसमें यह साफ लिखा है – "These liabilities were 5.57 times of the own resources which was in total contravention of the provisions of Government resolution." अब मुझे आप बतायें, आज आप एप्रोप्रिएशन पर बहस करा रहे हैं। प्रतिपक्ष के उप नेता ने 199 का हवाला देकर मनी बिल के ऊपर जो संवैधानिक

व्यवस्था आसन से चाही है उस पर आपने चर्चा करवा ली। मैं आपसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं, ऐसा कौनसा अधिकार है, ऐसा कौनसा कानून है कि कल को अगर सरकार को आवश्यकता पड़े और इस नियम का अगर वह उल्लंघन कर ले तो कानून जब नहीं बना तो आप सरकार से भी किस तरीके से पूछेंगे?

मैं एक क्योंकि, क्योंकि सरकार प्रदेश की जनता के जनहित के विकास करने के लिए कर्ज ले रही है और कर्ज लेने के पीछे सरकार की यह मानसिकता भी है कि आम आदमी को फायदा पहुंचे और यह प्रदेश विकसित राज्यों में आकर खड़ा रहे। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कर्ज लिया। आपने कर्ज भी ले लिया। आपने अपने स्वयं के विवेक से कर्ज ले लिया। कर्ज लेने के बाद में आप खर्चा कैसे कर रहे हैं? मैं खर्चा कराने के लिए आपके बजट मेन्युअल के उस प्रोविजन की बात करना चाहता हूं जो बारबार मैंने भी योजना के ऊपर जब चर्चा थी, तब यह कहा था। बजट मेन्युअल का वह मैं सेक्शन पढ़कर आपको बताना चाहता हूं जिससे स्टेट बजट मेन्युअल का आप, सेक्शन के बारे में मैं आपसे निवेदन करता हूं, जिसके आधार पर यह बात स्पष्ट हो जाएगी। "As per para 139 of the Budget Manual, expenditure should be evenly managed ..." मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं कि यह बजट मेन्युअल, यह फाइनेंशिल प्रूडेंस का सवाल है, हमने एफ.आर.बी.एम. का एक्ट, फिस्कल डिसीप्लीन को इन्एक्ट करने और फिस्कल डिसीप्लीन को इन्कारपोरेट करने के लिए लिया था। मैं उस पैरा का हवाला देना चाहता हूं कि "As per para 139 of the Budget Manual, expenditure should be evenly managed and rush of expenditure particularly in the closing month of the financial year ..." यह क्लोजिंग मंथ की बात कर रहे हैं। इसमें क्लोजिंग क्वार्टर की बात नहीं हो रही। "... closing month of the financial year would ordinarily be regarded as a breach of financial regularity." और मैं इसी की ताईद में आपकी उस अपेंडिक्स का हवाला देना चाहता हूं जो इन्होंने आखरी साल के, आखरी महीने में, मैं आपको उदाहरण दूं कि टोटल इन्होंने, कम से कम दो दर्जन डिपार्टमैंट ऐसे हैं जिनके 5143.75 करोड़ रुपये में से सिर्फ मार्च के महीने के 20 दिन में 4287.52 करोड़ रुपया एक साल में जो खर्च होना चाहिए था, फाइनेंशिल ईयर के एण्ड के 20 दिन के अन्दर खर्च हुआ जिसमें ऊर्जा विभाग तो ऐसा है कि जिसके 900 करोड़ रुपये सिर्फ एक महीने में उठे हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं सी.ए.जी. का, आप कर्ज लें, आप जनता के विकास के लिए काम करें, आपने एक्ट नहीं बनाया। वहां आपने यह संविधान का उल्लंघन किया। फिर एफ.आर.बी.एम. एक्ट आया। आपने खुद का रिजोल्यूशन पास किया कि हमारे रेवेन्यू से दुगना ज्यादा से ज्यादा बजट नहीं होगा। वह 2001 में आपने पाँच गुना, साढ़े तीन गुना ज्यादा लिया। आप बारबार इस चीज का उल्लंघन कर रहे हैं। प्रिसिडेंट्स हैं, परम्पराएं हैं, आज से पहले भी होता हुआ आया है, आदरणीय, आज से पहले तो कुछ वर्ष पहले तक तो हिन्दुस्तान का बजट पाँच बजे पेश होता था, उसको चेंज करके 11 बजे पेश करना चालू किया कि नहीं किया? आखिर परम्पराएं

जो हैं उसको अगर सदन नहीं बदलेगा तो परम्पराओं से बाकी और सारी की सारी चीजें और निकलेंगी।

मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय, कि हमारे बीच में अब मैं इसलिए यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि मैं भी एक फाइनेंशियल कमेटी का मैम्बर हूं और जब फाइनेंशियल कमेटी का मैम्बर हूं तो कुछ ऐसे विषय मेरे सामने आ जाते हैं, जिसको मैं आवश्यक समझता हूं कि आज आपके बीच में करूं। यह बजट से संबंधित नहीं है। यह बजट के मैनेजमैंट से संबंधित नहीं है। यह फिस्कल मैनेजमैंट के और उस करेक्शन के संबंध में है, जिसको है। आपने यह कहा और तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी इस बात की चिंता जाहिर की। हमारे विद्याधर नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी चिंता जाहिर की कि कर्ज बहुत हो गया। आदरणीय, जो कर्ज इस लेखे-जोखे में है न वह तो कर्ज वह है जो आपको और हमको दिख रहा है। इस लेखे-जोखे के अलावा भी कर्ज ले लिया आपने। जो इस सदन को आज तक मालूम ही नहीं। आपने एक्ट नहीं बनाया इसलिए जो आपकी परम्परा थी, उसके आधार पर आप जितना कर्ज ले रहे हो, उसकी यहां चर्चा कर लेते हो लेकिन इस कर्ज के लेने के अलावा जो आपकी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनके ऊपर कितनी देनदारी है, उन-उन देनदारियों के लिए राजस्थान सरकार ने कितनी गारंटियां दे रखी हैं और अगर वह वहां गारंटी को पूरा नहीं करे तो राजस्थान सरकार को वह सारा कर्जा चुकाना पड़ेगा, उसके बारे में मैं आपको जानकारी प्रेषित करना चाहता हूं। आपके पास के अन्दर 7 हजार करोड़ रुपये की देनदारी गारंटीज में पड़ी हुई है और जब फाइनेंस डिपार्टमैंट को यह बात पूछी गयी तो फाइनेंस डिपार्टमैंट ने, सी.ए.जी. ने इस बात को रेज किया कि यह वह कर्ज है जिसकी अनुमति आपने सदन से नहीं ली।

आदरणीय, संघीय प्रणाली के अन्दर, पार्लियामैंट्री फॉर्म आफ गवर्नमैंट में एक ही अधिकार है और वह अधिकार इस सदन को है, बाकी सारे मंत्रियों को है, बाकी सारे सदन के नेता को है लेकिन इस जनता का पैसा खर्च करने का अगर कोई अधिकार है तो सिर्फ इस सदन को है। यह सदन की अनुमति से ही पैसा खर्च हो सकता है और जनता के लिए कर्ज लेने का अधिकार है तो भी इस सदन को है। इस सदन की बगैर अनुमति के कर्ज नहीं लिया जा सकता क्योंकि जब कर्ज सरकार लेती है तो इस जनता के प्रत्येक व्यक्ति के सिर के ऊपर कर्ज का भार होता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय, कि आपके कर्ज के अन्दर, जब यह जवाब पूछा गया तो फाइनेंस डिपार्टमैंट ने यह कहा कि वो-वो कम्पनियां जिन्होंने कर्ज लिया है, वो अपनी परिसम्पत्तियों से यह कर्ज चुका देंगी अगर डिफाल्टर हुई तो।

अब मैं आदरणीय, आपकी 2009 की कॉमर्शियल, 2009 की आपकी कॉमर्शियल सी.ए.जी. की रिपोर्ट कहता हूं। जिन कम्पनियों ने कर्ज लिया है, उसमें सबसे बड़ा कर्जदार आपके डिस्कॉम है। पावर क्षेत्र की कम्पनियां हैं। आप मुझे यह बताइये कि जिन कम्पनियों

की डेट-इक्विटी रेश्यो, मैं पुन: निवेदन कर रहा हूं जिन कम्पनियों का डेट-इक्विटी रेश्यो 7:1 हो, 5:1 हो, 6:1 हो, जहां एक रुपये की असेट पर सात-सात रुपये का कर्ज हो।

शिव/अरूण/29.3.2010/15.00/2j

वह कम्पनियां कैसे अपना कर्ज चुकायेगी और एक न एक दिन राजस्थान सरकार को उन सबका कर्ज चुकाना पड़ेगा। इस बात के लिये मैं आपके सामने वह इंडेक्स खोलना चाहता हूं जो इस कामर्शियल इंडेक्स में है। आपके जितने पब्लिक उपक्रम हैं या कम्पनियां हैं, उनके अंदर मैं सिर्फ एक सैक्टर की कम्पनियों का इसमें हवाला दे देता हूं उससे स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। आपके जितने विद्युत वितरण निगम हैं राजस्थान रिनुएबल एनर्जी कार्पोरेशन का डेट इक्विटी रेशो 6.20:1 है। Six times of equity! उसकी नेट असेट वैल्यू इससे कई गुणा कम हो गयी। 6 गुणा ज्यादा उसके सारे असेट को तोड़ लो, तब भी उस पर कर्ज उससे 6 गुणा ज्यादा है। आप अगर राजस्थान राज्य का विद्युत प्रसारण निगम का लेलें तो 3.17:1 है। अगर आप जयपुर विद्युत वितरण निगम का ले लें तो 6.21:1 है, 5.20 पिछले साल 6.21:1 इस साल 2009 के अंत तक है। इसी तरीके से जो कर्ज बढ़ रहा है यह गारंटियां गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने दे रखी हैं। अगर आप अजमेर विद्युत वितरण निगम का लें 4.62:1 है। जोधपुर का लें 6.21:1 है। अगर आप राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण का लें तो 3.17:1 है, यह गारंटियां हैं। आपकी जो मीटिंग इस बजट सत्र के पहले जो केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी के सामने हुई, जो आदरणीय सदन के नेता और प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने वहां उनके सामने आपने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया,लिखित में आपने कहा है कि हमें 15 हजार करोड़ रुपये अपनी इन पॉवर क्षेत्र की कम्पनियों के लिये चाहिये, क्योंकि यह अपना कर्ज स्वयं नहीं उतार सकेंगी। इसलिये यह आपने कहीं न कहीं स्वीकार कर लिया है कि यह एक भी कम्पनी, जिनकी डैट इक्विटी रेशो इतनी ज्यादा है कि यह कर्ज नहीं उतार पायेंगी और राजस्थान की जनता को यह कर्ज पूरा करना पड़ेगा। आखिर हम यह चाहते हैं कि किस नियम से आप यह बात कह रहे हो। यह कम से कम सदन में लाकर सदन से इस बात को अप्रूव कराओ कि 15 हजार करोड़ का कर्ज इस जनता पर और पड़ने वाला है। 91 हजार करोड़ न रहकर 1 लाख 05 हजार करोड़ का कर्ज राजस्थान की जनता पर पड़ेगा। आखिर आप इस चीज का जवाब तो दोगे। पिछले 60 वर्ष से तो बहुत-सी बातें हो रही हैं। पिछले 60 वर्ष से जो बातें हो रही हैं, उसको तो आप निश्चित तरीके से सुधारेंगे। और तो और सभापति महोदय, वहां भी अतिश्योक्ति हो गयी। जिस विद्युत वितरण कम्पनी के ऊपर राजस्थान सरकार ने गारंटियां दे रखी हैं, उन्होंने अपनी ही जब आडिट रिपोर्ट आई तो उनके आडिटर क्या कह रहे हैं, वह मैं आपसे निवेदन कर देता हूं। यह वह कम्पनियां हैं जिसमें आम आदमी राजस्थान का कर्जदार बन गया है। राजस्थान की सरकार ने जिनके लिये गारंटी दे रखी है, उनका इंटरनल आडिटर क्या कहता है और सी.ए.जी. क्या कहती है, यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं। यह मैं आठवीं एनुअल रिपोर्ट जयपुर विद्युत वितरण निगम की

बात कर रहा हूं। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है – "The Financial Statement of the Company have been prepared under historical cost convention in accordance with the GAPP (General Accepted Principles of Accounting) and the provisions of the Companies Act, 1956." इसके अंदर अगर आप इनका एक्सप्रेशन और इनकी जो कमेंटरी है, उसको पढ़ेंगे तो आप यह पायेंगे – "The company accounts have been prepared on no-profit-no-loss basis as per the provisions of the financial restructuring plan as approved by the Government of Rajasthan by booking revenue gap as subvention receivable from the government." इसमें कहा है – "As per GAPP ..." .(व्यवधान)...

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, जितने आदमी अभी तक बोले हैं न, यह जिस विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं, मैं न तो यह कह रहा कि यह इनकी गलती है, 60 बरस में जितनी सरकारें आईं, जितने मंत्री बनें, सबने परम्पराओं का साथ लेकर यह काम किया है। मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं – "That they are not in consonance with the accounting standards and the provisions of the Companies Act 1956." Sir, there can be no two standards. अगर आप कम्पनीज एक्ट से गवर्न होते हैं तो आपको जनरल प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। आप वहां यह कहते हैं कि राजस्थान की सरकार इस गैप को पूरी करेगी और राजस्थान की सरकार 176 करोड़ के लिये इसी में यह बात कह देती है, it is not acceptable तो यह अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, यह वह कम्पनियां हैं जिनके लिये आपने हजार करोड़ रुपये की गारंटियां दे रखी हैं और सी.ए.जी. क्या कहती हैं इसी की अकाउंटिंग और सप्लीमेंट्री आडिट सी.ए.जी. ने किया है। सी.ए.जी. ने इसमें एक बात स्पष्ट की है कि "Accounts have been prepared on no-profit-no-loss basis by adjustment in revenue to the level of its expenditure by various adjustments which are not ..." अगेन मैं पढ़ रहा हूं, " ... which are not in accordance with the accepted accounting principles and accounting standards." सर, आप तो बेसिक अकांउटेंसी को ही चैलेंज करने लग गये। परम्पराओं के नाम पर कल तो आप डेफिसिट के बजट को आप यह कह दोगे परम्पराओं के अंदर डेफिसिट कहने की आवश्यकता नहीं है, यह न्यूटल बजट है तो फिर मैं आपको यह कहता हूं कि बजट की डेफिनेशन भी आप रि-डिफाइन कर दें। आप कर्ज ले रहे हैं और सदन को नहीं बताते। आप राजस्थान की जनता के ऊपर कर्ज का भार डाल रहे हैं गांरटी के रुप में और सदन को बताना नहीं चाहते। आप अकांउटिंग प्रिंसिपल्स को फालो नहीं करना चाहते। जहां कहीं भी कोई वित्त व्यवस्था की कमजोरी सामने आती है, परम्पराओं और रेगुलेशन की बात कर लेते हो। Are these companies above Companies Law? Are these companies above principles of financial discipline? At least, we are answerable to somebody, Sir. मैंने तो पिछली बार भी अर्ज किया था और मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता कि यह बात किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी की नहीं

है। सर, ऐसी कौनसी आवश्यकता पड़ गयी थी मेरे ख्याल से यहां सेक्रेट्री फाइनेंस भी बिराजे हुए होंगे, आपके पूरे के पूरे अधिकारियों ने एक ऐसी बैलेंस शीट पर दस्तख्त कर दिये जो राशि करोड़ों में होनी चाहिये थी और उन्होंने लाखों में कर दी, मतलब किस प्रकार का इंग्नोरेंस है, किस प्रकार का एरोगेंस है? जिस प्रकार से आम जनता के पैसे के प्रति संवेदनहीनता है, आदरणीय, अगर सी.ए.जी. नहीं होता तो जो इस आडिट था, इस आडिट ने कहा जहां करोड़ों में होना चाहिये था, इसी कम्पनी ने 693 करोड़ को 693 लाख में कर दिया। 2218 करोड़ को 2218 लाख कर दिया आदरणीय और 26.16 करोड़ को 26.16 लाख कर दिया। अगर यह सी.ए.जी. नहीं होता तो इस पर दस्ख्त हो चुके होते और आम जनता यह सोचती कि एक हजार लाख का है, आदरणीय एक हजार लाख का नहीं था, वह ढाई तीन हजार करोड़ का था। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं इस राजस्थान की जनता गरीब हो सकती है, राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति से जनता लाचार हो सकती है, लेकिन यह जनता वह है जो प्रकृति को भी मजबूर कर देती है, यह जनता वह है जो सियासती सत्ता में बिठाने का ओहदा रखती है, लेकिन यह भी चाहती है कि मेरे आंखों के आंसू पोंछो तो सत्यता के रूमाल से पोंछो, झुठलाई की जबान से न पोंछो। यही कहता हुआ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, विनियोग विधेयक और राजस्थान वित्त विधेयक के ऊपर हम चर्चा में भाग ले रहे हैं। किसी भी राज्य की सत्तारूढ़ सरकार को बजट पेश करना होता है और उस बजट में वह बातें उल्लेखित करनी होती है, जिसके आधार पर जनता ने, जिस जनता ने यहां चुनकर भेजा है, वह उनसे क्या-क्या वायदे करके आये हैं और क्या-क्या लोक कल्याणकारी कार्य उनके करने हैं और यह सब करने के लिये चूंकि केन्द्र सरकार से भी राशि मिलती है, लेकिन कुछ ऐसे कर भी होते हैं जो राजस्थान की सरकार को लगाने पड़ते हैं, चाहे कोई भी सत्ता में आता हो निश्चित रूप से आम आदमी के मुख्य मंत्री, गरीबों के मसीहा, हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत ने भी इस वर्ष 2010-11 का जो बजट प्रस्तुत किया।

pcs-usc-29.03.2010-15.10-2k

उसमें मैं ज्यादा निवेदन नहीं करना चाहता, प्रत्येक पहलू का उन्होंने छुआ। यह बजट आम आदमी का, गरीब का, एस सी का, ए सटी का, अल्पसंख्यक के लिए, किसान के लिए व्यापारी के लिए, बेरोजगार के लिए सभी वर्गो को राहत प्रदान करने वाला बजट है। निश्चित रूप से पूर्व सरकार ने जो जो कार्य नहीं किये और उसके कारण से इनको विपक्ष में बैठना पडा। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ऐसे ऐसी लोक कल्याणकारी कार्य करने की जो योजना प्रस्तुत की हैं, उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पर्यटन के क्षेत्र में हमारा राजस्थान प्रदेश काफी प्रोटेंशियल है और यहां पर देश और विदेश से पर्यटक आते हैं और

उससे हमें राजस्व प्राप्त होता है। पूर्ववर्ती सरकार ने पर्यटन के नाम पर क्या किया, आप और हम सबको मालूम है। पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने रोड रेम्प शो किया और पुष्कर जैसे धर्म स्थल कि ऊपर जिस प्रकार से उनके अधिकारियों ने नंगा नाच करवाया जिससे पर्यटन को बढ़ावा नहीं मिलता है। इसके लिए विकास करना पड़ता है। माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने पर्यटन के क्षत्र में चार करोड़ रुपये इस बजट में अधिक देकर पर्यटक स्थलों को विकसित करने का काम जो हाथ में लिया है उसकी हम भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं । मैं जहां से आता लक्ष्मणगढ़ से, वह और वहां का शेखावाटी इलाका जहां से माननीय विपक्ष के उप नेता महोदय आते हैं, वह क्षेत्र भी पर्यटन की दृष्टि से काफी विकसित होना चाहिए। चाहे हर्ष की पहाड़ी हो, चाहे शाकम्भरी का पर्यटन स्थल हो, चाहे लक्ष्मणगढ़ की पुरानी हवेलियां पुरातत्व की हों, वहां पर बनी हुई हैं, वह हों, पिछले पाँच सालों में जिस प्रकार की उनकी व्यवस्था रही। जाति से जातियों को लड़ाया गया, कितने गोलीकाण्ड हुए... ...(व्यवधान)... आप सुन लीजिए। इसीलिए सामने बैठना पडा है। वह बातें बता रहा हूं। अगर आप इसमें सुधार कर लें तो पता नहीं नम्बर जल्दी आ जाए वरना बीस साल भी नम्बर सआने वाला नहीं है। आप आराम से सुन लो, तसल्ली से सुन लो।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक ऐरा गैरा आदमी पिछले पूर्व के शासन में जिसका कोई स्टेटस नहीं, वह आदमी भी एक एस पी और आई जी रैंक के आदमी को स्टेडियम में गला पकड़कर यह कह देता था कि तेरी फीत उतार दूंगा। माननीय अशोकजी गहलोत ने यह व्यवस्था की जोधपुर और जयपुर में कमीशन प्रणाली लागू करके, कि किस प्रकार का पूर्ववर्ती शासन में जो नंगा नाच होता था, पुलिस अधिकारियों को प्रताड़ित किया जाता था। महिलाओं, बहिनों और माताओं को प्रताड़ित किया जाता था। चोरी और भू-माफिया इतने हावी हो गये थे, वह सारा का सारा दुबारा क्रियान्विति हमारे आम आदमी का आम प्रदेश में खुशहाली हो, शांति हो, भू-माफिया को बढ़ावा नहीं हो, शराब माफिया नहीं बढ़े। इसके लिए पुलिस प्रणाली का जिस प्रकार से उन्होंने लागू करने के लिए बजट में घोषणा की है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं उपनिवेशन क्षेत्र में भी 31 दिसम्बर, 2010 तक बकाया किश्तों का एकमुश्त चुकाने पर ब्याज माफ करने की किसानों के घोषणा की है। यह भी किसान के लिए कल्याणकारी योजना है।

मैं निवेदन करना चाहता है कि नगर निगम जयपुर की हालत पूर्ववर्ती सरकार ने किस प्रकार की थी सफाई करने वाले कर्मचारियों और निगम के अधिकारियों को कोई किसी प्रकार का वेतन नहीं मिलता था। माननीय मुख्यमंत्रीजी ने इस पर भी चार सौ करोड़ रुपये देकर राजस्थान अरबन डवलपमेंट फण्ड की भी स्थापना करके इन नगर निकायों को भी अच्छा मजबूत बनाने का जो काम किया है और जो कच्ची बस्तियों के लिए राजीव गांधी आवास की जो शुरूआत की है, ये नहीं कर पाये, इसलिए इनको विपक्ष में बैठना पडा। हमारे मुख्य मंत्रीजी आम आदमी और गरीब के मुख्य मंत्री हैं। जयपुर वर्ल्ड सिटी क्लास का सपना इन्होंने देखा भी नहीं होगा, जयपुर में मैट्रो की योजना के बारे में यसुना भी नहीं होगा,

कल्पना नहीं की होगी और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 179 करोड़ का इस बजट में प्रावधान रखकर यह काम किया है, यह ऐतिहासिक होगा।

आये दिन रोड एक्सीडेंट होते रहते हैं। पाँच साल तक आपने बैठे बैठे कुछ नहीं किया, मंत्री लोग आपसे में लड़ते रहे और मंत्रीगण मुख्य मंत्रीजी से लड़ते रहे। आम अवाम जाति और धर्म के लोगों को लड़ाते रहे। कभी हज हाउस नहीं बनने देंगे, कभी यह नहीं करने देंगे लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने रोड सेफ्टी कोंसिल का गठन कर उन दुर्घटनाओं को रोकने का काम इस योजना के माध्यम से अपने हाथ में लिया है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रोडवेज की बसें जो बहुत खटारा और नाकारा हो गयी थी, 650 नयी बसें राजस्थान के इतिहास में, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में घोघणा ही नहीं की बल्कि वह खरीदी भी जा चुकी हैं और रोड पर शीघ्र आने वाली हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में रिफाइनरी की बात बार-बार उठी पिछले पाँच सालों में, मैं इस सदन में नहीं था लेकिन अखबारों के माध्यम से पढ़ते थे, पूर्ववर्ती सरकार की गलत नीति के कारण से हमारी रिफाइनरी नहीं आ सकी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी प्रयासरत हैं और मुझे व्यक्तिगत रूप से पूरा भरोसा है कि वे जल्दी से जल्दी रिफाइनरी की सौगात राजस्थान में लेकर आयेंगे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पेयजल के लिए पाँच साल तक इन्होंने क्या किया? आप और हम सब, जनता जानती है, एक पूर्व जलदाय मंत्री ने कहा कि जो आना है वह जायेगा, चाहे दूषित से मर जाए और पानी मांगने वालों को घड़साना और सोहेला में गोलियां दी गयीं। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यही नहीं इन्होंने 1850 करोड़ रुपये बिना प्रावधान किये खर्च कर दिये, आज हमारी जनता उससे त्रस्त है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और माननीय जलदाय मंत्रीजी ने सबने मिलकर एक अच्छी योजना बनायी, पेयजल में अच्छा खासा पैसा आया और काफी योजनाएं नयी शुरू की जा रही हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस फ्लोराइड की समस्या हमारे शेखावाटी में, मेरे निर्वाचन क्षेत्र, फतेहपुर, चूरू और उधर है उसके लिए इन्होंने पाँच साल तक, इनके खुद के सदस्य कहते रहे लेकिन इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि फ्लोराइड मुक्ति के लिए उन्होंने मेरे निर्वाचन क्षेत्र और फतेहपुर में भी पचास लाख रुपये देकर सर्वे का काम शुरू करवाकर उस योजना को शुरू करने की दिशा में काम शुरू करवाया है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय चिन्तित हैं। आज दो रुपये किलो बी पी एल को और वह बी पी एल जिनको आपने छोड़ दिया था गलत नीतियों के कारण, उनको भी मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में स्टेट बी पी एल मानते हुए उन्हीं को बी पी एल के समान सुविधाएं दीं। वृद्धों को ले लीजिए, विकलांगों को ले लीजिए, बेसहारा निशक्तजन को ले लीजिए, आम आदमी जब मत देता है और सरकार की कल्पना करता है तो वे सारे के सारे पिछड़े एस सी, ए सटी, बी पी एल और जा गरीब विकलांग निशक्तजन हैं वे सब यह चाहते हैं कि हमारे

कल्याण के लिए होना चाहिए, बड़े उद्योगपतियों के कल्याण की आवश्यकता नहीं है। उनका कल्याण तो अपने आप हो जाता है। इसके लिए पहली बार मुख्य मंत्रीजी ने पिछली बारे भी और इस नये बजट में भी घोषणा की और जापान बैंक फार इन्टरनेशनल कारपोरेशन की तरफ से जो 612 करोड़ रुपये की योजना था, 2005 और 2006 से थी और उसमें से 2008 तक इन्होंने एक पैसा खर्च नहीं किया, कोई काम नहीं किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी को सदन के माध्यम से उन्होंने वह कार्य वापस शुरू किया और जल्दी ही इस योजना के लिए पैसा मिल रहा है। भारत सरकार को भी प्रस्ताव भेजे गये हैं और लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा।

स्वास्थ्य के मामले में इन्होंने कितने सब सेन्टर खोले, कितनी पी एच सी खोलीं, कितनी सी एच सी खोलीं। 537 सब सेन्टर एक साल में खुल गये। सी एच सी और पी एच सी की आवश्यकता है। इस बात का हमें ध्यान है। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि सी एच सी और पी एच सी खोली जावें। इनकी भी आवश्यकता है।

मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष के माध्यम से लोगों को फायदा देने का जो काम हमारी सरकार ने किया है, एक आम अवाम और गरीब को लाभ देने का काम किया है, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है।

हरित राजस्थान की कभी कल्पना नहीं की होगी विपक्ष में बैठे हुए सदस्यों ने। मैं तो कहता हूं कि इतना बड़ा कार्यक्रम हरित राजस्थान का, पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में इसकी चर्चा है। ईश्वर की मेहरबानी नहीं हुई और बरसात कम हुई, इसके कारण से कमी रह गयी। ईश्वर मेहरबान जरूर होगा।

Msr/usc/1520/2l/29032010/अशोधित प्रति/प्रकाशनार्थ नहीं

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज क्रांति का, टैक्नोलोजी का जमाना है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बात के लिए कि घर-घर में पारदर्शिता हो, सारी की सारी योजनाएं एक गांव, दूर-दराज में बैठा हुआ भोला-भाला आदमी भी, पंचायत लेवल पर पूरे भारत की, पूरे विश्व की जानकारी ले, अपनी योजनाओं को देखे इसके लिए राजीव गांधी सेवा केन्द्र प्रत्येक पंचायत समिति और प्रत्येक ग्राम पंचायत में खोलने का जो निर्णय किया है, निश्चित रूप से सराहनीय है। नहीं कर पाये यह तो इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो अच्छा काम किया उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए लेकिन विपक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि एक ने नहीं की।

खेलकूद को बढ़ावा दो, खेलकूद को बढ़ावा दो, कहां गया आपका खेलकूद? आज पीका के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में घोषणा की है, माननीय प्रधानमंत्रीजी भी यह चाहते हैं, हमारे ग्रामीण विकास केन्द्रीय मंत्री भी यह चाहते हैं और पीका के माध्यम से खेल को बढ़ावा मिलेगा। ग्राम पंचायतों में ब्लॉक स्तर पर यह केन्द्र बनेगा।

कोआपरेटिव के डिपार्टमेंट में आप ले लीजिए, इन्होंने पाँच साल में कोई जनप्रतिनिधि को आगे नहीं बढ़ने दिया, कितनों को ऋण दिया, यह इनकी हिटलरशाही थी और उसका परिणाम यह हुआ कि इनको सामने बैठना पडा। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सबसे पहले घोषणा की, सहकारिता मंत्रीजी ने और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कि इनके जिला स्तर तक चुनाव करा दिये, में मांग करूंगा, निवेदन करूंगा विनम्र शब्दों में कि यह राज्य स्तर पर भी कोआपरटिव के चुनाव होने चाहिए। 40 क्रय-विक्रय सहकारी समितियां पंचायत समिति हैडक्वार्टर पर खोलने का जो एलान किया है वो भी स्वागत योग्य है। जब विकास की दौड़ में हम चलेंगे तभी हमें पता चलेगा, पहले की तरह हम केवल सरकारी अधिकारियों के भरोसे इस सहकारिता को नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं, पहली बार राजस्थान की सरकार ने 408 किसानों को किसी प्रकार से प्रोत्साहन दिया, उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया, वो खेती में जुटे और अपना जीवन स्तर सुधारे। 408 किसानों को 75 लाख रुपये के लगभग, आज ही हम अखबारों में पढ़ रहे थे, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, माननीय कृषि मंत्रीजी ने जिस प्रकार से 75 लाख रुपये का इनको दिया है।

एक बात मैं निवेदन जरूर करना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी से विनम्र शब्दों में कि यह खल और बिलोना पर जो कर है यह वास्तव में किसान के हित की बात है, इसके ऊपर अगर विचार कर सकते हो तो मेरा विनम्र निवेदन है इसको कर मुक्त किये जाने के लिए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, हमने काम हाथ में लिया है। आपने लिया था सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम था बॉर्डर बेचना और पैसा इकट्ठे करना, वो काम माननीय मुख्य मंत्रीजी अशोकजी गहलोत की नीति में नहीं है और नियति में नहीं है। आपकी नीति, नियति के कारण से आपने बॉर्डर बेचे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जच कर के आनन-फानन में अच्छे पैसे कमाये, उसके कारण से आपको विपक्ष में बैठना पडा। हमारी सरकार केवल गरीबों की हितैषी है, आम अवाम शांति से रहे, सब को सुविधाएं मिलें चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, इस सोच के साथ है।

शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या किया, किसी से छिपा हुआ नहीं है। माननीय सभापति महोदय, अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के जो कर्मचारी वर्षों से अपने हैजिटेशन करते थे, बारबार मांग करते थे लेकिन पिछली, पूर्व सरकार ने इनको कुछ भी नहीं किया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी का कि उन्होंने अनुदानित शिक्षण संस्था के जो स्वीकृत पदों पर जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनको सरकारी नौकरी, गांवों में सरकारी स्कूलों में लगाने का जो काम किया है।

बालिका फाउंडेशन से तीन बच्चियों को विदेश नि:शुल्क भेजने में पूरा खर्चा सरकार उठायेगी, आपकी सोच में यह कल्पना भी नहीं हो सकती कि बालिका, महिला आगे बढ़े और महिला आरक्षण बिल को लेकर के जब यू.पी.ए. की चेयरपर्सन, माननीय सोनिया गांधीजी ने,

मनमोहन सिंहजी ने इस बिल को आगे किया तो घबरा कर के कि कहीं महिलाओं का वोट बैंक नहीं खिसक जाए, आपने भी उसका समर्थन कर दिया, समर्थन किया तो आपको धन्यवाद है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, शिक्षा के साथ-साथ कृषि में भी आज देखिये कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है, पूर्व सरकार में क्या थी, कृषि विभाग में कितने घोटाले हुए, आप किसी से छिपा हुआ नहीं है, पूरे सदन से, पूरी जनता से, पूरे अधिकारियों से, एक आई.ए.एस. रैंक का अधिकारी आरोप लगाये कि कृषि मंत्री ने इतने घोटाले कराये, इतने घोटाले कराये उसकी जांच होनी चाहिए और उसको वोलेंट्री रिटायरमेंट लेना पडा। इस तरह की जो व्यवस्था थी यह आप से, हम किसी से छिपी हुई नहीं है।

अभी जो मैं निवेदन कर रहा था, माननीय सभापति महोदय, कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने तीन बालिकाओं को अपने खर्चे पर, सरकार के खर्चे पर, इसमें मैं एक निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी से सदन के माध्यम से कि इसमें वो बच्चियां भी बहुत हैं जो निजी शिक्षण संस्थानों में पढ़ती हैं, अनुदानित शिक्षण संस्थाओं में पढ़ती हैं,नश्चिति रूप से बालकि फाउंडेशन में उन सबका पैसा है इसलएि अगर इसमें यह भी संशोधन हो जावे, इनको भी यह लाभ मिल जावे तो निश्चित रूप से बच्चियों के साथ जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अच्छा करने का प्रयास किया है वो और ज्यादा अच्छा हो जायेगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं समानीकरण के लिए, आप पाँच साल में नहीं कर पाये, कभी कलेक्टर को अधिकार दिये, कभी बी.ई.ओ. को दिये, डी.ई.ओ. को दिये लेकिन नहीं कर पाये, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी का कि उन्होंने समानीकरण का बजट में प्रावधान कर के यह घोषणा की कि सरकार वास्तव में संवेदनशील है, इस शिक्षा के स्तर को सुधारना चाहती है। लोग गांवों में अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाये, उनको अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए समानीकरण हो, अध्यापक जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह पदोन्नति वाला कितना इन्होंने हल्ला किया लेकिन कहने के लिए इनके पास में कुछ नहीं है। एक अध्यापक जो केवल अध्यापक रह कर रिटायरमेंट हो जाता, उनको पदोन्नति देकर प्रधानाध्यापक बनाया गया है। एक संस्था में अगर उसका हैडक्वार्टर ऑफ द डिपार्टमेंट होगा, प्रधानाध्यापक जिस स्कूल में होगा अगर उसमें कम भी शिक्षक होंगे तो निश्चित रूप से वो पढ़ा पायेंगे, वो कंट्रोल होंगे।

ऊर्जा के क्षेत्र में आप ले लीजिए, इन्होंने क्या किया, पाँच-पाँच सौ करोड़ रुपये का घोटाला ट्रांसफार्मर खरीद में इनकी सरकार में हुआ और मैं धन्यवाद देनाचाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र में बजट में 52 प्रतिशत राशि केवल ऊर्जा के क्षेत्र में। 52 प्रतिशत, माननीय दांतारामगढ़ से आने वाले सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिस ऊर्जा की और बिजली की, किसान की बात कर के इस सदन में चौथी दफे आ गये, अब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिस प्रकार से ऊर्जा के क्षेत्र में अपने एजेंडे में मुख्य रूप

से लिया है, आने वाले पाँच साल बाद में आपको यह नारा चेंज करना पड़ेगा वरना यहां पता नहीं कौन आयेगा क्योंकि केवल बिजली की बात करने से बिजली नहीं मिलती, उसमें ट्रांसफार्मर लगाने पड़ते हैं इन्फ्रास्ट्रैक्चर डवलप करना पड़ता है और 52 प्रतिशत राशि कोई कम नहीं होगी। माननीय मुख्य मंत्रीजी का सोच है कि गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में बिजली जाए और उस गांव, गरीब आदमी को जो एक झोपड़ी बना कर बैठा है, जो एक मकान बना कर अपने खेत में बैठा है, दूर-दराज ढाणियों में बैठा है उसकी भी रात को बल्ब चसने की उम्मीद पूरी हो। माननीय मुख्य मंत्रीजी का निश्चित रूप से यह सोच है।

अब पंचायतों का और पंचायत समितियों का ...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): डोटासराजी, डिस्टर्ब नहीं कर रहा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्य, आप बहुत सीनियर हैं, मैं तो अभी सीख रहा हूं आपसे, जब चौथी दफे आ जाऊंगा उसके बाद में बात करना, आप बीच में किस बात की बात कर रहे हैं? ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंतिम वक्ता हैं यह।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं यह करंट है न, मैं तो आप के बड़े-बड़े नेताओं को करंट लगाता हूं इसलिए आप इतने बड़े हो नहीं कि आपको करंट लगाऊंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक मिनट, एक मिनट।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो।

अभी, माननीय सदस्य, पंचायत समिति में क्या हुआ, आपकी 37 में से एक सीट नहीं आयी, वो वापस करंट लगा दिया बड़े नेताओं ने। यह तो चलता-फिरता काम है, कल आप कहीं थे आज कहीं हैं, कल यहां कौन था वहां कौन था, यह तो चलता रहता है, कोई फर्क वाली बात नहीं है। ...(व्यवधान)... श्री अमराराम (दांतारामगढ़): हम तो यहीं हैं, डोटासराजी, आप चिंता अपनी करो, 34 से सप्लीमेंट्री से आये हो, ध्यान रखो अपना बाकी का रहने दो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कोई फर्क नहीं पड़ता वो, 34 से आने वाला सदस्य लोक सभा में 22 हजार से बढ़त दिलायेगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह 22 हजार से एम.पी. के चुनाव में आप सामने थे और हमने 22 हजार की बढ़त दिलायी, यह 34 वाला जब चार महीने में बाईस कर सकता है तो पाँच सालों में क्या करेगा, आप देखते जाइये। ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: पला चल जायेगा।

श्री सभापति: समअप करो आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 52 तहसील मुख्यालयों पर उप-खण्ड कार्यालय खोलने का जो काम किया यह आम-अवाम हर वर्ग के लोगों के लिए फायदे का काम है, उसकी सुविधा का काम है।

माननीय सदस्य अभी कह रहे थे कि हमारे जाति विशेष के लोगों का नाम मत लो लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं देवनारायण के उन नेक बंदों को, जिन्होंने सैंकड़ों लोगों को गोली मारी, वो काम हमारी सरकार नहीं कर रही है, डेढ़ साल हो गया एक फायरिंग नहीं हुई, एक गोली नहीं मारी, एक आदमी प्यासा नहीं रहा और वो इंदिरा गांधी केनाल के ऊपर, जहां आपने पाँच साल पानी नहीं पहुंचाया, इस डेढ़ साल में लोग पानी पी रहे हैं।

Ars/usc/2m/1530/29032010/1

आखिरी छोर तक पानी पहुंच रहा है, यह माननीय मुख्य मंत्री जी की सोच है, इस राजस्थान की सरकार की सोच है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वाणिज्य और राजस्व में भी 11.33 की वृद्धि, यह सारी की सारी चीजें देखने की हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो सभी वर्गो को ध्यान में रख कर, आम अवाम के मुख्यमंत्री, गरीबों के मसीहा माननीय अशोक जी गहलोत ने जो बजट पेश किया है और वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक जो प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री घनश्याम जी तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आसन को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और सरकारी मुख्य सचेतक को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस बार सदन में हमने जब डिमांड्स पर चर्चा की तो रात को तीन तीन बजे तक बैठकर हमने चर्चा की और पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी। सरकार के सामने बात आयी। अब वह स्टेज आ गई है कि उन सारी बातों का और सदन में वह सारी बातें जो डिस्कस हुई हैं उन पर सरकार काग्नीजैंस ले और सरकार उनके आधार पर अपनी बात कहे।

माननीय मुख्य मंत्री जी मैं आज का अपना सारा कथन आपने पिछला जो भाषण दिया था बजट का आम बहस का जवाब देते समय जो भाषण आपने दिया था उसको मैंने पूरा पढ़ा है। जहां काला करना था, काला किया है और जहां पीला करना था, पीला किया है और एक एक वाक्य आपका मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा है। चूंकि मैं जब पढ़ता हूं तो उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ता हूं और एक एक बात मुझे आपके भाषण की ध्यान है। मैं उसी पर अपनी बात केन्द्रित करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, आज इस बात के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज एप्रोप्रिएशन बिल पर जिस प्रकार की बहस हुई है, जिस गरिमा के साथ और जिस प्रकार से प्रतिपक्ष ने अपनी बात रखी और सत्ता पक्ष के लोगों ने भी अपनी बात रखी है, वह भी

बहुत महत्वपूर्ण है। सारे आंकड़े, सारे तथ्य हमारे सचेतक जी ने, नरपत सिंह जी ने और राव राजेन्द्र सिंह जी, गोबिन्द सिंह जी, हमारे जोशी जी ने सारी बातें रखीं। हमारे बहुत पुराने 1980 से हमारे साथ आने वाले डाक्टर जकिया जी ने भी अपनी सारी बातें सदन के सामने रखी हैं, उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी सदन का सैंस आ गया है। इसलिए मैं आंकड़ों पर, कितना राजस्व घाटा हुआ इस पर नहीं जा रहा हूं, कितना आपका कैपीटल आउट ले, उस पर नहीं जा रहा हूं, कितना फिस्कल डेफिसिट है उस पर नहीं जा रहा हूं, कितना आपका कर्ज है मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। कुछ बातें सैटल्ड हो गयी, सरकार के कागजों में भी सैटल्ड हो गयी और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने बताया उनसे हो गयी।

मैं अपना सारा ध्यान माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात पर केन्द्रित कर रहा हूं, आपने यहां कहा था कि बजट का मतलब यह है कि यहां के माननीय सदस्य क्या कहते हैं और जनता की क्या आवाज आती है, वह बजट है और आपने मुझे यह भी कहा था कि वह आवाज भी आपने सुनी होगी तो वह आवाज मैंने तीन तीन बजे तक बैठकर यहां पर सुनी है और जनता में भी सुनी है। उस आवाज को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, बजट की थर्ड स्टेज एप्रोप्रिएशन बिल है 204 के अन्तर्गत वह अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त है जिसमें संचित निधि में जिसे अंग्रेजी में कन्सोलिडेटेड फण्ड कहते हैं उसमें पैसे निकालने का अधिकार सरकार को प्राप्त है और सरकार इसके प्रति जिम्मेदार है।

लेकिन मुझे एक बात यह कहते हुए अफसोस है, आपको मैंने धन्यवाद दिया कि हमने राजस्थान की विधान सभा को, केवल राजस्थान की विधान सभा ही नहीं हिन्दुस्तान की सारी विधान सभाओं को हमने बजट सभाओं के रूप में परिवर्तित कर दिया। इसका नाम है राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली। विधायी जो कार्य है वह कार्य हमने बहुत पीछे कर दिये, विधायी कार्यो की जब हम चर्चा करते हैं उस समय दो दिन में दस दस, पन्द्रह पन्द्रह बिल हम पास कर देते हैं। तो जो मूल काम विधान सभा का है सभापति महोदय, कानून बनाना, कानून का पालन करना और कानून को देखना। हम भी दोषी हैं, आप भी दोषी हैं। हम सब लोगों ने धीरे धीरे करके इसकी सीमा करके आठ दिन डिमांड पर बजट पर चार दिन आम बहस पर, एक दिन एप्रोप्रिएशन पर वह जैसे मूलों में पैदा हुआ आदमी होता है ना उसके जो जो टोटके होते हैं वह सारे टोटके हमने विधान सभा में कर दिये और विधान सभाओं के सारे काम को लिमिटेड कर दिया। यह अफसोस की बात है और यह अफसोस इसलिए है कि हम क्या कर रहे हैं।

आज सदन में बहुत चर्चा हुई, माननीय सदस्य डूंगरगढ़ के उन्होंने चर्चा की माननीय मुख्य मंत्री जी की गांधी जी से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपकी कोई बड़ाई करे मैं तो बहुत प्रसन्न होऊंगा, मैं भी आपकी सादगी की बड़ाई करता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ चीजें हम ऊपर उठकर देखें। कुछ ऐसे लोग हैं हमारे राष्ट्रीय जीवन में कि जिन लोगों की बराबरी करना या उनकी बात करना, महात्मा गांधी जी का जो

व्यक्तित्व था, जिस एक आदमी ने अंग्रेजी सत्ता को हिला कर रख दिया था और यह चर्चा हुई कि 19 वीं शताब्दी का आदमी कौन है यूरोप के देशों में तो सारी चर्चा के बाद उन्होंने तय किया कि 19 वीं शताब्दी में एक आदमी को अगर कोई सबसे बड़ा आदमी हम कह सकते हैं दुनियां में तो महात्मा गांधी थे, यहां तक जब सारी दुनिया जा रही है उनकी तुलना हम किसी से करें आलोचना, प्रत्यालोचना में अपने काम के लिए, उचित नहीं है। इसलिए हम ऐसे लोगों को राष्ट्रीय जो पुरूष हैं, उनको ऊपर रखें, यह बात मैं आपसे कहना चाहता हूं।

लेकिन हमारा पतन हो रहा है। व्यक्ति निर्माण का जो राजनीति में काम था वह बंद हो गया। महात्मा जी ने किया, विनोबा जी ने किया, राममनोहर लोहिया जी ने किया, चौधरी चरण सिंह जी ने किया, पण्डित दीनदयाल जी उपाध्याय ने किया, अब हमने बंद कर दिया। अब हमने तो गरीबी दूर करने का कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया है और गरीबी दूर हमारी हो रही है, मुझे बड़ा दुःख है क्योंकि पार्टियों की प्रतिष्ठा गिर रही है। मैं कल एक विज्ञापन देख रहा था, रात को मैंने विज्ञापन देखा मुख्यमंत्री जी, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। आज कल तो क्रिकेट एक ऐसी चीज हो गई है कि जिसमें हमारे केन्द्रीय मंत्री भी भाग ले रहे हैं, हमार राज्यों के मुख्य मंत्री भी उसमें हैं बी जे पी, कांग्रेस सबके और क्रिकेट वह भी आई पी एल और उस क्रिकेट में विज्ञापन क्या है, वह जो विज्ञापन आया एक आदमी कह रहा है हमारे नेता बैठे हैं, टिकिट, तो कुछ लोग कहते हैं महाराज टिकिट तो अपको ही मिलेगा, उसने कहा काहे की टिकिट, बोले पार्टी की, बोले पार्टी वार्टी की भी कोई टिकिट होती है, हमें तो आई पी एल की टिकिट चाहिए, क्या मजाक है। क्रिकेट से गरीबी दूर करने में लग गये हम सारे हमारे राजनीतिक व्यक्तित्व के निर्माण की बात छोड़कर नेता, अभिनेता, ब्यूरोक्रेट क्रिकेट में लग रहे हैं।

चार अरब डालर का सभापति महोदय, यहां आई पी एल के नाम पर सम्पूर्ण देश के अन्दर चार अरब डालर खर्च किये गये, सारे गांव गांव में, गली गली में जुआं घर खोल दिये हमने क्रिकेट के लिए सट्टा हो रहा है सभी जगह आज छोटे छोटे 15-15, 20-20 साल के बच्चे क्रिकेट के सट्टे में लग रहे हैं। हम क्या किस प्रकार की बात करना चाहते हैं, यह हमारे लिए सोचने का प्रश्न है। इस बात को मैं ज्यादा लम्बी नहीं कहना चाहता। आज क्रिकेट सारे देश में इस प्रकार हो गया है कि आप पूछो मत।

माननीय मुख्य मंत्री जी लेकिन एक बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, मैंने तीन पाइंट की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया था, आपने उसको दो चीजों में समेटा। एक संयोग और एक आपने कहा ग्रामेटिकल मिस्टेक। संयोग आपने कहा कि जब मैंने कहा कि जो चार परसेंट से पाँच परसेंट किया हैऔर जो एक्सक्लूडेड आइटम्स थे तो आपने कहा कि यह संयोग था, यह संयोग नहीं है यह गलती है। जो काम करने वाले लोग थे या तो वह जिम्मेदारी से काम नहीं करना चाहते या वह जिम्मेदार नहीं हैं और हम विधान सभा में अगर इतना ही कह दें कि संयोग है और आपने चूंकि ग्रामर व्याकरण का उपयोग किया तो

संयोग का मतलब यह नहीं होता है। संयोग का मतलब यह होता है कि जब अशोक जी गहलोत आते हैं तो बरसात नहीं होती है और बी जे पी आती है तो बरसात होती है, यह संयोग होता है। आप आते हो तो राजस्व घाटा होता है, हम आते हैं तो राजस्व फायदा होता है यह संयोग होता है। हम आते हैं तो भारत सरकार से ज्यादा पैसा मिलता है, आप आते हो तो कम मिलता है, यह संयोग है। इसलिए संयोग और इसको आप ऐसा मत कहिये। इसको आप संयोग कहेंगे तो मैं आपको कहता हूं यह संयोग नहीं है।

फिर आपने कहा कि यह ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ग्रामेटिकल नहीं है। ग्रामर भी मैंने आपके इस भाषण में पूरी पढ़ी है। साठ स्थानों पर मैंने छांटा है जहां ग्रामेटिकल मिस्टेक है आपके कहने के बाद नहीं तो मैं नहीं देखता इतनी बारीकी से। अब एक उदाहरण चूंकि आपने मेरे लिए दिया था इसलिए बता दूं, ग्रामेटिकल मिस्टेक मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं मजाक बना रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि किसी न किसी आदमी की आप जिम्मेदारी फिक्स कीजिए। उदाहरण के तौर पर आपने रुद्राक्ष पर टैक्स माफ किया और आपने वो टैक्स मुझे समर्पित किया है, मैंने पहन भी रखा है। इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने मान लिया कि मेरा टैक्स माफ हो गया लेकिन रुद्राक्ष का जो रु लिखा है वह बड़ा लिखा है, ग्रामेटिक मिस्टेक वह है। रूद्राक्ष लिखा है, आप छह खरब रुपया हमारे से लेकर जा रहे हो, पाँच सौ का नोट तो आपकी जेब में होगा, आप पढ़ सकते हो यह रुपया है उसका रु छोटा होता है वह रुद्राक्ष का होना चाहिए और जो रूप है बीना जी, रूप का रू बड़ा होता है। रूप तेरा ऐसा आँचल में ना समाए, वह जो रूप है वह रूप बड़ा होता है। मतलब मोटा होने से आँचल में ना समाए तो यह जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है ना तो वो है ।

vns/usc/15.40/29.3.2010/2n/अशोधित प्रति/प्रकाशनार्थ नहीं/1

तो इस प्रकार की ग्रामेटिकल मिस्टेक, इसमें ग्रामर की 60 मिस्टेक हैं वह मैंने छांटी है तो यह जो मैंने बात कही कि यह संयोग और त्रुटि नहीं है। वह सारी की सारी गलतियां हैं।

अब डिक्लेयर गुड्स के बारे में अगर हमारे अधिकारियों को पता नहीं कि हम ला नहीं सकते, वह त्रुटि नहीं है, संयोग नहीं है। वह संयोग नहीं है इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो टैक्स माफ किया अभी तक उसका जवाब नहीं मिला। मैंने पूछा था कि आपने जिन-जिन वस्तुओं का टैक्स माफ किया, रुद्राक्ष का किया, उसका किया, उसका किया, कितना हुआ वह ? करोड़ हुआ, 2 करोड़ हुआ, 5 करोड़ हुआ ? टैक्स जो माफ करने वाला है उसको आप बताना क्यों नहीं चाहते हो ? आप छिपाना क्यों चाहते हो ?

मैंने आज एक प्रश्न भी उठाया, उस प्रश्न का सभापति महोदय, अभी तक अध्यक्ष महोदय ने निर्णय नहीं किया। पहले भी किया जब बजट के अन्दर लिखा तो भी आपने यह लिखा कि यह अनुसूची 4 से हटा लिया गया है। अनुसूची 4 से हटाकर आपने किसमें डाला यह नहीं बताया। छिपाया है। आपको यह बताना चाहिये कि अनुसूची 4 से जिन-जिन चीजों

को आपने हटाया उन चीजों से आपको कितना पैसा मिलता था। अब जिस अनुसूची में डाला है, 14 परसेण्ट हो गया उससे आपको कितना पैसा आ रहा है ? उसे छिपाया क्यों ?

फिर इन्होंने फाइनैंस बिल से भी छिपा लिया। फाइनैंस बिल में मैंने पढ़कर सुनाया आपको कि कोई भी आल्ट्रेशन, कोई भी एडिशन, कोई भी इम्पोजीशन, आपको इसमें लाना पड़ेगा। हां, कुछ में नहीं लाते वह एक्ट में आपको अधिकार दिया हुआ है लेकिन शिड्यूल में जब चेंज करते हो, शिड्यूल चेंज करने का मतलब एक्ट में चेंज करना होता है और उसको भी आप आज नहीं लाना चाहते। मत लाइये। जायेंगे जिनको सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाना है। नहीं जाएं लेकिन विधान सभा के रिकार्ड में यह दर्ज रहना चाहिये कि प्रतिपक्ष ने अपनी बात ऊपर आसन के सामने भी रखी और सरकार के सामने भी रखी। यह परम्परा डालना उचित नहीं है मुख्यमंत्री जी। किसी प्रकार उचित नहीं है। आज छिपाकर लाओगे, छिपाकर ले जाओगे, टैक्स लगाओगे और विधान सभा में नहीं बतायेंगे आप, यह करना उचित नहीं है।

मैं सभापति महोदय, चाहता हूं कि फाइनैंस बिल में इसको ठीक किया जाना चाहिये और यह प्रवृत्ति जो ब्यूरोक्रेसी लाना चाहती है धीरे-धीरे पीछे से कि अन्दर ही अन्दर सारा काम कर लो जैसा अभी माननीय राव राजेन्द्र सिंह जी ने बताया था इतनी बोरोइंग्स हैं उनको भी हम लाना नहीं चाहते हैं, यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है। हम इस सदन से कुछ छिपाकर चलें हमारे लिये यह किसी भी प्रकार उचित नहीं है इसलिये माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप सारी बातों को यहां लाएं।

मुख्यमंत्री जी, अब बजट का जो दूसरा बड़ा हिस्सा है वह आता है कि आपने आम जनता को क्या दिया। आपका बजट और भारत सरकार का बजट दोनों बजटों ने एक बात तो प्रमाणित कर दी कि अब महंगाई बढ़ गयी। कैसे कर दी ? 8 परसेण्ट डी ए भारत सरकार ने महंगाई बढ़ने के कारण से केन्द्रीय कर्मचारियों का बढ़ाया और वही 8 परसेण्ट डी ए महंगाई बढ़ने के कारण आपने राजस्थान के कर्मचारियों का बढ़ाया। इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद लेकिन 8 परसेण्ट डी ए तो आपने बढ़ा दिया, 1 परसेण्ट हैं सिर्फ भारत सरकार के कर्मचारी और 4 परसेण्ट में राजस्थान राज्य के कर्मचारी और 14 परसेण्ट लोग ऐसे हैं जिन पर महंगाई का असर नहीं है। बाकी 85 परसेण्ट लोगों पर तो महंगाई का असर है, उनका डी ए कौन बढ़ायेगा मुख्यमंत्री जी ? बजट की आलोचना, मैं उन पर नहीं जा रहा हूं। 85 परसेण्ट जो लोग हैं जिनकी थाली में से आज दाल गायब हो गयी है, जिनकी थाली में आज सब्जियां गायब हो रही हैं, जिनकी थाली में घी गायब हो रहा है, उनका क्या होगा ? उन पर तो आपने एक के बाद एक टैक्स लगाया। वह टैक्स लगाकर आपने उनके साथ और अन्याय किया है। वह टैक्स भी आपने किस प्रकार लगाया ?

मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं आपने लगाया है कृषि पर टैक्स। अभी गोविन्द जी डोटासरा बोल रहे थे, इस सदन का कोई भी माननीय सदस्य अगर आपको कह दे कि खल और बिनौला साल्वेंट प्लांट में जायेगा तो मुझे आप बता दीजिये। नहीं जाता कहीं

भी। आज खल और बिनौला के बारे में पक्ष-प्रतिपक्ष का कोई भी माननीय सदस्य खड़ा होकर यह कहने की स्थिति में नहीं है कि इस पर टैक्स बढ़ाया जाना चाहिये। 8 रुपये किलो आपका जौं सस्ता है और जौं का भूसा महंगा है। मुझे पता है मेरे पास 35 पशु हैं घर पर खुद के। खल और बिनौला भैंस, गाय को हम सीधा खिलाते हैं दूध के लिये। आज पर इतना बड़ा 5 परसेण्ट का टैक्स लगाकर आपने अन्याय किया है उस किसान के साथ, उन 5 लाख पशुपालकों के साथ। जो अकाल से जूझ रहे हैं, जिनके बच्चों को खाने का नहीं है। उनकी गाय, भैंस के मुंह से भी दाना निकालना चाहते हैं, यह लगाने की क्या जरूरत थी ? मैं मांग करता हूं, सारा सदन यह मांग करता है कि आप वह पैसा वापस लीजिये। यह अन्याय का पैसा है। यह अन्याय का है। यह टैक्स अन्यायपूर्ण है इसलिये इस टैक्स का हम जमकर विरोध करेंगे और आपसे प्रार्थना करेंगे इस टैक्स को वापस लीजिये। 5 लाख पशुपालक जो इस समय दूध निकालकर बेचते हैं उन पर आप लगा रहे हो। किस बात के लिये लगाना चाहते हो ? किसने राय दी आपको यह ? आप संवेदनशील आदमी हैं, पश्चिमी राजस्थान में रहते हैं, कितने लोग पशुओं से काम करते हैं, उनकी आजीविका उस पर निर्भर है। आज चारा नहीं मिल रहा उनको। चारा ढोने का आपने बढ़ाया उसके लिये आपको धन्यवाद लेकिन यह इतना बड़ा टैक्स 5 परसेण्ट लगाना किसी प्रकार से न्यायोचित नहीं है। मैं चाहता हूं कि वह टैक्स आप वापस लें।

दूसरा टैक्स आपने जो चौथी अनुसूची से निकालकर 14 परसेण्ट एक साथ किया, ध्यान करें। आज दर्जी के पास कोई कपड़ा सिलाने के लिये जाता है तो वह आदमी कपड़ा नहीं सिला सकता। जितना कपड़े का पैसा है उतना के उतना पैसा सिलाई का लगता है। रेडिमेड़ लाता है, एम आर पी लिखा हुआ। 20 रुपये में जाकर कोई जाकेट ले आया, कोई कुर्ता ले आया और गरीब आदमी ज्यादातर रेडिमेड कपड़ा खरीदता रहता है या होजरी का सामान खरीदता रहता है, बाकी तो सब सिलाते रहते हैं। उस रेडिमेड वस्त्र पर जिस पर हिन्दुस्तान भर के अगर आप देखोगे, आप कहो तो मैं सारे राज्यों की बताऊं क्या-क्या स्थिति है। उन सारे राज्यों में आज 5 परसेण्ट और 4 परसेण्ट टैक्स है और आपने बढ़ाकर एक साथ 14 परसेण्ट कर दिया है। उनके एम आर पी रेट लिखी हुई है सबकी। बड़े संकट में हैं सब के सब। केवल व्यापारी इस संकट में नहीं है। दुकान बंद हो गयी तो व्यापारी तो राजस्थान के बाहर जाकर खोलेंगे या सीमा पर लगायेंगे लेकिन जो खरीदने वाला गरीब आदमी है वह अभी संकट में है इसलिये मैं चाहता हूं कि 4 परसेण्ट चौथी अनुसूची से निकालकर आपने सारे जिन मालों पर 14 परसेण्ट किया है वह सारे सदन को आप बताएं कि कौन-कौनसे वह टैक्स हैं, किस-किस पर टैक्स लगाया है, कितना पैसा लगेगा और किस-किस राज्य में यह है। आज क्या राजस्थान को आवश्यकता पड़ गयी थी आपको इस बात को करने की ? रेडिमेड वस्त्र और उस अनुसूची में जो लगाया गया टैक्स है उस टैक्स को आप माफ करें। यह व्यापार बंद हो जायेगा। इनका बिजनेस बंद होगा। गरीब आदमी को

पहनने को कपड़ा नहीं मिलेगा और स्थिति आपके लिये बहुत खराब होगी इसलिये मैं चाहता हूं कि उस टैक्स को आप कम करें।

फिर आपने मार्बल के बारे में एक नयी क्रियेट कर दी। फिर यह कानून की गलती है। अब या तो आप मुझे कह दो कि मैं गलती बताना मना कर दूं, जो सही बात दिख जाए, आपने पढ़ दिया, मैं ताली बजा दूं। अब मैं आपको एक गलती बताता हूं। मकराना मार्बल के लिये सिर्फ 5 परसेण्ट का हिस्सा है। मार्बल सेलेरी और आज तक इसको नियमों में अलग-अलग नहीं किया। मकराना मार्बल या सारे मार्बल हमारे यहां एक ही हैं और 95 परसेण्ट गरीब आदमी मकराना मार्बल का प्रयोग नहीं करते। वह कोई राजसमन्द से निकल गया, कहीं निकल गया, वह सारा जो मार्बल आता है हिन्दुस्तान भर में जाता है। उस पर आपने कोई छूट नहीं दी। यह मकराना वाले क्या करके दे रहे हो, इसका भी नियमों में संशोधन नहीं किया। बिना संशोधन आपने कैसे, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, बजट बनाते समय यह भी बहुत गलत काम किया है। मैं चाहता हूं कि आप सदन में इस पर घोषणा करें कि इस प्रकार का जो काम है वह नहीं हो।

इस प्रकार जो टैक्स हैं इन टैक्सेज के बारे में भी आपने बहुत कुछ छिपाया है। मैं कह रहा हूं कि आपको टैक्स लगाने की जरूरत क्यों पड़ी ? क्यों पड़ी टैक्स लगाने की जरूरत ? आपने पिछली बार टैक्स लगाया है। आपने भाषण दिया है उसी भाषण का मैं विवरण पढ़ रहा हूं। आपने कहा है कि 551 करोड़ रुपये या 550 करोड़ रुपये इन टैक्सेज से प्राप्त होंगे। यह किसी कुशल आदमी को टैक्स लगाने का अधिकार है तब तो ठीक है। आपका यह जो भाषण है, इस भाषण में आपने सदन को बताया है कि पिछली बार 981 करोड़ रुपये की टैक्स की इन्कम हमें कम हुई। आपने बताया राज्य के हिस्से में कमी 360 करोड़ रुपये, बाड़मेर से रॉयल्टी में कमी 321 करोड़ रुपया, स्टॉम्प रजिस्ट्रेशन से कमी 200 करोड़ रुपया, आबकारी से कमी 100 करोड़ रुपया, कुल 981 करोड़ रुपये आपने कम वसूल किये हैं।

इस टैक्स लीकेज को क्यों नहीं रोका आपने ? आप इस टैक्स लीकेज को रोक नहीं सकते और गरीब आदमी पर जबरदस्ती टैक्स का भार डालना चाहते हो। स्टॉम्प और रजिस्ट्रेशन में कमी हो रही है, भारत सरकार की कमी हो रही है, रॉयल्टी में कमी हो रही है, जब आपकी मशीनरी काम नहीं कर रही है या तो काम नहीं कर रही है या गोलमाल कर रही है। टैक्स वसूली कम होने का क्या कारण है ? टैक्स के लीकेज को सरकार रोकने का क्या प्रबंधन करना चाहती है और जो सरकार टैक्स लीकेज को नहीं रोक सके उस सरकार को टैक्स लगाने का कोई नैतिक अधिकार प्राप्त नहीं है।

श्याम/चौहान 29.03.2010 15.50 2o

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह बिलकुल गलत बात है और यह आपने स्वीकार किया है। किस बात का आप टैक्स लगाना चाहते हो।

सभापति महोदय, यहां पर जो बहस हुई उसमें कुछ बातों में तो हम कमीं कर लें, हमारे पास पैसे नहीं हैं मान लीजिये, केन्द्र की दो बड़ी योजनायें हमारे साथ हैं, उन दोनों योजनाओं का जो बुरा हाल आपने किया है मुख्यमंत्री जी, सारी जनता सुन रही है, उन दो योजनाओं के बारे में अगर आप ध्यान करेंगे, बिन्दु संख्या 6 जो बजट एट ग्लांस आपका है उसमें देखिये केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के लिए 2008 और 2009 में 2630 करोड़ रूपये का प्रावधान था, एनआरएचएम और एसएसए और भी केन्द्रीय योजनाएं हैं वह सारी मिलाकर के बता रहा हूं, 2009-10 में आपने प्रावधान किया 3353 करोड़ रूपये का और खर्च आपने किया है 2311.56 करोड़ रूपया यानि पिछले साल आपने 1042.43 करोड़ रूपया कम खर्चा किया 2009-10 में। अब आपने जो योजना बनायी है 2010-11 की जो हमको बतायी है, उसमें आपने 2400 करोड़ रूपया ही बताया है केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में और इसका मतलब 2008-09 में 2630 था और 2010-11 में घटकर 2400 करोड़ हो गया है। इसके बाद में भी इसमें और कम हो गया, आपने कर लिया, हमने सर्व शिक्षा को 200 करोड़ से बढ़ाकर के 2000 करोड़ तक पहुंचाया था। आपने सर्व शिक्षा अभियान और एनआरएचएम प्रोग्राम दोनों में कटौती की, सिर्फ छोटी सी बात पर कि 85 प्रतिशत आपको पैसा मिलता है, यह आपकी किताब का ही पन्ना मेरे साथ है, इसमें आपने साफ लिखा है कि 2400 करोड़ रूपया हमने 2010-11 के लिए लिखा है और 2311 करोड़ का खर्च किया यह 2008-09 के 2600 से घटकर 2010-11 में अगर 2400 करोड़ तक ले जायेंगे मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय योजनाओं में, क्या जा रहा है। 85 प्रतिशत भारत सरकार दे रही है और हमारे नवाब साहब का भाषण भी मेरे पास है। जो अशोका होटल में उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास 15 प्रतिशत पैसे नहीं हैं। दिल्ली में।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैंने नहीं कहा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): है, है तो फिर कम क्यों कर रहे हो। नहीं मेरे पास भाषण है, मैं दूंगा इनको भी। यह आपकी स्थिति है। मैं चाहता हूं कि आप जवाब दें। इन योजनाओं में एसएसए में और इनमें।

(समय बजे)

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए दु:ख है कि सर्व शिक्षा अभियान, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय अर्जुन सिंह जी को और कांग्रेस सरकार को कि जब हम मीटिंग में गये थे, चर्चा हुई थी मीटिंग में तो दो कमेटियां बनी थी, एक कमेटी बनी थी कपिल सिब्बल साहब की अध्यक्षता में जिन्होंने आवश्यकीय कानून बनाया अनिवार्य शिक्षा का और दूसरी कमेटी बनी थी मेरी अध्यक्षता में जिसमें यूनिवर्सिलाइजेशन ऑफ सेकण्डरी एजुकेशन की बात थी और मुझे यह कहते हुए भी खुशी है कि हमारे यहां के आईएएस अधिकारी सी.के.मैथ्यु उस समय उस कमेटी के सेक्रेटरी बने और मेहनत करके हमने एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट दी भारत

सरकार को, कैब ने स्वीकार किया और उसके बाद भारत सरकार ने स्वीकार करके 60 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान यूनिवर्सिलाइजेशन ऑफ सेकण्डरी एजुकेशन के लिए किया। हमने प्रावधान किया, उस प्रावधान का आप लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। क्यों नहीं उठा पा रहे हैं उसका लाभ। अगर आपके पास 15 प्रतिशत की कमी है ना तो जिनको नौकरी लगा रहे हो उनको कह दो कि तुम्हारा 15 प्रतिशत प्रोविडेंट फंड में जमा करा देंगे, 85 प्रतिशत भारत सरकार से मिलता है, जब प्रोविडेंट फंड का काम हो तब दे देना, भारत सरकार के पैसे से काम हो वह करने में आपको क्या दिक्कत हो रही है। आप उसमें क्यों नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं चाहूंगा कि इसमें आप काम करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात आपसे एक और पूछना चाहता हूं जो पिछली बार आपने बिजली पर 10 पैसे सरचार्ज पानी के लिए लगाया था। उसमें कितना पैसा खर्च हुआ और पानी में कितना मिला उस पैसे में से। अब आपने जो बिजली पर सरचार्ज लगाया है वह बिजली का सरचार्ज कितने लोगों पर लगेगा। 87 लाख उपभोक्ताओं पर लगेगा और 200 से 300 रूपया प्रति उपभोक्ता बढ़ेगा। यह बिजली का सरचार्ज आप इस प्रकार कैसे लगा रहे हैं। कभी पानी के लिए, कभी बिजली के लिए और उसकी स्थिति क्या होगी वह भी आपने छुपायी है, आपने बतायी नहीं। 10 प्रतिशत लगा रहे हैं, आय कितनी है। यह आय आपको बतानी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं 96 लाख अगर आपके उपभोक्ता हैं उसमे से 10 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर 87 लाख उपभोक्ता हैं उसमें से 2 लाख उपभोक्ता काट दीजिये जो 100 यूनिट से कम बिजली देने वाले हैं, बाकी राजस्थान के 87 लाख लोगों पर एक साथ आपने बिजली का टैक्स लगाया है। मुख्यमंत्री जी, आज तक किसी ने भी इतना बड़ा टैक्स नहीं लगाया है जितना बड़ा टैक्स आपने लगाया है। यह टैक्स भी गलत है आपका। इस टैक्स को आपको वापस लेना चाहिए। आम जनता जब अकाल से ग्रस्त है, आप कह रहे हैं मंदी से त्रस्त है। फिर इस प्रकार का टैक्स लेकर के आने का कोई मतलब नहीं है। यह टैक्स की बात मैं आपसे कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके एफआरबीएम एक्ट के बारे में आपको नहीं कहना चाहता हूं वह सारी बात हमारे माननीय सदस्यों ने कह दी है। लेकिन उसमें से सार आपके सामने बहुत अच्छी तरह से आ जाता है कि आपने कहा कि 0.4 प्रतिशत प्रति साल कम करें, आप उसको कम नहीं कर पाये हैं। इस बार आपने दिया है कि 1.5 प्रतिशत कम करेंगे और आप 1.5 प्रतिशत कम नहीं कर पायेंगे। इस बार जो 8 हजार करोड़ का राजकोषीय घाटा है वह आपको सारा कर्ज लेकर ही पूरा करना पड़ेगा क्योंकि कोई व्यवस्था आपने नहीं की है। आप एफआरबीएम एक्ट के सारे नियम, कानून-कायदों का उल्लंघन कर रहे हैं और पर्दे के पीछे से लोन लेकर के राजस्थान की जनता को नहीं बता रहे हैं यह बहुत गलत बात है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात सरकार की कार्य-कुशलता के बारे में आपके सामने कहना चाहूंगा। दो सर्कूलर माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे पास हैं। एक सर्कूलर अभी आपने जारी

किया है 16 सितम्बर 2009 को और एक सर्कूलर आपने जारी किया था, जब आप पिछली बार मुख्यमंत्री बने थे 13 जून, 2001 को। यह दो सर्कूलर हैं, दोनों सर्कूलरों में आपने मितव्ययता की बात कही है। करना चाहिए मितव्ययता, सरकारी खर्चों में मितव्ययता होटल में नहीं रूकें और कोई नहीं करें, मैं उसमें आपके साथ देता हूं, इसका स्वागत करता हूं। लेकिन आपने मूल रूप से इन सर्कूलरों के बाद सारे मंत्रिमंडल को पंगु बना दिया है। यह मंत्री अब कोई काम नहीं कर सकते हैं। उसमें लिखा है कि बीएफसी की मीटिंग के पहले चाहे बजट में भी पास किया हो, कोई सर्विस देनी हो, नौकरी लगानी हो, नयी भर्तियां बंद, विभागों में नये पदों का सृजन एवं क्रमोन्नयन वित्त विभाग की सहमति से, पदों का सृजन, क्रमोन्नयन में बीएफसी में विचार के बाद ही रिक्त पदों को अधिशेष कर्मचारियों से ही भरा जा सकेगा। आयोजना एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में नियुक्ति भी वित्त विभाग की सहमति से ही आयोजना भिन्न, आयोजना केन्द्रीय प्रवर्तित योजना, कनिष्ठ लिपिक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर भी संबंधित विभाग वित्त विभाग की सहमति के बाद ही भर्ती करेगा। संबंधित विभाग अपने प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग के माध्यम से कार्मिक विभाग व वित्त विभाग को प्रेषित करेंगे, वित्त विभाग का निर्णय ही सर्वोपरि होगा।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में मंत्री डिमांड पास कराकर ले जाता है और अपना पूरा विवरण लेकर के आते हैं। मंत्रियों की डिमांड हम यहां पर पास करते हैं। इस सदन द्वारा मंत्री को जो अधिकार दिया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी सर्कूलर के द्वारा एक ब्युरोक्रेट से उनके अधिकार को छीन रहे हैं। मंत्री बनाकर के भेजेगा और फाइनेंस सेक्रेटरी ना कर देगा। क्यों आपने इनको अधिकार दिलाया आप कह दो विधान सभा में कि मैं यह मांग का सारा अधिकार वित्त सचिव को प्रदान करता हूं। वित्त सचिव स्वीकार करेगा तो मंत्रियों को काम करने का पैसा मिलेगा। क्या हो गया यह, यह सरकार की निष्क्रियता, सरकार में अकर्मण्यता और सरकार में लालफीताशाही बढ़ाने के दोनों सर्कूलर हैं। क्यों कर रहे हैं आप यह। भारत सरकार की व्यवस्था आप देखिये, एक बार पास होने के बाद में उनका हो जाता है। वह मंत्रालय डील करते हैं, वह काम करते हैं। हमारे यहां यह व्यवस्था नहीं है उसका कारण है कि वेज एंड मीन्स पर उनके यहां कोई स्थिति नहीं है, हमारे यहां स्थिति कभी-कभी खराब होती है तो उतना नियंत्रण वेज एंड मीन्स तक तो सीमित है, बाकी यह मंत्री कुछ नहीं कर सकते हैं। वैसे ही तीन केबीनेट आपने बना ही रखी हैं। ठप्पा केबीनेट, सुपर केबीनेट और केबीनेट, केबीनेट के तीन टुकड़े हैं और ऊपर से चौथा टुकड़ा और कर दिया। मंत्री जब यहां जवाब दे तो मंत्रियों को उलाहना देने की जरूरत क्या है, फिर यह झिक-झिक करके धीरे-धीरे बोलें, घोषणा नहीं करें, इसमें मंत्रियों का कोई दोष नहीं है, मुख्यमंत्री जी आपका ही दोष है। आपके दोनों सर्कूलरों में मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इनको दोनों को पढ़िये, इन दोनों सर्कूलरों से कोई मितव्ययता नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो बता दीजिये कि सर्कूलर जारी करने के बाद में आपकी क्या मितव्ययता हुई। कितना पैसा आपने बचाया और वह पैसा बचाकर आपने किस काम में लगाया। मंत्रिमंडल को पंगु करना, मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल

के सदस्यों में और मुख्यमंत्री में एक ही फर्क होता है। वह बराबर वालों में एक नम्बर पर होता है, इतना ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। लेकिन आजकल तो सारा ही फर्क हो गया है। आजकल तो जो मुख्यमंत्री कर दे वही काम ठीक है। बाकी मंत्रिमंडल के लोगों को भी अधिकार मिले और इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इन दोनों सर्कूलरों पर विचार करें। विधान सभा ने जो डिमांड पास की उतना अधिकार स्वतंत्र रूप से मंत्री को करने के लिए मिलना चाहिए। यह मैं आपसे व्यक्तिगत मांग करता हूं।

jyg/usc/29.3.10/16.00/2p

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): 2004 से लेकर 2008 तक के मंत्रिमण्डल की भी तुलना कर लीजिए, उस वक्त क्या होता था और अब क्या होता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बता देता हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए माननीय मंत्रीजी। तिवाड़ीजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मुझसे अपने पक्ष में कहलवाना चाहते हैं। ऐसे में मैं आपसे प्रेरणा लेने वाला नहीं हूं। दूसरा, मैं मंत्रियों के साथ-साथ आपको निवेदन करना चाहता हूं, वह इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे उसका दु:ख है और मैं करता भी नहीं, मैं सिद्धांतत: उस बात को करने के पक्ष में नहीं हूं लेकिन मुझे दु:ख है इसलिए मैं कर रहा हूं। मैंने आपका भाषण पढ़ा, जिस दिन मैंने मामला उठाया था, आपने कहा था, आपकी भावना बहुत अच्छी थी, आपने कहा कि ऐसा प्रावधान होना चाहिए जिससे विधायकों के भी वेतन भत्ते उसी हिसाब से बढ़ जाएं जिस हिसाब से अन्य लोगों के बढ़ते हैं। आपकी भावना बहुत ठीक थी, इसके बाद मैंने संविधान देखा और संविधान के आर्टिकल्स देखें, माननीय मुख्य मंत्रीजी, इसमें इस प्रकार की व्यवस्था की हुई है, एक व्यवस्था है कि राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, ऑडिटर जनरल ऑफ इण्डिया, मुख्य चुनाव आयुक्त, एम पी और एम एल ए, इनका केवल विधान सभा और लोक सभा में बिल लाकर ही पैसा बढ़ाया जा सकता है, न तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हो सकता है और न इसको आप खुद कर सकते हैं, केवल उसको बिल लाकर बढ़ाया जाता है इसलिए रखा है संविधान निर्माताओं ने। इसमें मैं पढ़ रहा हूं, पहले दिया था जब यह संविधान बना था तो ऑडिटर जनरल ऑफ इण्डिया को 4 हजार तनख्वाह रखी थी, अब 1 लाख 20 हजार से ऊपर है, इतनी बार बढ़ाया है हमने। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का बढ़ाया है और फिर सुप्रीम कोर्ट ने और सेठी कमीशन ने सिफारिश कर दी, सारी जूडिशरी, बाद में हमने यहां पर उनका बढ़ा दिया, एक साथ हमने बढ़ाया और आप जब एम एल ए की बात आती है तो आपने घोषणा कर दी यहां पर उनका पैसा बढ़ाने की घोषणा को छाप दिया मीडिया ने कि वेतन भत्ते बढ़े। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से इससे अपमानित महसूस करता हूं, मैं अपमानित महसूस करता हूं। नहीं घोषणा करनी चाहिए थी आपको, कर देते, बिल पेश कर देते, जो करना था वह करते लेकिन इस प्रकार से करने का अधिकार आपको

प्राप्त नहीं है और मैंने एक दिन कहा था, मैं ऐसी बात कहता भी नहीं हूं लेकिन मुझे तकलीफ हुई, क्या फर्क रहता है जी आप में और हमारे में, आप मुख्य मंत्री बन गए, आदर के पात्र हैं, बहुत मुख्य मंत्री बने हैं, कई लोग उप मुख्य मंत्री तक आकर अटक जाते हैं, कई राज्यपाल भी बन जाते हैं, हम हार भी जाते हैं, चुनाव में भूतपूर्व भी हो जाते हैं, यह संयोग की बात है, कोई सीट रिजर्व हो गई, कई लोगबाग आ नहीं सके, हार गए, जीत गए, यह सब बात हमारे सामने आती है, हम इस प्रकार से उन लोगों के बारे में करें कि मुख्य मंत्री का हमने बताया कि आप लोग भूतपूर्व मंत्री को, मुख्य मंत्री को आजीवन मकान आवंटन करा लिया, एज वेल एज प्रिविपर्स, राजा महाराजा बन गए हिन्दुस्तान में। सारे मुख्य मंत्री बनेंगे और जिन्दगीभर आप बड़ी-बड़ी कोठियां लेकर, हम एक बार मुख्य मंत्री दस दिन के लिए बन गए, शपथ ग्रहण कर ली ...(व्यवधान)... ।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): राजस्थान में ही है, सब जगह नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कहीं भी है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। मुख्य मंत्री की आवश्यकता है, उनको फ्लैट बनाकर दीजिए, मकान आवंटन करिये, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए, वे प्रशासनिक काम में रहते हैं, उनकी दिक्कतें हैं लेकिन इतना गैप मत कीजिए, इतना गैप मत कीजिए कि आपके पीछे-पीछे फिरते रहें। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वह बात अच्छी नहीं की थी, मुझे अच्छी नहीं लगी, मेरी बात आपको कड़वी लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूं पर वह बात मुझे ठेस करके गई इसलिए मैं सब विधायकों की ओर से आपको कहना चाहता हूं कि आप करें, नहीं करें, बढ़ाएं, नहीं बढ़ाएं, हमारी इसमें कोई रुचि नहीं है लेकिन प्रेस के माध्यम से हम अपमानित न हों, यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब दूसरी बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कुछ प्रश्नों के जवाब मैं आपसे चाहता हूं, आप मुझे इनका जवाब देंगे ऐसी मुझे आपसे अपेक्षा है। आपने अपने बजट भाषण के जवाब में कहा कि शिक्षा, चिकित्सा, पेय जल पर ले आउट बढ़ा है। यह आपका भाषण है मेरे पास, इसमें मैंने यह लगा रखा है काला, काला लगा रखा है मुख्य मंत्रीजी, मैं बता रहा हूं कि किसलिए लगाया है, मुख्य मंत्रीजी, आपको गलत सूचना दी गई। मैं जानता हूं कि मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों की क्या स्थिति होती है, उनको सूचना मिलती है। आप देख लीजिए, शिक्षा विभाग वर्ष 2009-10 में पूंजीगत परिव्यय है 73.31 और 2010-11 में है 46.59, बढ़ा क्या केपिटल आउट ले? पूछ लें अधिकारियों से। चिकित्सा में 2009-10 का है 35.21 और 2010-11 में है 34.73, जल आपूर्ति 25.27, 2525 और 2121, उद्योग एवं खनिज 19.75, 5.21, इसी प्रकार से सामाजिक सेवाओं में कम हुआ है, 527 के बजाय 487 करोड़, उसी प्रकार हमको सेवाओं में 1901 हुआ है, 2524 करोड़ के बजाय 1901 करोड़ हुआ है, 24 प्रतिशत कम हुआ है। इसी प्रकार से आपने यह नहीं बताया कि कुल टैक्सेज से कितनी इन्कम होगी और 981 करोड़ आपने स्वयं ने बता दिया। अब आप यह बताइए कि आम जनता इस बजट की बड़ाई करेगी? शिक्षा पर 36 प्रतिशत कम,

चिकित्सा पर कम और आम जनता बड़ाई करेगी? यह मैं नहीं कह रहा हूं, आपने भाषण में उसे कहा है, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने कहा कि उस वक्त तो हम कोर्ट में अटक गए थे, आपने 85 हजार लोगों को लगा दिया, आपने कहा है और लगाया है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि 4 वर्ष में, 5 वर्ष में हमारे शिक्षा मंत्री काल में केवल यही नहीं लगे, प्रबोधकों का आधा काम आपने किया आने के बाद अभी और बाकी प्रबोधकों को हमने लगाया। 11 हजार शिक्षा कर्मी जो आप समाप्त करके चले गए थे उनको 8 हजार की पे ग्रेड में लाए और 1 लाख 30 हजार नौकरियां लगाई। अगर मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी अन्य काल में इससे ज्यादा शिक्षक अगर नौकरियों में लगे हों तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। यहां आपने भाषण दे दिया कि स्कूलें खोल दीं, स्कूलें खोल दीं, मास्टर नहीं लगाए, दु:ख पा रहे हैं, कौन दु:ख पा रहा है? अब आप एक मास्टर नहीं लगा सके, आप एक मास्टर ही नहीं लगाने वाले हैं। मैंने भंवरलालजी का भाषण बहुत अच्छी तरह से सुना, ईमानदारी से भाषण दिया उन्होंने, साफ कहा।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आपको किसने चेलेंज किया जो आप ताली बजवा रहे हो? आपको किसने चेजेंज किया कि आपके वक्त में नौकरियां लगी कि नहीं लगी, किसने चेलेंज किया आपको?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): किया है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आप तालियां बजवा रहे हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): किया है, यहां माननीय सदस्यों ने, अपने भाषण में कहा है, मेरे पास है। आप स्कूलें खोल गएं, आपने मास्टर नहीं लगाए, इसलिए हम भुगत रहे हैं, उसका जवाब दिया है मैंने।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): वह भी सच्चाई है, पिछले वर्ष में जो घोषणाएं हुई थी, उस वक्त हो सकता है आप शिक्षा मंत्री नहीं हों, वह मास्टर आज तक नहीं लगे हैं, यह तो सच्चाई है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह सच्चाई है। यह सच्चाई है कि 60 हजार लोगों की घोषणा की थी, उनकी वेकेंसी निकाली थी, आपके आने के बाद में बार-बार यह आपके लगते गए, इसका लग गया, उसका लग गया, कोर्टों में मुकदमे चले गए और वे नहीं लगे, यह सच्चाई है।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब शिक्षा विभाग का वर्णन जो माननीय भंवरलालजी ने किया और चिकित्सा विभाग का वर्णन जो माननीय नवाब साहब ने किया और इसी प्रकार से हमारे धारीवाल साहब ने इस बार ऑनेस्टली गृह विभाग का वर्णन किया। तीनों विभागों की मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि तीनों विभाग जनता से जुड़े हुए हैं। पहले शिक्षा विभाग में कहा है, शिक्षा विभाग में मास्टरों की कमी नहीं है, क्योंकि 28 पर एक मास्टर का अनुपात आ रहा है, है न भंवरलालजी? इसलिए नई भर्ती नहीं होगी, भर्तियों का परिवार नियोजन,

एक।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): किसने कहा कि नई भर्तियां नहीं होगी। मैंने मेरे भाषण में क्या कहा कि नई भर्ती नहीं होगी?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं इनफरेंस निकाल रहा हूं।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): मैंने यह कहा कि पहले समानीकरण किया जाएगा, उसके बाद में भर्ती की बात आएगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यही मैं कह रहा हूं क्योंकि समानीकरण के बाद में 28 पर एक आता है, यह तो ठीक है?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): मैंने यह कहा कि माध्यमिक शिक्षा में 20 पर एक आता है और प्रारम्भिक शिक्षा में 41 पर एक आता है, लेकिन मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं तिवाड़ीजी कि आपने एक लाख से ऊपर की बात कही है, उसमें 28 हजार तो आपने प्रबोधक ही भर दिए, आपने नौकरी कहां से दी नयों को? जो प्रबोधक थे वे तो पैरा टीचर थे, शिक्षाकर्मी थे वह भी काम पर लगे हुए थे, उनके एवज में आपने दी, यह बात आप कह रहे हैं कि हमने लगाए, सर्व शिक्षा अभियान में लगाया है इनको। ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): चलो ठीक है। वह बात आ गई सामने। दूसरा एक साफ हो गया कि...।

मोहन/चौहान/20032010/1610/2q

वह अनुदानित पद का जो पैसा मिलता था, मैं पढ़ा हूं, बद्रीदास जी के सैकण्डरी स्कूल में, आप भी जानते हैं, अध्यक्ष महोदय, उसको अनुदानित संस्था रही है, आज तक सेठ का तो अब दीवाला निकल गया, अब यह पद जयों ही हटेंगे उसके बाद वह स्कूल नहीं चलेगा। उसमें जो गैर-अनुदानित पद के लोग हैं, उनका क्या होगा और उसमें जो सारा पैसा आपने लगा रखा था, आपने जमीन दी, आपने और भी बहुत पैसा दिया, उसका क्या हुआ और उसमें यह भी कहा कि उनको फीस बढ़ाने की आप छूट देंगे तो गरीब आदमी फिर उसमें नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप पुनर्विचार करें। इस पाइंट का मैं स्वागत करता हूं कि जो आपने ऑप्शन दिया कि टीचर्स को, बढ़िया, लेकिन यह स्कूल कैसे चले, बंद नहीं हो और गरीब आदमी जो इसमें पढ़ते रहे हैं वह और इनको कर्मचारियों को हम किस प्रकार से बचा जाएंगे, यह हमको दोखने की बात है। दूसरा मैं आपको कहना चाहूंगा, आपने एनआरएचएम का पैसा बढ़ाया, 25 परसेंट, उसका आपको धन्यवाद लेकिन इतना क्यों बढ़ाया? छठे वेतन आयोग के बाराबर क्यों नहीं किया? आपको 85 परसेंट भारत सरकार का पैसा मिल रहा है तो यह संविदाकर्मियों के बारे में अपना रूल बना हुआ है, उसके अन्दर आपको सारा पैसा बढ़ाना चाहिए और फिर जो शिक्षा में विधवा महिलाएं काम कर रही हैं, उनका एसएसए से पैसा मिल रहा है, उसको भी आपने तीन हजार रुपये किया है। हमने विधवाओं को 8 हजार पर लगाया था, उन विधवा महिलाओं को आप लगा रहे हो और

संविदाकर्मी जो आपका काम कर रहे हैं और दोनों ही योजनाओं को आपको भारत सरकार का पैसा मिल रहा है तो इसके अन्दर दाता दे और भण्डारी पेट फोड़े, यह काम मत करो। दाता भारत सरकार है, वह दे रही है और भण्डारी बनकर आप उनका पेट फोड़ रहे हो, अच्छी बात नहीं है। इनको संविदाकर्मियों को आप पूरा पैसा दें, भारत सरकार से मिल रहा है और दो ही योजनाएं जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का राजस्थान का क्रियान्वयन होकर हम एक नम्बर पर आए और आज हमारे गांव ठेठ तक जुड़ गये हैं और अब ढाई सौ तक की ढाणियों को जोड़ने की बात आप कह कर चल रहे हो। उसी प्रकार से ये दोनों योजनाएं संजीवनी और अमृतदायी हो सकती हैं। संजीवनी शिक्षा वाली और अमृत वाली चिकित्सा वाली। इसमें जितना आप उपयोग कर सकते हैं, उनका उपयोग करके इन तीनों को आप मजबूत करने की कोशिश करें, यह सदन भी आपके प्रति आभारी रहेगा और यह प्रदेश भी आपके प्रति आभारी रहेगा और पैसा हमको भारत सरकार को मिल रहा है, यह काम आप करें, मैं अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही, माननीय मुख्य मंत्री जी मैं आपको एक बात और निवेदन करूंगा, वह है सड़कों के बारे में। आपने सड़कों की बहुत अच्छी अच्छी घोषणाएं की, एसआरडीसी के अन्तर्गत 1350, रिडकोर 263, विजया 1521, विजया 1378, सुओमोटो 323, यह आपने बनाई, हम एक बार गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य आज नहीं हैं शायद, गुढ़ा से आने वाले मंत्री जी बैठे हैं, एक बार इनके यहां इकट्ठे हो गये, किसी ने कहा, साहब, हम तो खीर खाएंगे तो इन्होंने कहा, लाओ, यह तो खुद तो कुछ करते नहीं हैं, घनश्याम जी, आपके घर से दूध भेज देना, राजेन्द्र जी के यहां से चावल आ जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: राजेन्द्र जी के यहां तो चावल नहीं आते।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): चलो, आ जाएंगे, चावल आ जाएंगे। किसी के यहां से चीनी आ जाएगी, मैंने पूछा कि सारी चीज आ गई, राजेन्द्र जी अब तो खीर बन रही है, रावले का क्या होगा? बोले, आंगलो, इससे खाओ तो मुख्य मंत्री जी आप ये सारी घोषणाएं कर रहे हो, सड़क बन रही है, राज्य सरकार का क्या है इसलिए मैं मांग कर रहा हूं कि कम से कम 10 किलोमीटर सड़क प्रत्येक विधायक, ऐसी लिंक-रोड्स जो बची हुई हैं, उनको अगर दे देंगे तो हम सारे विधायक मिलकर इन योजनाओं का लाभ उठा लेंगे तो विधायकों के लिए आप भी वह करें और दूसरा, माननीय मुख्य मंत्री जी, विधायक कोष या तो आप इसको समाप्त करो, या तो इसको माफ करो वरना इसको कम से कम डेढ़ करोड़ रुपये या एक करोड़ रुपये के ऊपर आप निश्चित रूप से करें। यह नहीं करके हमारा गला ही घोंटा जाएगा, किसको दें, किसको नहीं दें, नाराजगी होती है इसलिए सारा सदन पक्ष प्रतिपक्ष सब की मांग है कि विधायक कोष का पैसा बढ़ाकर, यह एक ऐसा पैसा है जिसमें हम जहां कानून मदद नहीं करता, वहां जाकर मदद कर देते हैं, यह हमारा बहुत बड़ा सहयोगी है। इसलिए मैं आपसे विनम्र आग्रह करना चाहूंगा, वह पैसा भी आप बढ़ाएं।

माननीय मुख्य मंत्री जी, एक आपसे बात कह कर फिर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक अवैध खनन का मुद्दा इस राजस्थान में उठ रहा है, इसमें मैं किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। यह इश्यु बन गया है। आपको टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप बॉर्डर पर चले जाइए, मैंने बताया था कि बीकानेर में जिप्सम का जिस प्रकार से अवैध खनन हो रहा है, दोहन हो रहा है, 40 लाख रुपये की रोज की, राज्य को रायल्टी का नुकसान है, बांसवाड़ा से निकलने वाला खनिज जो इसमें मिलता है, मैंग्नीज, वह जाकर मध्य प्रदेश में ट्रकों के ट्रक भर कर जा रहे हैं और वहां पर बॉर्डर के इलाके में हमारा वह बन गया है। आपने भाषण देते समय इसके लिए एक बहुत बढ़िया शब्द का उपयोग किया है, आरएसएमएम को हम दे रहे हैं, तिवाड़ी जी, गोल्ड, गोल्ड, गोल्ड की माइंस, वह जो गोल्ड है, उसे भी आपका गोल्ड काढ़ काढ़ कर लोग ले जा रहे हैं, उस गोल्ड को रोकिए या तो आरएसएमएम के माध्यम से रोकिए, किसी माध्यम से रोकिए और भीलवाड़ा तो केन्द्र शासित प्रदेश है, वह आपके नियंत्रण में ही नहीं है, चाहे मेवाड़ टैक्सटाइल मिल चले, चाहे वहां पर अवैध जिन्दल वाला हो जाए, आप उसमें हस्पक्षेप कर नहीं सकते इसलिए मैं चाहता हूं कि वह आपके अन्तर्गत नहीं है, महाराज, तो भीलवाड़ा में जो कुछ हो रहा है, उसको भी आप दिखाएं, चाहे जिन्दल आ जाए और कोई आ जाए, चाहे मेवाड़ा आ जाए, इसको आप दिखाएं, इनको रोकिए और अन्त में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपनको टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। आपये यहां पर यह आवश्यकता कर ली कि हमने सिर्फ 551 करोड़ रुपये के टैक्स लगाये हैं और आपने यह भी कह दिया यहां पर कि राजस्थान में हम कर्ज ले सकते हैं, पहले कर्ज के आप सबसे बड़े विरोधी हैं, अब कर्ज के आज सबसे बड़े समर्थक आप हो। समय के हिसाब से आदामी को बदलना चाहिए, आप भी बदल गये, बढ़िया बात है इसलिए इतना टैक्स लगाएं, आप नाराजगी क्यों ले रहे हो, 550 करोड़ का कर्जा और ले लो, बापजी, इतना कर्जा ही तो लेना है न, तो ले लो और एफआरबीएम एक्ट की परिभाषा में आते ही हो इसलिए सारे जो आपने टैक्स लगाये हैं, उन टैक्सों को लगाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि खनन में आप ले सकते हो, क्योंकि कर्ज आप ले सकते हो क्योंकि केश के लिकेज को आप रोक सकते हो और आपका हय जो बजट है, यह आम जनता की महंगाई बढ़ाने वाला, बेरोजगारों को निराश करने वाला बजट है। मुख्य मंत्री जी और मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप संवेदनशील बनकर इन टैक्सों में रियायत करें और राजय की जनता को राहत दें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है, आपने सुना है, उसके लिए धन्यवाद।

व्यवस्था

वैट कानून की अनुसूची में किया गया परिवर्तन अधिकृत व नियम सम्मत

श्री अध्यक्ष: श्री घश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा ने माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2010 व राजस्थान वित्त विधेयक, 2010 को सदन में विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय इस आशय का व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि राजस्थान में वित्त विधेयक संविधान के अनुच्छेद 199 के अन्तर्गत प्रस्तुत

किया जाता है, राजस्थान सरकार जब बजट पेश करती है और बजट पेश करने के बाद जो टैक्स लगाती है, टैक्स हटाती है और जो परिवर्तन करते हैं, एक्ट में, उन सब को बिल में प्रस्तुत करते हैं। माननीय मुख्य मंत्री ने अपने बजट भाषण के पैरा 292 में अनुसूची 4 में उल्लेखित कतिपय वस्तुओं को हटाया जाना प्रस्तावित किया है। चूंकि शिड्यूल में चेंज एक्ट में चेंज मान जाता है। अतः आपको अनुसूची 4 में से कतिपय वस्तुओं को हटाये जाने के लिए इसको फाइनेंस बिल के अन्तर्गत लेकर आना चाहिए था। अतः यह फाइनेंस बिल असंवैधानिक है, यह विधेयक सदन में विचारार्थ प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

तत्समय मैंने सदन में अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखते हुए कहा था कि मैं पूरे केस को स्टडी करके व्यवस्था दूंगा। मेरी व्यवस्था निम्न प्रकार है:-

श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा ने यह आपत्ति प्रस्तुत की है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण के पैरा-292 में वैट अधिनियम की अनुसूची-4 में कतिपय वस्तुओं यथा-कोलतार, बिटुमैन, लाईमस्टोन, जनरेटर एवं इन्वर्टर्स, ऑटोमोबाईल बॉडी, पी.पी.एक्स. इलेक्ट्रोड्स, ब्रॉन्डेड रेडीमेड गारमेंन्ट्स , मल्टीफंक्शनल डिवाईसज, यू-फोम, कुछ केमिकल्स एवं हाई वोल्टेज केबल्स को हटाया जाना प्रस्तावित है, जो वे बिना एक्ट में संशोधन किये बगैर नहीं कर सकते।

मैं इस संबंण्ध में सदन को यह अवगत कराना चाहूंगा कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-4 की उप-धारा – 5 में जो प्रावधन किये गये हैं वो इस प्रकार हैं:-

(5) '' राज्य सरकार ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो वह अधिरोपित करे, यदि वह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझे, तो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, भविष्यलक्षी रूप से या भूतलक्षी रूप से अनुसूचितयों को परिवर्धित या उनसे लोप या अन्जयथा संशोधित या उपान्तरित कर सकेगी या किसी भी माल के संबंध में संदेय कर की दर में कमी कर सकेगी और तत्पश्चात् अनुसूची तदनुसार संशोधित की हुई समझी जाएगी।

अतः इससे स्पष्ट है कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 4(5) में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार लोक हित में वेट अधिनियम की अनुसूचियों में संशोधन, परिवर्द्धन तथा लोप (हटाने) की कार्यवाही कर सकती है। इस तरह राज्य सरकार द्वारा अनुसूची 4 में जो अधिसूचना के द्वारा संशोधन किया है वचह नियम सम्मत है तथा इसके लिए अधिनियम में संशोधन लाये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न को मैं निरस्त करता हूं।

माननीय मुख्य मंत्री जी।

सुरेन्द्र/अरुण/29.3.2010/16.20/3a

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): अध्यक्ष महोदय, एक चीज कह रहा हूं, यह सभी माननीय विधायकों का प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष: नहीं प्लीज। अंकित नहीं होगा। मुख्य मंत्री जी।

विनियोग व वित्त विधेयक पर विचार

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक पर चर्चा में पक्ष और विपक्ष के हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथियों ने बहुत ही अच्छे विचार प्रकट किये। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि पूरे बजट सत्र में जिस प्रकार से हमारे माननीय सदस्यों ने पूरी तरह रूचि दिखाई, करीब 18 डिमांड्स फोर ग्रांट पर चर्चा की। जैसा अभी नेता, प्रतिपक्ष कह रहे कि रात को 3-3, साढ़े तीन बजे तक बैठकर के भी माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट करना मंजूर किया। अधिकांश सदस्य, मैंने पता भी किया था कि तीन-साढ़े तीन बजे तक भी करीब 80-90-100 तक सदस्य बैठे रहे, यह इस बात का प्रतीक है कि सब लोगों ने बजट पर अपने विचार प्रकट किये और जो उनकी भावना थी, जो उनके क्षेत्र की समस्याएं हैं, जो विकास के सुझाव थे चाहे राज्य स्तर के हों चाहे अपने क्षेत्र के हों, जिला स्तर के हों उनको देने का प्रयास किया उसके लिए मैं तमाम सदस्यों को जिन्होंने भाग लिया उन्हें मैं विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहूंगा। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो भी सुझाव आते हैं उनका सबका प्रत्युत्तर देना सम्भव नहीं होता पर हमारे माननीय मंत्रीगणों ने भी अपने-अपने विभाग की जो डिमांड फोर ग्रांट थी उसके अपने प्रत्युत्तर दिये और कुछ घोषणाएं भी कीं। अनफार्च्युनेटली 2-3 डिमांड डिस्कस नहीं हो सकी उस बात का हम सब को दु:ख है और मैं समझता हूं कि कल-परसों में 2-3 दिन में जब अकाल, सूखे, बिजली और पानी की समस्या पर चर्चा होगी तो काफी कुछ सुझाव सामने आ सकेंगे जिसकी सबसे बड़ी आवश्यकता आज मैं महसूस करता हूं जो चुनौती के रूप में मैंने पहले भी कहा कि हमारे सामने प्रस्तुत है।

इसी तरीके से माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दावा है कि बजट को लेकर के जो सदन के अन्दर भी सदन के बाहर भी पूरे प्रदेश के अन्दर विशेष रूप से जो दूर-दराज के गांव हैं, जो ढाणियां हैं, प्रत्येक व्यक्ति ने बजट का बहुत ही स्वागत किया, बजट के जो प्रस्ताव थे उनका स्वागत किया और एहसास किया कि सरकार ने प्रयास किया कि किस प्रकार से सोशल सैक्टर को ध्यान में रखे, किस प्रकार से जो राजस्थान के विकास की कल्पना करके हम चलते हैं उन प्रस्तावों को ध्यान में रखे, किस तरह इन्फ्रास्ट्रक्चर राज्य का मजबूत हो उसकी तरफ बजट प्रस्तावों में ध्यान दिया गया है। चाहे वह सड़क की बात हो, चाहे वह बिजली के उत्पादन की बात हो, चाहे ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करने की जीएसएस के माध्यम से बात हो, चाहे डिस्ट्रिब्यूशन को और अधिक कैसे मजबूत हो, किस प्रकार से किसान और आम आदमी को पूरी पावर मिल सके। यही कारण रहा कि मैं समझता हूं कि पूरे समय में जिस प्रकार से कोई रबी की फसल के वक्त में कोई शिकायत कहीं से भी नहीं आई तथा कोशिश की गई कि चाहे पानी हो चाहे बिजली हो चाहे सड़क हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, इन सेवाओं में चाहे वह भारत सरकार की योजना हो चाहे राज्य की अपनी

हो, हम लोगों ने प्रयास किया कि उनको किस प्रकार से हम आगे रखें और राजस्थान के आने वाले वक्त में क्या राजस्थान के विकास की कल्पना हो उसको लेकर के हम चल सकें।

साथ-साथ में हमने प्रयास किया कि जो महंगाई की मार सब के सामने हैं, साल-डेढ़ साल से पूरा देश भुगत रहा है, केन्द्र सरकार भी प्रयास कर रही है, राज्य सरकार भी कोई कमी नहीं रख रही है और यही सोचकर के हम लोगों ने जो हमारे यहां के बीपीएल के परिवार है उनके लिए भी आप सब को मालूम है कि हमने दो रुपये किलो में अनाज देने का फैसला किया, मैं समझता हूं कि 36 लाख लोगों को उसका लाभ मिलेगा। मैंने प्रत्युत्तर में कहा भी था, हमने स्टेट बीपीएल को भी मिलाने का फैसला किया था वह पूरा ही आंकड़ा जोड़ा है, करीब 36 लाख परिवार हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। हमने इस बजट में यह संदेश देने का प्रयास भी किया है कि कोई कदम उठायें जिससे कि डिलीवरी ऑफ सर्विसेज जो हैं वो भी पहुंचे जिसके लिए सर्विस दी जाती है। कुछ लोगों ने, कुछ हमारे माननीय सदस्यों ने कहा भी है कि सर्विस पूरी पहुंच नहीं पा रही है। चाहे लम्बे समय से हम लोग खुद महसूस करते हैं कि चाहे पब्लिक ग्रिवेंसेज हों उसके लिए आदमी को भुगतना पड़ता है। तो हमने प्रयास किया है कि अभाव अभियोग निराकरण के लिए आयोग गठन किया है। उस दिशा में बड़ा कदम मैं मानता हूं जिससे कि एक आम आदमी जिसकी सुनवाई अगर उसकी तहसील में नहीं होगी, गांव में नहीं होगी, जिले में नहीं होगी तो कम से कम वह आयोग के सामने अपनी बात कह सकेगा। इस प्रकार का एक निर्णय किया गया है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में उसका क्या हश्र है वह आपको और हम सब को देखने को मिलेगा। डिलीवरी ऑफ सर्विसेज की बात मैंने इसलिए कही कि पीडीएस सिस्टम के ऊपर जो घोषणा की है कि किस प्रकार से इसको मजबूत करें, किस प्रकार से इसमें जो करप्शन है उसको समाप्त करें, किस प्रकार से जो शिकायत आती है कि चाहे गेहूं हो चाहे केरोसीन हो वह पीडीएस के माध्यम से हमें मिलता नहीं है, सीधा मार्केट के अन्दर जाता है। उसके लिए हमने नई प्रणाली की जो घोषणा की है मैं समझता हूं कि आप सब के सहयोग से उस दिशा में हम लोग कामयाब हो सकेंगे।

वृद्धावस्था पेंशन और उसके भुगतान के तरीके के ऊपर भी माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये। मैं खुद प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से चाहे वृद्धावस्था पेंशन के भुगतान की बात है चाहे छात्रवृत्ति की बात है चाहे वह मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष की बात है, चाहे जो हमारे रात-दिन गांवों में काम पड़ते हैं जैसे लैण्ड रिकार्ड की नकल लेना है, जाति प्रमाण पत्र की शिकायत आती हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र की शिकायत आती है, ये जितने भी जो पब्लिक सर्विसेज के काम हैं उनको सुनिश्चित करने के लिए हम लोग एक कार्य योजना बनायेंगे यह मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा।

इसके साथ में, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी है कि हमने सीवीसी सिस्टम को वापस पुनर्जीवित किया है जो कि पहले हमने प्रयास किया था नागरिक अधिकार पत्र के माध्यम से कि प्रत्येक नागरिक को यह मालूम हो कि मेरा किस विभाग में कितने दिन में

क्या काम हो जायेगा। हमने सीवीसी सिस्टम बनाया, प्रिंसिपल सैक्रेटरी होम को उसका सीवीसी बनाया है, हर विभाग में एक कार्य योजना बनाई थी पर बाद में सरकार बदल गई और वो उस काम को आगे नहीं बढ़ा पाये। जब सरकार नई बनी तो उसने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। हमने वापस उस सिस्टम को शुरू करने का प्रयास किया है और मैं मानकर चलता हूं कि इस सिस्टम को हम लोग चाहेंगे कि अगर इसका परीक्षण करवायेंगे, जरूरत होगी तो इसके लिए कोई एक्ट लाना पड़ेगा तो वह भी लाने का प्रयास करेंगे, यह मैं कहना चाहता हूं।

पानी के ऊपर वैसे आप विचार करेंगे, बहुत ही आप लोगों ने, दोनों पक्षों ने चिंता प्रकट की। पीने के पानी और उसकी जो उपलब्धता है वो देश के अन्दर चिंता का विषय बना हुआ है क्योंकि हमारे यहां पेरेनियल रिवर्स नहीं है, बरसात के पानी पर पूरी तरह से फसलें निर्भर रहती हैं, ग्राउंड वाटर की स्थिति बहुत चिंताजनक है, हम कई बार सदन के अन्दर और बाहर चिंता कर चुके हैं। जैसे माइनिंग होता है न पत्थरों की या अन्य खनिज पदार्थों की उसी प्रकार से पानी का 137 प्रतिशत माइनिंग होने लग गया है और यह बहुत चिंता का विषय बना हुआ है इसलिए मैं चाहूंगा कि सदन में जब इस पर विचार विमर्श हो तो हम लोग खुलकर के चर्चा करें कि आने वाले वक्त में किस प्रकार से हम लोग पानी की माइनिंग रोक सकें, किस प्रकार से सब मिलकर के आने वाले भविष्य को देख सकें जिससे कि जल स्तर कैसे बढ़े एक तरफ और दूसरी तरह हम लोग पानी का उपयोग, सदुपयोग किस प्रकार से कर सकें यह हमारे लिए विषय रहेगा। जल नीति की बात भी हमने की है। लम्बे अर्से से अटकी हुई है। वह एक काम जल नीति को सामने रखकर के हम चाहेंगे कि किस प्रकार से इसमें काम हो और किस प्रकार से उसको आधार बनाकर के ही सब फैसले हों तो मैं समझता हूं कि कम से कम हम कुछ आगे बढ़ पायेंगे और पानी की जो चिंता व्यक्त करते हैं उस पर हम लोग कुछ काम कर पायेंगे। पेयजल की योजनाएं, मैं समझता हूं कि लम्बे अर्से से अटकी हुई रही और पिछली सरकार के वक्त में मैंने पहले भी कहा था कि जो मुख्य मुख्य योजनाएं थीं, पाँच साल निकल गये, कुछ काम नहीं हो पाया।.....

vkj/akt/29.03.2010/16.30/3b

बाड़मेर की योजना हमने शुरु की, चम्बल से भरतपुर की योजना शुरु की, चम्बल से माधोपुर की योजना प्रारम्भ की थी, वे तमाम योजनाएं उस समय में आगे नहीं बढ़ पाई, इस बात का हमें दु:ख है और नई सरकार जब बदली थी, उसके बाद में जिस तरह से फैसले हुए, उसके कारण से 18 महीनों की अवधि में जो योजनाएं आप लोगों ने स्वीकार की थी 4,420 करोड़ रुपये की, जबकि प्रोविजन सिर्फ 2,776 करोड़ के थे।

इसी प्रकार से पानी की योजना के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो योजनाएं हैं, उनको हम योजनाबद्ध तरीके से पूरा करना चाहते हैं और नई योजना वही हाथ में लेना चाहते हैं जो कि हम लोग पूरा कर सकें। चिकित्सा के क्षेत्र में...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय धारीवालजी, आप सो जाओ और पानी भी पी लो। सो जाओ, सो जाओ, कोई खास बात नहीं। (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): चिकित्सा के क्षेत्र में जो आपने ध्यान आकर्षित किया है, माननीय सदस्यों को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यह हमारे जेहन में नहीं था। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य भी कह रहे थे, चाहे यह फ्लेक्सी प्रोग्राम है भारत सरकार का, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में सर्वशिक्षा अभियान के हों, अब भी और बताया गया है आगे, चाहे वह स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हों, चाहे प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना को लेकर हों, ये जितने भी प्रोग्राम हैं, उनको पूरा करने में मैं समझता हूं, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और हम चाहेंगे कि पूरा पैसा उसके ऊपर खर्च करेंगे, कोई कमी नहीं आने देंगे। यह हमारे माननीय सदस्यों को गलतफहमी हैं, उसको मैं दूर करना चाहूंगा। आपने कहा कि जो हिस्सा राज्य सरकार का होता है, उसको भी हिस्सा रखा गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो सी.एस.एस. की योजना होती है, उसी का बजट में प्रावधान रखा जाता है। यह जो फ्लेक्सी प्रोग्राम है, सी.एस.एस. के अलावा भी जो प्रोग्राम है, चाहे एन.आर.एच.एम. का प्रोग्राम है, नरेगा का प्रोग्राम है, या सर्वशिक्षा अभियान का प्रोग्राम है, इसमें सीधा पैसा जो है, मैं समझता हूं, भारत सरकार का आता है और राज्य का हिस्सा उसको दिया जाता है इसलिए आपको यह गलतफहमी है कि पैसा रखा नहीं जाता है, पूरा पैसा जो भारत सरकार का है, कोई योजना ऐसी नहीं रहेगी जिसमें कि हम हिस्सा नहीं लेंगे और योजना लेप्स हो जाये, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

हमारे माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, जैसा मैंने कहा आपको, विशेष पिछड़ा वर्ग के बारे में कुछ बहस शुरु हुई, जब हमारी माननीय सदस्या टोंक से आने वाली थी, वह बोल रही थीं, मैं समझता हूं कि सवाल उनकी टिप्पणी करने का नहीं है। सवाल इस बात का है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो कि हम लोग सब मिलकर चलेंगे तो ही कानून-व्यवस्था कायम रहेगी, तो ही समस्या के समाधान होंगे। मैं पहले भी आह्वान कर चुका हूं हाउस को, चाहे वह पानी की समस्या हो, चाहे वह कानून-व्यवस्था की बात हो, चाहे ऐसे मुद्दे हों जिन पर पक्ष-विपक्ष बैठकर बात कर सकता है, उसमें यह भी आता है कि जो स्पेशल केटेगरी का वर्ग है, जिसमें आपके वक्त में जो कानून बना था, उसको लेकर चर्चा हो सकती है, अब जो आन्दोलन शुरु हो रहा है, उस पर चर्चा हो सकती है कि किस प्रकार से समाधान हो जिससे कि राज्य में शांति और सद्भाव बना रहे, यह हम सबका प्रयास रहेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और जो बातें मैं पिछली बार कह चुका हूं, चाहे वह हमारे ग्रामीण विकास के बारे में हो, नरेगा की योजना के बारे में हो, उनको मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहता। चूंकि हमने कई फैसले लिये हैं। वृद्धावस्था की पेंशन की बढ़ोतरी की बात हमने की, यह सोशल सैक्टर का हमने बताया आपको, तो यह जो तमाम फैसले हमने लिये हैं, वह सोच-समझकर लिये हैं, मुझे उम्मीद है कि उनके कारण से एक सोशल सिक्योरिटी का कान्फिडेंस लेवल लोगों में बढ़ सकेगा।

मैं इस मौके पर माननीय सदस्य जो बोल रहे थे, को-आपरेटिव सैक्टर में भी जो 16 लाख किसान थे, उनको 21 लाख किसानों को पाँच हजार करोड़ का लोन मिलेगा। जो शोर्ट टर्म लेगा, उसको लोन मिलेगा। मैं समझता हूं कि इस गलतफहमी को भी दूर होना चाहिए। जो भी मेरे पास फीडबैक आया है, कुछ लोगों ने इसके ऊपर भी अपनी बात रखी थी।

इसके अलावा यह मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारी प्लान एक्सपेंडिचर की बात है, यह कहना बहुत आसान है कि आपके वक्त में तो वित्तीय प्रबन्धन बहुत शानदार था, जो आप लगातार बोले जा रहे थे। हमने बहुत क्लियर करने का प्रयास भी किया। पिछले अगर आंकड़े देखेंगे आप तो आप खुद पायेंगे कि कैसा आपका प्रबन्धन था और किस प्रकार का, आपने ठीक कहा कि आपके वक्त में तो केन्द्र से पूरी मदद मिलती थी, आपने खुद ही ने स्वीकार किया है अभी और हमारे आने के बाद में मदद कम मिलती थी, यह भी आपने बिलकुल ठीक कहा कि एक संयोग की बात है कि मंदी का दौर डेढ़ साल में शुरु हुआ पूरे विश्व के अन्दर। अमेरिका में बैंकें फैल हो गई 100-150, यह तो कम से कम यू.पी.ए. की सरकार की परफोर्मेन्स है कि एक भी बैंक फैल नहीं हुई बल्कि कहना चाहिए कि पूरे देश के अन्दर, पूरी दुनिया मानती है इस बात का लोहा कि हिन्दुस्तान के अन्दर सबसे कम असर मंदी का पडा है, इस बात को स्वीकार आपको भी करना पड़ेगा और मंदी का दौर जब होता है तो मानकर चलें कि उसका असर पड़ता ही पड़ता है, टैक्स रेवेन्यु पर पड़ता है चाहे केन्द्र पर हो, चाहे वह राज्यों पर हो। हमारे नरपत सिंह जी राजवी साहब ने कहा कि सरकार आती है, पिछली बार भी कह रहे थे कि पांचवें वेतन आयोग का भार पड़ गया और इस बार छठे वेतन आयोग की बात करते हैं कि भार पड़ गया तो यह जो हकीकत है, इसमें कहने की क्या बात है, यह तो हकीकत है कि संयोग ऐसा बना कि उस समय सरकार में आये ही थे और पे-कमीशन लागू हुआ था और आपके माननीय श्वसुर साहब उस समय सत्ता में थे और हम लोग उसके बाद आये और फिर भार हमें सहन करना पडा। हमने जोश-जोश के अन्दर जो 60 वर्ष एज थी रिटायरमेंट की, उसको 58 कर दिया, यह सोचकर कि नौजवानों को चांस ज्यादा मिलेंगे नौकरी के। अनफोर्चुनेटली भार पडा एक तरफ पे-कमीशन का, और एन.डी.ए. की सरकार आई दूसरी तरफ, जिसकी न तो कोई दिशा थी, न दशा थी, हालात ऐसे खराब थे, उनकी खुद की स्थिति खराब हो गई, रेवेन्यु का डिवोल्यूशन कम हो गया राज्यों का और मैंने पहले कहा था, खाली राजस्थान की बात नहीं है, पूरे देश भर के अन्दर राज्य सरकारें उस समय में क्राइसिस में आ गई थीं। एन.डी.ए. सरकार खुद ही क्राइसिस में थी। वह क्या देते हम लोगों को, हम इस बात को जानते हैं...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वह भी इत्तफाक की बात थी और यह भी इत्तफाक की बात है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): तो वह क्या देते हम लोगों को। हालात ऐसे थे तो हालात को समझने की जरूरत है, बिना हालात को समझे हुए बात करेंगे तो कोई नतीजा निकलेगा नहीं। उसको भुगता हमने। अभी आये हैं हम लोग और...

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): यह सेन्ट्रल टैक्सेज जो अभी भी आपके घटे हैं, वह टैक्सेज मैं कह रहा हूं, डिवीजिबल पूल मैं नहीं कह रहा हूं, वह घटे हैं डिवोल्यूशन आफ सेंट्रल टैक्सेज।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): वह फिर कम हो गये। इस बार भी आप देख रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, आप तो बहुत समझदार हैं। जो फाइनेंस कमीशन होता है, उनकी रिकमण्डेशन से ही मिलता है राज्यों को, उसकी रिकमण्डेशन से मिलता है और चूंकि टैक्स कलेक्शन कम हुआ तो कम मिला हमें भी, यह मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि लास्ट टाइम, अभी आप देखिये ना, दो साल भी नहीं हुए अभी सरकार आये हुए, 15 महीने हुए हैं और 2,933 करोड़ रुपये 2009-2009 के अन्दर तब सरकार आपकी भी थी, तब देना शुरु ही किया था और 6,675 करोड़ रुपये अभी इस एक साल में 9600 करोड़ रुपये देना पड़े हैं छठे पे-कमीशन के अन्दर तो हमें मानना पड़ेगा कि ये आंकड़े हैं, जो आपको हमको स्वीकार करना पड़ेगा, यह मैं आपको कहना चाहता हूं। फिर भी आप मानेंगे कि आपके वक्त में 14,000 करोड़ रुपये का प्लानिंग कमीशन से बजट पास करवाया। आपने ढिंढोरा पीटा सब जगह पर कि हमने इतिहास का सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत किया है और प्लानिंग कमीशन ने मंजूर किया हमारी अच्छी परफोर्मेन्स से और जो हमने उसको बढ़ाकर अभी 17,322 करोड़ रुपये की एप्रूव करवाकर प्लानिंग कमीशन से 18,561 करोड़ रुपये की तो हमें उम्मीद हैं कि मिलेंगे, 18,000 करोड़ रुपये तक तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे किसी भी कीमत पर, प्रयास करें उससे आगे पहुंचे। बजट तो अनुमान होता है और मुझे पूरा यकीन है कि अब छलांग तो लगाई है हमने। 8.18 प्रतिशत की बढ़ोतरी थी आपके समय में, हमने 24.38 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ बजट पेश किया था आते ही...

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता लेकिन आपने बढ़ाई है, प्लान बढ़ाई है और इतिहास यह कहता है कि प्लान के बाद में आपने कटौती की है और कम किया है, इस बार भी कम होगा।

एक माननीय सदस्य: महंगाई भी चाट जायेगी इसको।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): यह जो डिवोल्यूशन कम होना, छठे पे-कमीशन का भार पड़ना और ऊपर से सूखा पड़ना...

Jkj/akt/29.3.2010/16.40/3c

और ऊपर से सूखा पड़ना, सूखा पड़ गया और उसकी भी मार पड़ रही है, अभी मार पड़ रही है। आपके नेता का मैं पढ़ रहा था स्पीच पिछली बार का, जब पाँच साल पूरे होने आये उनको तो वह भी यही बोल बोल रही थी कि हम तो अकाल में, सूखे में, बाढ़ में, पाले में, ओलावृष्टि में ही तकलीफ में रहे और केन्द्र हमारी मदद नहीं कर रहा है तो नेचुरल केलेमिटी तो हर वक्त में आ सकती है, किसी न किसी रूप में आती ही आती है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा हम लोगों को, स्वीकार करके आगे बढ़ना पड़ेगा। रेवेन्यू की जो इनकम है टैक्स

रेवेन्यू, 2004 से 2008 तक जो है 18 परसेंट थी टैक्स रेवेन्यू। अब इसमें किसका दोष था कि हम लोग 2008-09 में 9.8 पर आ गये मंदी शुरू होते ही, राजस्थान में भी और 2009-10 के हमारे वक्त में 8.3 पर आ गये। तो जो हालात मंदी के हैं उसको तो सबको भुगतना पड़ता है, उसको साथ में रखकर चलना पड़ता है और इसी कारण से जो कमी आई है, आप खुद देखेंगे कि 1700 करोड़ की कमी आ गई 08-09 में और 4400 करोड़ की कमी आई हमारे वक्त में अभी, टैक्स रेवेन्यू में एक साल मंदी के कारण से 4400 करोड़ की कमी तो यह, 9600 के फीगर मैंने दिये आपको वह, जो सिक्स्थ पे कमीशन के भार के जिसमें छह हजार करोड़ तो खाली एक साल के ही हैं, 6675 करोड़ रूपये और सेंट्रल टैक्सेज जो आप बोल रहे हैं उसके अंदर भी 878 करोड़ रूपये की कमी आई है। तो यह तमाम बातें हैं इनको आपको इस बात को लेकर तो संतोष प्रकट करना पड़ेगा कि इन तमाम बातों के बावजूद भी हमने इस बार 23822 करोड़ का बजट एस्टीमेट रखा है। इस उम्मीद के साथ में कि हमारे मंदी हमेशा नहीं रहेगी, टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगी और योजना इस बार भी पूरी करेंगे, अगली बार भी पूरी करेंगे, यह मैं कहना चाहूंगा आपको।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बजट एस्टीमेट नहीं, वार्षिक योजना है 23800 की आपकी।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): ऋण भार के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूं तो अच्छी बात है। मैं कह चुका हूं कि एक ऐसा इश्यू है जो विपक्ष में रहता है वह बात करता है, लोन बढ़ने की बात कर रहा है, किस प्रकार से बढ़ रहा है, मेरे पास तमाम आंकड़े हैं, मैं कोई सिद्ध करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं वरना मैं सिद्ध भी कर सकता हूं कि क्या हालात है और क्या हालात आपके वक्त में थे, क्या हालात हमारे वक्त में हैं। पर बार-बार जो आप आंकड़े बोलते हैं, एक लाख पच्चीस हजार करोड़ के हो जायेंगे, यह तो लोन तो आपके हर राज्य में बढ़ रहा है, कर्जे बढ़ रहे हैं, कर्जे के भार बढ़ रहे हैं और इतना ही मैं कह सकता हूं कि अभी हम तो इस बार भी साढ़े पाँच सौ करोड़ रूपये और ले सकते थे, यह छूट मिली थी भारत सरकार से, हमने कम लिये हैं और फिर भी हमने प्लान साइज को कम नहीं किया है। नम्बर एक बात, और नम्बर दो, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे से ज्यादा जो कर्जदार राज्य हैं देश के अंदर, उत्तर प्रदेश है 221106 करोड़, महाराष्ट्र है 207810 करोड़, पश्चिम बंगाल 168684 करोड़, आंध्र प्रदेश 127581 करोड़, गुजरात 120759 करोड़, तमिलनाडु 95233 और राजस्थान 90972, पर यह कर्जे बढ़ेंगे। यह कर्जे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाले वक्त में और कर्जे बढ़ेंगे। यह जो नाम मैंने पुकारे अभी राज्यों के यह तमाम वह राज्य हैं जो हमेशा ज्यादा समृद्धशाली कहलाते हैं, वह राज्य थे अभी जो मैंने बोले हैं, पर जो हमारे से, कर्नाटक में हमारे से कम है, केरला में कम है, पंजाब में कम है, बिहार में कम है, मध्य प्रदेश में 67 ही है, उड़ीसा में 48 ही है। हरियाणा और पंजाब छोटे राज्य हैं, छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है, गोवा छोटा राज्य है। तो कहने का मतलब है कि स्थिति जो बनी हुई इसको आपको, हमको बैठ करके, अभी आप, जो मैंने कल, पहले आपको कहा था पिछली बार भी

कि आप चाहेंगे तो इस पर बहस करें जिससे कि कम से कम पब्लिक को और हाउस को मालूम पड़े कि वास्तव में कर्जे की स्थिति आने वाले वक्त में बढ़ने वाली है, क्यों बढ़ने वाली है, चाहे किसी की सरकार हो। अब मैं आपको, रेवेन्यू डेफिसिट की बात भी आप बोल रहे थे, मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि हमें पूरा यकीन है कि रेवेन्यू डेफिसिट जिस प्रकार मंदी आई है, जिस प्रकार से गवर्नमेंट डिवोल्यूशन कम हुआ है, ग्रोथ रेट कम हुई है, इस कारण से इसका फर्क पडा है पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह वापस हम लोगों ने धीरे-धीरे 1098 पर लेकर आये हैं इस बजट प्रोवीजन के अंदर जबकि 3993 करोड़ के रेवेन्यू डेफिसिट थे, मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त के अंदर इसको और कम कर पायेंगे हम लोग, इतना मैं आपको कह सकता हूं। एक बात मैं और कहना चाहूंगा जो आप माननीय बोल रहे थे हमारे नरपत सिंह राजवी साहब कि रेवेन्यू सरप्लस भी जो है, और भी लोगों ने इस बात को, पहले भी उठाया था इस बात को, आपने भी उठाया मेरे ख्याल से, रेवेन्यू सरप्लस को लेकर बहुत बड़ी परफोर्मेंस, कटारिया साहब ने कहा था, मैं भूल गया, लास्ट टाइम भी आपने कहा था कि 638 करोड़ रूपया आपके रेवेन्यू सरप्लस था 2006-07 के अंदर और 2007-08 के अंदर 1653 करोड़ की रेवेन्यू सरप्लस थी। मैंने उस वक्त भी उस दिन आपको कहा था कि उस वक्त में कोई आपने बहुत बड़ी बहादुरी का काम नहीं किया था, बड़ी अच्छी परफोर्मेंस नहीं थी आपकी कोई। पूरे देश के अंदर जिस प्रकार डिवोल्यूशन हुआ राज्यों को केन्द्र का, उसके कारण से आप सरप्लस में आ गये। आंध्र प्रदेश में 2807 करोड़ का सरप्लस था उस वक्त, आपका था 638 का खाली और उसके अगेंस्ट में बिहार जैसे राज्य में 2498 का, गुजरात में था 1770 का, कर्नाटक में था 4152 करोड़ का सरप्लस, मध्य प्रदेश में था 3332 करोड़ का, तमिलनाडु में था 2648 करोड़ का, उत्तर प्रदेश 4109 करोड़ का और अपना था खाली 638 करोड़ का, उसको लेकर आप बड़ी अच्छी परफोर्मेंस की बात कर रहे थे। इसी प्रकार से 1653 के अगेंस्ट में आंध्र प्रदेश में था 159, बिहार में था 4645, गुजरात में था 2150, कर्नाटक में 3776, मध्य प्रदेश में 5088, तमिलनाडु 4545, उत्तर प्रदेश में 3449, अपने 653 सिर्फ। इसलिए मैं समझता हूं कि यह तमाम स्थितियां, राज्य में क्या स्थिति है उस पर निर्भर करता है और इसके तमाम हालात को हम विश्लेषण करें तो मैं समझता हूं कि उस वक्त में आपको, चाहे आपका रेवेन्यू सरप्लस था, अगर आप चाहते उस वक्त में तो जो आपको छूट दी गई थी भारत सरकार की उसके अनुसार आप और परिसम्पत्तियां बना सकते थे पर आपने उस वक्त नहीं बनाई क्योंकि कोई प्लान था ही नहीं। डिवोल्यूशन हो गया दिल्ली से आपके पास में, सरप्लस ज्योंहि आप आ गये परंतु उसका कोई उपयोग नहीं कर पाये थे। तो मुझेउम्मीद है कि 2011-12 तक हम लोग जो रेवेन्यू डेफिसिट है वह समाप्त कर देंगे, यह मैं आपको कहना चाहूंगा। इसी प्रकार से अभी जो घनश्याम तिवाड़ी साहब ने कई सवाल उठाये थे, जो आपके बोलने की कलाकारी ऊंची है, आप, झूंठ को भी सच को कहने की ऐसी स्टाइल होती है कई लोगों की कि ऐसी बॉडी लेंग्वेज में बोलता है आदमी कि लगता है बिलकुल यह ठीक बोल रहा होगा, विश्वास भी लोग करने लग जाते हैं,

आपको कुव्वत है यह, गॉड गिफ्ट है आपको, मुबारक है आपको, मैंने देखा है, वैसे तो आपने बहुत प्वाइंट रखे थे, मेरे पास वह हैं भी, पर अभी वक्त नहीं है कि सब बताऊं, चार प्वाइंट बताऊंगा आपको सिर्फ, जिसके ऊपर आपने पिछली बार क्या कहा। आपने कह दिया कि आपकी सरकार होते हुए भी केन्द्र से आपको 359 करोड़ रूपये पिछली बार से कम प्राप्त हुए, वह मैंने आपको बता ही दिया अभी कि यह हर राज्य को कम हुए हैं, मेरे को ही नहीं हुए और कहना चाहिए, यह फाइनेंस कमीशन तय करता है कितना परसेंट मिलेगा तो ऑटोमेटिक कम सब के ही होते हैं तो इसमें आपने कहा तो कोई बहुत बड़ी बात, पर कहा इस रूप में कि हमारी तो वहां किसी की चलती ही नहीं, सिर्फ आपकी ही चलती है वहां पर जैसे अर्जुन सिंह के वक्त में चली थी आपकी । अर्जुन सिंह के वक्त में चली थी आपकी कि आपको कमेटी का चेयरमैन बना दिया, हमने न्यूज पढ़ी थी उस वक्त में, वह न्यूज अभी आपने जिक्र किया, तो इसलिए आपने ऐसे पोज किया जैसे कि मतलब, वह भाई और भाभी क्या कह दिया, मुझे समझ में नहीं आई बात अभी भी, कि भाई और अनुयायी, अब भाई है, भाभी तो हैं नहीं अभी, हम तो अपनी बात, आपकी भावना जाकर बता सकते हैं कि राजस्थान क्या चाहता है, कोई भी टाइम यह बता सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। दूसरा आपने कहा.....

Lpm/akt/1650/4d/29032010

आपने एक बहुत अच्छे तरीके से कहा क्योंकि पढ़ने की आपकी बहुत अच्छी आदत है, आप हर चीज पढ़ते हो, वापस रिपीट करते हो, किस वक्त क्या शब्द काम में लिया गया? आपने कहा कि दोनों बजट भाषणों से संबंधित अनुच्छेदों को पुन: देख लिया है इसमें किसी किस्म का विरोधाभास व रिपीटेशन नहीं है। आप बताइए आपने कहा साहब रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, आप बताइए अगर मैं पिछले बजट में यह कहूं कि 300 मेगावाट का लक्ष्य हमारा है पवन ऊर्जा का, ठीक है जो आपने कहा और आपने कहा कि इस बार भी हमने रिपीट कर दिया कि 300 मेगावाट का लक्ष्य है तो हमने क्या गलत किया? उस वक्त 300 मेगावाट का लक्ष्य था वह पूरा हो गया तो इस बार फिर 300 मेगावाट का लक्ष्य हमने रखा। अगर भाषा वही होगी तो क्या हुआ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, वह 300 मेगावाट उसी के लिए इस बार कहा गया था उसी को रिपीट किया गया है और मतलब एक साल में कोई काम नहीं हुआ।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): नहीं, ऐसा गलत बात है, बिलकुल गलत है और 300 मेगावाट का लक्ष्य पूरा हुआ, पता कर लेना आप अब के और यह वापस लक्ष्य नया रखा गया है, आपने इस रूप में कहा। तीसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष वास्तव में अब पता नहीं इनकी पार्टी वाले किसको नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे? परफोर्मेंस का जो कॉम्पिटीशन हो रहा है यहां पर, अच्छा कॉम्पिटीशन हो रहा है, कौन बनेगा भगवान जाने पर अध्यक्ष महोदय, आज के दिन तो हम इन्हीं को मानते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं यह कह रहा हूं कि सब पार्टियों में स्थिति होती है आन्ध्र प्रदेश में आप आज तक मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं करा पाये हैं, एक बार कार्यवाहक शपथ करवाई है और राजस्थान विधान सभा में पिछले टर्म में छह महीने तक, आपके बारह महीने तक नेता प्रतिपक्ष नहीं बना था बी.डी.कल्ला साहब जब दोनों बार चेंज हुए थे तो यह बातें छोड़िए साहब यह सब घर के हैं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ...(व्यवधान)... प्रतिपक्ष का नेता कौन होगा यह विषय नहीं है ...(व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): प्रतिपक्ष का नेता कोई बने पर मुख्यमंत्री जी ने आपकी तारीफ करके आपको तो साफ कर दिया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, समय।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय राजस्थान विनियोग संख्या-2 विधेयक,2010 और राजस्थान वित्त विधेयक,2010 के पारित होने तक बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: सदन की अनुमति है? समय बढ़ाया गया।

विनियोग व वित्त विधेयक पर विचार

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष हम तो देखना चाहते हैं आप बनो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, हमारी दुआएं आपके साथ में हैं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपकी दुआएं अकेले इनके साथ ही हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): शांति लाल जी कह रहे हैं कि जिसकी भी आप बढ़ाई करते हैं उसका सफाया हो जाता है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक बात जोर-शोर से कही, आज भी उसे रिपीट की थी कि हमने राजस्थान की जनता के लाखों लोगों को टैक्स लगा दिया और तीन हजार करोड़ रुपए टैक्स इकट्ठा कर लिया। पता नहीं आंकड़े कहां से लेकर आ गये? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने खाली वैट 4 से 5 प्रतिशत किया मात्र उसमें सिर्फ 332 करोड़ रुपए अतिरिक्त वसूल होंगे, यह आंकड़े हैं। आपने बताया तीन हजार करोड़ रुपए इकट्ठा होंगे और अगर समस्त कर प्रस्ताव जो हमने मिला दिये हैं उनका आंकलन करे तो हमने जो टैक्स लगाया है, हम खुद इस बात को जानते हैं कि महंगाई एक डेढ़ साल से है राजस्थान के अंदर भी, अभी दिल्ली को देखा आपने जो टैक्स 20 प्रतिशत तक चले गये हैं डीज़ल के इन तमाम चीजों के गुजरात में, मध्यप्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में सब जगह टैक्स बढ़े हैं और 4 से 5 प्रतिशत मैंने उस दिन भी निवेदन किया आपको कि हाई पावर कमेटी बनी हुई जो केन्द्र में है जिसमें तमाम राज्य उसमें मैम्बर होते हैं करीब-करीब,

कभी बदलते रहते हैं उसके अंदर और उसने खुद ने कमेटी ने 4 से 5 प्रतिशत प्रस्ताव पेश किया देश के अंदर और करीब-करीब सब राज्य 5 पर आ गये है तो यह बहस का विषय होना नहीं चाहिए था फिर भी आपने कहने के लिए, मैसेज देने क लिए, भूमिका निभाने के लिए अपनी, आपने बड़े अच्छे शब्दों में कहा। वास्तव में आपने उस दिन ठीक कहा सुप्रीम कोर्ट में रहने के लायक है आप, जाइए हम आपकी सेवाएं लेंगे जब केस आएगा तब हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे। आप भी आकर के पैरवी कीजिएगा।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): मुख्यमंत्री महोदय, पिछले बजट में आपने बढ़ाया था साढ़े 12 से 14 प्रतिशत वह भी क्या केन्द्रीय एम्पावर्ड कमेटी का था या नहीं था?

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बात तो आपने मेरे ख्याल से क्लीयर कर दी इस बात को तो उसको मैं रिपीट करके क्या करुंगा? चूंकि वह यदि आप चाहेंगे तो मैं आपको मेरे पास यह पेपर हैं...

श्री अध्यक्ष: उस पर व्यवस्था दी जा चुकी है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आपकी जानकारी के लिए मैं आपको दे दूंगा, आप कन्वेंस हो जाएंगे कि इसमें कोई गलत नहीं किया है। इसमें बाकायदा जो उस वक्त मैंने क्लीयर किया था उस दिन और आज जो आपने सवाल उठाया है यह उसी ढंग का है 60-70 पोर्ट फोलियो होते हैं, मान लीजिए सरकार में 80 होते हैं जब चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर पोर्ट फोलियो बांटता हैं तो एक लाइन लिखी होती है लास्ट में कोई पोर्ट फोलियो छूट गया हो तो वह ऑटोमैटिकली चला जाएगा कहां पर?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): चीफ मिनिस्टर के पास में।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): यही बात यहां हुई है, पूरा मैंने देखा है इसको जो 4 प्रतिशत का शिफ्ट करने का मायने हैं तो ऑटोमैटिकली जाएगा। इसलिए कोई गलत नहीं किया। आपको क्लीयर कर देता हूं।

श्री अध्यक्ष: व्यवस्था हो चुकी है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): दे दी गई व्यवस्था। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका 14 पोइन्ट आपका लास्ट पोइंट बता रहा हूं वह भी आपने उठाया है। आपका कहना था कि विकास एक्सपंडीचर में डवलमेंट में 29 प्रतिशत कम कर दिया, सोशल सर्विसेज में 40 करोड़ रुपए कम कर दिया, आर्थिक सेवाओं में 24 प्रितशत की कमी आ गई। अब आप पता नहीं यह आंकड़े कहां से लेकर आते हो और कैसे पढ़ते हो, रात को सोते-सोते पढ़ते होंगे, पता नहीं क्या करते हैं? मुझे पता करना पड़ेगा कि आप आंकड़े लाते कहां से हो? ...(व्यवधान)... जांच आयोग जब बैठते हैं वह रिपोर्ट टाइम पर देते ही नहीं हैं वरना वही कर देता मैं इनके लिए ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): रिपोर्ट नहीं देते हैं फिर हाईकोर्ट उनको रिजेक्ट कर देता है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): रिपोर्ट टाइम पर आती भी नहीं है और इसलिए क्यों बिठाये? माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखिएगा डवलपमेंट एक्सपंडीचर जो है पता नहीं इन्होंने कैसे कह दिया कम कर दी है जबकि 5.9 प्रतिशत बढ़ा है, सोशल सर्विसेज में इन्होंने कहा कि 40 हजार कम कर दिये जबकि 1 हजार 186 करोड़ रुपए बढ़े हैं और आर्थिक सेवाओं में आपने कहा कि 24 प्रतिशत कम कर दिये, पता नहीं कैसे कह दिया? वो 5 प्रतिशत बढ़ा है उसके अंदर भी यह मैं कहना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा कुछ बातें तो करनी आपसे बहुत सारी हैं मैं समझता हूं कि मैं कुछ जो सदन की भावना है जिसमें आपने भी प्रकाश डाला है और कुछ जो फीडबैक आया है उसके अनुसार भी मैं चाहूंगा कुछ ऐसी घोषणाएं हो जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में सबके लिए लागू हो, वह मैं आपको कहना चाहूंगा। एक तो हमने आई.ओ.सी. डीपो में जो आग लगी थी उस वक्त जो सीतापुरा इण्डस्ट्रीज एरिया में ईपीआईपी में जो इकाइयों को नुकसान हुआ उस वक्त हमने उनका जो टैक्स होता है उनको हमने 2010 के मार्च का डैफर किया था तो उसके लिए मैं प्रस्तावित करता हूं कि वह हमने अब 2010 दिसम्बर तक डैफर कर रहे हैं एक तो यह है। नम्बर दो, जो सीमेंट उद्योग को आपकी सरकार के वक्त में 22 मई से आपने उसको नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया था। उसके बाद में कोई यूनिट आ नहीं रही है तो यहां जिप्सम बहुत ज्यादा है और यूनिट आनी चाहिए इससे रोजगार मिलेगा। इसलिए उस आदेश को वापस लेकर के उसको सीमेंट के नए निवेश पर पुन: वापस लेना प्रस्तावित करता हूं जो कि आपका आदेश 22 मई का था, तीसरा मैं प्रस्ताव करता हूं रीको औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक इकाइयों में नगरीय विकास कर वसूल नहीं किया जाएगा। यह एक मांग बहुत लंबे से थी। चौथा जो है यह जो ऑल इण्डिया परमिट वाले जो यात्री वाहन है उनकी हमने सेवा 25 हजार से बढ़ाकर 35 हजार की थी उसको मैं वापस लेने की घोषणा करता हूं। राज्य में पर्यटन इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राजस्थान पर्यटन इकाई नीति द्वारा 2007 की अवधि जो 31 मार्च,2010 को समाप्त हो रही थी उसको एक वर्ष के लिए बढ़ाने की मैं घोषणा करता हूं। राज्य में शैक्षणिक व चिकित्सा सुविधाओं को प्रोत्साहन देने के लिए भू-परिवर्तन प्रक्रिया में सरलीकरण करने का निर्णय लिया गया है। ऐसी इकाइयों की स्थापना हेतु स्थानीय निकाय स्तर पर अधिक अधिकार दिया जाएगा....

Bhs/akt/29.3.10/17.00/3e

भू-उपयोग परिवर्तन के अन्य प्रकार के प्रकरणों में भी आवश्यक संशोधन किये जाएंगे इसके साथ प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी किये जाएंगे। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में और सदन के बाहर भी जो बराबर फीड बैक मिल रहा है, एक तो ब्रांडेड रेडीमेड गारमेंट्स के बारे में, इसकी दर हमने बढ़ायी थी यह सोच कर कि उसमें तीन हजार, चार हजार, पाँच

हजार सब तरह के शर्ट्स होते हैं या गारमेंट्स होते हैं पर जो डिफीकल्टीज आ रही हैं गारमेंट्स के दुकानदारों को भी और पब्लिक को भी गलतफहमी में उनको तकलीफ होगी, हो सकता है कि वहां करेप्शन बढ़े, उसका पूरा लाभ नहीं मिले इसलिए मैं इसको पुन: वापस लेने की घोषणा करता हूं। इसी प्रकार माननीय अध्यक्ष महोदय, बिनौला खल को लेकर भी हमारे कई माननीय सदस्यों ने भी श्रवण कुमार जी बैठे होंगे और कई माननीय सदस्यों ने भी बराबर इस दिशा में ध्यान आकर्षित किया। आज नेता, प्रतिपक्ष भी बोल रहे थे और उन्होंने बाकायदा लच्छेदार भाषा के अन्दर पूरी बात कहीं तो यह मैं कहना चाहूंगा कि ये जो है इसका भी हमने जो लगाया था टैक्स उस वक्त में जो फीडबैक आ रहा था वो यह आ रहा था कि बाकी खलों पर टैक्स है खाली इसको छोड़ कर के और उसकी आड़ में वो खलें भी टैक्स फ्री हो जाती हैं। करेप्शन हो रहा था। कई खल का व्यापार करने वाले लोगों ने फीडबैक दिया था फिर भी सदन की भावना को देखते हुए मैं इसको वापस लेने की घोषणा करता हूं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सच्चे गांधी जी के प्रतीक हैं, मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला लिया न खल का ये सच्चे गांधी जी के प्रतीक हैं। आज किसान का सबसे बड़ा हित हुआ है इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है पैंसठ रुपये लगने लग गये थे एक बोरी पर।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति संगठन योजना स्पेशल कंपोनेंट प्लान फॉर शिड्यूल्ड कास्ट इसको लेकर क्वेश्चन भी आया था उसके अन्दर डिस्कसन भी हुआ था उस दिन मंत्री जी ने जवाब भी बहुत खूबसूरती से दिया था और ट्राइबल सब प्लान इसमें वास्तव में चिन्ता का विषय बना हुआ है कि लंबे अर्से से सरकार चाहे कोई भी रही हो इसमें वास्तविक बजट भावना जो होती है उसका निर्धारित फ्लो सुनिश्चित नहीं होता है। आप इस बात को समझ रहे हैं और यह काम थोड़ा कठिन भी है इसीलिए नहीं हो पाया तो यह मैं सदन में बात रखना चाहूंगा कि इसमें हमने तय किया है कि इसको हम लोग अगले बजट में यह प्रयास करें कि यह किस प्रकार से सुनिश्चित हो कि यह स्पेशल कंपोनेंट ट्राइबल सब प्लान का पैसा सुनिश्चित तरीके से लग सके, यह मैं घोषणा करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो हमारे राज्य के सम्मानजनक व्यक्तित्व हैं जिनको पद्म पुरस्कार मिलता है उनके लिए हमने निर्णय किया है कि सभी पद्म पुरस्कार प्राप्त व्यक्तियों को रोडवेज की सभी श्रेणियों की बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी, सर्किट हाउस और गेस्ट हाउस में ठहरने की सुविधा मिलेगी, राजकीय चिकित्सालयों में नि:शुल्क चिकित्सा की सुविधा कॉटेज वार्ड की सुविधा और राज्य व जिलास्तरीय समारोह में उनको स्थायी आमंत्रित सदस्यों की सूची में रखा जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली गवर्नमेंट जब हमारी थी तब हम लोगों ने आपको मालूम होगा कि बी.डी. बनायी थी। हमने बोर्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट बनाया था और कई फैसले हमने किये थे। सरकारी चली गयी उसके बावजूद भी कई फैसले कोर्ट में भी गये और नयी गवर्नमेंट जब आयी थी तब राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की जगह कोई नाम उसका दूसरा रखा

गया। आरआईबीपी रखा गया नाम उसका और उस वक्त में भी कई तरह के विवाद भी खड़े हुए और कोर्ट के केस भी हुए और माहौल बिगड़ा इसलिए मैंने यह तय किया कि ये भी जो पापूलर नेम बी.डी. है इसका नाम पापूलर बी.डी. है तो बी.डी. को समाप्त करने की घोषणा करता हूं और केबिनेट फैसला करेगी मिल करके यह मैं घोषणा करना चाहता हूं कि सारे फैसले अब केबिनेट में ही होंगे और ये बोर्ड अब समाप्त कर देंगे जिससे कि ट्रांसपरेंसी से फैसले हो सके, किसी को संदेह नहीं रहे, अनावश्यक लोग कोर्ट में नहीं लाए, यह मैं कहना चाहता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बिलकुल स्वागत है इसका।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): धन्यवाद आपका, स्वागत है तो।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): आज आप बहुत उदारवादी हो।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): सदन में करेप्शन के बारे में अनेक बार उल्लेख आया है। मैं स्वयं भी इस समस्या के बार में चिंतित हूं और मेरा मानना है कि हमें हर कीमत पर इससे निपटना चाहिए और निपटाना चाहिए और अंकुश लगना चाहिए। पूरा समाप्त करना तो किसी के हाथ में होता नहीं है पर अंकुश लगा देंगे तो कामयाबी मिलेगी। अत: एसीबी को सशक्त बनाना आवश्यक है एक तो एक सीमा तक तो वो काम हो तो हमने निर्णय लिया कि एसीबी और उसके अलावा जो हमारे एटीएस है, एसओजी है, एआरटी है और बम डिस्पोजेबल स्क्वॉयड है, इनकी सेवाओं में भी लोग जाएं उनका आकर्षण बढ़े ये सोच करके सेवा नियमों में संशोधन कर विशेष चयन कर इसमें अधिकारी/कर्मचारियों को स्पेशल ब्रांचेज में इनमें नियुक्त किये जाने का निर्णय किया है जिससे कि ये और मजबूत हो सके। राज्य कारागृह की व्यवस्था में सुधार के साथ-साथ कैदियों की भोजन सामग्री व इनके कपड़े तथा बिस्तर इत्यादि के लिए प्रावधानों में बढ़ोतरी की गयी है। गत सरकार के पाँच वर्ष में केवल 250 प्रहरियों की भर्ती की अनुमति दी गई जिसकी कार्यवाही वर्तमान सरकार के कार्यकाल में की गई है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2009-10 में 250 तथा अगले बजट के लिए 300 प्रहरियों के पदों पर भर्ती की घोषणा कर लगभग सभी रिक्त पदों पर नियमित कार्मिक लगाने की व्यवस्था हो जाएगी। जब तक नियमित रूप से प्रहरी नहीं लगे तब तक के लिए जेलों में बेहतर सुरक्षा हेतु तीन सौ बॉर्डर होमगार्ड लगाने का हमने निश्चय किया है। यह मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आते नहीं है वो, अपन लगाते हैं, कोशिश करते हैं पर वो ज्वाइन नहीं करते हैं क्योंकि सेलेरी इतनी कम है कि वो लोग इसको प्रिफर नहीं करते हैं। मैंने भी कोशिश की लेकिन वो आये नहीं और इसलिए अपने को नियमित नियुक्ति के द्वारा ही जेल को सुधारने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं, सब प्रयोग फेल हो गये।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): नियमित नियुक्ति कर दी जाएगी। आप ठीक कह रहे हैं उसी को हम मानेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यों की भावना को देखते हुए जो एमएलए लैड फंड है उसको अभी आप बोल रहे थे न इसके लिए तो इसके लिए अभी हम

लोगों ने यह तय किया है और मैं घोषणा करता हूं कि इसको अस्सी लाख रुपये से एक करोड़ रुपये किया जाएगा और साथ में अभी मैं सदन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस साल के लिए सिर्फ जो एक्स्ट्रा मिले बीस लाख रुपये वो पानी की प्रोब्लम पर ही खर्च होंगे। यह आपको मैं निवेदन करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगणों के भत्ते एवं सुविधाओं में भी संशोधन करने का काफी समय से प्रकरण विचाराधीन है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी इस पर बहुत ही भावात्मक और...।

एक माननीय सदस्य: व्यंग्यात्मक।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): ...तरीके से व्यंग्यात्मक, भावात्मक समझूं मैं इसको, क्योंकि जवाब पब्लिक को देना है आपको हम सबको देना है, भावात्मक था, व्यंग्यात्मक नहीं था। ठीक है, तब फिर गम्भीरता से विचार करते हैं क्योंकि यह मुद्दा पार्लियामेंट में और असेम्बली के अन्दर हर बार जब कभी बढ़ाने की बात आती है तो तमाम तरह की विचारधारा सामने आती है। ये हमारे सीपीएम के भाई लोग जो हैं वो भी बड़े होशियार होते हैं।

श्री पेमाराम (धोद): ये छोड़ दो सड़क वाली कर दो। हमें पैसा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है सड़क दे दो, विकास होगा लोगों को सुविधा मिलेगी।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): खड़े होकर अमराराम जी, हमारे माननीय सदस्य और अन्य नये-नये सदस्य आये हैं वो तो हमारे नये साथी हैं ये खड़े होकर उसका विरोध भी करते हैं और जब फैसला होता है तो उसको स्वीकार भी करते हैं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): एग्जम्प्ट कर दो सीपीएम को छोड़ कर बाकी को मिलेगा।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): पर यह हमारा वास्तव में ऐसा मुद्दा मैंने पिछली बार भी कहा था कि ऐसा सिस्टम बनना चाहिए माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र में भी और राज्यों में भी, वास्तव में एमएलए, एमपी की स्थिति बड़ी ही नाजुक होती है जो जनप्रतिनिधि होता है उससे व्यक्ति मिलने आते हैं, रात-दिन उनके साथ चाय-पान भी करते हैं, खर्चे भी होते हैं, अन्य खर्चे भी होते हैं, दौरा करते हैं तब भी खर्चा काफी होता है तो हमने इसलिए ...

कैलाश/अरुण 29.03.2010 17.10 (1) 3f

इसलिए हमने गाडी का जो प्रोविजन किया था उसमें थोडा सुधार किया है जिससे कम्फर्टेबल तरीके से आदमी अपने ढंग से घूम सके और क्षेत्र में दौरे कर सके, जन सम्पर्क रख सके। पिछली बार हमने इसकी घोषणा की थी पर आपने बहुत ही तरीके से अपनी बात कह दी, भावनात्मक रूप से कह, कुछ भी कह दिया हो आप बहुत दुःखी हो और मुझ से

उम्मीद करते हो पर उस दुःख का कारण आप खुद ही हो और आपकी पार्टी के लोग हैं कि उस समय इतना होहल्ला किया इस हाउस में कि आपने मुझे भी नहीं बोलने दिया ।

श्री अध्यक्ष: यह तो पूर्व मुख्य मंत्री के बंगले के लिये ज्यादा दुःखी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं किसी मुख्य मंत्री के बंगले के लिये दुःखी नहीं हूं मैंने अपनी बात सैद्धांतिक रूप से कही मैं प्रिवीपर्स के खिलाफ हूं।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): वैसे तो जो सदन की राय होगी फैसला वही होगा मेरा मानना यह है परन्तु मध्य प्रदेश में तो पूर्व मुख्य मंत्रियों को कैबिनेट का दर्जा सारी सुविधाओं के साथ में, पूर्व तो सबको ही होना पडता है मैं बता रहा हूं आपको सवाल वह नहीं है, एमएलए का एमपी का भी करते हैं, एमएलए का करते हैं तो भी देखते हैं कि किस राज्य में क्या क्या सुविधाएं है यह देख कर फैसलें होते हैं तो वह फैसले भी उस रूप में होते हैं या हुए हैं कि अन्य राज्यों में भी चाहे यूपी हो, चाहे वह मध्य प्रदेश हो वहां तो पूरी कैबिनेट का दर्जा जिंदगी भर रहा है उनके पास तो स्टाफ समेत, गाडी घोडे समेत। यहां तो मुख्य मंत्री को खाली एक बँगला और एक चपरासी दिया हुआ है। फिर आप कहोगे तो हम उसको विचार कर सकते हैं क्या करना है। ...(व्यवधान)... आपको विशेष रूप से कोई तकलीफ हो रही हो तो ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैंने इसलिए नहीं कहा, मैने कहा था कि विधायकों की बात करते समय उन परम्पराओं को लागू कर दें, मैंने यह भी कहा था कि भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों को सुविधा देनी हो तो आप जरूर दीजिए, उनको बँगला भी दीजिए मेरी दिक्कत नहीं है उसमें।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आपने कहा बँगला उनके पास में है ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): विधायकों की सुविधा के साथ में रेफरेंस में कहा था बाकी तो इसको वापस लेने की आवश्यकता ही नहीं है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अगर कोई मान लो इच्छा हो तो अलग बात है। अध्यक्ष महोदय, पिछली बार ऐसा माहौल बन गया था मैंने आप पर आरोप भी लगाया था कि आपने मुझे ना तो जनरल डिस्क्शन पर बोलने दिया ना आपने मुझे फाइनेंस बिल और एप्रोपिएशन बिल पर बोलने दिया तो हमारी मजबूरी थी कि हमने उस वक्त फि भी हाउस में आकर, आपने ही सबने आकर निवेदन किया था आपकी भावना का मैंने आदर किया, हमने प्रस्ताव बना दिये फिर भी आपने हाउस नहीं चलने दिया तब भी मैंने आकर लिखित में यहां पर घोषणा कर दी, प्रस्ताव रख दिया। उसके बाद में जब बिल लाने का समय आया तो दूसरी स्थिति बन गई थोडा ना इत्तफ़ाक़ी हो गई कि इसको कब रखें क्योंकि अभी हाउस शुरू ही हो रहा है पहले दिन ही यह बिल रखेंगे तो इससे आम जनता में मैसेज गलत जायेगा कि हाउस तो शुरू हो रहा है पीने के पानी की समस्या भी है, अकाल पडा हुआ है और हाउस चलते ही मुख्य मंत्री जी घोषणा करें कि यह हम आपको दे रहे हैं तो मैंने खुद ने कहा, मेरी पार्टी मीटिंग में कहा मैंने कहा कि घनश्याम तिवाडी जी और राजेन्द्र राठौड जी तो पीछे रह

जायेंगे बदनाम हम लोग होंगे, सरकार हमारी है इसलिए हम बदनाम होंगे इसलिए मैंने खुद ने रोका हमारे माननीय सदस्यों को अभी हम रुक जाते हैं बाद में प्रोपर टाइम पर हम फैसला करेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। मैं यह घोषणा करता हूं कि पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर बात कर लेंगे हमारे माननीय सदस्यों से भी, नेता प्रतिपक्ष या अन्य सदस्यों से, इंडिपिडेंट सदस्यों से, सीपीआई वालो सें, जब भी आप कहेंगे अभी तो दो तीन दिन और हैं आप कहेंगे तो हम इसी हाउस में इसका फैसला कर देंगे। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है हम जो सही काम करेंगे उसमें हम जनता को जवाब दे सकेंगे हम कह सकते हैं कि हमारे पास यह आरग्युमेंट है इस कारण से यह फैसला हुआ है। पर जस्टिफिकेशन होना जरूरी है। उसी प्रपोशनेट तरीके से ही फैसला होना चाहिये फैसला जिससे कि आम जनता को हम जस्टिफाई कर सके यह मैं निवेदन करना चाहूंगा । बाकी मैं आपकी बात को सपोर्ट कर रहा हूं यह होना चाहिये और हो जायेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अंत में एक बात कहता हुआ अपनी बात समाप्त करूंगा ...(व्यवधान)...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 10 किलो मीटर तक की सड़क दीजिए ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं यह कह रहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी बाकी सडकें तो बन रही हैं यह छोटी छोटी, एक किलो मीटर, आधे किलो मीटर के पेचेज रह जाते हैं वह किसी योजना के अंतर्गत आते नहीं है इसलिए पिछली बार विधान सभा में जो 10-10 किलो मीटर का किया था ।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हमारी जो पिछली सरकार थी तो आपको याद होगा आरयूपी योजना हमने ही बनाई थी 600 करोड रुपये की लागत से हर विधान सभा क्षेत्र में हम लोगों ने ...(व्यवधान)... मुझे याद नहीं एक्च्युअल में कितना था पर हमने 3-3 करोड रुपया हर विधायक के क्षेत्र में मिसिंग लिंक बनाने के लिये दिया था। अभी मैं इस मौके पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा पर हम आपकी भावना का ध्यान रखेंगे हम क्या तरीका निकाल सकते हैं जिससे कि इस प्रकार की समस्या का समाधान हो सके।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से अब मैं अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा कि हाउस के तमाम माननीय सदस्यों को चाहे वह हमारे प्रतिपक्ष के हो या पक्ष के हो तमाम सदस्यों को मैं आह्वान करना चाहूंगा कि हम लोग बातचीत में भी, हाउस में भी चर्चा करते हैं सबके दिल में एक ही बात रहती है राजस्थान कैसे प्रगति करे, कैसे विकास हो यहां पर क्योंकि पहले भी कई बार पिछली सरकार ने भी कहा कि अब राजस्थान पिछडेपन से निकल गया, अब पिछडा राज्य नहीं रहा है। उस समय भी हमने कहा था कि राजस्थान की स्थिति वास्तव में बहुत नाजुक स्थिति है। आज भी हमारे जो पैरामीटर्स हैं भारत सरकार के आंकडों से उन पैरामीटर्स में हम बहुत पीछे हैं। चाहे पर कैपिटा इनकम हो, प्रित व्यक्ति बिजली कितनी हम लोगों के हाथ में है, प्रति व्यक्ति सडकें कितनी हमारे पास में है, हम कई

पैरामीटर्स में इतने पीछे हैं बल्कि कहना चाहिये कि इसके अलावा हमारी जो स्थिति है जिसमें पापुलेशन की बात है, आप उस दिन बोल रहे थे पापुलेशन को लेकर जो हालात बने हैं, पापुलेशन में सबसे आगे आज राजस्थान है। यह आंकडे हमें बताते हैं कि अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो स्थिति कभी सुधर नहीं सकेगी इसलिए मैं अंत में आह्वान करना चाहूंगा हम सबको मिलकर राजस्थान के विकास में चंहुमुखी विकास में अपनी भूमिका अदा करनी है और मुझे यकीन है कि कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर हम सब मिलकर फैसला कर सकते हैं और आगे बढ सकते हैं। मुझे विश्वास है कि मेरे आह्वान को और मेरी भावना को समझ कर सब लोग मिलकर आज बजट को पास करें, फाइनेंस बिल को भी और एप्रोपिएशन बिल को भी, यही बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2010 पर खण्डश: विचार।

खण्ड 2 एवं 3 – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 एवं 3 स्वीकार किये जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

राजस्थान वित्त विधेयक, 2010 पर खण्डश: विचार।

खण्ड-2 से 11 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 11 स्वीकार किये जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 से 11 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2010

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2010 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2010 को पारित किया जाये।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2010 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: कोई सदस्य बोलना चाहें ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2010 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2010 को पारित किया गया।

ans/akt 17.20 3g 29032010

राजस्थान वित्त विधेयक, 2010

प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक 2010 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान वित्त विधेयक 2010 को पारित किया गया।

सदन की बैठक मंगलवार दिनांक 30 मार्च, 2010 के प्रात: 11.00 बजे तक के स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.20 बजे मंगलवार दिनांक 30 मार्च,2010 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)